खण्ड-505, अंक-4
बुधवार 07 भाद्रपद, शक संवत् 1940
(29 अगस्त, 2018 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2018)

(खण्ड 505 में 06 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2019

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थिति सदस्य . .	1-7
देश भर में नक्सल समर्थकों पर छापेमारी से सम्बन्धित विषय को उठाने का प्रयास . .	8
प्रश्नोत्तर . .	9-140
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें . .	140
प्रदेश में गो-वध तस्करी के आरोपित को गो-सेवा आयोग का सदस्य बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न . .	141-146
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें . .	147-148
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर, तहसील सगड़ी के अन्तर्गत आराजी गांव में 44 घरों में घाघरा नदी में विलीन होने के कारण पीड़ित परिवारों को सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	149
जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के अन्तर्गत निर्माण कार्य में अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	149
जनपद आजमगढ़ के तहसील सगड़ी के विकास खण्ड बिलरियागंज के ग्राम नुरुद्दीनपुर के गरीबों के पुत्रियों के शादी हेतु अनुदान दिलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	149
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	150
जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड अगौता के तालाब के चारों तरफ दीवार बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	150
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर नगर में स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	150
जनपद मथुरा के किसानों को सिंचाई की सुविधा हेतु माइनरों के सुव्यवस्थित संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	151
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में चकबंदी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	151
जनपद सहारनपुर स्थित बिल्सनबाग कालोनी अन्तर्गत कच्चे नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	152
जनपद सोनभद्र स्थित अमवार कनहर सिंचाई परियोजना में प्रभावित विस्थापित लोगों को राहत दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	152

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत मिश्रपुर से सीतामढ़ी के बीच गंगा नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	153
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में वृद्धाश्रम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	153
जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत अकबरपुर स्थित सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	153
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना.	154
जनपद लखनऊ में भू-गर्भ जल गिरते जल स्तर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	154-155
जनपद जौनपुर स्थित संजय नगर से दमोदरा रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	155
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत कतिपय ग्राम पंचायतों में विशेष सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	155
जनपद बिजनौर अन्तर्गत मालन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	156
जनपद सहारनपुर स्थित हरिद्वार मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	156
जनपद मुजफ्फरनगर स्थित सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	156
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-843/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (10)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	157
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-1823/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (89)-2017, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	157
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-1824/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (90)-2017, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	157
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-1826/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (92)- 2017, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	157
उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 2018 . .	157-158

विषय	पृष्ठ-संख्या
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-389/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (110)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	158
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-390/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (111)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	158
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-391/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (112)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	158
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-392/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (113)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	158
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-393/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (114)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	159
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-394/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (115)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	159
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-395/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (116)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	159
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-396/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (117)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	159
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-405/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (118)-2018, दिनांक 12 मार्च, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	160
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-415/ग्यारह-9(57)-17-उ0प्र0अधि0-5-2018-आदेश (119)-2018, दिनांक 14 मार्च, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	160
उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	160
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-498/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2018-आदेश (121)-2018, दिनांक 27 मार्च, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	160

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम-301 के अधीन ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण . .	161
उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 1, वर्ष 2018 (पटल पर रखी गयी) . .	161
उपलोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या 05-2014 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) . .	161
उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2017-18) का 43वां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) . .	161
उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2017-18) का 44वां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) . .	162
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''नियम समिति'' वर्ष (2017-2018) का प्रथम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) . .	162-163
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का पंचम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) . .	163
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का षष्ठम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) . .	163
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का सप्तम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) . .	163
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का अष्ठम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) . .	163-164
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का नवम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) . .	164
श्री राकेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत) . .	164
श्री जगन प्रसाद गर्ग, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित दो याचिकायें (व्यपगत) . .	164
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन कार्यक्रम निर्धारण सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) . .	165-166
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित) . .	166-167
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें . .	167-191
वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में अनुपूरक अनुदानों की मांग (अनुदान संख्यायें 1 लगायत से लगायत, 84, 86, 92 तक) (स्वीकृत).	191
अनुदान संख्या 01-आबकारी विभाग (स्वीकृत) . .	191
अनुदान संख्या 02-आवास विभाग (स्वीकृत) . .	191
अनुदान संख्या 06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत) . .	191

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) . .	191
अनुदान संख्या 09-ऊर्जा विभाग (स्वीकृत) . .	191
अनुदान संख्या 10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) (स्वीकृत) . .	192
अनुदान संख्या 11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) . .	192
अनुदान संख्या 13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत). .	192
अनुदान संख्या 14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायतीराज) (स्वीकृत) . .	192
अनुदान संख्या 15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) . .	192
अनुदान संख्या 16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत) . .	192
अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) . .	192
अनुदान संख्या 24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) . .	193
अनुदान संख्या 26-गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत) . .	193
अनुदान संख्या 28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत). .	193
अनुदान संख्या 31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत).	193
अनुदान संख्या 32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) . .	193
अनुदान संख्या 33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत) . .	193
अनुदान संख्या 34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) . .	193
अनुदान संख्या 37-नगर विकास विभाग (स्वीकृत) . .	194
अनुदान संख्या 38-नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत) . .	194
अनुदान संख्या 40-नियोजन विभाग (स्वीकृत) . .	194
अनुदान संख्या 41-निर्वाचन विभाग (स्वीकृत) . .	194
अनुदान संख्या 42-न्याय विभाग (स्वीकृत) . .	194
अनुदान संख्या 44-पर्यटन विभाग (स्वीकृत) . .	194
अनुदान संख्या 46-प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत) . .	194
अनुदान संख्या 47-प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत) . .	194
अनुदान संख्या 49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत) . .	195
अनुदान संख्या 51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत) . .	195
अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) . .	195
अनुदान संख्या 57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु) (स्वीकृत) . .	195
अनुदान संख्या 58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें) (स्वीकृत) . .	195
अनुदान संख्या 59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत). .	195
अनुदान संख्या 60-वन विभाग (स्वीकृत) . .	195

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत) . .	196
अनुदान संख्या 63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) . .	196
अनुदान संख्या 65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) (स्वीकृत). .	196
अनुदान संख्या 68-विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत) . .	196
अनुदान संख्या 70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग (स्वीकृत) . .	196
अनुदान संख्या 72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत) . .	196
अनुदान संख्या 73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत) . .	196
अनुदान संख्या 74-गृह विभाग (स्वीकृत) . .	197
अनुदान संख्या 75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परिक्षण परिषद्) (स्वीकृत) . .	197
अनुदान संख्या 78-सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत) . .	197
अनुदान संख्या 79-समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत) . .	197
अनुदान संख्या 81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत) . .	197
अनुदान संख्या 83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) (स्वीकृत) . .	197
अनुदान संख्या 84-सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत) . .	198
अनुदान संख्या 86-सूचना विभाग (स्वीकृत) . .	198
अनुदान संख्या 92-संस्कृति विभाग (स्वीकृत) . .	198-217
उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019 का अनुपूरक विधेयक, 2018) (पुरःस्थापित एवं पारित) . .	217-219
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 (पारित) . .	219-225
श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी विधेयक, 2018 (पारित) . .	225-239
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें . .	239-241
नत्थीयां . .	242-276

उत्तर प्रदेश विधान सभा
सत्रहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 29 अगस्त, 2018 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-377

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
6. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
9. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
10. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
11. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
13. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
14. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
15. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
16. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
17. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
18. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
19. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
20. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
21. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
22. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
23. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
24. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
25. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
26. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
27. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
28. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
29. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
30. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
31. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
32. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
33. अवतार सिंह भड़ाना, श्री — मुजफ्फरनगर
34. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
35. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
36. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
37. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
38. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
39. असलम अली, श्री — हापुड़
40. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
41. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
42. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
43. आर0 के सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
44. आराधना मिश्रा 'मोना' श्रीमती — प्रतापगढ़
45. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
46. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई
47. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
48. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल

49. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
50. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
51. उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
52. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
53. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
54. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
55. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
56. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
57. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
58. ओमकुमार, श्री बिजनौर
59. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
60. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
61. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
62. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
63. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
64. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
65. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
66. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
67. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
68. काली प्रसाद, श्री देवरिया
69. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
70. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
71. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
72. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
73. केसर सिंह, श्री बरेली
74. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
75. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
76. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
77. गंगा, श्री कुशीनगर
78. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
79. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
80. जी0 एस0 धर्मेश, डा0 आगरा
81. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
82. गौरी शंकर, श्री जालौन
83. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
84. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
85. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
86. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
87. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
88. छत्र पाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
89. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
90. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
91. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
92. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
93. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
94. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
95. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
96. जयमंगल, श्री महाराजगंज
97. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
98. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
99. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
100. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
101. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
102. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
103. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
104. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
105. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
106. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
107. दल बहादुर, श्री रायबरेली
108. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
109. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
110. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीरनगर

111. दिनेश खटिक, श्री मेरठ
112. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
113. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
114. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
115. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
116. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
117. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
118. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
119. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
120. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
121. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
122. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
123. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
124. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य उर्फ ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
125. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
126. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
127. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
128. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
129. नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'', श्री इलाहाबाद
130. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
131. नरेन्द्र पाल सिंह, कुं0 जालौन
132. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
133. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
134. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
135. नसीर अहमद खाँ, श्री रामपुर
136. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
137. नाहिद हसन, श्री शामली
138. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
139. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
140. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
141. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
142. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
143. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
144. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
145. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
146. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
147. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
148. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
149. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
150. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
151. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
152. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
153. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
154. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
155. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
156. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
157. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
158. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
159. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
160. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
161. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
162. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
163. फागू चौहान, श्री मऊ
164. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
165. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
166. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
167. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
168. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
169. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
170. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
171. बावन सिंह, श्री गोण्डा

172. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
173. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
174. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
175. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
176. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
177. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
178. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
179. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
180. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
181. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
182. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
183. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
184. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
185. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
186. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
187. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
188. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
189. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
190. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
191. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
192. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
193. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
194. महबूब अली, श्री अमरोहा
195. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
196. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
197. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
198. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
199. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
200. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
201. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
202. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
203. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
204. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
205. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
206. मो0 आजम खां, श्री रामपुर
207. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
208. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
209. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
210. मौ0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
211. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
212. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
213. योगेश धामा, श्री बागपत
214. योगेश वर्मा, श्री खीरी
215. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
216. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
217. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
218. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
219. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
220. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
221. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
222. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
223. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
224. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
225. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
226. रवि शर्मा, श्री झांसी
227. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
228. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
229. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
230. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
231. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
232. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीरनगर
233. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
234. राज करन कबीर, श्री बांदा

235. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
236. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
237. राजबाला, श्रीमती रामपुर
238. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
239. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
240. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
241. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया, श्री बदायूं
242. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
243. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
244. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
245. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
246. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
247. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
248. राधा कृषण शर्मा, पं0 बदायूं
249. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
250. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
251. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
252. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
253. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
254. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
255. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
256. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
257. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
258. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
259. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
260. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
261. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
262. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
263. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
264. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
265. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
266. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
267. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
268. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
269. लाखन सिंह, श्री औरैया
270. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
271. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
272. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
273. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
274. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
275. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
276. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
277. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
278. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
279. विजय मिश्र, श्री भदोही
280. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
281. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
282. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
283. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
284. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
285. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
286. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
287. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
288. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
289. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
290. वीरेन्द्र, श्री एटा
291. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री फैजाबाद
292. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
293. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
294. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर

295. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
296. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
297. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
298. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
299. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
300. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
301. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
302. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
303. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
304. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
305. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
306. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
307. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
308. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
309. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
310. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
311. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
312. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
313. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
314. संजय, श्री बुलन्दशहर
315. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
316. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
317. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
318. संजय यादव, श्री बलिया
319. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
320. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
321. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
322. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
323. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
324. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
325. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
326. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
327. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
328. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
329. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
330. सत्य प्रकाश अग्रवाल, ''कैलाश डेरी वाले'' श्री मेरठ
331. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
332. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
333. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
334. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
335. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
336. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
337. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
338. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
339. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
340. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
341. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
342. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
343. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
344. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
345. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
346. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
347. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
348. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
349. सुरेश कुमार, श्री शामली
350. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
351. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
352. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
353. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
354. सुरेश राही, श्री सीतापुर
355. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
356. सुशान्त कुमार सिंह, कुं0 बिजनौर
357. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
358. सुशील सिंह, कुं0 चन्दौली

359. सुषमा पटेल, श्रीमती	जौनपुर	369. हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
360. सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया	370. हरिओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
361. सूर्यभान सिंह, श्री	सुल्तानपुर	371. हरिशंकर माहौर, श्री	हाथरस
362. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0	मेरठ	372. हरीराम, श्री	सोनभद्र
363. सोवरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	373. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0	जौनपुर
364. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री	कानपुर नगर	374. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद
365. सौरभ श्रीवास्तव, श्री	वाराणसी	375. हाकिम लाल बिन्द, श्री	इलाहाबाद
366. सौरभ सिंह, श्री	खीरी	376. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती	आगरा
367. स्वाती सिंह, श्रीमती	लखनऊ		
368. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर	377. हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्यमंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 महेन्द्र सिंह), पंचायतीराज, लोक निर्माण विभाग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, मुस्लिम वक्फ, हज राज्यमंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00]

देश भर में नक्सल समर्थकों पर छापेमारी से सम्बन्धित विषय को उठाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण स्थान ग्रहण करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, आज सभी समाचार-पत्रों की मेन हेडिंग है कि नक्सल समर्थकों पर देश भर में छापे, इसमें गौतम नवलखा और सुधा भारद्वाज समेत पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं को देशद्रोही बताकर गिरफ्तार किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

लल्लू जी बैठिये, प्रश्नकाल हो जाने दीजिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है पहले हमें सुन लीजिये। गत वर्ष 31 दिसम्बर, 2017 को पुणे में दलितों व पेशवाओं के बीच हिंसा के सिलसिले में लोगों को जबरन जेल भेजा गया है।

श्री अध्यक्ष-

आपके द्वारा जो कुछ भी बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' अपने दल के सदस्यों के साथ वेल में आ गये।)

आपका यह आचरण उचित नहीं है। आप कांग्रेस दल के नेता हैं, आप अपनी सीट पर जाकर बोलिये, जो कुछ भी आप अव्यवस्थित सदन में बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा और यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

(तत्पश्चात् श्री अजय कुमार 'लल्लू' अपने दल के सदस्यों के साथ बर्हिगमन कर गये।)

[11:02]-प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-01

प्रदेश में भू-माफियाओं द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2018 तक राजकीय भूमि अवमुक्त कराने की मांग

***श्री संजय गर्ग-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान सरकार द्वारा भू-माफियाओं से दिनांक 31 जुलाई, 2018 तक कितनी राजकीय भूमि अवमुक्त करायी गयी है एवं कितने भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

दिनांक 31 जुलाई, 2018 तक कुल 52,990 हे0 राजकीय भूमि को अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है तथा 1572 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया की श्रेणी में चिन्हित कर उनके विरुद्ध विविध आपराधिक धाराओं में कार्यवाही की गयी है।

जी हां। (विवरण संलग्न† है)।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर प्रश्न है। सरकार ने दावा किया है कि 52,990 हेक्टेयर राजकीय भूमि को अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है। इसके साथ में एक सूची भी दी गयी है जिसमें अलग-अलग जिलों की अलग-अलग शिकायतें हैं, उनका निस्तारण है और किस-किस जगह पर कितनी भूमि का अधिग्रहण हुआ है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नेता सदन जी से और संसदीय कार्य मंत्री जी से अपनी जानकारी के लिए जानना चाहता हूं कि भू-माफिया शब्द किस परिभाषा को परिभाषित करता है ? जिसके आधार पर इन्होंने इतनी भूमि को लेने का काम किया है। क्योंकि कतिपय तमाम जनपदों में यह शिकायतें आई हैं कि जो कमजोर लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, जानकारी के अभाव में प्रधान ने उनसे कह दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत शौचालय बनाने के लिए उन्हें सहायता दी जायेगी। मान्यवर, आज परिवार बढ़ने के बोझ में 40 प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। उन लोगों ने जिन्होंने कहीं तालाब की जमीन पर भी अगर अपनी कोई झोपड़ी बना ली तो उन तमाम लोगों को बेदखल कर उन्हें सड़क पर लाने का काम ज्यादातर मौजूदा गांवों में करने की बात की गयी है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन कमजोर लोगों को, इन भूमिहीन लोगों को, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को अगर मदद के तौर पर वहां के प्रधान या किसी ने इस बात के आशय के साथ कि वह सिर ढक लेगा इस बात के साथ अगर उन्हें कोई स्थान देने की बात की गयी है और उसका दावा करते हुए अगर उन्हें बेदखल करने की बात की जा रही है तो उसमें कई प्रश्न उठते हैं एक तो उन्हें जानकारी का अभाव होने के कारण कहीं अगर भूमि का उपयोग कुछ और है और अगर उसने थोड़ी जगह ले ली अपना स्थान बनाने के लिए तो क्या सरकार उसका भू-उपयोग चेन्ज करने की बात करेगी भू-उपयोग को परिवर्तन कर उन्हें राहत देते की बात करेगी या नहीं करेगी ? एक दूसरा सवाल जो भूमि के राजस्व और वन ग्रामों के जमीन के बीच के झगड़े का है, तमाम सैकड़ों हेक्टेयर, हजारों हेक्टेयर जमीन भू-माफियाओं के द्वारा जंगल में काबिज की गयी है और वनाधिकार कानून, 2006 के जरिये वो तमाम अधिकार आदिवासियों को दिये गये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आदिवासी समाज के आखिरी पायदान पर बैठे हुए हैं। अभी माननीय नेता कांग्रेस ने जो मामला उठाने की बात की है मैं उस पर बल देते हुए यह बात कहना चाहता हूं कि

†देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ सं0 ..... पर।

5 लोगों को कार्यकर्ताओं और आदिवासियों को पिछले तीन महीने से सोनभद्र जिले में मियोरपुर थाने में संगीन धारायें लगाकार जेल के अन्दर भेजने का काम किया है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वो भू-माफिया जिन्होंने दूसरे वंचित तबके के लोगों को जिन्हें संहिता पर कानून हक देने का काम कर रहा है उन लोगों के हक को छीनने के लिए भू-माफिया लोग पुलिस से मिली भगत कर वन विभाग से मिली भगत करने का काम करें तो क्या इस तरह के माफियाओं के द्वारा जबरन काबिज हुई जमीनों को भी सरकार खाली कराने का काम करेगी या नहीं करेगी ? तीसरा प्रश्न और है यह केवल बानगी के रूप में आप ले सकते हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा तमाम ऐसी गोमती विकास योजना के अन्तर्गत उन भूमि को जो तालाब के अन्दर चिन्हित हैं ग्रामों की उन भूमि को लोगों को आवंटित कर दिया गया। प्लाट काट दिये गये या इमारतें खड़ी कर दी गयी लोग सड़क पर धक्के खा रहे हैं। क्या इस तरह लखनऊ विकास प्राधिकरण को हम इजाजत दे दें और एक गरीब को जो अपनी झोपड़ी लगाकर बैठा है, उसे इस बात के लिए डण्डा लगाकर बाहर निकाल दें, मैं इस पर आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले भी माननीय सदस्य की एक आंशका तो पूरी तरीके से निर्मूल है। माननीय नेता सदन ने इसी सदन में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जो भूमिहीन हैं, गरीब लोग हैं वो अपनी झोपड़ी डाल कर या मकान बनाकर किसी तरह से गरीब बस्तियों में रहते हैं तो उनको भू-माफिया श्रेणी के अन्तर्गत नहीं कहा जा सकता और न लिया जा सकता है। यह पहले ही स्पष्ट हो चुका है पिछली बार माननीय सदन में इस बात का आश्वासन भी आ चुका है। माननीय सदस्य ने शायद इस बात का संज्ञान भी लिया होगा। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि भू-माफिया की कहीं कोई कोडीफाइड परिभाषा नहीं है। मैंने तो डिक्शनरी में भी देखा उसमें भी कहीं कोई ऐसा शब्द नहीं है लेकिन जो व्यवहार में बात-चीत में यहां तो कई लोगों को भाषण माफिया बता दिया। इसी विधानसभा में कि जो ज्यादा बोलता है उसे भाषण माफिया यानी जो जिस बात के लिए ज्यादा जाना जाता है, कोई जमीन की अगर तिजारत करता है उसको उन्होंने भू-माफिया कह दिया लेकिन फिर भी जो लोग अधिकृत रूप से जमीनों पर बड़ी-बड़ी जमीनों पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं सामान्यतः बोल-चाल में उनको भू-माफिया की संज्ञा देते हैं। आपने सोनभद्र की एक बात बताई है आज ही उपवेशन के बाद हम इसको जरूर दिखवा लेंगे कि किसी भी प्रकार से किसी गरीब आदमी को परेशान न किया जाये। अगर आपकी बात सही है तो उनको न्याय जरूर मिलेगा यह मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी कल ही यह बात सामने आई है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा। ठीक है यहां से आदेश हो जाते हैं तो यह भी पता लगाना सरकार की जिम्मेदारी है कि आदेश का पालन होता है कि नहीं होता है। प्रैक्टिकल में हम सारे माननीय सदस्यगण बैठे हैं। मैं अपने क्षेत्र की रामपुर गांव है चितवां में कई सौ वर्ष से वह गांव है और

लेखपाल जी जाते हैं, आपका घर तो तालाब में लिखा हुआ है या तो हम गिरवायेंगे नहीं तो आप समझ रहे हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, आपका घर तो परती में बसा हुआ। हम तो उसे गिरवायेंगे ही। हर तहसील में घर गिराने वाले बुल्डोजर रखे हुए हैं। पूरे-के-पूरे गांव आतंकित हैं। मै आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो परिभाषा बताई। हम लोग भी यही सोचते थे कि भू-माफिया जमीन खरीदकर प्लाटिंग करते हैं या बेचते हैं। जो अरबपति और करोड़पति लोग हैं। वह अगर गांव समाज की जमीन या तालाब की जमीन या सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके या प्लाटिंग करके बेच रहे हैं। वह भू-माफिया की लिस्ट में आयेंगे। हम लोग यही समझ रहे थे। लेकिन होता यह होगा कि आप उनसे जमीन खाली कराते होंगे। लेकिन पहले जमीदारी प्रथा थी तो उन्होंने गरीब लोगों से कहा कि तुम यहां पर बस जाओ और वह वहां पर रहने लगे। मेरे क्षेत्र में गरीब लोगों के कई ऐसे गांव हैं जहां पर राजभर, हरिजन आदि जातियों के लोग रहते हैं। जो सैकड़ों बरस से जमीदार की दी हुई जमीन पर बसे हैं लेकिन वह जमीन जमींदार के नाम पर ही है। लेकिन गरीब लोग 100 बरस से, 200 बरस से या 300 बरस से वहां पर रह रहे हैं। लेकिन वहां पर लेखपाल जी जाते हैं और उनसे कहते हैं कि घर खाली करो, नहीं तो बुल्डोजर से घर गिरवा दिया जायेगा। मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी पूरे गांव में दहशत का माहौल है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या एक स्पष्ट आदेश कि चाहे वह परती भूमि हो जिस पर उन गरीब लोगों के पूर्वजों ने उन्हें बसा दिया है या तालाब की भूमि हो या गांव-समाज की भूमि हो या जमींदार की भूमि हो। उसमें गरीब लोग 30 बरस से, 50 बरस से, 100 बरस से, 200 बरस से बसे हुए हैं। क्या उनको लेखपालों द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जायेगा ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता विरोधी दल जी ने जो आशंका व्यक्त की है और जिस प्रकार से उन्होंने एग्जीक्यूशन के पार्ट पर जो स्थिति बताई है। हम निश्चित रूप से उस संबंध में एक आदेश भी अलग से करवा देंगे। लेकिन इसमें जो तालाब की आती है। जैसा कि मा0 नेता विरोधी दल ने तालाब के बारे में बताया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तालाबों के संबंध में दो बार कहा है कि जो सरकारी तालाब हैं उनका किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया जायेगा या उनको किसी भी तरीके से पाटा नहीं जायेगा। इस बात का संज्ञान आपको भी है। मान्यवर, राजस्व विभाग का एक शासनादेश दिनांक 16.04.2018 का है। एण्टी-भू-माफिया अभियान के अंतर्गत एक बीघा अर्थात् 2530 मी0 से बड़े क्षेत्रफल पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किये जाने के संबंध में है। इसका मतलब केवल यह है कि जिनके पास एक बीघा से ज्यादा या एक बीघा से कम जमीन है। उन पर यह शासनादेश लागू नहीं होगा। मैं इसको पढ़ देता हूं ताकि स्थिति क्लीयर हो जाये। 'उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 19.03.2018 को जनपद लखनऊ में घोषणा की गई कि एण्टी-भू-माफिया कार्रवाई के क्रम में सर्वप्रथम एक बीघा से बड़े क्षेत्रफल पर अतिक्रमण करने वाले और उसमें भी सबसे बड़े अतिक्रमणकारियों से शुरूआत कर जिन्होंने राजनैतिक संरक्षण एवं बाहुबल के आधार पर कब्जा कर रखा है उनको

हटवाया जायेगा। गरीबों, वंचितों, दलितों को जो 10 वर्ष से अधिक समय से जमीन पर अपनी झोपड़ी रखे हैं उनको पट्टा दिया जायेगा।'

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, अब तो उत्तर बड़ा स्पष्ट आ गया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मुझे पूछ लेने दें। आपने मुझे बुला लिया था। मान्यवर, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि तालाबों पर छोटे लोग रह रहे हैं। जो 50 वर्ष, 40 वर्ष, 100 वर्ष से रह रहे हैं, वह भू-लेखों में तालाब की जमीन या खलिहानों के नाम जमीन दर्ज है। लेकिन गरीब लोग वहां पर 50 या 60 वर्ष से रह रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी एक गांव नाउसांडा और एक भुवालपुर गांव है। यह गांव क्रमशः तालाब पर बसे हुए हैं और उन लोगों के घर वहां पर बहुत पहले से बने हुए हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर सरकार ने शासनादेश जारी किया था कि अगर तालाब की जमीन पर कोई बसा है तो उतनी जमीन दूसरी जगह तालाब की खुदाकर वह उसके नाम किया जा सकता है। मान्यवर, जो गरीब लोग हैं जो एक बीघा से कम काश्तकार हैं उनको उस जमीन के बदले जहॉ वह बसे हैं उसके बदले ग्राम समाज की अतिरिक्त भूमि को तालाब घोषित कराकर उसको उससे मुक्ति दिलाने की कृपा करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि जो भू-माफिया का सवाल है। अभी कल ही मेरा प्रश्न था। मेरे क्षेत्र का एक गॉव टेमा है। मैंने सवाल किया कि क्या तालाब की जमीन को किसी की भूमिधरी दर्ज की जा सकती है। जवाब दिया गया कि नहीं। फिर उसका पांच हे0 जमीन कुछ लोगों के नाम भूमिधरी में दर्ज कर दिया गया। वह भू-माफिया नहीं है ? उनमें यह कह रहे हैं कि यह कोर्ट में मामला चल रहा है। तो जो भू-माफिया हैं उन पर तो कार्रवाई नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप कह रहे हैं कि मामला न्यायालय में है।

श्री लालजी वर्मा-

जब नियम ही नहीं है तो न्यायालय में क्या मामला बनता है। जैसे तालाब की जमीन को किसी की भूमिधरी दर्ज नही की जा सकती अगर यह कानून है तो अगर किसी ने यह किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी अधिकारी ने अगर यह किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भू-माफिया के दबाव में उसको बचाने का काम किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी जमीनें जों 4-5 या दस हे0 या एक हे0 से ऊपर हैं अगर अनियमित ढंग से किसी अधिकारी ने तालाब की जमीन को भूमिधरी दर्ज कर दिया तो क्या इसका संज्ञान लेते हुए उस अधिकारी पर कार्रवाई करने पर विचार करेंगे ?

(श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा सहित कई
सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

यह कोई चर्चा नहीं हो रही है। इस एक प्रश्न में 16 मिनट लग गया।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी एक छोटा सा प्रश्न है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी यह जानना चाहूंगा कि तमाम जमीनें जो प्रदेश के तमाम गॉवों में रास्ते के नाम से दर्ज हैं। और रास्ता 160 कड़ी, 70 कड़ी का है। हम जानते हैं कि रास्ते की कड़ी 30 कड़ी से ज्यादा नहीं चलती है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि एक सार्वजनिक रास्ते को लेकर हमारे क्षेत्र पिपराबघेल में कई दिनों से धरना चल रहा है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो रास्ते पर बसे हुये लोग हैं क्या उनको भी वह जमीन उनके नाम से करेंगे। नवइयत चेंज करने का अधिकार राजस्व परिषद के पास है। राजस्व परिषद चाहे तो किसी भी जमीन का नवइयत चेंज कर सकती है। तो क्या राजस्व परिषद के अभिलेखों में उस भूमि की नवइयत चेंज करने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अब एक सवाल में 20 मिनट हो गया। आप हमारा सहयोग करिये। मा0 वर्मा जी।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसाकि मा0 मंत्री जी ने कहा कि जो एक बीघा से छोटे में जिन गरीब लोगों का अवैध कब्जा था उनको सरकार ने कहा कि उनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि उन लोगों के खिलाफ जो एक बीघा से छोटे कब्जेदार थे उन पर जो आई0पी0सी0 की धाराओं में मुकदमें लिख दिये गये हैं क्या सरकार उन मुकदमों को वापस लेने पर विचार करेगी ?

मान्यवर, पूरे प्रदेश में जो पूर्व में पट्टे दिये गये थे, परिवार नियोजन स्कीम या किसी और चीज के द्वारा किसी स्कीम के अंतर्गत, मेरे क्षेत्र के भी उदाहरण हैं कि क्या उन पट्टो को जो खलिहान के या दूसरे हैं उनको दूसरे स्थानों पर पट्टे चिन्हित करके चेंज करेंगे ? क्या बदले में उनको जमीन देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

जब वह पट्टे किये गये होंगे तो लेखपाल ने जमीन रिक्त बताई होगी।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसके पहले मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक बहरौली गांव है वहां के एक दलित परिवार को नसबंदी करने के बाद खलिहान की जमीन को पट्टा दे दिया गया तो उसने मकान बना लिया और फिर उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कर दी गयी और उससे कहा गया कि जमीन खाली करो।

(श्री पारसनाथ, श्री राजभर तथा श्री कैलाशनाथ सोनकर के
एक साथ खड़े होने पर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप तीनो लोग बैठ जाइए। अब सब लोग बोलेंगे तो क्या सिर्फ इसी प्रश्न पर चर्चा होगी ?

श्री कैलाशनाथ सोनकर-

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश में यह एक बहुत बड़ा विवाद है जिसके ऊपर रोज हत्याएं होती हैं। वास्तव में भू-माफिया और जमीनों के पट्टों के विषय में तो एक चर्चा अवश्य होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या पूछना चाहते हैं? आपका प्रश्न क्या है ?

श्री कैलाशनाथ सोनकर-

मान्यवर, मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप बताइए मत, पूछिए। आप लोग कृपा नहीं कर रहे हैं सिर्फ एक ही सवाल हो रहा है। आप लोगों को यदि एक ही सवाल करना हो तो एक ही प्रस्ताव ले आईए। कैलाशनाथ जी आप सवाल करिए।

श्री कैलाशनाथ सोनकर-

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि जो आजादी के समय से जहां आबाद हैं चाहे वह जमींदारी प्रथा की जमीन रही हो। जमींदार ने उनको आबाद कर दिया कि आप रहो, कमाओ तथा अपना मकान बनाओ।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री कैलाशनाथ सोनकर-

मान्यवर, मैं पूरक प्रश्न में जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति लगभग आजादी के समय से जहां आबाद हैं, वह व्यक्ति अशिक्षित समाज से है, दलित समाज से है, उस व्यक्ति की आज जमींदार के नाम से यदि जमीन चली आ रही है तो उसको हटाकर के फिर वह जमींदार किसी अन्य को कब्जा कराता है ?

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइए। आपका प्रश्न आ गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, स्पष्ट रूप से जो भी घटनाएं बताई गयी हैं उसका संज्ञान ले लिया गया है और बता भी दिया जाएगा। मान्यवर, हर घटना का तो जवाब नहीं देंगे चाहे मा0 वर्मा जी ने कहा हो, चाहे मा0 नरेन्द्र सिंह जी ने कहा हो, चाहे मा0 लल्लू जी ने कहा हो।

श्री अध्यक्ष-

उन लोगों ने उदाहरण दिये हैं उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा कहना है कि हमारी सरकार की मंशा गरीबों और दलितों को परेशान करने की नहीं है। यह शासनादेश से स्पष्ट हो जाता है रही बात एक्जीक्यूशन की हमने यह भी कह दिया है कि हम इसका प्रभावी एक्जीक्यूशन सुनिश्चित करेंगे।

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में वायु प्रदूषण से रोकथाम एवं शहरों में जहरीली हवा होने के सम्बन्ध में

श्री संजय गर्ग, श्री उमाशंकर सिंह तथा श्री उज्जवल रमण सिंह-

*1-क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोई विशेष योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन शहरों की हवा जहरीली है एवं इसके जहरीली होने के क्या कारण हैं ?

जन्तु उद्यान एवं पर्यावरण मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-

जी हां।

पर्यावरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के औद्योगिक नगरों गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ, बुलन्दशहर, बागपत एवं मुजफ्फरनगर में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कॉम्प्रीहेन्सिव एक्शन प्लान फॉर रेड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन इन एन0सी0आर0 (यू0पी0) तैयार किया गया है तथा उक्त कार्य योजना का क्रियान्वयन/अनुश्रवण का कार्य संबंधित उत्तरदायी विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं के माध्यम से कराया जा रहा है। राज्य स्तर पर उक्त कार्य योजना के अनुपालन का अनुश्रवण उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस प्लान में कुल 17 विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं हेतु वायु प्रदूषण के स्तरों के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही के 34 बिन्दु निर्धारित किये गये हैं। इसी प्रकार कानपुर, लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद एवं वाराणसी नगरों हेतु वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की गयी है तथा कार्य योजना के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु वेब पोर्टल विकसित किया गया है। संबंधित विभागों से जिला स्तर पर वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्यवाही कराये जाने एवं उसको पोर्टल पर अपलोड किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित जिलाधिकारी को दिया गया है। इस संबंध में शासन स्तर से संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं।

कार्बन उत्सर्जन विभिन्न प्रकार के जीवाश्म ईंधन के वाहनों एवं उद्योगों में प्रयोग कृषि अपशिष्ट एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट जलाये जाने से उत्पन्न होता है। कार्बन उत्सर्जन तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु पर्यावरण विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा दिनांक 28-10-2015 को वायु अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत कृषि अपशिष्ट के जलाने को प्रतिबन्धित किया गया है। प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने हेतु उद्योगों में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों

की स्थापना सुनिश्चित करायी गयी है। ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिनमें वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित एवं संचालित नहीं पाया जाता है, के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। वाहनों में उपलब्धता के आधार पर सी0एन0जी0 का प्रयोग प्रोत्साहित किया गया है तथा 10/15 वर्ष से अधिक की आयु सीमा से अधिक डीजल/पेट्रोल चलित वाहनों को एन0सी0आर0 क्षेत्र में प्रतिबन्धित किया गया है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में कृषि अपशिष्ट को जलाये जाने से रोकने हेतु कम्बाइन्ड हार्वेस्टिंग मशीन, स्ट्रा रिपर विद बाइन्डर अथवा स्ट्रा रिपर का उपयोग अनिवार्य किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 10-02-2017 जारी किया गया है। कृषि अपशिष्ट से तैयार बायो ब्रिकेट के प्रयोग को ईंधन के रूप में बढ़ावा देने हेतु उद्योगों/भट्ठों के संचालन हेतु निर्गत की जाने वाली सहमति में कम से कम 20 प्रतिशत बायो ब्रिकेट का प्रयोग किये जाने की शर्त अधिरोपित की जाती है।

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश के 24 शहरों में 72 स्थलों पर मैनुअल विधि से परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के 12 शहरों क्रमशः लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलन्दशहर, ग्रेटर नोएडा एवं हापुड़ में सतत् परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण हेतु एक-एक सतत् परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण स्टेशन (सी0ए0ए0क्यू0एम0एस0) स्थापित किये गये हैं।

वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक किये गये परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण से प्राप्त आंकड़ों के तुलनात्मक विश्लेषण से निम्न तथ्य परिलक्षित होते हैं :-

उपरोक्त सभी शहरों के समस्त अनुश्रवण स्थलों पर परिवेशीय वायु में सल्फर डाई-आक्साइड की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गयी है।

उपरोक्त सभी शहरों के अधिकांश स्थलों पर परिवेशीय वायु में नाइट्रोजन डाई-आक्साइड की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गयी है।

उपरोक्त सभी शहरों के समस्त अनुश्रवण स्थलों पर परिवेशीय वायु में पार्टीकुलर मैटर (पी0एम0-10) की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गयी है।

(पी0एम0-10) की बढ़ोत्तरी के प्रमुख स्त्रोत वाहन प्रदूषण, निर्माण कार्यों से जनित प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, कृषि अपशिष्ट एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट जलाये जाने से उत्पन्न प्रदूषण एवं रोड डस्ट आदि हैं।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सवाल अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है और इस पर पूरा सदन एक मत है।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिए तो उत्तर निबन्ध की तरह आया है।

(हंसी)

श्री संजय गर्ग-

मैं आपके माध्यम से इसकी गंभीरता को दर्शाते हुए कि माननीय मंत्री जी की जिम्मेदारी जरूर है, परन्तु इसके अन्तर्गत जब तक समन्वित 17 विभागों का इकट्ठा प्रयास न हो, तब तक यह तमाम चीजें सम्भव नहीं हैं और वायु प्रदूषण को लेकर सवाल केवल सरकार की गंभीरता का आता है और उन तमाम मुद्दों पर मैं केवल कुछ चीजों को लेकर आपके माध्यम से सवाल उठाना चाहता हूँ। प्रदूषण की जो मुख्य वजह है, इसमें दो राय नहीं है कि कूड़े को जलाना, डीजल-पेट्रोल आधारित परिवहन, कोयला आधारित उद्योग, बिजली घर, निर्माण सामग्री का बिना ढके भवन निर्माण, जाम की समस्या और शहर की ओर लोगों का पलायन, इन तमाम वजूहात की वजह से वायु में इतना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, जिससे कि कई जिलों और इलाकों में लोगों की मृत्यु दर और उनका जो इमार्टेलिटी रेट है, वह भी कम होने लगा है और ज्यादा लोग मरने की स्थिति में पहुँच रहे हैं। मैं केवल कुछ चीजें आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ।

माननीय आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि ऐसी उन औद्योगिक इकाईयों को जिन्हें वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित करके संचालित नहीं पाया जाता है, के विरुद्ध प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1900 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अभी तक पिछले वर्ष में कितने इस तरह की उत्पादन इकाईयों के खिलाफ कार्रवाई की गई अथवा नहीं की गई। मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है वर्ष 2016 में वायु प्रदूषण को कंट्रोल और जल प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बजट में व्यवस्था साढ़े चार करोड़ रुपये की गयी थी जिसे घटाकर मात्र 50 लाख रुपया 2017-18 के बजट में किया गया। जिससे मौजूदा सरकार की गंभीरता का अहसास होता है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस वर्ष 2018-19 में मौजूदा मद में क्या बजट की व्यवस्था है जिससे मा0 मंत्री जी जो दावे कर रहे हैं उन दावों को पूरा किया जा सके। तीसरा प्रश्न कि 20 करोड़ की आबादी में मात्र 12 जगह परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण स्टेशन की स्थापना का जिक्र अपने जवाब में मा0 मंत्री जी ने दिया है। 20 करोड़ की आबादी और मात्र 12 जगह के अनुश्रवण स्टेशन से हम इस पूरे प्रदेश को वायु प्रदूषण से मुक्त और उसका जनजागरण किस तरह से कर पायेंगे। जबकि विश्व व्यापार संगठन में पूरी दुनिया के 20 शहरों को जब चुनने की बात करी तो हमारे देश के 11 शहर आए और उन 11 शहर में सात शहर उत्तर प्रदेश के थे। जिनमें आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बनारस और गोरखपुर। मैं आपके माध्यम से यह बात निश्चित रूप से जानना चाहता हूँ कि क्या इस तरह के जो अनुश्रवण स्टेशन हैं सरकार इनकी संख्या बढ़ाने पर कम से कम एक जिले में एक जिला डेड क्वाटर पर इस तरह के अनुश्रवण स्टेशन की संख्या बढ़ाने पर सरकार क्या विचार कर रही है। एक चौथा प्रश्न कि 24 शहरों में वायु निगरानी यंत्र लगाने का प्राविधान मा0 मंत्री जी ने अपने जवाब में दिया है तो क्या 24 शहरों की वायु निगरानी यंत्र के बाद और दूसरे जनपदों में भी वायु निगरानी यंत्र लगाने के बारे में विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आप पहले कह चुके हैं।

श्री दारा सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा 10 स्थलों पर वायु स्थलों पर कार्य माह फरवरी में सुचारु रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। 12 शहर के अलावा जो है प्रदेश में मई 2018 में वायु गुणवत्ता के अनुसार अनुश्रवण किया जाता रहा। इसीलिए पांच अन्य नगरों में मुजफफरनगर, बागपत, बुलन्दशहर, ग्रेटर नोएडा, हापुड़ में सतत् जो है परिवेशी वायु गुणवत्ता की अनुश्रवण की कार्यवाही की गई है। और आगे की ही अब हमने एन0सी0आर0 को जो है सबसे ज्यादा पॉलुटेड जो क्षेत्र रहा है गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और मेरठ इसमें गंभीरता से सरकार इसकी वायु गुणवत्ता के अनुश्रवण व नियंत्रण के लिए सरकार प्रयास कर रही है। और, जहां तक मा0 सदस्य का सवाल है कि जो डब्ल्यु0एच0ओ0 का जो इन्होंने इशारा किया है कि जो उन्होंने सर्वे किया था कि देश के इतने शहर ज्यादा पॉलुटेड पाए गए हैं। हम आपके माध्यम से मा0 सदस्य के संज्ञान में लाना चाहते हैं क्योंकि जो डब्ल्यू0एच0ओ0 की रिपोर्ट थी वह 14 शहरों की थी जिसमें उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा रहा है। माननीय गर्ग साहब वैसे भी सीनियर हैं वह सारी गंभीरता को जानते हैं। यह सारी जो पी0एम0-10 और पी0एम0-25 जो सड़क निर्माण से पैदा होता है इससे होता है और उसमें जो रिपोर्ट डब्ल्यू0एच0ओ0 की पी0एम0-25 की रही है 2016 में अब जो रिपोर्ट आई है, फरवरी 2018 में और डब्ल्यू0एच0ओ0 ने भी इस बात को माना है कि क्रमशः यह जो गुणवत्ता है जो पी0एम0-25 और पी0एम0-10 का जो प्रभाव था इसका धीरे-धीरे कम हो रहा है। और मुझे खुशी है कि उस समय जब डब्ल्यू0एच0ओ0 ने रिपोर्ट दिया था 2016 में तो उसमें जो 173 पी0एम0-25 की रिपोर्ट पर्टिकुलर उसकी डब्ल्यू0एच0ओ0 की थी। तब 173 थी आज 2017 में 103 और आज हम 63 पर आ गए हैं। वाराणसी में तब 151 था पी0एम0-25, आज पी0एम0-25 2017 में हुआ 109 और मुझे खुशी है कि आज जो है महज जो है 85 रह गया है। लखनऊ में उस समय 138 था जब डब्ल्यू0एच0ओ0 ने सर्वे किया था। 2017 में 102 हुआ .25 पी0एम0-25 आज 76 है। आगरा में 131 2016 में और 2017 में 104 और जो है हम 75 पर पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि धीरे-धीरे यह प्रदेश हम उसके कमी की तरफ जा रहे हैं और मा0 गर्ग साहब इस बात को जानते हैं कि विकास जब किसी प्रदेश का होगा तो निश्चित रूप से निर्माण का काम होगा। सड़कें बनेंगी और सबसे ज्यादा जो पॉलुशन जो ट्रांसपोर्ट से होता है परिवहन से उसके लिए हमने तमाम डिपार्टमेण्ट को हमने लिखा है।

34 प्वाइण्ट पर गम्भीरता के साथ मॉनीटरिंग करते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब प्रदेश का विकास होगा तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव थोड़ा बढ़ेगा लेकिन इसके बावजूद भी यह महसूस हो रहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद जिस तरीके से रोड निर्माण और अन्य सारी चीजों में प्रदेश बढ़ रहा है तो इस विकास के होने के बाद भी पी0एम0-2.5 के प्रभाव को हम कम कर रहे हैं।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुझे अनुपूरक प्रश्न करने का मौका दिया। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर में बड़े विस्तार से इस प्रदूषण को कण्ट्रोल करने का जिक्र किया है। मैं प्रश्न पूछने से पहले मा0 मंत्री जी का

ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि यह प्रश्न आम जनता से जुड़ा हुआ है। हमारा जो केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड/सी0पी0सी0बी0 है उसने अपने एक सर्वे में बताया था कि लखनऊ देश का चौथा सबसे प्रदूषित शहर है। दिल्ली आई0आई0टी0 और सीड ने अपने सर्वे में बताया था कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दूषित वायु से, वायु प्रदूषण से प्रतिदिन 11 लोग मरते हैं। उन्होंने अपनी सालाना रिपोर्ट दी थी कि केवल लखनऊ में सालाना 4173 मौतें होती हैं और 4127 लोगों की मौत कानपुर में होती है। मैं यह बात अपने द्वारा नहीं बल्कि उनके तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। मा0 मंत्री जी यह इतना गम्भीर विषय है और अगर हम केवल कागजों में शासनादेश जारी कर देंगे, उसका जिक्र कर देंगे कि हमने इसकी रोकथाम के लिए यह किया।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने तो आंकड़े दिए हैं।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मा0 मंत्री जी आंकड़े आज दे रहे हैं। वैसे भी सब लोग जानते हैं कि बरसात के दिनों में जब बारिश हो जाती है तो हमारा पोल्यूशन लेवल कुछ कम हो जाता है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जाड़े के दिनों में जब कोहरे का प्रभाव समाप्त नहीं होता है तो उसके लिए हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

आपका कहना है कि यह जो पर्यावरण प्रदूषण घटा है, इसका कारण वर्षा है। यदि ऐसा हो सकता है तो फिर यह सवाल वर्षा के बाद पूछा जाए।

(सदन में हंसी)

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं केवल एक चीज से अपने आपको सम्बद्ध कर रहा हूँ। मा0 मंत्री जी ने जहरीली हवा के कुछ प्रमुख कारण बताए हैं। हमारे सवाल के अन्तिम पैरा में था कि क्या सरकार बताएगी कि प्रदेश के किन शहरों की हवा जहरीली है और हवा जहरीली होने के कारण क्या हैं तो इसमें मा0 मंत्री जी ने कुछ शहरों के नाम लिए हैं। मा0 मंत्री जी ने जिन तीन-चार चीजों का जिक्र किया है, उसमें यह है कि वाहन प्रदूषण, निर्माण कार्य और कृषि अपशिष्ट एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट जलाए जाने से ऐसा है। मान्यवर, जब भी यह सवाल आता है तो केवल यह जवाब आ जाता है कि किसान जब अपने गेहूँ की कटाई करता है तो उस समय वह हारवेस्टर से कटाई कराके फसल के अपशिष्ट को जला देता है। मा0 अध्यक्ष जी, हम मान लेते हैं कि साल में दो बार या दो महीना किसान यह कार्य करता है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें उन्होंने केवल किसानों को ही नहीं बताया, उन्होंने विकास कार्यों वाली बात भी ईमानदारी से स्वीकारी है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि इसमें किसान वाला कारण तो दो महीने में खत्म हो जाता है लेकिन जो दूसरा कारण वाहन प्रदूषण

का है तो वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए आपने अपने जवाब में दिया है कि 10-15 वर्ष से अधिक आयु की सीमा से अधिक डीजल पेट्रोल से चलित वाहनों को एन0सी0आर0 में प्रतिबंधित किया गया है तो माननीय मंत्री जी यह बतायें कि वर्ष 2017 से जब से सरकार बनी है अभी तक कितने ऐसे वाहनों को माननीय मंत्री जी ने चिन्हित करके उनको सीज कराया है। दूसरा जो मुख्य कारक हैं जहॉ से प्रदूषण फैलता है जो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो मानक हैं उनका कितनी ऐसी फैक्ट्रियॉ हैं जिन फैक्ट्रियों ने इन मानकों का दुरुपयोग किया था और उसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। उसका विवरण दे दें।

श्री दारा सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, यह संदर्भ माननीय सदस्य का तब का है जब जाड़े के दिनों में पिछली बार पूरे देश में इस बात को लेकर बड़ी हलचल थी खासकर एन0सी0आर0 और लखनऊ में भी। माननीय सदस्य काफी सीनियर हैं। उस समय भी जब यह सवाल आया था तो लखनऊ से लेकर कानपुर, आगरा, एन0सी0आर0, मेरठ, गाजियाबाद में यह सही है कि उसी समय जब धान पैदा होता है पूर्वाचंल में जो धान पैदा होता है उसके चारे को हम तो पशुओं को खिला देते हैं लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसको जानवर नहीं खाते क्योंकि सिलकिंग का प्रभाव होता है इसके नाते लोग उसे खेतों में जलाते हैं। पंजाब और हरियाणा में जिस तेजी से जलाया जाने लगा और उसकी खाद एवं जाड़े के वजह से खुला आसमान न मिलने के नाते पी0एम0-10 और पी0एम0-25 वह जमा हो जाता है जिसके नाते उसका प्रभाव ज्यादा रहता है यह तब का संदर्भ है। जहॉ तक माननीय सदस्य का सवाल है कि वाहनों से प्रदूषण पर नियंत्रण हमने कितना किया है उसमें बताना है कि ऐसे समय में पूरे एन0सी0आर0 क्षेत्र में पूरी तरीके से निमार्ण कार्य को रोक देते हैं। चाहे वह किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य हो चाहे बिल्डिंग का हो, चाहे रोड का हो और ऑड-इवन सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं और पूरे प्रदेश के विषय में जो जानकारी आपने मॉगी है कि कितने वाहन चिन्हित् हुये हैं चूँकि यह सारे विभाग को हमने भेजा है, बहुत बड़े पैमाने पर वाहनों की संख्या है उसके सम्बन्ध में परिवहन विभाग से पूरी जानकारी लेकर मैं माननीय सदस्य को बता दूँगा।

श्री अध्यक्ष-

इसकी पूरी जानकारी लेकर माननीय सदस्य को आप बता देंगे। यह अंतिम प्रश्न है आज हम लोग मुख्य सूची में पहुँच नहीं पा रहे हैं।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गंभीर विषय पर सरकार की गंभीरता दिखलाई पड़ती है कि जब पिछली बार यह प्रश्न आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें हस्तक्षेप करके कहा था कि हम वायु प्रदूषण पर बहुत गंभीर हैं लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है। उसमें जिन मानकों का उल्लेख किया है उसमें सभी मानकों पर उन्होंने यह स्वीकार किया है कि जो मानक हैं उनसे ज्यादा प्रदूषण इन शहरों में पाया गया है और आज हालात यह हैं कि एक लाख की आबादी में लगभग डेढ़ सौ से तीन सौ लोगों की मौत वायु प्रदूषण से हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी जोकि योग्य मंत्री हैं, विद्वान मंत्री हैं उनसे मेरे दो छोटे-छोटे प्रश्न हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर चिंता व्यक्त की थी तो हम लोगों को एक आशा जगी थी कि

इस मामले पर सरकार गंभीर है लेकिन तब से आज तक सरकार ने क्या कार्रवाई की ? वायु प्रदूषण के मामले पर या किसी भी प्रदूषण के मामले पर क्या कोई कार्य योजना बनाई है यदि कार्य योजना बनाई है तो सरकार बताने का काम करे।

श्री अध्यक्ष-

यह माननीय मंत्री जी का लिखित उत्तर कार्य योजना पर ही आया है। यही तो आपका मूल प्रश्न है।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

उसमें हमने एक तरफ यह पूछा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब देने के बाद सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया। हमारा इतना कहना है कि सरकार अधिकारियों के रटे-रटाये जवाब की बदौलत यदि चलेगी तो हम वायु प्रदूषण को इस सदी में समाप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमारा छोटा -सा प्रश्न है तथा हमारा माननीय मंत्री जी को सुझाव भी है और आग्रह भी है कि यदि आप अगर एक टास्क फोर्स पर्यावरण से संबंधित बनवाये जिसमें विशेषज्ञ लोगों से राय लेकर आप कार्य योजना को बनाये तो बेहतर होगा। इस प्रदेश के 20 शहरों में से जो 07 शहर हैं, जहाँ आप इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं, जहाँ आप कुम्भ मेला कर रहे हैं जिसे आप ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं, उस इलाहाबाद शहर का उठाकर देख लीजिए कि कितना ज्यादा प्रदूषण वहाँ हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, माननीय सदस्य अब आप प्रश्न का उत्तर ले लें। अब अगला प्रश्न लेने जा रहे हैं इसका उत्तर आ जाए। आज तो अभी एक ही प्रश्न हो पाया है।

श्री दारा सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि पूरा सदन इस बात को लेकर चिन्तित है, इस प्रदेश में वायु प्रदूषण को लेकर या किसी भी प्रदूषण को लेकर और जैसा माननीय सदस्य का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री के इस...

श्री अध्यक्ष-

लेकिन ध्वनि प्रदूषण को लेकर हम लोग यहां चिन्तित कम रहते हैं।

श्री दारा सिंह चौहान-

जी मान्यवर, उसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है और मैं अपने मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चिन्ता व्यक्त की और प्रयास किया। आप भी इस बात को जानते हैं कि केवल लैक से नहीं, हम जब तक व्यवहारिक पक्ष को नहीं समझेंगे, आज पूरे देश में इस प्लानटेशन का जो सीजन था उसमें हमने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक दिन में इसी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए साढ़े नौ करोड़ प्लानटेशन इस प्रदेश में लगा करके इस प्रदेश को पूरी तरह से प्रदूषण से मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया है और जैसा माननीय सदस्य का सुझाव है निश्चित रूप से हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे।

नत्थी 'ग'

तारांकित प्रश्न संख्या-01

***1-श्री उमाशंकर सिंह-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में ट्यूबवेलों को रि-बोर कराये जाने विषयक जानकारी

***2-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगर पंचायतों में स्थापित ओवर हेड टैंक जिनके बोर बर्स्ट हो गये हैं व उनके रि-बोर में आने वाला व्यय नगर पंचायत को मिलने वाले राज्य वित्त अथवा चौदहवें वित्त से पूर्ण नहीं कराया जा सकता, ऐसी स्थिति में पेयजल की समस्या को दूर किये जाने हेतु उक्त ट्यूबवेलों को रि-बोर कराये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुपालन में उपलब्ध बजट व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार धनराशि नगर निकायों के बुनियादी/मूलभूत नागरिक सेवाओं को विकसित करने हेतु अवमुक्त की जाती है। राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं :-

(1) 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में उत्तर प्रदेश की नगरीय निकायों के लिए केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के लागू किये जाने के संबंध में प्रक्रिया एवं तत्संबंधी दिशा-निर्देशों से संबंधित अधिसूचना संख्या 475/9-9-16-15ज/2016, दिनांक 31-03-2016 में जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध, सेप्टेज प्रबन्धन से संबंधित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव एवं इनके विकास हेतु व्यवस्था की गयी है।

(2) राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में शासनादेश दिनांक 01-06-2010 एवं 12-07-2010 द्वारा अन्य कार्यों के साथ-साथ नगर निकायों में पेयजल विकास संबंधी कार्य कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

उपरोक्त व्यवस्था से स्पष्ट है कि नगर पंचायतों में स्थापित ओवर हेड टैंक, जिनके बोर बर्स्ट हो चुके हैं, उन्हें राज्य वित्त आयोग अथवा 14वें वित्त आयोग से रिबोर कराया जा सकता है।

उक्त के अतिरिक्त नगर पंचायतों में स्थापित ओवर हेड टैंक, जिनके बोर बर्स्ट हो चुके हैं, का रि-बोर जिला योजना के नगरीय पेयजल कार्यक्रम (सामान्य/एससीपी) के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से भी कराया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि पूरे प्रदेश भर के 600 से अधिक निकायों में पेयजल की एक बड़ी समस्या पर आपने अनुपूरक पूछने की अनुमति प्रदान की है। माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश में निकायों में पेयजल एक बड़ा संकट बनकर उभरा है। हम समझते हैं कि पूरे प्रदेश में नगर पालिका और नगर पंचायतें मिलाकर लगभग 600 निकाय उत्तर प्रदेश में हैं। उसमें बड़ी संख्या में पेयजल हेतु ओवरहैड टैंक की व्यवस्था की गयी थी। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसके लिए 14वें वित्त और राज्य वित्त आयोग से व्यवस्था की गयी है लेकिन मेरा प्रश्न ही यहीं से शुरू था कि जिन निकायों में 14वें वित्त और राज्य वित्त आयोग से इतनी धनराशि पर्याप्त नहीं मिल पा रही है उन ओवरहैड टैंकों को कैसे रिबोर किया जायेगा? माननीय अध्यक्ष जी, भारत के 73वें और 74वें संशोधन के लागू होने के बाद यह सही है कि राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर निकायों को पैसा मिलता है, उसका आधार होता है निकायों की भौगोलिक क्षेत्र और उसकी जनसंख्या। उनके आधार पर एक निश्चित धनराशि उत्तर प्रदेश के लोकल बॉडी और उन टाउन एरिया को जाती है लेकिन सच्चाई यह है कि अगर इसका कोई सर्वे कराया गया हो और माननीय मंत्री जी के पास तो इसकी सूचना होगी कि ऐसी छोटी नगर पंचायतें हैं जहां पूरे वर्ष में 14वें वित्त में 26 से 28 लाख रुपये औसत धनराशि जा रही है। राज्य वित्त आयोग में इस बात की व्यवस्था दी गयी है कि पहले लोकल बॉडी राज्य वित्त आयोग से मिली धनराशि में वेतन, ग्रेच्युटी और पेंशन इन सबका भुगतान करने के बाद यदि कोई धनराशि उसके पास बचती है तो वह विकास कार्यों में लगायेगी।

विकास कार्यों में किनमें लगायेगी, यह शासनादेश में अलग-अलग उल्लेख है जिसमें जल निकासी है, प्रकाश व्यवस्था है और तमाम चीजों के लिये उसमें व्यवस्था दी गयी है। माननीय मंत्री जी ने जो सूचना दी है उसमें हम मंत्री जी से तीन छोटे-छोटे प्रश्न करेंगे। एक तो माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में प्रदेश की कितनी ऐसी नगर पंचायतें हैं जहॉ ओवरहेड टैंक रि-बोर होने या उनका बोर बर्ष्ट हो जाने के कारण बंद है और उनमें एक वर्ष से अधिक जो ओवरहेड टैंक बंद है उनकी संख्या क्या है। दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से था कि क्या सरकार यह जॉच कराकर, कि जिन निकायों को चौदहवें वित्त या राज्य वित्त आयोग से मिली धनराशि के पर्याप्त न होने के कारण वह अपने नलकूप ओवरहेड टैंक को रि-बोर नहीं करवा सकते और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है कि एक नलकूप को रीबोर करवाने में लगभग 54 लाख 55 हजार रुपये की धनराशि का औसत खर्च आता है और जब लोकल बाडी को कुल पैसा वेतन देने के बाद और 14वें वित्त से मिलने के बाद कुल 58 लाख औसत 68 लाख आता है जो वर्ष में बच रहा है तो वह कैसे उसे रि-बोर करा पायेगी । ऐसे ओवरहेड टैकों की जॉच करा करके और जहॉ पैसा पर्याप्त नहीं है उसके बर्ष्ट रीबोर को रीबोर कराये जाने के लिये सरकार अपने स्तर से कोई निर्णय लेगी। तीसरा अनुपूरक प्रश्न मेरा माननीय मंत्री जी से यह है जो मूल प्रश्न के उत्तर में ही था कि यदि कहीं ऐसी धनराशि की कमी आती है जिला योजना के अन्तर्गत उनके रि-बोर कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी। माननीय मंत्री जी बहुत वरिष्ठ हैं और जिला योजना में कितनी धनराशि जाती है उसको माननीय मंत्री जी खुद जानते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी सरकार के स्तर से ऐसा कोई निर्देश

जारी करेंगे कि जिन जिलों में ऐसी टाउनएरिया में ओवरहेड टैंक के नलकूप रि-बोर होने हैं उनको अनिवार्य रूप से जिला योजना में पैसा दे दिया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी मंत्री भी रहे है और बहुत पुराने सदस्य है तो यह जानकारी मान्यवर सही नहीं है कि कुल जितना पैसा लाखों में बताया नगर पंचायतों को उतना दिया जाता है। मान्यवर, राज्य वित्त आयोग की एक व्यवस्था है और एक चौदहवें वित्त आयोग की व्यवस्था है। यह मैनें मूल प्रश्न के उत्तर में बताया। नगर पंचायत में इस समय टोटल 437 नगर पंचायतें हैं उसमें 1190 करोड़ 20 लाख 79 हजार 74 रुपये की व्यवस्था है और इसमें हमने यह व्यवस्था कर रखी है कि एक/बारह भाग हर महीने रिलीज करते हैं ताकि यह न हो कि कहीं का पैसा कहीं खर्च हो जाय। यह बिल्कुल सही है कि हमने निर्देश जारी कर रखा है कि पहले वेतन भत्ते, पेंशन और एरियर्स और उसके बाद इसमें जो पैसा बचेगा वह पूरी तरीके से विकास कार्यो पर खर्च होगा । साथ ही साथ जो 14वां वित्त आयोग है वह केन्द्र का है उसमें 10 हजार 249 करोड़ रुपये की व्यवस्था है और यह मान्यवर इस वर्ष 2017-2018 में जो बीत गया उसमें 307 करोड़ 46 लाख 66 हजार 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था है। जिस नगर पंचायत की आप बात कर रहे हैं, सलोन की।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन आप इनकी रूचि को जानते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपने सलोन का नाम नहीं लिया लेकिन आपका आशय सलोन से ही है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

नहीं मेरा आशय ऊँचाहार से है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हमारे पास है, हम जानकारी लेकर आये हैं कि आप रायबरेली से आते हैं। मान्यवर, हर नगर पंचायत को एक मानक के हिसाब से पैसा दिया जाता है। 40-40 परसेंट तो देते हैं नगर निगम और नगर पालिका परिषद् को और 20 परसेंट देते हैं नगर पंचायतों को। मान्यवर, इसमें इतनी पर्याप्त धनराशि बच जाती है कि जो बेसिक एमीनिटीज हैं उस पर पैसा खर्च किया जा सकता है।

हर स्थान पर उसमें पानी टॉप प्रियारिटी की एक्टिविटी है। आपने दूसरा सवाल कहा कि 54 लाख रूपया रि-बोर में खर्च होता है। मान्यवर, यह बोरिंग के ऊपर निर्भर करता है कि बोरिंग कितने इंच की है। यह आप जानकारी सही कर लें कि चार इंच की बोरिंग पर लगभग 12 लाख रूपया खर्च होता है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में यह खराब होती रहती हैं, बोर बर्ष्ट होते हैं और बोर ठीक भी होते हैं।

श्री अध्यक्ष-

हाँ, बना करते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह 10 साल से ज्यादा की जो टंकियॉं हैं, उनमें यह स्थिति पैदा होती है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में 659 नगर पंचायतों में टंकियॉं हैं, जिसमें 613 सही हैं, क्रियाशील हैं, यह 28.08.2018 की रिपोर्ट है। केवल 46 टंकियॉं खराब हैं, इसमें 10 साल से पुरानी टंकियॉं ज्यादा हैं, जो खराब हैं। आप आज भी पता करेंगे, उनके पास धन कितना है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उनके पास इतना धन जरूर होगा कि वह इसको ठीक करा सकते हैं। रही बात इसकी, तो कल ही हमने इस बात का निर्देश दे दिया था, जैसे ही सवाल मेरे सामने आया कि पूरे प्रदेश में इस बात का निर्देश दे दें कि जो भी टंकियॉं खराब हैं। अगर उनके पास पैसा उपलब्ध नहीं है, यह शासनादेश हम लेकर आये हैं कि जो भी टंकियॉं खराब हैं, उनको तत्काल अगर उनके राज्य वित्त में या चौथे वित्त में पैसा न हो तो हम शासन स्तर पर जो हमारा राज्य स्तर का पैसा है, उससे ठीक करा देंगे और राज्य स्तर से हमने 99 करोड़ रुपये की व्यवस्था इसमें कर रखी है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई)

मान्यवर, खास तौर से पेयजल के लिए व्यवस्था कर रखी है। इसलिये आपको इस बात की आशंका नहीं होनी चाहिये, यह सतत् प्रक्रिया है।

श्री अध्यक्ष-

अब तो मनोज जी आप बधाई दे सकते हैं। मनोज जी को बधाई देनी चाहिये।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मैं वाकई माननीय मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दूँगा, वाकई यह बड़ी समस्या थी और माननीय मंत्री ने इसको समझा और चूँकि माननीय मंत्री जी ने ऊँचाहार की बात को इंगित किया है तो हम इसका डिटेल माननीय मंत्री जी को दे भी देंगे।

श्री अध्यक्ष-

क्षेत्र वाली बात बाद में बता दीजियेगा। पाण्डेय जी, अब आप बैठिये। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न सं0-3, माननीय पर्यावरण मंत्री जी।

प्रदेश में पालीथिन बैग के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में

***3-श्री विजय मिश्र तथा श्री सुखदेव राजभर-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पालीथिन बैग से हो रहे पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के दृष्टिगत प्रदेश में पालीथिन बैग के उपयोग पर सरकार पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

नगर विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 6क, 7, 12 और 13क के अधीन प्लास्टिक कैरी बैगों को प्रतिबन्धित किये जाने के संबंध में

अधिसूचना सं0 1056/9-7-18-29 (लखनऊ)/18, दिनांक 15 जुलाई, 2018 निर्गत की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, जैसा कि पालीथीन बैग के संदर्भ में हम लोगों ने प्रश्न लगाया है। मैं माननीय मंत्री जी से एक छोटा सा अनुपूरक पूछना चाहता हूँ कि यह जो पालीथीन होती है, कहाँ-कहाँ पर प्रयोग होती है, कुछ कामों को बता दें, जहाँ पर भी पालीथीन का प्रयोग किया जाता है, इन कैरी बैगों के अलावा।

श्री अध्यक्ष-

क्या आपका प्रश्न कुछ व्यापक नहीं है ? बहुत व्यापक हो गया।

श्री सुखदेव राजभर-

हमने कुछ कह दिया, बहुत व्यापक हो जायेगा। बड़े-बड़े पूँजीपतियों को नहीं बता पायेंगे, ठेला वाले के ऊपर यह है। मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ बता दें कि पालीथीन विशेष तौर पर प्रयोग होता है। दूसरा माननीय मंत्री जी पालीथीन बैग पर जो आपने प्रतिबंध लगाया है, उसका सब्स्टीट्यूट आपने कोई तैयार किया है, क्योंकि छोटे-छोटे ठेला, गुमटी, कैराना की दुकान से जुड़ा हुआ उनका एक साधन था, जिसमें ग्राहक को यह सामान देते थे। इसको अगर आपने बन्द कर दिया है, बैन कर दिया है तो इसका सब्स्टीट्यूट क्या बना है और दूसरा पालीथीन के बारे में कुछ सीमित बता दें कि कहीं और इसका प्रयोग होता है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को भी बताने का कष्ट करेंगे कि पालीथीन के स्थान पर यदि कोई सब्सीट्यूट बैग चलाये हों तो उसका उल्लेख करें और साथ ही साथ पालीथीन उत्पादक जहाँ उत्पादन हो रहा है उनको भी निर्देशित कर दें कि आप पालीथीन का उत्पादन न करके जो मैं सब्सीट्यूट दे रहा हूँ उसका उत्पादन करें, क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी ?

श्री दारा सिंह चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य इस हाउस के बहुत ही सीनियर सदस्य है और सम्मानित पद पर भी आसीन रहे हैं वह हम लोगों के नेतृत्वकर्ता रहे है और उनका सवाल बहुत ही अहम है, मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य जानते हैं कि भारत सरकार ने 50 माइक्रोन तक के नीचे की पालीथीन जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे जिसमें हम सब्जी लेकर जाते हैं या और कोई छोटे-मोटे सामान ठेले, खुंचे वालों से खरीदते हैं उसको भारत सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबन्धित किया था उसके अनुपालन में 22-12-2015 को प्रदेश सरकार ने भी पूरी तरीके से प्रतिबन्धित किया था। परन्तु उसमें सिर्फ प्रासीक्यूशन का अधिकार था जुर्माना वसूलने का अधिकार न होने के कारण पूरी तरह से पॉलीथीन को प्रतिबन्धित नहीं कर पाये थे इसलिए उसमें संशोधन करते हुए शक्तिशाली बनाते हुए 12 विभागों को जिम्मेदारी दी गई है इसमें डी0एम0 हैं, राजस्व है, फॉरेस्ट है, पर्यटन है, चिकित्सा है। हमने प्रयास किया है कि शक्तिशाली तरह से काम हो क्योंकि आप जानते हैं कि पॉलीथीन पूरी तरीके से नष्ट न हो पाने के नाते प्रदूषण की चिन्ता पूरे सदन को है। इसीलिए हमारी सरकार ने अभी 15 जुलाई, 2018 से

50 माइक्रोन से कम प्लास्टिक कैरीबैग अथवा उससे अधिक मोटाई के प्लास्टिक कैरीबैग जिसमें विनिर्माता का नाम तथा रजिस्ट्रेशन संख्या न हो को पूरी तरह से प्रतिबन्धित किया है। 15 अगस्त से प्लास्टिक या थर्मोकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कप, ग्लास, प्लेट, चम्मच जो भी चीजें हैं उसको भी प्रतिबन्धित करने का काम किया है। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर, 2018 से पूरी तरीके से कैरीबैग को प्रतिबन्धित करने का सरकार ने फैसला किया है। निश्चित रूप से जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। मा0 सदस्य का जो सवाल है कि इसका विकल्प क्या है तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता के हित के लिए बाई-प्रोडक्ट पर विचार कर रही है कि जो ऐसा कैरीबैग हो जो परमानेंट न रह सके और मिट्टी में मिलकर खाद बन जाय। हम और हमारा नगर विकास विभाग भी इस मामले पर गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष-

अब तो पूरा उत्तर आ गया मा0 विजय मिश्रा जी क्या आप कुछ पूछेंगे? पॉलीथीन को बुरा माना गया तो उसके विकल्प को क्यों ढूँढा जाय जैसे कि तम्बाकू बुरी है तो क्या उसकी जगह पर कोई नई चीज ढूंढेंगे।

श्री उमा शंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं विकल्प बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

विजय मिश्रा जी मूल प्रश्नकर्ता हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

जैसे आपने कहा कि हम वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं और जल्दी ही सफलता भी प्राप्त हो जायेगी। ठीक है, प्रदूषण रूके मैं इसका पक्षधर हूँ, इसका प्रयोग न हो हम इसके भी पक्षधर हैं। मैं इसलिए इशारा कर रहा हूँ कि आज माल में धड़ल्ले से सबकुछ चल रहा है, वहॉ किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी माल में चेक कर लें वहॉ भी इसी क्वालिटी के बैग हैं केवल पुलिस डंडा भांज रही है खुंचे, ठेला और किराना की दुकानों पर। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब सब्सीट्यूट तैयार हो जाए तब इसे बन्द करेंगे या पहले ही बन्द कर देंगे इसको स्पष्ट कर दें।

श्री विजय मिश्र-

आज जितनी भी चर्चा हुई।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा नहीं हुई, प्रश्नोत्तर हुआ।

श्री विजय मिश्र-

मान्यवर, चर्चा चल रही है, सबसे खतरनाक यह प्लास्टिक है, चाहे उसको गौमाता खा रही हो, चाहे आप चाय पी रहे हों, चाहे आप भोजन कर रहे हों। मैक्सिमम इसमें खाने से कैंसर भी उत्पन्न हो रहा है, रही बात इसके विकल्प की।

श्री अध्यक्ष-

विकल्प नहीं आप प्रश्न पूछ लें।

श्री विजय मिश्र-

मान्यवर, उत्तर तो दे ही दिया गया है मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि कुम्हारों को सबसे ज्यादा कर्ज दे दें, ऑटोमैटिक वैकल्पिक सामान बनने लगेंगे, बाकी झोला तो कपड़े का बन ही जायेगा।

श्री उमा शंकर सिंह-

मान्यवर, केवल एक मिनट दे दें आपका संरक्षण चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

सीधा सवाल कीजिए, आधे मिनट में पूछ लें।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 मंत्री जी ने चिन्ता जाहिर की है, जो विकल्प की बात आई है जैसे पोलैण्ड में।

श्री अध्यक्ष-

अब इसका पोलैण्ड से क्या मतलब, हमने आपसे कहा कि प्रश्न पूछ लें।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, कई देशों में भूसे से प्लेट बन रही है, पपीते से चम्मच बन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप कोई कम्पनी खोल लीजिए और नया विकल्प लाइये, पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी विकल्प देने की नहीं है, उसने प्लास्टिक को बुरा माना और प्रतिबन्ध लगा दिया।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, तो क्या मा0 मंत्री जी विचार करेंगे कि हम उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की व्यवस्था लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप कोई बढ़िया कम्पनी बनाइये, वह विचार करेंगे।

श्री दारा सिंह चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं पूर्ण रूप से मा0 सदस्य की बातों से सहमत हूँ और जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ सदस्य ने सवाल किया है, मुझे खुशी है कि पूरा प्रदेश जिस तरह से इस क्षेत्र में जागरूक हुआ है, वह पूर्ण रूप से विकल्प की तलाश में है। मा0 सदस्य मिश्रा जी के अनुपूरक प्रश्न में ही हमारा उत्तर छिपा हुआ है कि लोग अपने तरीके से कपड़े का एवं बाई प्रोडक्ट जिसकी बात वह कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

आपकी कार्यवाही से सब लोग खुश हैं। मा0 राजभर जी का कहना है कि जो बड़े-बड़े लोगों के यहाँ या जो बड़े-बड़े मॉल हैं वहाँ पुलिस नहीं जा रही है।

प्रदेश के महानगरों जैसी सुविधाएँ नगर पंचायतों में भी बढ़ाये जाने की मांग

श्री नफीस अहमद तथा श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंग कि प्रदेश के महानगरों और शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव को रोकने के लिए प्रदेश की नगर पंचायतों में भी महानगरों और शहरों जैसी मूलभूत सुविधाएं बढ़ाये जाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। प्रदेश की नगर पंचायतों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाये जाने हेतु सरकार द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना अन्तर्गत प्रति वर्ष प्रत्येक जनपद की एक नगर पंचायत को जनसंख्या के अनुसार 2 से 4 करोड़ रुपये उपलब्ध कराकर समन्वित रूप से विकसित करने का लक्ष्य है। उक्त के अतिरिक्त डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना, स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना नगरीय पेयजल कार्यक्रम, नगरीय सीवरेज कार्यक्रम तथा नगरीय जल निकासी योजना संचालित है। शासन द्वारा इन निकायों में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना व अन्तेष्ठि स्थल के विकास का कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नफीस अहमद-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा 03 सवाल मा0 मन्त्री जी से है कि अब तक पूरे प्रदेश में जो 438 नगर पंचायतें हैं उनमें कितनी पंचायतों को पं0 दीन दयाल आदर्श योजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया है और कितना धन उसमें आवंटित हुआ और कितना खर्च हुआ है। दूसरा सवाल मा0 मन्त्री जी से यह है कि आप जितनी योजनाएं संचालित बता रहे हैं, उसमें कितनी योजनाएं केन्द्र सरकार से संचालित हैं, कितनी प्रदेश सरकार से संचालित हैं और प्रदेश सरकार के गठन के पश्चात् आपने कौन-सी नई योजनाएं चलायी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जितनी भी योजनाएं चलायी जा रही हैं पिछली सरकार की योजनाओं के नाम बदलकर तो नहीं चलायी जा रही हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, कोई योजना हम नाम बदलकर नहीं चला रहे हैं। 1991 में मैं इसी विभाग में एम0ओ0एस0 (राज्य मंत्री) था और उस समय भी मैंने हर जनपद में एक टाउन एरिया को चयनित करके आदर्श नगर पंचायत बनाया था तथा उस समय 10 लाख रुपया देते थे, उस वक्त कोई नाम नहीं दिया था। यह 1991 की बात है। मान्यवर, उस समय काम का बॅटवारा भी था और हम इसको देखते थे। तो आदर्श नगर पंचायत शुरूआत से हमारी योजना है। दूसरे सवाल का जवाब यह है कि यह केन्द्र सरकार की योजना नहीं है। हमने बाकायदा इसमें धन आइडेंट्टीफाई कर रखा है। जो मदें हमने बतायी हैं इसमें हमने अलग-अलग धन का परिमात्रीकरण कर रखा है। आप चाहेंगे तो हम उसको बता देंगें। तीसरी बात, आपने यह कहा कि कितनी नगर पंचायतें अभी तक चयनित किये हैं। तो मान्यवर, यह

शासनादेश 21 मार्च, 2018 को जारी किया गया है और 21 मार्च, 2018 को जारी करने के बाद यह स्थिति नहीं थी कि उस पीरियड में हम लोगों से सूचना मँगाकर 10 दिन में सब लोगों को धनराशि दे सकते। लेकिन इस बार सूचना मँगा भी रहे हैं और चयनित भी हो रही हैं। हम आपको अर्हता बता दें कि जिले में जो नगर पंचायत सबसे छोटी है और स्थानीय निकाय की भौगोलिक परिस्थिति, सांस्कृतिक एवं पौराणिक महत्व तथा पयर्टन की दृष्टि से महत्वपूर्ण निकाय जनपद के माननीय जनप्रतिनिधियों के परामर्श/सहमति से चयनित करके उसकी संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी और उसके आधार पर उसका चयन होगा। इस वर्ष हमने इस योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का आवंटन कर रखा है। मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए मैं समझता हूँ कि हम हर साल एक नगर पंचायत चयनित करके उसको आगे बढ़ायेंगे और पूरे कार्यकाल में कुल 375 नगर पंचायतें चयनित हो जायेंगी। मैं समझता हूँ कि आपको इस उत्तर से संतुष्ट हो जाना चाहिए।

(श्री मो0 असलम ''राइनी'' एडवोकेट व
श्री अमनमणि त्रिपाठी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

राइनी जी आप बैठ जाईये। अमनमणि त्रिपाठी जी का प्रश्नकर्ता सदस्य के रूप में नाम है इसलिए पहले वह पूछ लें।

श्री अमनमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं महराजगंज जनपद से आता हूँ और महराजगंज जनपद में एक नई टाउनएरिया सुनौली जो नेपाल और इण्डिया के बार्डर पर है। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज जनपद में पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के तहत कौन सी ऐसी नगर पंचायत है जिसको स्वीकृत किया गया है और क्या नौतनवा और सुनौली को आदर्श नगर पंचायत घोषित करने की कृपा करेंगे ?

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न भी इसी में जोड़ दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आपका भी उत्तर इसी के साथ दे दीजिएगा।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मान्यवर, मेरा आपसे केवल एक अनुरोध हाथ जोड़कर यह है कि मैं तीन दिन से यह देख रहा हूँ कि जब भी मेरा कोई प्रश्न आता है, कल तो मेरा प्रश्न 11 नम्बर पर लगा था, आज 09 नम्बर पर लगा है। केवल मैं आपसे एक विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ कि 200 से अधिक विधायक नये आये हैं तो तीसरे और चौथे नम्बर पर आने के लिए हमको कौन सी हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी क्योंकि सीनियर लोग पहले आ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

हम तो चाहते हैं कि आप तीसरे-चौथे पर नहीं, नम्बर एक पर रहें।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

पुराने सदस्य है वह बहुत जीनियस हैं, उनको आहत नहीं करना चाहता हूँ।

(सदन में हँसी)

श्री अध्यक्ष-

आप इस बारे में माननीय अजय कुमार जी के पास बैठिये, वह एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं। (सदन में हँसी) मैं कह तो दूसरे के लिए भी कह सकता था लेकिन वह एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, फिर तो मेरा प्रश्न 20 नम्बर पर आयेगा और फिर वह 2017 और 2032 तक नहीं आ पायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय अमनमणि जी ने जिस ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जिले से सूचना मॉगी है, जैसे ही सूचना आ जायेगी जो मानक हैं, जो शासनादेश है उसका परीक्षण करके उसी के अनुसार आदर्श नगर पंचायत घोषित करेंगें। लेकिन मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरे साल में हर साल की जायेगी इसलिये नम्बर इनका आ जायेगा।

प्रदेश में प्राधिकरण के जमीन के अलावा प्राइवेट किसानों की व अन्य निजी मकान निर्माताओं के नक्शे सहित समस्त प्रकार के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में

***5-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राधिकरणों की जमीन के अलावा प्राइवेट भूमि यथा किसानों की व अन्य निजी मकान निर्माताओं का नक्शा मकान निर्माण हेतु प्राधिकरण पास नहीं करते हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमियों पर मकान बनाये जाने हेतु क्या सरकार कोई नीतिगत निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-3 के अधीन ''विकास क्षेत्र'' घोषित किया जाता है। उक्त घोषित विकास क्षेत्र में प्राधिकरण की जमीन के अलावा प्राइवेट किसानों की व अन्य निजी मकान निर्माताओं के नक्शे सहित समस्त प्रकार के विकास (निर्माण कार्य सहित) की स्वीकृति उक्त अधिनियम की धारा-14 के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं प्राइवेट जमीनों पर उनमें एन0ओ0सी0 किन किन विभागों से ली जाती है। दूसरी बात यदि निश्चित समय में मानचित्र स्वीकृत नहीं होता है तो क्या उस व्यक्ति को जो मकान बनाना चाहता है निश्चित समय के बाद वह मकान बना सकता है यदि मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जाता है तो। तीसरी बात 143 आवासीय मकान घोषित किये हुए क्या आप मानचित्र स्वीकृत करेंगें।

श्री सुरेश पासी-

माननीय अध्यक्ष जी, नक्शा स्वीकृत करने के लिये अलग अलग विभागों से एन0ओ0सी0 ली जाती है। सारी जानकारी हम माननीय सदस्य तक पहुँचा देंगें।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जानकारी नहीं है। इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिये कल ले लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इस प्रश्न पर कुछ कहना चाहेंगें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत पुरानी व्यवस्था है कि अगर किसी भी प्राधिकरण में कोई नक्शा दाखिल किया जाय 100 मीटर तक का तो निश्चित रूप से एक समय सीमा के अन्तर्गत अगर उसको पास न किया जाय या उसमें कोई आब्जेक्शन न लगाया जाय तो वह सो मोटो मान्यवर पास माना जाता है। उसमें 30 दिन का यह समय है कि 30 दिन के अंदर उसमें आब्जेक्शन जरूर लगता है। लेकिन यह समय समय पर परिवर्तित भी होता रहता है। हम यह जरूर चाहते हैं कि छोटे लोग, जो कमजोर लोग हैं जो कम जगह पर अपना मकान बनाना चाहते हैं उनको किसी भी प्रकार से विकास प्राधिकरण की गतिविधियों से, विकास प्राधिकरण की कार्य विधि से किसी प्रकार की नाराजगी न हो। जहाँ तक एन0ओ0सी0 का सम्बन्ध है, एन0ओ0सी0 लोकल बॉडी नगर पालिका से तो लिया ही जाता है और भू-राजस्व अगर मान लिया जाय किसी प्रकार का कोई विवाद है तो राजस्व विभाग से भी उसका एन0ओ0सी0 लिया जाता है। लेकिन सामान्यतया नगर विकास विभाग से एन0ओ0सी0 ली जाती है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, हम अपनी जानकारी के लिये सवाल करना चाहते हैं। शहरों के बढ़ते हुए क्षेत्र में जो गाँव के लोग आकर मकान बना रहे हैं। सच यह है कि हम यह बात कहना चाहते हैं कि जब हम नक्शा डाल देते हैं स्वीकृत होने के लिये और नक्शा स्वीकृत नहीं होता है हम मकान बनाना शुरू कर देते हैं तो प्राधिकरण का कोई न कोई जे0ई0 हमारे पास आकर कहता है कि मकान रोको और न रोकने के लिये कुछ बात करके जाता है, इसका उपाय क्या होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपको जानकारी होना चाहिए कि आप जहाँ की बात कर रहे हैं लखनऊ में इस समय ऐसी शिकायत आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। जहां कही शिकायत मिलेगी वहां कार्रवाई जरूर होगी अगर आप के पास अभी कोई शिकायत है तो अभी दे दीजिये हम अभी कार्रवाई करायेंगे, आप दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

नोट-नत्थी ''ग'' के तारांकित प्रश्न सं0 5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण के कुल क्षेत्रफल एवं ट्री कवर क्षेत्र को बढ़ाने की कार्य योजना बनाने की जानकारी

***6-श्री रितेश पाण्डेय-**

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वनावरण (फारेस्ट कवर) और वृक्षावरण (ट्री कवर) का क्षेत्रफल कितना है ? क्या यह सही है कि अन्य राज्यों के मुकाबले प्रदेश में जंगल और ट्री कवर क्षेत्र बहुत कम अनुपात में है ? यदि हां, तो क्या सरकार जंगल और ट्री कवर क्षेत्र को बढ़ाने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार प्रदेश में वनावरण 14679 वर्ग किलोमीटर (प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 6.09 प्रतिशत) है। प्रदेश में वृक्षावरण 7442 वर्ग किलोमीटर (भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.09 प्रतिशत) है।

जी हां। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 में दर्शाये गये देश के 32 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में वनावरण प्रतिशत उत्तर प्रदेश से अधिक है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 में दर्शाये गये देश के 15 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में वृक्षावरण प्रतिशत उत्तर प्रदेश से अधिक है।

वनावरण व वृक्षावरण में वृद्धि हेतु प्रदेश में विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही हैं।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत ''फारेस्ट्री इण्टर वेन्शन्स फार गंगा'' हेतु वर्ष 2016-17 से परियोजना प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है।

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कृषि वानिकी के अन्तर्गत प्रदेश में ''सब मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री परियोजना'' वर्ष 2018-19 से क्रियान्वित की जा रही है।

बुन्देलखण्ड के 04 प्रभागों [बांदा, हमीरपुर, उरई (जालौन) तथा चित्रकूट] के 16 गावों में नेशनल एडाप्टेशन फण्ड फार क्लाइमेट चेन्ज के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा पोषित "Ecosystem services based adaptation to climate change in Bundelkhand region of Uttar Pradesh" 04 वर्षीय (वर्ष 2017 से वर्ष 2020) परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

वनावरण व वृक्षावरण में वृद्धि हेतु प्रदेश में प्रचलित मुख्य योजनाएं निम्नानुसार है-

1-सामाजिक वानिकी योजना

2-शहरी क्षेत्र में सामाजिक वानिकी योजना

3-कैम्पा योजना

4-सम्पूर्ण वनावरण याोजना

5-हरित पट्टी विकास योजना

6-वनावरण संवर्द्धन परियोजना

7-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

8-सब मिशन आन एग्रो फारेस्ट्री

9-नमामि गंगे परियोजना (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नशे के रोकथाम को रोकने की कार्य योजना की जानकारी

***7-डा0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या मद्य निषेध मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में युवाओं में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु कोई प्रयास सरकार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्य निषेद्य मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-

जी हां। प्रदेश में युवाओं में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु मद्य निषेध विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों यथा-शिक्षण संस्थाओं एवं ग्रामीण अंचलों में शिक्षात्मक, ज्ञानवर्द्धक व खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन, प्रदर्शन कक्षों, गोष्ठियों का आयोजन, चलचित्र प्रदर्शन, प्रभातफेरी/रैलियों, वालपेन्टिंग्स, होर्डिंग्स, ट्री गार्ड्स व बस पैनल्स पर सुवाक्यों के माध्यम से संदेश, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं प्रचार साहित्य का वितरण कर जनमानस में जागरूकता लाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में सामाजिक स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित नशा निर्व्यसन केन्द्र, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदानित हैं, में नशे से ग्रसित व्यसनियों को उपचार कराने के लिये भर्ती होने हेतु प्रेरित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सूखेग्रस्त जनपदों में सरकारी ट्यूबवेल देने की कार्य योजना की जानकारी

***8-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कतिपय जनपदों में सूखे की स्थिति एवं सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण फसल का उत्पादन नहीं हो पाता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे जनपदों/ब्लाकों को चिन्हित कर सिंचाई हेतु सरकारी ट्यूबवेल स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) (श्री धर्मपाल सिंह)-

सिंचाई (यांत्रिक) विभाग के अन्तर्गत सूखे की स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दिनांक 01-4-2018 को 33077 राजकीय नलकूप एवं 250 लघु डाल नहरें चलित हैं, जो कृषकों की मांग के अनुरूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। उक्त के अतिरिक्त 29 बृहद एवं मध्यम पम्प नहरों के शीर्ष का रखरखाव एवं संचालन भी किया जा रहा है।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में प्रचलित डा0 राम मनोहर लोहिया 2000 नवीन राजकीय नलकूप परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में 79 नवीन राजकीय नलकूप एवं वर्ष 2017-18 में 210 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1465 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वृक्षारोपण हेतु व्यापक रूप से जागरूकता अभियान चलाने की मांग

***9-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वन आच्छादित क्षेत्र पूरे भू-भाग का कितना प्रतिशत है ? क्या सरकार वन क्षेत्र के घटने एवं सड़क निर्माण आदि के कारण पुराने पेड़ों को काटने के कारण ग्लोबल वार्मिंग तथा पर्यावरण असंतुलन को देखते हुए वृक्षारोपण हेतु व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता अभियान चलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार प्रदेश में वनावरण 14679 वर्ग किलोमीटर (प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 6.09 प्रतिशत) है।

प्रदेश का वन क्षेत्र नहीं घटा है। वृक्षारोपण हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

वृक्षारोपण में जन सहभागिता प्राप्त करने हेतु प्रदेश में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश के सरकारी एवं निजी चीनी मिलों पर अवशेष गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में

***10-श्री अजय कुमार लल्लू , श्री नाहिद हसन तथा श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश के सरकारी एवं निजी चीनी मिलों द्वारा कितने मीट्रिक टन गन्ने की खरीद हुई तथा गन्ना किसानों का कितना-कितना गन्ना मूल्य अवशेष है ? क्या सरकार बतायेगी कि पिछले वित्तीय वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष कितना ज्यादा गन्ना खरीद एवं गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया तथा आगामी वर्ष के लिए सरकार ने कितना लक्ष्य निर्धारित किया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों का शत-प्रतिशत भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेश राणा-

प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की कोई चीनी मिल नहीं है। पेराई सत्र 2017-18 में प्रदेश की निगम, सहकारी एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा 1113.29 लाख टन गन्ने की खरीद की गई है तथा दिनांक 20-8-2018 तक की स्थिति के अनुसार गन्ना किसानों के देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष निगम क्षेत्र की चीनी मिल पर रु0 39.12 करोड़ सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों पर रु0 1177.01 करोड़ एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर रु0 9406.02 करोड़ कुल रु0 10622.15 करोड़ अवशेष है।

गत पेराई सत्र 2016-17 के सापेक्ष वर्तमान पेराई सत्र 2017-18 में 285.42 लाख टन अधिक गन्ने की खरीद की गई है तथा दिनांक 20-08-2018 तक की स्थिति के अनुसार रु0 1435.06 करोड़ अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। चूंकि गन्ना खरीद के सापेक्ष गन्ना मूल्य की देयता बनती है इसलिए लक्ष्य निर्धारित किये जाने का औचित्य नहीं है।

दिनांक 20-8-2018 तक की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 2017-18 के अन्तर्गत देय गन्ना मूल्य रु0 35454.79करोड़ के सापेक्ष रु0 24832.64 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है तथा वर्तमान में रु0 10622.15 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है। अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु बकायेदार चीनी मिलों को दिनांक 30-11-2017, 02-02-2018, 13-04-2018, 07-05-2018 एवं 29-06-2018 को नोटिसे निर्गत की गई है तथा चीनी मिल मलकपुर, बागपत एवं मोदीनगर, गाजियाबाद के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 व आई0पी0सी0 विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत तथा चीनी मिल बृजनाथपुर व सिम्भावली, हापुड़ एवं चीनी मिल अगवानपुर, मुरादाबाद के विरुद्ध आई0पी0एस0 की विभिन्न धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है। इसके अतिरिक्त चीनी मिल मलकपुर, बागपत के विरुद्ध अवशेष गन्ना मूल्य की वसूली हेतु गन्ना आयुक्त के स्तर से दिनांक 23-02-2018 को वसूली प्रमाण-पत्र भी निर्गत किया गया है। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर, समय-समय पर आहूत की गई समीक्षा बैठकों में भी गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान कराये जाने हेतु बकायेदार चीनी मिलों को निर्देशित किया गया है। राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु पूर्णतः सजग एवं कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत विभिन्न गांवों में तालाब एवं चारागाह के लिये आवंटित भूखण्ड पर भवन आंवटन कराने की जानकारी

***11-श्री राकेश प्रताप सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत हुसेड़िया गांव, गुलाम हुसेनपुरवा गांव, मलेशेपुर गाँव खरगापुर गांव एवं विभूति खण्ड, गोमती नगर में राजस्व रिकार्ड के अनुसार कालोनी विकसित करने से पूर्व कितने तालाब एवं चारागाह दर्ज थे ? क्या विकास प्राधिकरण द्वारा इन सुरक्षित श्रेणी के चारागाह एवं तालाबों पर भी भूखण्ड/भवन बनाकर आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ-

लखनऊ विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत हुसेड़िया गांव, गुलाम हुसेनपुरवा गांव, मलेशेपुर गांव (मलेशमऊ), खरगापुर गांव एवं विभूति खण्ड, गोमतीनगर में राजस्व अभिलेखों के अनुसार कालोनी विकसित करने से पूर्व कुल 30 तालाब व 01 चारागाह स्थित था।

ग्राम हुसेड़िया व उजरियांव में कुल 10 तालाब का शहरी नियोजन के लिये ल0वि0प्रा0 द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 8 व 9 में प्रदत्त दायित्व एवं शक्ति का प्रयोग करते हुए विकास कार्य किया गया है। उक्त 10 तालाबों का कुल क्षेत्रफल 2.4800 हे0 सापेक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा क्षे0 3.850 हे0 भूमि कठौता झील के लिए आरक्षित किया गया है।

उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 में प्रदत्त प्रक्रिया का पालन करते हुए विकास नियोजन का कार्य किया गया है। इस प्रक्रिया के लिए कोई दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ना से एथनांल बनाने की कार्य योजना बनाने की मांग

***12-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ने का उपयोग चीनी बनाने तथा पेट्रोल में मिश्रित किये जाने वाले एथनांल को बनाने में भी उपयोग किया जाता है ? क्या सरकार प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को उनकी फसल का समुचित लाभ दिलाने के दृष्टिगत सरप्लस गन्ने का उत्पादन का उपयोग एथनॉल बनाने की योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गना विकास एवं चीनी मिल मंत्री श्री सुरेश राणा-

जी हां, प्रदेश में गन्ने का उपयोग चीनी बनाने हेतु किया जाता है तथा सह-उत्पाद के रूप में चीनी के साथ उत्पादित शीरे से आसवनियों में एथनॉल का उत्पादन किया जाता है लेकिन गन्ने का सीधे उपयोग कर पेट्रोल में मिश्रित किये जाने वाले एथनाल का निर्माण नहीं होता है।

गन्ना उत्पादकों को उनकी फसल का समुचित लाभ दिलाने के दृष्टिगत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी के गठन की व्यवस्था है जिसकी संस्तुति के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य घोषित किया जाता है। वर्तमान में गन्ने से सीधे एथनाल का निर्माण नहीं किया जाता है किन्तु भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 26-7-2018 के अनुसार चीनी मिलों द्वारा सीधे गन्ने के जूस अथवा बी-हैवी मोलेशस से एथनाल बनाया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मांझे/चायनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में

***13-श्री संजय गर्ग-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मांझे/चायनीज मांझे से गला कटने व शरीर के अन्य भागों के कटने की दुर्घटनायें होने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो मांझे/चायनीज मांझे के प्रयोग पर सरकार पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

जी हां।

पर्यावरण विभाग, उ0 प्र0 शासन के आदेश संख्या 8/2017/188/55-पर्या-2017-49(पर्या)/2015, दि0 01 मई, 2017 द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत जनहित में निम्नवत् निर्देश निर्गत किये गये हैं।

''उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतंग उड़ाने हेतु सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलान पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री को, उससे होने वाली दुर्घटनाओं के दृष्टिगत प्रतिबन्धित किया जाता है।''

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अविरल धारा प्रवाह हेतु कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में

***14-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गंगा नदी में विशेषकर वर्ष के माह अप्रैल-जून में अविरल धारा एवं प्रवाह को बनाये रखने के लिये सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 13-7-17 द्वारा गंगा नदी में ई-फ्लो (इन्वायरमेंटल फ्लो) को बनाये रखने हेतु लीन पीरियड में गंगा नदी में हरिद्वार स्थित भीमगौड़ा बैराज पर कुल उपलब्ध जल का 20 प्रतिशत जल गंगा नदी में छोड़ा जाता है व इसी प्रकार विशेषकर वर्ष के माह अप्रैल-जून में भी 20 प्रतिशत या इससे अधिक जल छोड़ा

जा रहा है। इस जल से गंगा नदी में अविरल धारा का प्रवाह नरौरा बैराज तक बना रहता है। नरौरा बैराज एवं गंगा बैराज कानपुर पर उक्त ई-फ्लो अवरुद्ध नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप गंगा नदी में हरिद्वार से बलिया तक अविरल का प्रवाह होता रहता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 2017 में कि गयी सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण पर खर्च धनराशि के सम्बन्ध में

***15-पारसनाथ यादव-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 में कितने किलोमीटर सड़कों की मरम्मत व निर्माण कराया जा चुका है तथा कितनी धनराशि उस पर खर्च हो चुकी है तथा कितनी धनराशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है ?

उप मुख्य मंत्री, लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण श्री केशव प्रसाद मौर्य-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के 85138 किमी0 लम्बाई में मार्ग मरम्मत एवं 6929.72 किमी0 मार्गों का चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण कराया गया है। मरम्मत कार्यों पर लगभग रु0 4118 करोड़ एवं निर्माण कार्यों पर लगभग रु0 6402 करोड़ की धनराशि खर्च की गयी है। वर्ष 2017-18 में लगभग रु0 10520 करोड़ का व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में लोक निर्माण विभाग के आय-व्ययक में मार्गों के निर्माण/ अनुरक्षण के कार्य सम्पादन हेतु रु0 15178.57 करोड़ की व्यवस्था निर्धारित है।

जनपद गोरखपुर के तहसील गोला के तैराना नाला को गहरा कर सिंचाई के लिए प्रयोग में लाने के सम्बन्ध में

***16-श्री विनय शंकर तिवारी-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे नाले हैं जो पूर्व में सिंचाई के उपयोग में लाये जाते थे जिसमें सिल्ट जमा होने के कारण अब वे प्रभावी नहीं रह गये हैं ? क्या सरकार गोरखपुर के गोला तहसील के तैराना नाला को गहरा कर उसे सिंचाई के लिये नहर के रूप में प्रयोग में लाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

नालों का निर्माण एवं उपयोग मुख्यतः जलोत्सारण हेतु किया जाता है। सामान्यतः नालों से सिंचाई कार्य नहीं किया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में जर्जर पड़े नालों व पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

***17-श्री असलम अली-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नालों के ऊपर बने पुल जो वर्तमान में जर्जर अवस्था में हैं, का नवनिर्माण/पूर्ण निर्माण कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रदेश में नालों के ऊपर बने पुल जो जर्जर अवस्था में हैं उनके नवनिर्माण/पूर्ण निर्माण सिंचाई विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत कराये जाते हैं, जो कि एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रदेश के अनेकों जनपद में विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान व्यवस्थित कराने की मांग

***18-श्री मसूद अखतर-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कतिपय जनपद जहां विकास प्राधिकरण का मास्टर प्लान व्यवस्थित न होने के कारण तथा शहर के चारों ओर लैण्ड यूज अनुकूल न होने से अवैध कालोनियों व शॉपिंग काम्पलेक्स बनते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के ऐसे शहरों का मास्टर प्लान बदल कर व्यवस्थित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 11 के अनुसार किसी विकास प्राधिकरण की महायोजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व जन सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं जिसके उपरान्त जन सामान्य द्वारा प्रेषित आपत्तियों/सुझावों पर व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात् सक्षम स्तर से निर्णय लेने के उपरान्त शासन द्वारा महायोजना का अनुमोदन प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत महायोजना और परिक्षेत्रीय विकास योजना के संशोधन का प्राविधान है।

प्रदेश के निर्वाचित मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष नगर पंचायत सदस्यों को मानदेय दिये जाने की मांग

***19-श्री मनीष असीजा-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के दिल्ली, राजस्थान, चण्डीगढ़ आदि राज्यों में स्थानीय नगरीय निकायों में निर्वाचित मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत

अध्यक्ष, पार्षद एवं सभासदों को प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के स्थानीय नगरीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सांसदों एवं विधायकों की भांति वेतन, मानदेय, भत्ते आदि देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक व उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उत्तर प्रदेश की नगर निकायों में सदन की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रतिमाह प्रति सदस्य (सभासदों व पार्षदों) को यात्रा भत्ता अनुमन्य है। उक्त व्यवस्था उ0 प्र0 नगर निगम सभासद यात्रा भत्ता (प्रथम संशोधित) नियमावली 2014 तथा उ0प्र0 नगरपालिका/नगर पंचायत सभासद यात्रा भत्ता (प्रथम संशोधित) नियमावली 2014 के अन्नतर्गत की जाती है। उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य निधि का प्राविधान नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद लखीमपुर खीरी के नगर पंचायत धौरहरा में निर्मित काशीराम आवास को पात्रों को दिलाने एवं अवैध कब्जेदारों को हटवाने की मांग

1-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के नगर पंचायत धौरहरा में निर्मित कांशीराम आवासों में अवैध तरीके से रह रहे व्यक्तियों की जांच कराकर पात्र व्यक्तियों को आवास आवंटित कर कब्जा सरकार दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनपद लखीमपुर खीरी की नगर पंचायत धौरहरा में निर्मित कांशीराम आवासों में कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से निवास नहीं कर रहा है। उक्त कांशीराम कालोनी दिनांक 20-6-2017 को नगर पंचायत धौरहरा को हस्तांतरित की गयी है, कालोनी में अभी विद्युत व पेयजल के कार्य अवशेष है। विद्युत कार्य कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी द्वारा दिनांक 01-06-2018 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। विद्युत एवं पेयजल के कार्य कराये जाने के बाद ही उक्त आवासों का आवंटन किया जायेगा।

कालोनी की सुरक्षा हेतु नगर पंचायत द्वारा चौकीदार नियुक्त किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में वित्तीय वर्ष 2016-17 में सीवर लाइन का कार्य पूर्ण कराने हेतु

2-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में वित्तीय वर्ष 2016-17 से कराये जा रहे सीवर लाइन का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त अधूरा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद लखीमपुर खीरी में सीवर लाइन से सम्बन्धित कोई भी कार्य नहीं कराया गया है एवं न ही सीवर लाइन कार्य प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के वि0 ख0 छतही में उदयपुर राजवाहा की पटरी के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु

3-श्री दल बहादुर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विकास खण्ड छतोह के मेहन्दीगंज बाजार आने के लिये ग्राम कपूरपुर, सराय, कुटिया, विन्धा सिंह का पुरवा, सत्य नारायण का पुरवा एवं विरनावा ग्राम सभा के व्यापारी, किसान तथा ग्रामीणों के आने-जाने में हो रही असुविधा के दृष्टिगत उदयपुर राजवाहा की पटरी को शून्य से लेपन स्तर तक का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

उदयपुर राजवाहा से सम्बन्धित परियोजना प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। परियोजना स्वीकृति के उपरान्त धन उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के वि0 ख0 सलोन के पारी राजवाहा पर क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण कराये जाने हेतु

4-श्री दल बहादुर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सलोन के पारी राजवाहा पर ग्राम सभा पारी के पास एवं ग्राम सभा प्रहरी के पास पुल जो इलाहाबाद हाई-वे एवं प्रतापगढ़ हाई-वे को जोड़ते हैं एवं गंगा स्नान के लिये काफी लोगों का आवागमन रहता है, क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में परेशानी हो रही है ? क्या सरकार उक्त दोनों क्षतिग्रस्त पुलों का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जी हां।

सलोन राजवाहा के कि0मी0 2.700 एवं कि0मी0 4.600 पर डी0आर0बी0 के पुनर्निर्माण की परियोजना लागत रु0 87.58 लाख तैयार की गयी है, जिसमें प्रश्नगत पुलों के पुनर्निर्माण का कार्य सम्मिलित है। उक्त परियोजना मुख्य अभियन्ता समिति से अनुमोदित है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त परियोजना हेतु बजट प्राविधान नहीं है। धन उपलब्धता के अनुसार उक्त पुलों का पुनर्निर्माण कराया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के वि0 ख0 महराजगंज की ग्राम सभाओं को डामर रोड से जोड़ने हेतु

5-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज/बिलरियागंज में कितनी ग्राम सभायें/राजस्व ग्राम सभायें जो डामर रोड से नहीं जुड़े हैं, का विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त ग्राम सभाओं को डामर रोड से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्या-

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महाराजगंज के 76 ग्राम सभा के 88 राजस्व ग्रामों में से 9 ग्राम सभा एवं 79 राजस्व ग्राम तथा विकास खण्ड बिलरियागंज के 99 ग्रासभा में शून्य ग्राम सभा एवं 39 राजस्व ग्राम डामर रोड से नहीं जुड़े है, विवरण संलग्न† है।

उपरोक्त समस्त अनजुड़े ग्राम सभाओं व राजस्व ग्रामों में से 16 ग्राम सभा डूब क्षेत्र में होने के कारण असाध्य घोषित है तथा शेष की आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार 250 से कम होने के कारण लेपित मार्गों से जोड़ा जाना लो0नि0वि0 के किसी वर्तमान में प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के मुख्य मार्ग कलेक्ट्री कचहरी से दलाल घाट तक रोड के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

6-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के कलेक्ट्री कचहरी से दलाल घाट होते हुये जिला अस्पताल को जाने वाला मुख्य मार्ग जर्जर होने के कारण मरीजों व आम जनता को आने-जाने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनः निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां, प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 3.230 कि0मी0 है जिसमें 0.630 कि0मी0 का भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है जिसकी स्थिति संतोषजनक है। शेष 2.600 कि0मी0 नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के स्वामित्व में है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

---

†देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 243 पर।

जनपद हाथरस के वि0स0 क्षेत्र सिकन्द्राराऊ के ग्राम टटी डंडिया में स्थित जंगल की बैरिकेडिंग कराये जाने के सम्बन्ध में

7-श्री बीरेन्द्र सिंह राणा-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ के अन्तर्गत ग्राम टटी डंडिया में स्थित लगभग 1 किमी0 लम्बे जंगल के जंगली जानवर उक्त क्षेत्र के किसानों की फसल बर्बाद कर देते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की फसल बचाने हेतु उक्त जंगल की बैरिकेटिंग करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

नीलगाय (वनरोज) से फसलों के क्षति की छुट-पुट घटनाएं प्रकाश में आती रहती है। जंगलों की बैरिकेटिंग करना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि जगंलों की बैरिकेटिंग करने से जंगली जानवरों के स्वच्छंद विचरण में बाधा उत्पन्न होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

नीलगाय (वनरोज) से कृषि फसलों को बचाने के लिये शासनादेश संख्या 446/14-4-2013, दिनांक 4-3-2013 द्वारा नीलगाय (वनरोज) एवं जंगली सुअरों को नष्ट करने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

जनपद हाथरस के वि0स0 क्षेत्र सिकन्द्राराऊ के गिजरौली रजवाहा एवं बढ़ार माइनर में पानी की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में

8-श्री बीरेन्द्र सिंह राणा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के गिजरौली रजवाहा एवं बढ़ार माइनर में पिछले 10 वर्ष से पानी न आने से किसानों की फसल सिंचित नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो किसानों की उक्त असुविधा का निराकरण सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

राजवाहा गिजरौली की कुल लम्बाई 18.120 कि0मी0 तथा बढ़ार माइनर की कुल लम्बाई 3.200 कि0मी0 है। खरीफ/रबी 1425 फसली में राजवाहा गिजरौली के टेल भाग तक जलापूर्ति कर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। खरीफ 1426 फसली में राजवाहा में जल कुम्भी होने के कारण 7.000 कि0मी0 तक पानी पहुँचा है। जल कुम्भी निकालकर एवं ठेक बन्धे हटाकर टेल तक पानी पहुंचाना प्रस्तावित है। बढ़ार माइनर क्षतिग्रस्त होने के कारण खरीफ/रबी फसली तथा खरीफ 1426 फसली में टेल तक पानी पहुँच सका। मरम्मत कार्य कराकर टेल तक पानी पहुँचाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के भोलाखेड़ा एवं आसपास की प्राइवेट कालोनियों में सीवर लाइन डालने की मांग

9-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के भोलाखेड़ा एवं आस-पास की प्राइवेट कालोनियों में सीवर की व्यवस्था न होने के कारण नागरिकों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है एवं गन्दगी से कभी भी महामारी फैलने की सम्भावना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर सीवर लाइन डालने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं। कानपुर रोड पर विकसित प्राइवेट कालोनियों में गृहस्वामियों द्वारा सेप्टिक टैंक का उपयोग किया जाता है, जिससे महामारी फैलने की आशंका नहीं है। परन्तु फिर भी स्वच्छ वातावरण हेतु सेप्टिक टैंक के स्लज का मानकानुसार निस्तारण आवश्यक है।

लखनऊ नगर में सेप्टिक टैंक स्लज के निस्तारण हेतु अमृत कार्यक्रम में सेप्टेज मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नदियों से आने वाली बाढ़ से बचाव हेतु सिल्ट सफाई कराने के सम्बन्ध में

10-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ से होने वाली क्षति को रोकने हेतु गोमती रिवर फ्रंट सहित जनपद गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोण्डा, बहराइच आदि जनपदों में सहायक नदियों/नाली की डिस्पोजल मिट्टी निकालने हेतु वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक किस-किस कार्यदायी संस्थाओं को अनुबन्धित किया गया था तथा इस हेतु वर्षवार कितना-कितना धन आवंटित किया गया था ? क्या यह सही है कि प्रभावित नालों अथवा नदियों में से मात्र जलकुंभी एवं बेहिया आदि निकाल कर आवंटित धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

गोमती रिवर फ्रन्ट परियोजना के अन्तर्गत बाढ़ से होने वाली क्षति को रोकने हेतु कोई कार्य नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के टाउन एरिया जीयनपुर में जाम मुक्ति हेतु तहसील मुख्यालय पर बाईपास निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

11-श्रीमती बन्दना सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के टाउन एरिया जीयनपुर में वाहनों के दबाव के कारण जाम लगने से यात्रियों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में जाम से मुक्ति के लिये तहसील मुख्यालय के बगल से नहर पट्टी को बाई पास पीच मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जीयनपुर टाउन एरिया में अतिक्रमण हटवा कर मार्ग की चौड़ाई बढ़ाकर मार्ग को सुगम यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र सगड़ी के उत्तरांचल के घाघरा नदी पर निर्मित महुला गडवल बन्धों के पीच मार्ग का मरम्मत कराने की मांग

12-श्रीमती बन्दना सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के उत्तरांचल में घाघरा नदी की बाढ़ से बचाने हेतु बनाये गये महुला गडवल बन्धा की पीच मार्ग अत्यन्त जर्जर हो जाने से आम जनता को काफी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की विशेष मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महुला गढवल बांध पर रोड का निर्माण/मरम्मत कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा विगत वर्ष में ही करा दिया गया है।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षे0 सगड़ी में नरहन लाटधार मार्ग पर डामरीकरण के सम्बन्ध में

13-श्रीमती बन्दना सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की सगड़ी विधान सभा क्षेत्र में स्थित नरहन लाटधार मार्ग पर क्रिटिकल गैप होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी विधान सभा क्षेत्र में स्थित लाटधाट-नरहन खास मार्ग की लम्बाई 10.450 कि0मी0 है। 9.950 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग लेपन स्तर तक निर्मित है। 500 मी0 लम्बाई में भूमि विवाद के कारण कार्य नहीं हो सका है।

मा0 न्यायालय से लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भूमि विवाद समाप्त होने के फलस्वरूप अवशेष कार्य हेतु रु0 36.45 लाख धनराशि आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ डालीगंज स्थित मोहल्ला मेडई का पुरवा में मन्दिर पर अवैध कब्जा हटाने की मांग

14-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ डालीगंज स्थित मोहल्ला मेड़ई का पुरवा में महल के पूर्व दिशा में सड़क के उस पार एक कुआं एवं शंकर जी का मन्दिर स्थापित था, जिसे कतिपय लोगों द्वारा कुएं को बन्द कर एवं शिव मन्दिर को हटाकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की विस्तृत जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

प्रश्नगत स्थल, गली के किनारे एक भूखण्ड है, जिसमें एक पुराना पीपल का वृक्ष है, जिसमें घंटी बंधी है। उक्त भूखण्ड पर श्री रवीन्द्र सिंह का पारिवारिक कब्जा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के निरालानगर में शंकर चौराहे से उमराव सिंह धर्मशाला डालीगंज तक अवैध निर्माण को हटाकर सड़क का चौड़ीकरण कराने की मांग

15-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के डालीगंज एवं फैजाबाद रोड पर लगने वाले जाम से मुक्ति हेतु शंकर नगर चौराहा, निरालानगर, लखनऊ से उमराव सिंह धर्मशाला, डालीगंज, लखनऊ तक अवैध निर्माणों को हटाकर उक्त सड़क का चौड़ीकरण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

शंकरनगर चौराहा, निरालानगर से उमराव सिंह धर्मशाला, डालीगंज फैजाबाद रोड को मिलाने वाली संकरी गली है। उक्त गली के दोनों ओर घनी आबादी के भवन स्थित है। उक्त आबादी काफी पुरानी है। आबादी को हटाकर सड़क चौड़ीकरण किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में सड़क, राजमार्गों के किनारों पर पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने के लिये वृक्ष/पेड़ लगवाने के सम्बन्ध में

16-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़क राजमार्ग निर्माण, हाई-वे का निर्माण, सड़क चौड़ीकरण आदि के कारण बड़ी मात्रा में वृक्षों के कटने से गम्भीर पर्यावरणीय क्षति हो रही है ? यदि हां, तो उसकी पूर्ति हेतु सड़कों, राजमार्गों, हाई-वे आदि के किनारों पर अवशेष भूमि में क्षेत्रीय ग्राम पंचायतों के लाभ आधारित फलदार/छायादार वृक्ष लगवाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

विकास कार्यों के लिए प्रदेश में सड़क राजमार्ग निर्माण, हाईवे का निर्माण, सड़क चौड़ीकरण आवश्यक है, तद्नुसार वनभूमि पर अवस्थित वृक्षों का कटान (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत सरकार की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त किया जाता है। वृक्षों के कटने से पर्यावरणीय क्षति होना स्वाभाविक है फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि यह क्षति न्यूनतम हो तथा काटे गये वृक्षों के स्थान पर नियमानुसार पौधरोपण भी किया जाता है।

उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा वृक्षारोपण में पर्यावरण महत्व की प्रजातियों पीपल, पाकड़, बरगद, गूजन, आम, इमली, नीम, महुआ तथा अन्य प्रजातियों को विशेष महत्व प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में फलदार प्रजातियों को महत्व प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में रोपण में फलदार प्रजातियों का न्यूनतम 20 प्रतिशत रोपण किया जाना निर्धारित है। बीहड़, खादर, खोला, तराई, भाभर एवं ऊसर (9 पी0एच0 तक) क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले पौधों में कम से कम 10 प्रतिशत फलदार प्रजातियों का रोपण किया जाना निर्धारित है। मार्ग वृक्षारोपणों में शोभाकार, छायादार एवं फलदार वृक्षों को प्राथमिकता दी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के संरक्षित सेन्चुरी वन रेन्ज के बाहर आकर बाघ, चीतो द्वारा वन क्षेत्र के बाहर जाकर मारे गये एवं घायल स्त्री-पुरुष, बच्चों के सम्बन्ध में

17-श्री अक्षयवर लाल गोंड-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने संरक्षित सेन्चुरी वन रेन्ज हैं जिसमें बाघ, चीते आदि जानवर रखे गये हैं ? क्या सरकार बाघ-चीतों के हमलों से मरने वाले ग्रामवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुये हिसंक जानवरों को वन क्षेत्र से बाहर न जाने से रोकने हेतु कोई कारगर उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दारा सिंह चौहान-

बाघ आदि जानवरों के परिप्रेक्ष्य में संरक्षित सेन्चुरी रेन्ज का तात्पर्य उन क्षेत्रों से है, जो राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव विहार/बफर जोन के रूप में घोषित है। जहां तक चीते का प्रश्न है उ0प्र0 में चीता प्रजाति नहीं पायी जाती है।

उत्तर प्रदेश में 1 राष्ट्रीय पार्क 12 वन्य जीव विहार एवं 14 पक्षी विहार है। जिन क्षेत्रों में बाघ के लिए उचित वासस्थल होता है, उन्हें टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। उ0प्र0 में 3 टाईगर रिजर्व घोषित है-

1-दुधवा टाईगर रिजर्व।

2-पीलीभीत टाईगर रिजर्व।

3-अमानगढ़ टाईगर रिजर्व (कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर जोन है)।

स कार्य हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-

ग्रामवासियों में जन-जागरूकता, व्यापक प्रचार-प्रसार, ग्रामवासियों को संवेदनशील बनाने हेतु कार्यशाला/बैठकों का आयोजन वृहत स्तर कराया जाता है।

राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव विहारों में शाकाहारी वन्य जीव यथा हिरण, सांभर आदि की संख्या में वृद्धि हेतु घास के मैदान (ग्रासलैण्ड) का प्रबन्धन किया गया है।

जल की व्यवस्था हेतु जगह-जगह वाटरहोल का निर्माण किया गया है।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सीमा के कतिपय भाग (जो मानव-वन्यजीव द्वन्दव के दृष्टि से अधिक संवेदनशील है) में सोलर फेसिंग का कार्य कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर के अन्तर्गत भानपुर-वनटिबरा मार्ग का निर्माण कार्य कराने की मांग

18-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर के अन्तर्गत स्टेट बैंक, भानपुर के सामने से जाने वाला भानपुर-वनटिबरा मार्ग के बैड़ा नाले के पास क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

भानपुर से भानपुर इण्टर कालेज होते हुए बनटिकरा मार्ग की कुल लम्बाई 1.400 कि0मी0 है। शुरू के 1.00 कि0मी0 लम्बाई का भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है, जिसकी दशा संतोषजनक है। शेष 400 मी0 लम्बाई में बैडानाला-बनटिकरा मार्ग का स्वामित्व जिला पंचायत बस्ती का है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ के अन्तर्गत देईपार भैसहवा मार्ग का निर्माण कराने हेतु

19-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ के अन्तर्गत देईपार भैसहवा मार्ग तथा बभनगावा से चिरियाडाड होते पचानू तक जाने वाला मार्ग गड्ढामुक्त किये जाने के एक माह बाद पुनः सड़क पर गड्ढे बन गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त दोनों सड़कों की पुनः मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

देईपार-भैसहवा मार्ग की कुल लम्बाई 6.05 किमी0 है जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। मार्ग के किमी0 1, 2, 3 में पैच मरम्मत का कार्य माह मई, 2018 तथा किमी0 4, 5, 6, 7 (050) में सामान्य मरम्मत के साथ माह मई, 2018 में नवीनीकरण का कार्य कराया गया है। वर्तमान में मार्ग की दशा संतोषजनक है।

बभनगांवा से चिरैयाडाड होते हुए पचानू तक मार्ग-मार्ग की लम्बाई 1.400 किमी0 है। इसमें से प्रथम 100 मी0 का भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है इसकी दशा संतोषजनक है। शेष में से 900 मी0 का भाग मंडी परिषद के स्वामित्व में है एवं शेष आगे 400 मी0 का भाग कच्चा एवं खड़न्जा है जिसका स्वामित्व ग्राम पंचायत का है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के सरजू नहर खण्ड के 3 व 4 की शाखाओं (नहरों) में पानी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में

20-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में सरजू नहर खण्ड 3 व 4 की शाखाओं में पानी न छोड़े जाने के कारण गन्ना तथा सब्जी आदि फसलों की सिंचाई कार्य बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन नहरों में पानी छोड़े जाने का आदेश प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सरजू नहर खण्ड 3 व 4 के अन्तर्गत बस्ती शाखा एवं खलीलाबाद शाखा द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। उक्त नहरें लगातार संचालित की जा रही हैं।

जनपद बस्ती के वि0स0 क्षेत्र रूधौली के ब्लाक सल्टौआ में देईपार भैसहवा मार्ग निर्माण में हुई अनियमितता की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग

21-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ब्लाक सल्टौआ गोपालपुर के अन्तर्गत देईपार भैसहवा मार्ग का मरम्मत कार्य एक साल के अन्दर चौथी बार कराया जा रहा है, किमी0 एक से तीन का निर्माण/मरम्मत कराया जा चुका है, किमी0 चार से छः पर काम चल रहा है किन्तु अधोमानक कार्य के कारण सड़कें उखड़ रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की जांच कराकर मानक के अनुरूप कार्य करायेगी तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

देईपार-भैसहवा मार्ग की कुल लं0 6.05 किमी0 है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। मार्ग के कि0मी0 1, 2, 3 में पैच मरम्मत का कार्य माह 5/2018 तथा कि0मी0 4, 5, 6, 7 (0.050) में सामान्य मरम्मत के साथ माह 5/2018 में नवीनीकरण का कार्य कराया गया है। वर्तमान में मार्ग की दशा संतोषजनक है तथा वर्तमान में मार्ग कहीं भी उखड़ा नहीं है।

जी नहीं।

कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अन्तर्गत मानक के अनुरूप कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

उ0प्र0 पैकफेड लखनऊ के वर्तमान एम0डी0 के विरुद्ध चल रही जांचों के सम्बन्ध में

22-श्री पारसनाथ यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पैक्सफेड (उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0) लखनऊ के वर्तमान एम0डी0 के विरुद्ध कितनी जांचें पूर्व से चल रही हैं तथा कितनी जांचों में वह दोषी पाये गये हैं ? क्या वर्तमान समय में विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों में अधोमानक कार्य की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

उ0 प्र0 निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ के वर्तमान एम0डी0 के विरुद्ध कोई जांच प्रचलित नहीं है।

जी हां।

जी हां।

उच्च स्तरीय (टी0ए0सी0) जांच की कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के जिला अस्पताल से निकलने वाले कूड़े-कचरे को खुले में फेके जाने पर अंकुश लगवाने की मांग

23-श्री नफीस अहमद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के जिला अस्पताल, नर्सिंग होम एवं अस्पतालों से निकलने वाले कूड़े-कचरे को अस्पताल एवं नर्सिंग होम के बाहर खुले में फेंके जाने से संक्रमणीय बीमारियों की आशंका बनी रहती है ? यदि हां, तो उक्त पर अंकुश लगाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण की व्यवस्था के लिए सिलिकन वेल्फेयर सोसायटी, गाजीपुर को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है। उक्त ऐजेन्सी द्वारा सभी सरकारी/गैर सरकारी नर्सिंग होम/अस्पतालों का बायो मेडिकल वेस्ट संग्रह करके नियमानुसार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के वि0स0क्षे0 बाराबंकी सदर उदबपुर कोठी से धर्मपुर मार्ग तक टूटी सड़क की जांच करवा के मरम्मत करवाने की मांग

24-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र बाराबंकी सदर में उदबतपुर कोठी से लेकर धर्मपुर मार्ग पर कराये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता अधोमानक होने के कारण बनाने के तुरन्त बाद सड़क क्षतिगस्त हो गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नही।

प्रश्नगत उदबतपुर कोठी से लेकर धरमपुर मार्ग, सफीपुर धरमपुर मिर्जापुर बेहटई कैमई कटहलीपुरवा कुरखिला मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 7 से 12 तक का भाग है। इस भाग में सामान्य मरम्मत से नवीनीकरण का कार्य किमी0 7 से 10 तक माह 10/2017 में एवं किमी0 11 व 12 तक माह 06/2018 में कराया गया है, जिसकी दशा सन्तोष जनक है एवं मार्ग वर्तमान में गड्ढ़ा मुक्त है।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बाराबंकी में सड़कों के लिये आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में

25-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या उप मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में सड़कों के गड्ढामुक्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में कितनी धनराशि किन-किन सड़कों पर व्यय की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में 780 मार्गों के गड्ढामुक्ति पर रु0 842.44 लाख की धनराशि व्यय की गयी है जिसकी सूची संलग्न† है।

जी हां।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद हाथरस के वि0स0क्षे0 सिकन्दराराऊ में ग्रा0 खिजरपुर के समीप काली नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

26-श्री बीरेन्द्र सिंह राणा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक के ग्राम खिजरपुर के समीप काली नदी पर जनहित में पुल का निर्माण सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं, प्रस्तावित सेतु के अपस्ट्रीम में 9 कि0मी0 की दूरी पर 125.00 मी0 लम्बाई तथा डाउनस्ट्रीम में 8 किमी0 की दूरी पर 120.68 मी0 लम्बाई का सेतु निर्मित है। प्रस्तावित सेतु से अपस्ट्रीम व डाउन स्ट्रीम में निर्मित पुल 10 किमी0 की परिधि के अन्दर है सेतु का निर्माण का औचित्य नही पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसर।

27-श्री बीरेन्द्र सिंह राणा-

[दिनांक 28-8-2018 को अता0 प्र0सं0-194 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में सड़क निर्माण हेतु जनपद के लिये आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में

28-श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2017-18 में प्रदेश के संतुलित विकास के लिये सड़क निर्माण में सबसे अधिक धनराशि किस जनपद में आवंटित की गई है ? तथा कितनी ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

वर्ष 2017-18 में प्रदेश के संतुलित विकास के लिए सड़क निर्माण में सभी जनपदों को धनराशि आवंटित की गई है। कुम्भ मेला-2019 के आयोजन श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के

† छापी नहीं गयी।

आवागमन तथा सुलभ यातायात हेतु मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, मरम्मत/अनुरक्षण हेतु जनहित में अधिकतम धनराशि जनपद इलाहाबाद को आवंटित की गई है।

जनपद इलाहाबाद को लोक निर्माण विभाग के आय-व्ययक से आवंटित धनराशि रु0 560.30 करोड़।

प्रदेश में बाढ़ आपदा से निपटाने के लिये आवंटित धन के सम्बन्ध में

29-श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाढ़ आपदा से निपटने के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में कितने धन का आवंटन हुआ है ? क्या सरकार द्वारा कटान रोधी कार्य की शुरुआत करा दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार यह भी बतायेंगे कि उक्त धन का आवंटन किसी जनपद को कितना किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में बाढ़ आपदा से निपटने के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में अब तक रु0 43376.99 लाख की धनराशि का आवंटन हुआ है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ आपदा से निपटने हेतु धनराशि का आवंटन क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को किया जाता है जिनके कार्यक्षेत्र में एकाधिक जनपद है। विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता/संगठन का नाम	आवंटित धनराशि (लाख रुपये में)	सम्बन्धित जनपद
1	2	3	4
1	गण्डक, गोरखपुर	15655.33	गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर बलिया, मऊ, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर
2	रामगंगा, कानपुर	658.50	एटा, कासगंज, अलीगढ़, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा औरैया, कानपुर नगर, फतेहपुर, कानपुर, मैनपुरी, कन्नौज, कौशाम्बी, फर्रुखाबाद
3	पूर्वी गंगा, मुरादाबाद	2230.64	बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बदायूं
4	मध्यगंगा, अलीगढ़	611.53	बिजनौर
5	शारदा सहायक, लखनऊ	4706.06	सुल्तानपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, अम्बेडकरनगर, इलाहाबाद, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली

1	2	3	4
6	शारदा, बरेली	7307.78	बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखीमपुरखीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव
7	बेतवा परियोजना, झांसी	73.00	हमीरपुर
8	सरयू परियोजना-प्रथम, फैजाबाद	2494.41	बहराइच, गोण्डा, श्रावस्ती
9	सरयू परियोजना द्वितीय, गोण्डा	49.14	सिद्धार्थनगर
10	यमुना, ओखला	4373.34	गौतमबुद्धनगर, सहारनपुर, शामली, आगरा, मथुरा
11	गंगा, मेरठ	2269.66	मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, मथुरा, हाथरस, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, हापुड
12	सोन, वाराणसी	1908.85	वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, गाजीपुर, चन्दौली
13	बेतवा, झांसी	190.00	जालौन, बांदा
14	मुख्य अभियन्ता (सज्जा) लखनऊ	458.00	गोण्डा, बलरामपुर
15	मुख्य अभियन्ता (बाहय सहा0 परि0 लखनऊ)	370.75	प्रतापगढ, इटावा
	योग	**43376.99**	

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के सई एवं गोमती नदी पर निर्माणाधीन मनहनघाट, अखड़ोघाट आदि पर पुलों का निर्माण कार्य करवाने के सम्बन्ध में

30-श्री दिनेश चौधरी-

क्या उप मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में वर्ष 2011-12 से सई नदी एवं गोमती नदी पर निर्माणाधीन क्रमशः मनहनघाट, अखड़ोघाट, मड़ेहरी घाट, धनेजाघाट पुलों का निर्माण कार्य रूका हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलों का निर्माण कार्य की समय सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

पुल व पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर के ग्राम भानपुर को नगर पंचायत बनाए जाने की मांग

31-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर के अन्तर्गत तहसील स्तरीय ग्राम भानपुर को नगर पंचायत बनाए जाने हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रकरण शासन में लम्बित हैं ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त तहसील स्तरीय ग्राम को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जनपद बस्ती के ग्राम भानपुर को नगर पंचायत बनाये जाने की कार्यवाही शासन में प्रक्रियाधीन है।

जनपद सहारनपुर की भगवती सहकारी आवास समिति व अन्य द्वारा गठित फर्जी कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही

32-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत उ0 प्र0 सहकारी नियमावली, 1968 के अन्तर्गत एक व्यक्ति एक से अधिक आवासीय पतों के आधार पर एक से अधिक आवासीय कमेटियों का पदाधिकारी अथवा सदस्य हो सकता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मेरठ के निवासी श्री नरेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री बी0ए0 तोमर, सहारनपुर की भगवती सहकारी आवास समिति, मेरठ की नवयुग सहकारी आवास समिति, गाजियाबाद की मारूति सहकारी आवास समिति तथा बुलन्दशहर की शिवपुरी सहकारी आवास समिति में अपने विभिन्न फर्जी पते दर्शाकर सदस्य/पदाधिकारी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके खिलाफ जांच कराकर उन्हें विभिन्न पदों से हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा-18, संगत नियमावली, 1968 के नियम संख्या-38(2) एवं सहकारी आवास समिति लि0 की उपविधि संख्या-5(1) में सदस्यता सम्बन्धी निम्नवत व्यवस्था है-

(क) समिति के कार्यक्षेत्र में रहते हों अथवा रहने के इच्छुक हों और जिनका अपना अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य का कोई अपना भवन/भूखण्ड समिति के जनपद के शहरी क्षेत्र में न हो और जो किसी अन्य सहकारी आवास समिति के सदस्य न हों जिनका कार्य क्षेत्र इस समिति जनपद की सीमा में हो। ऐसे व्यक्ति भी सदस्यता के पात्र होंगे जिनकी भूमि आवास समिति द्वारा अध्याप्त की गयी हों। तदानुसार एक व्यक्ति एक शहर में एक ही सहकारी आवास समिति का सदस्य हो सकता है। इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि एक व्यक्ति एक से अधिक जनपदों में समिति का सदस्य नहीं हो सकता है।

(ख) समिति का सदस्य ही समिति के संचालक मण्डल का निर्वाचित पदाधिकारी हो सकता है।

(ग) समिति का सचिव भी समिति के पदाधिकारी की श्रेणी में आता है। एक से अधिक आवासीय समितियों में समिति का सचिव होने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्धात्मक खण्ड नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर वर्तमान में केवल नवयुग सहकारी आवास समिति लि0, मेरठ की प्रबन्ध कमेटी के अध्यक्ष हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के घूड़ चौराहे के निकट स्थित प्रेम गार्डेन एवं नन्द गार्डेन के नक्शे अस्वीकृत कर मैरिज होम सील कराने की विषयक जानकारी

33-श्री संजय गर्ग-

33-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के घूड़ चौराहे के निकट स्थित प्रेम गार्डेन एवं नन्द गार्डेन के मानचित्र मैरिज होम के लिये बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण से स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी हैं कि दोनों मैरिज होमों के प्रांगणों के ऊपर से 33000 के0वी0ए0 की हाईटेंशन बनी रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मैरिज होम का नक्शा अस्वीकृत कर मैरिज होम सील करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण द्वारा केवल गेस्ट हाउस का मानचित्र स्वीकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

स्वीकृत मानचित्र से इतर निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

जनपद बस्ती में पिछले पेराई सत्र के गन्ने के बकाया मूल्य के भुगतान न होने की मांग

34-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में पिछले पेराई सत्र के गन्ने का बकाया मूल्य का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई नीति बनाकर किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जनपद बस्ती के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की 03 चीनी मिलें यथा- बभनान, रुधौली तथा वाल्टरगंज संचालित हैं। उक्त चीनी मिलों में से बभनान तथा रूधौली चीनी मिल पर गत पेराई सत्र 2016-17 के अन्तर्गत गन्ना मूल्य के मद में कोई धनराशि अवशेष नहीं है। दिनांक 20-08-2018 तक की स्थिति के अनुसार चीनी मिल वाल्टरगंज पर रु0 22.58 करोड़ गन्ना मूल्य अवशेष है।

अवशेष गन्ना मूल्य का समयान्तर्गत भुगतान न करने के कारण चीनी मिल वाल्टरगंज के विरूद्ध गन्ना आयुक्त उ0 प्र0 के स्तर से दिनांक 07-02-2018 को तत्समय अवशेष गन्ना मूल्य रु0 27.87 करोड़ की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है।

चीनी मिल वाल्टरगंज, बस्ती के विरुद्ध दिनांक 07-02-2018 को निर्गत वसूली प्रमाण-पत्र के क्रम में जिला प्रशासन के स्तर से कार्यवाही की जा रही है तथा वर्तमान पेराई सत्र में उत्पादित चीनी की बिक्री से अब तक रु0 5.29 करोड़ की वसूली चीनी मिल से की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के तहसील भानपुर एवं हरैया को जोड़ने हेतु सम्पर्क पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

35-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में सरयू नहर परियोजना के तहत भानपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत अजगैवा जंगल के ग्राम सुकरौली तथा हरैया तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत पड़री के मध्य स्थित देवहुआ नाले पर पुल का अप्रोच मार्ग न बनाये जाने के कारण आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का अप्रोच मार्ग बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जी हां।

धन उपलब्धता के अनुसार अप्रोच मार्ग बनाया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के वि0स0 क्षेत्र ऊंचाहार में 2016-17 में स्वीकृत 14 राजकीय नलकूप लगवाने की मांग

36-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में वर्ष 2016-17 में चिन्हित/स्वीकृत 14 राजकीय नलकूप को लगवाये जाने हेतु सरकार धन आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में वर्ष 2016-17 में 14 राजकीय नलकूपों को लगाये जाने की कोई परियोजना स्वीकृत नहीं है।

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु प्रचलित डा0 राम मनोहर लोहिया 2000 राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के अन्तर्गत जनपद रायबरेली में वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामन्य श्रेणी में 01 राजकीय नलकूप, एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में विशेष घटक श्रेणी में 02 राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद रायबरेली में सामान्य श्रेणी में 09 राजकीय नलकूप एवं विशेष घटक श्रेणी में 02 राजकीय नलकूप कुल 11 राजकीय नलकूपों का निर्माण प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विस0 क्षेत्र के ऊंचाहार के वि0ख0 रोहनिया स्थित बकुलाही नाला को साफ करवाने के सम्बन्ध में

37-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड रोहनिया में स्थित बकुलाही नाला, जो जनपद प्रतापगढ़ के सई नदी में जाकर मिलता है, की खुदाई, सफाई एवं पुनरोद्धार हेतु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, की सफाई न होने के कारण क्षेत्र को लगभग 1000 एकड़ कृषि योग्य भूमि पर स्थानीय किसान कृषि कार्य न कर पाने के कारण भुखमरी के कगार पर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

जलप्लावन के कारण स्थानीय क्षेत्र के कुछ ग्रामों में कृषि कार्य प्रभावित है किन्तु भुखमरी की स्थिति नहीं है।

जलप्लावन की समस्या के निराकरण हेतु एक परियोजना लागत रु0 1217.86 लाख की स्वीकृत की गयी है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु0 300.00 लाख की धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

वर्ष 2018-19 में वर्षाकाल के पश्चात।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के बकाये का सब्याज शत-प्रतिशत भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में

38-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी एवं निजी चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का अभी तक कुल कितना गन्ना मूल्य सब्याज अवशेष

हैं ? क्या सरकार किसानों के गन्ना मूल्य के बकाये का सब्याज शत-प्रतिशत भुगतान चीनी मिलों से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की कोई चीनी मिल नहीं है। दिनांक 20-08'2018 तक की स्थिति के अनुसार, पेराई सत्र 2017-18 के अन्तर्गत निगम क्षेत्र की एक मात्र चीनी मिल पर रु0 39.12 करोड, सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों पर रु0 1177.01 करोड एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर रु0 9406.02 करोड, कुल रु0 10622.15 करोड गन्ना मूल्य अवशेष है। पेराई सत्र 2017-18 के अन्तर्गत अभी तक कुल रु0 565.55 करोड ब्याज आगणित किया गया है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

अवशेष गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान करने हेतु बकायेदार चीनी मिलों को दिनांक 30-11-2017, 02-02-2018, 13-04-2018, 07-05-2018, एवं 29-06-2018 को नोटिस निर्गत की गई है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर आहूत समीक्षा बैठकों में भी गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान कराये जाने हेतु बकायेदार चीनी मिलों को निर्देशित किया गया है। राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु पूर्णतः सजग एवं कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद की नगर पालिका खोड़ा मकनपुर में पेयजल आपूर्ति, सीवर लाईन के सम्बन्ध में

39-श्री सुनील कुमार शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आप को सम्बोधित पत्र दिनांक 21-06-2017 जोकि जनपद गाजियाबाद की नगर पालिका, खोड़ा मकनपुर में पेयजल आपूर्ति, सीवर लाइन व एस0टी0पी0 प्लांट एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य किये जाने से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर में पेयजल आपूर्ति हेतु राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत खोड़ा मकनपुर पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 127.15 करोड़ का आगणन विरचित किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रचलित है।

सीवरेज की योजना अभी तैयार नहीं की गयी है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद जौनपुर के सुजानगंज विकास खण्ड में उमरपुर माइनर कि सफाई कराने के सम्बन्ध में

40-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सुजानगंज में स्थित उमरपुर माइनर की विगत कई वर्षों से सफाई न होने के कारण किसानों को सिंचाई में हो रही परेशानी को दृष्टिगत रखते हुये उक्त माइनर की सफाई सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सुजानगंज में उमरपुर माइनर नहीं है, बल्कि उमरगंज माइनर है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला स्तरीय मद से सिल्ट सफाई कराने हेतु कार्य योजना उपायुक्त, श्रम रोजगार, (मनरेगा), जौनपुर को प्रेषित की गयी है। धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं को डामर रोड से जोड़ने की मांग

41-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी ग्राम सभायें, राजस्व ग्राम, बसावट अभी तक डामर रोड से नहीं जुड़े हैं ? क्या सरकार उन गांवों को चिन्हित कर समयबद्ध कार्य योजना बनाकर डामर रोड से जोड़ने का कार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रदेश में लगभग 3595 राजस्व ग्राम एवं 34651 बसावटें डामर रोड से नहीं जुड़े हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सिंचाई फण्ड से विभिन्न जिलों के लाभान्वित लघु व सीमांत किसानों के सम्बन्ध में

42-श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कृषि सिंचाई फण्ड से किन-किन जिलों के कितने लघु व सीमांत किसान लाभान्वित हुये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के हर खेत में पानी पहुंचाने के लिये सरकार द्वारा कौन सी योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्य योजना बनाकर लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में ''मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फण्ड'' के नाम से कोई भी परियोजना न तो गठित की गयी है और न ही संचालित है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं राज्य सेक्टर के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों के अनुसार हर खेत को पानी पहुंचाने की कुछ योजनाएं बनायी गयी हैं, जिनमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद ललितपुर में शाहजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना लागत रु0 89.88 करोड़, जनपद हमीरपुर में चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली लागत रु0 18.24 करोड़ तथा जनपद महोबा में कुलपहाड़ सिंचाई प्रणाली लागत रु0 76.49 करोड़ की परियोजनाएं प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत सरयू नहर परियोजना एवं अर्जुन सहायक नहर परियोजना संचालित हैं तथा मध्य गंगा नहर परियोजना स्टेज-2 को नाबार्ड से स्वीकृत कराकर इन परियोजनाओं को माह दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 15.944 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर में नवनिर्मित सर्किट हाऊस/गेस्ट हाऊस का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की जानकारी

43-श्री लाल जी वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में सर्किट हाउस/गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्या उक्त सर्किट हाउस/गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

जनपद अम्बेडकरनगर में सर्किट हाउस भवन का निर्माण कार्य पूर्ण है। कक्षों की साज-सज्जा कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपदवार सड़क निर्मित हेतु धन अवमुक्त करने की जानकारी है

44-श्री लाल जी वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला योजनान्तर्गत सड़कों के नव-निर्माण कराने हेतु वित्तीय वर्ष, 2017-18 में किस-किस जनपद को कितना-कितना धन अवमुक्त/आवंटित किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना से जनपद अम्बेडकर नगर भी आच्छादित है ? यदि हां, तो उक्त जनपद में किन-किन मार्गों को नव निर्माण हेतु चयनित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जिला योजना (नवनिर्माण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में नये कार्य हेतु धन अवमुक्त नहीं किया गया है। पूर्व में स्वीकृत कार्यो के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु0 3096.03 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि का कार्यवार विवरण संलग्न है। (संलग्नक-1)

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में नया कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। पूर्व में स्वीकृत कार्यो को वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद अम्बेडकरनगर में रु0 43.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि का कार्यवार विवरण संलग्न† है। (संलग्नक-2)

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2017-18 में कुल निर्मित रैन बसेरों की संख्या एवं आश्रयहीनों को रैन बसेरा बनाने की कार्य योजना बनाने की जानकारी

45-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आश्रयहीनों के लिए रैन बसेरा बनाने की कोई येाजना संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में कितने रैन बसेरों का निर्माण हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

प्रदेश में आश्रयहीनों के लिए रैनबसेरा (शेल्टर होम) बनाने की योजना दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक 'शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना' के रूप में संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में 42 रैनबसेरों (शेल्टर होम) का निर्माण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के डालीगंज स्थित मोहल्ला मेढ़ई का पुरवा में कूड़ा कलेक्शन का चार्ज न दिये जाने के सम्बन्ध में

46-श्रीमती जय देवी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के डालीगंज स्थित मोहल्ला मेढ़ई का पुरवा में नगर निगम द्वारा कूड़ा कलेक्शन का कार्य कराया जा रहा है, जिसके सर्विस के रूप में प्रतिमाह निर्धारित चार्ज लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त क्षेत्र के अधिकांश निवासियों द्वारा सर्विस चार्ज से बचने हेतु कूड़ा कलेक्शन कर्मी को कूड़ा न देकर इधर-उधर फेंका जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या 270 पर।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

प्रश्नगत मोहल्ले में लगभग 485 भवन हैं, जिसमें नगर निगम की कंशेसनायर कंपनी मै0 ईकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0लि0 के माध्यम से डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। मोहल्ले में लगभग 260 घरों से कूड़ा प्राप्त हो रहा है एवं औसतन 230 घरों से यूजर चार्ज प्राप्त होता है।

अवशेष घरों से कूड़ा संग्रहण हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ में वर्ष मार्च 2018 में संविदा पर तैनात कर्मचारी की संख्या के सम्बन्ध में

47-श्री पारसनाथ यादव तथा श्री ओमकार सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ में मार्च, 2018 को लिपिक, सहयोगी अवर अभियन्ता कब से संविदा पर तैनात थे तथा उनमें से किन-किन कर्मियों का संविदा/अनुबन्ध बढ़ाया गया है एवं किन-किन कर्मियों का जिलेवार अनुबन्ध नहीं बढ़ा है ? क्या सरकार उसकी सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 के निर्माण प्रखण्डों के प्रभारी द्वारा आवश्यकता दर्शाने एवं उनकी संस्तुति के उपरान्त संस्था हित में अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के आधार पर अधिकतम एक वर्ष के लिये संस्था में अनुबन्ध पर रखा जाता है। अनुबन्ध बढ़ाने/विस्तार करने/नवीनीकृत करने की काई व्यवस्था नही है। प्रत्येक वर्ष आवश्यकता के दृष्टिगत नया अनुबन्ध किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के राज्य सहकारी संघ लि0 लखनऊ के एम0डी0 द्वारा की जा रही अनियमतता की जांच कराने विषयक जानकारी

48-पारसनाथ यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ को प्रदेश में वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कितने कार्यों का जिलेवार आवंटन हुआ है तथा उक्त कार्यों का सम्पादन समय पर पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि उक्त कार्यदायी संस्था के (वर्तमान) एम0डी0 सरकारी कार्यों में रुचि न लेकर व्यक्तिगत कार्यों में ही लिप्त रहते हैं जिससे दिन प्रतिदिन कार्य प्रभावित होता जा रहा है ? क्या सरकार उक्त संस्था द्वारा मुख्यालय के खर्च, गाड़ी, फोन, मद खर्च आदि की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ को प्रदेश में वर्षा 2017-18 व 2018-19 में क्रमशः 467 एवं 127 कार्यों का जिलेवार आवंटन हुआ है।

कुछ परियोजनाओं में भूमि एवं धन समय से प्राप्त होने के कारण निर्माण कार्य निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण नहीं हो पाया है।

जी नहीं।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में 100 व्यक्तियों के निर्माणाधीन शेल्टर का कार्य पूर्ण किये जाने की मांग

49-श्री मनीष असीजा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फिरोजाबाद में शहरी बेघरों हेतु आश्रम योजना (शेल्टर होम) के अन्तर्गत सूडा द्वारा नामित कार्यदायी संस्था सी0एन0डी0एस0 यूनिट 35, आगरा द्वारा कराया जा रहा निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है एवं अधोमानक सामग्री का प्रयोग हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार फिरोजाबाद में 100 व्यक्तियों हेतु आश्रम योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन शेल्टर होम के अब तक किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता परखने हेतु एक उच्च स्तरीय तकनीकी की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं शेष कार्य पूर्ण कराने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एन0यू0एल0एम0) के उपघटक 'शहरी बेघरों के लिये आश्रय योजना' के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में स्थल प्रेमपुरा रजपुरा में 100 एवं शिकोहाबाद निकाय में 100 शहरी बेघरों के लिये शेल्टर होम का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0एन0डी0एस0) की यूनिट-35, आगरा द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। फिरोजाबाद, प्रेमपुरा, रजपुरा के शेल्टर होम की कुल लागत रु0 278.17 लाख के सापेक्ष रु0 222.54 लाख की धनराशि तथा शिकोहाबाद निकाय के शेल्टर होम की कुल लागत रु0182.22 लाख के सापेक्ष रु0 135.78 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। दोनों परियोजनाओं में 80 प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 12-04-2018 को निर्माणाधीन शेल्टर होम का स्थलीय निरीक्षण का कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। निर्माण सामग्री के नमूने का परीक्षण हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय (एच0बी0टी0यू0), कानपुर द्वारा किया गया हैं, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत परियोजना में प्रयुक्त की जा रही सामग्री मानक के अनुरूप है एवं गुणवत्ता संतोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

भोगनीपुर शाखा के बदनपुर से दरगाहपुर भारौल तक निकलने वाले बदनपुर राजवाह का कार्य पूर्ण कराने की मांग

50-श्री मनीष असीजा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भोगनीपुर शाखा के बदनपुर से दरगाहपुर भारौल तक निकलने वाले बदनपुर राजवाह की रिमाडलिंग एवं विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो अब तक इस पर कितना कार्य हो गया है एवं कितना शेष है ? क्या सरकार ने इस परियोजना को शीघ्र पूरा कराये जाने की कोई समय सीमा तय की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

इस परियोजना का लगभग 61 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 39 प्रतिशत कार्य शेष है।

परियोजना को अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नवीन जसराना नहर की कच्ची सर्विस रोड बनाने के सम्बन्ध में दिये गये पत्र संख्या क-6 नं0-37468 दिनांक 01-02-2018 पर कार्यवाही हेतु

51-श्री मनीष असीजा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तिम चरण में चल रही नवीन जसराना नहर परियोजना में लगभग 27.50 करोड़ रुपयों की बचत हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बची हुई धनराशि से नवीन जसराना नहर की कच्ची सर्विस रोड के गोपालपुर ग्राम से कि0मी0 35.470 मोहम्मदपुर लमौआ ग्राम के मध्य सड़क (बिटमिन रोड) बनाने पर विचार करेगी ? क्या उक्त के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र संख्या क-6 नं0 37468 दिनांक 01-02-2018 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

नवीन जसराना नहर परियोजना पर लगभग 97 प्रतिशत भौतिक प्रगति हो चुकी है। परियोजना का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में जब तक परियोजना पूर्ण नहीं हो जाती तब तक परियोजना में बचत का आकलन करना सम्भव नहीं है।

इस परियोजना के अन्तर्गत रोड बनाने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः इस परियोजना में रोड का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। जसराना नवीन नहर की कच्ची सर्विस

रोड पर गोपालपुर ग्राम से मोहम्मदपुर लमौआ तक पक्की सड़क बनाने की परियोजना तैयार की गयी है, जो कि वर्तमान में परीक्षणाधीन है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत दिये गये आवासों के सम्बन्ध में दिये गये पत्र संख्या क-6 नं0-037452 पर कार्यवाही की जानकारी

52-श्री मनीष असीजा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण योजना में अब तक कुल कितने पात्र लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत किये गये हैं एवं कितने आवेदनों की जी0ई0ओ0 टैगिंग हो चुकी है तथा कितनों की जी0ई0ओ0 टैगिंग होना शेष है? क्या सरकार को जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास योजना के पात्र लाभार्थियों के लम्बित आवेदनों की जी0ई0ओ0 टैगिंग कराने एवं प्रथम किश्त 31 मार्च 2018 तक जारी कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-6 नं0 037452, दिनांक 01-02-2018, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक में भारत सरकार द्वारा कुल 10280 लाभार्थियों की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0) स्वीकृत किया जा चुका है। इसके सापेक्ष 2473 आवासों की जियो टैगिंग हो चुकी है तथा 7807 आवासों की जियो टैगिंग होना शेष है।

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के आसफाबाद क्षेत्र में आसरा योजना के स्वीकृत आवासों को लाभार्थियों को दिये जाने की मांग

53-श्री मनीष असीजा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के आसफाबाद क्षेत्र में आसरा योजना में स्वीकृत 84 आवासों में 36 आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि पात्र लाभार्थियों को इन आवासों का आवंटन कराकर शेष स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य कराने की समय सीमा तय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

आसरा आवास योजना अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के निकाय आसफाबाद हेतु अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत 84 आवासों में से 48 अनारम्भ आवासों को प्रारम्भ न किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। अवशेष 36 आवासों का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0) यूनिट-35, आगरा द्वारा किया जा रहा है, जो प्रगति पर है। आवास निर्माण पूर्ण होने पर आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के शीतला देवी वार्ड के अन्तर्गत नौबस्ता मोहल्ले में नाली की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में

54-श्री उमाशंकर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के शीतला देवी वार्ड के अन्तर्गत समस्त नौबस्ता मोहल्ले, धोबी वाली गली एवं गूलर वाली गली में अभी तक सीवर व्यवस्था और जल निकासी का भी कोई साधन न होने के कारण वहां नालियों में अत्यधिक गंदगी फैली रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों में सीवर लाइन डालकर उसे गिरधारी सिंह इण्टर कालेज के नजदीक नाले में जोड़कर सम्बन्धित क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नही।

जल निकासी हेतु नाली निर्मित है। वर्तमान में नालियों में गन्दगी नहीं है। सीवर लाइन नहीं पड़ी है।

जल निकासी हेतु नाली निर्मित है। सीवर लाइन डालने का सम्प्रति कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के सेक्टर-एच के सामुदायिक केन्द्र के सामने से मुकुन्द मिठाई माल तक पाइप लाइन डालने की मांग

55-श्री उमाशंकर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर-एच में सामुदायिक केन्द्र के सामने की सड़क पर खुले नाले के क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिक उसमें गन्दगी कूड़ा कचरा भरते रहते हैं एवं कई आवारा पशु भी उसमें गिरकर मर चुके हैं तथा आस-पास की सड़क में भी बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जानकीपुरम सेक्टर-एच में सामुदायिक केन्द्र के सामने से मुकुन्द मिठाई मार्ट तक नाले को पाइप

लाइन डलवाकर बन्द करवाकर हरी फेन्सिंग लगवायेगी तथा क्षतिग्रस्त सड़क को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

लखनऊ नगर स्थित जानकीपुरम सेक्टर-एच लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीन है। नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को प्रश्नगत कार्य के लिये सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के टूडियागंज के नजदीक नौबस्ता मोहल्ले के छिपी का शिवाला मन्दिर के पास आवारा पशुओं को हटाने के सम्बन्ध में

56-श्री उमाशंकर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के टूड़ियागंज के नजदीक नौबस्ता मोहल्ले में छिपी का शिवाला मन्दिर के पास धोबी वाली गली के सामने खुले पड़े स्थान पर आवारा गायें और साड़ों का जमावड़ा लगा होने के कारण ये गायें आवागमन के समय वहां के निवासियों को घायल कर मरणासन्न कर चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आवारा पशुओं को वहां से हटवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं, ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

जी हां। इस सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा विशेष अभियान चलाया जाता है। दिनांक 20-08-2018 को भी नगर निगम द्वारा विशेष अभियान चलाकर प्रश्नगत क्षेत्र/स्थल से आवारा पशुओं को पकड़कर कान्हा पवन गौशाला में बन्द कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद में नगरीय सड़क सुधार योजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में

57-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य मंत्री घोषणा के क्रम में ''नगरीय सड़क सुधार'' योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-21/2016/463/नौ-5-2016-222 बजट/2016 नगर विकास/अनुभाग-5 दिनांक 19-02-2016 को कुल 52 परियोजनाओं हेतु धनांक रु0 2400 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए

रुपये 1200.00 लाख की प्रथम किश्त नगर निगम फिरोजाबाद को अवमुक्त की गयी तथा उक्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर निगम फिरोजााबद द्वारा पत्रांक 2224/सा0प्र0/उपयोगिता प्रमाण पत्र/ 2016-17 दिनांक 25-11-2016 को प्रेषित करते हुए द्वितीय किश्त की धनराशि रुपये 1200.00 लाख अवमुक्त करने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार धनाभाव के कारण अवरुद्ध पड़े निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु द्वितीय किश्त जारी करते हुए क्षेत्रीय नागरिकों की असुविधा दूर कराने का कार्य करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जी हां, वित्तीय वर्ष 2017-18 में नगरीय सड़क सुधार योजनान्तर्गत नगर निगम, फिरोजाबाद को शासनादेश संख्या-168/2018/1151-नौ-5-222 बजट/16 टीसी, दिनांक 31-03-2018 द्वारा द्विवतीय किश्त के रूप में 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थली के विकास हेतु प्राप्त पत्र क-6 नं0-037462 दि0 01-02-2018 पर कार्यवाही हेतु

58-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास योजना के अन्तर्गत नगर निगम फिरोजाबाद के सीमान्तर्गत कुल 13 अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु पत्रांक 286/2015-4649/नौ-5-2015-197 बजट/2014 दिनांक 14-08-2015 के द्वारा 367.00 लाख रुपये की स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में रुपये 50.86 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी ? क्या सरकार को अवगत है कि प्रथम किश्त में प्राप्त धनराशि से अन्त्येष्टि स्थलों का विकास आरम्भ करवाकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजन के पश्चात अवशेष धनराशि नहीं भेजे जाने के कारण प्रस्तावित कार्य अधूरे रुके पड़े हैं ? क्या उक्त के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र संख्या क-6 नम्बर-037462 दिनांक 01-02-2018 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजना के अन्तर्गत कुल 13 अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु नगर निगम फिरोजाबाद से प्राप्त प्रस्ताव के दृष्टिगत नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-286/2015-4649/नौ-5-2015-197 बजट/2014 दिनांक 14 अगस्त, 2015 द्वारा रु0 367.00 लाख की स्वीकृति प्रथम किश्त के रूप में अन्त्येष्टि स्थल के विकास हेतु अवमुक्त की गयी थी।

नगर आयुक्त नगर निगम फिरोजाबाद में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में अन्त्येष्टि स्थल के विकास हेतु अवशेष धनराशि से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद में कान्हा गौशाला स्थापना के सम्बन्ध में पत्र क-6 नं0-037458 दि0 01-02-2018 पर कार्यवाही हेतु

59-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत नगर निगम फिरोजाबाद में कान्हा गौशाला की स्थापना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-6 नम्बर-037458 दिनांक 01-02-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्य योजना के आधार पर नगर निगम, फिरोजाबाद में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत कान्हा गौशाला की स्थापना किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 31 मई, 2018 द्वारा रुपये 156.35 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गिरते जल स्तर को बचाने के लिए जल एवं पर्यावरण सरंक्षण नीति बनाने की विषयक जानकारी

60-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गिरते जल स्तर को बचाने के लिए भारतीय संविधान की धारा-51(क) में उल्लिखित जल एवं पर्यावरण संरक्षण के प्राविधानों को लागू किए जाने के लिए सरकार प्रदेश में कोई जल एवं पर्यावरण संरक्षण नीति बनाएगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

''उ0 प्र0 राज्य पर्यावरण नीति'' बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।''

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के सदर वि0ख0 के ग्राम हवेली खास के प्रधान को वित्तीय अधिकार प्रदान करने की जानकारी

61-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में जिलाधिकारी द्वारा सदर विकास खण्ड के ग्राम हवेली खास के निर्वाचित ग्राम प्रधान का प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार कम उम्र के आधार के कारण छीन लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर पंचायत चुनाव 2018 में रुधौली नगर पंचायत के निर्वाचित अध्यक्ष के द्वारा भी नगर पंचायत रुधौली के चुनाव में उम्र छिपाकर चुनाव लड़ा गया का भी जिलाधिकारी प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार छीनेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण पर कृत कार्यवाही से अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

प्रकरण के सम्बन्ध में श्रीमती संगीता जायसवाल द्वारा इलेक्शन पिटीशन सं0-02/2017 जनपद न्यायधीश के यहां विचाराधीन है।

जनपद आगरा के अछनेरा नगर पालिका परिषद में पानी निकासी हेतु नई सीवर लाइन डालने के सम्बन्ध में

62-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत अछनेरा नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत सम्पूर्ण अछनेरा आवासीय सीमाओं के अन्तर्गत प्रदूषित पानी की निकासी सम्बन्धी सीवर चोक है ? यदि हां, तो क्या सरकार सीवर की नई लाइन डालने व पानी के निकासी के लिये विभाग कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नगर पालिका परिषद, अछनेरा, आगरा के आवासीय सीमाओं के अंतर्गत आवासीय मकानों की संख्या अधिक होने तथा सीवर की छोटी-छोटी लाईन पड़ी होने के कारण प्रदूषित पानी की निकासी में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं सीवर लाईन चोक हो जाती है।

सीवर की नई लाइन डालने एवं पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद आगरा के नगर पंचायत किरावली में सीवर की नई लाईन डालने व पानी की निकासी की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में

63-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा जिले की किरावली नगर पंचायत के अन्तर्गत सम्पूर्ण किरावली आवासीय सीमाओं के अन्तर्गत प्रदूषित पानी की निकासी सम्बन्धी सीवर चोक पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पानी की निकासी के लिये

सीवर की नई लाइन डालने अथवा पानी की निकासी के लिये कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनपद आगरा जिले की किरावली नगर पंचायत के अन्तर्गत कोई सीवर लाइन नहीं बिछायी गयी है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के साकेत चौराहे से सिर की मण्डी वाया हसनपुरा दोनों सिरों को जोड़ने वाली सड़क पर हुये अतिक्रमण को हटाने हेतु

64-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर में (शाहगंज) साकेत चौराहे से चौराहा सिर की मण्डी वाया हसनपुरा दोनों सिरों को जोड़ने वाली सड़क में विगत 15 वर्षों में सार्वजनिक अतिक्रमण किये जाने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

अतिक्रमण सड़क के किनारे पूर्व से बने स्थायी अतिक्रमण की श्रेणी के हैं। अतः प्रश्नगत अतिक्रमण को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं आगरा विकास प्राधिकरण के सहयोग से नियमानुसार हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा महानगर के साकेत चौराहे से चौराहा सिर की मण्डी वाया हसनपुरा रोड मास्टर प्लान के अन्तर्गत चिन्हित करने हेतु

65-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर के अन्तर्गत साकेत चौराहे से चौराहा सिर की मण्डी वाया हसनपुरा रोड मास्टर प्लान के अन्तर्गत सड़क को चिन्हित करने पर कार्यवाही सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मास्टर प्लान के अन्तर्गत सड़कों को चिन्हित करने के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु नगर आयुक्त नगर निगम आगरा को निर्देशित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिलावार/ब्लाक वार कोल्ड स्टोरेज की भण्डारण क्षमता वृद्धि करने के सम्बन्ध में

66-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ब्लाकवार और जिलावार कोल्ड स्टोरेज की संख्या कितनी है तथा इन कोल्ड स्टोरेज की कुल भण्डारण क्षमता कितनी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में फसलों के पैदावार एवं उनके संरक्षण के सापेक्ष वर्तमान में पर्याप्त संख्या में कोल्ड स्टोरेज की भण्डारण क्षमता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त के मद्देनजर वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने नये कोल्ड स्टोरेज बनाये जाने का लक्ष्य है ? क्या कोल्ड स्टोरेज में फसल उत्पाद रखने के लिये सरकार के द्वारा किराये की राशि निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मूल्य निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

प्रदेश में ब्लाकवार और जिलावार शीतगृहों की कुल संख्या-1919 है जिनकी भण्डारण क्षमता 150.55 लाख मैट्रिक टन है।

शीतगृहों में आलू का भण्डारण किया जाता है। प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज की पर्याप्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के पडरौना में बन्द पड़ी चीनी मिल के कर्मचारियों तथा मजदूरों के बकाये पी0एफ0 व वेतन का भुगतान करने के सम्बन्ध में

67-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुशीनगर जनपद के पडरौना में बन्द चीनी मिल को मा0 उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश पर नीलाम करने की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है ? क्या सरकार ने इस चीनी मिल पर गन्ना किसानों के बकाया भुगतान तथा मिल के कर्मचारी तथा मजदूरी के बकाया पी0एफ0 व वेतन के भुगतान के लिये कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या उक्त चीनी मिल को चालू कराने के लिये सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी नहीं।

प्रश्नगत प्रकरण में नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित अवमानना याचिका संख्या-5336/2017 के अन्तर्गत विचाराधीन है।

गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के स्तर से पत्र संख्या-445/सी दिनांक 30-04-2013 एवं पत्र संख्या-694/सी दिनांक 07-08-2014 द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है, जिसका क्रियान्वयन जिला प्रशासन के अधीन प्रक्रियागत है। प्रश्नगत चीनी मिल के श्रमिकों के बकाया वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में उ0प्र0 श्रमायुक्त, उ0प्र0 गोरखपुर द्वारा दिनाक 24-02-2014 को रु0 93,91,203.00 का वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। उक्त के अतिरिक्त कर्मचारियों के भविष्य निधि के अन्तर्गत देय धनराशि रु0 108.00 लाख के सम्बन्ध में वसूली अधिकारी, कर्मचारी निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 22-10-2014 द्वारा तहसीलदार सदर, पडरौना, कुशीनगर को दावा पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यह चीनी मिल राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है।

जनपद रायबरेली के डलमऊ में पम्प जल स्टेशन को पूरी क्षमता से चलाने की मांग

68-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के डलमऊ सहित डलमऊ कैनाल पम्प स्टेशन पर लगाये गये 20 पम्पों में मात्र 12 पम्प विभाग द्वारा चलाये जाने के कारण नहरों, अल्पिकाओं व रजबाहों में पानी न पहुंच पाने से किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी 20 पम्पों को चलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

चौधरी चरण सिंह डलमऊ ''ए'' पम्प कैनाल जनपद रायबरेली की तहसील डलमऊ में गंगा नदी के वायें तट पर पक्के पम्प हाउस पर वर्ष 1989-90 से स्थापित है। डलमऊ ''ए'' की अधिकतम क्षमता 840 क्यूसेक परिकल्पित है। इस हेतु पम्प हाउस में 60 क्यूसेक क्षमता के 20 पम्प स्थापित हैं, जिनमें से नहर की अधिकतम क्षमता के अनुसार 14 पम्प (14x60=840 क्यूसेक) एक बार में चलाये जा सकते हैं। शेष 06 पम्प स्टेण्डवाई के रूप में स्थापित किये गये हैं, जिन्हें चलित पम्पों के खराब होने की दशा में उपयोग किया जाता है।

पम्प नहर का संचालन अधिशासी अभियन्ता, रायबरेली खण्ड-दक्षिणी शारदा नहर, रायबरेली द्वारा सूचित मांग के अनुरूप एवं गंगा नदी में जल की उपलब्धता/विद्युत उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के वि0स0 क्षेत्र ऊंचाहार के वि0ख0 जगतपुर के इशौर ड्रेन के सिल्ट की सफाई कराने के सम्बन्ध में

69-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के वि0स0 क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड जगतपुर से निकलने वाली इशौर ड्रैन में सिल्ट जमा हो जाने से किसानों की कृषि योग्य भूमि की सिंचाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ड्रेन की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

इशौर नाले की कुल लम्बाई 47.00 किमी0 तथा शीर्ष पर क्षमता 15.08 क्यूसेक है। इस नाले के हेड किमी0 0.000 से किमी0 12.000 तक का भाग तीव्र प्राकृतिक ढाल से युक्त है। वर्ष 2011-12 में इस नाले के किमी0 12.000 से किमी0 47.000 तक का पुनरोद्धार कार्य सोडिक तृतीय चरण के पी0वाई0-2 के अन्तर्गत किया गया था। इशौर नाले पर कार्य पूर्ण कराये हुये 5 वर्ष का समय ब्यतीत हो चुका है। अतः स्वाभाविक रूप से नाले में (अनुरक्षण) की आवश्यकता तो है, किन्तु नाले में जल प्रवाहित हो रहा है। नाले से सीधे खेतों की सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। नाले में पम्पिंग सेट आदि लगाकर सिंचाई की जा रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है।

सोडिक परियोजना तृतीय की ड्रेनों का अनुरक्षण कार्य भूमि सुधार निगम द्वारा अनुरक्षण हेतु आवंटित धन से कराया जाता है। वर्तमान में इस कार्य हेतु धन उपलब्ध नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में सोडिक तृतीय की (इशौर ड्रेन सहित) ड्रेनों के अनुरक्षण हेतु धनावंटन प्राप्त होने पर ही वर्षा पश्चात् अनुरक्षण का कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगर निगमों की सीमा पर ROB और RUB के सम्बन्ध में जानकारी

70-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर निगमों की सीमा में कितने रेलवे के क्रासिंग हैं, जिन पर आर0ओ0बी0 या आर0यू0बी0 सैंक्शन नहीं हुये हैं ? सरकार अपने हिस्से का डी0पी0आर0 बना कर बचे हुये क्रोसिंग के लिये प्रोजेक्ट रेल मंत्रालय को भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रदेश में नगर निगमों की सीमा में रेलवे क्रासिंग से संबंधित सूचनाये पूरे प्रदेश स्तर की हैं। सूचनायें एकत्र की जा रही है।

जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले सरकारी विभागों से हाउस टैक्स एवं वाटर टैक्स के बकाया धनराशि का विवरण देने की मांग

71-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में सरकारी विभागों के ऊपर हाउस टैक्स एवं वाटर टैक्स लागू हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर निगम,

*कराये हुये 5 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। अतः स्वाभाविक रूप से नाले में अनुरक्षण

फिरोजाबाद के अन्तर्गत आने वाले सरकारी विभागों के ऊपर हाउस टैक्स एवं वाटर टैक्स की बकाया धनराशि का विवरण देगी ? क्या सरकार उक्त बकाया धनराशि को वसूलने के लिये कोई समय-सीमा तय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

नगर निगम फिरोजाबाद के अन्तर्गत आने वाली कुल 54 सरकारी सम्पत्तियों में से 17 सरकारी सम्पत्तियों पर मार्च, 2018 तक अवशेष शून्य है तथा शेष 37 सरकारी सम्पत्तियों पर मार्च 2018 तक रु0 91.94 लाख अवशेष है।

चालू वित्तीय वर्ष तक समय सीमा निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की नगर पंचायत किरावली में स्थित जीर्ण-शीर्ण उच्च जलाशय टैंक की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

72-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की तहसील किरावली की नगर पंचायत किरावली में स्थित उच्च जलाशय टैंक जीर्ण-शीर्ण हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जलाशय टैंक का पुनर्निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। जलाशय टैंक के पुनर्निर्माण हेतु निकाय द्वारा तैयार कर मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (नागर), उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ को भेजा गया है। धनराशि की स्वीकृति के पश्चात जलाशय टैंक का पुनर्निर्माण कराया जायेगा।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी के सहकारिता भवन की सफाई कराने के सम्बन्ध में

73-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत सहकारिता भवन में कूड़ा से व्याप्त गन्दगी की सफाई एवं साज-सज्जा सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

विकास खण्ड फतेहपुर सिकरी जनपद आगरा में सहकारी संघ लि0 फतेहपुर सिकरी का भवन एवं गोदाम अवस्थित है। सहकारी संघ लि0 फतेहपुर सिकरी के परिसर में स्वच्छता एवं सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत संस्था के द्वारा परिसर की साफ-सफाई एवं भवन की रंगाई-पुताई करा दी गयी है। नगर पालिका परिषद् फतेहपुर सिकरी के द्वारा सहकारी संघ के गोदाम से संघ के गोदाम से संघ के मुख्य गेट तक सीमेन्टेड टाइल्स लगवा दिये गये हैं तथा परिसर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा की तहसील किरावली के तेरह मोरी बांध/नाले पर पनचक्की/चैकडैम का निर्माण कराने के सम्बन्ध में

74-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिला की तहसील किरावली के अन्तर्गत तेरह मोरी बांध/नाले पर पनचक्की/चैकडैम बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में चैकडैम बनाने सम्बन्धी कार्य लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जाना है।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के पैतेपुर मार्ग पर अवैध रूप से कब्जा कर शौचालय बनाये जाने पर अवैध कब्जों को हटवाने की मांग

75-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की महमूदाबाद-पैतेपुर रोड पर नगर पालिका महमूदाबाद/डूडा द्वारा सड़क पर शौचालय बनाये जाने के कारण रास्ते पर जाम लगा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

डूडा विभाग द्वारा सड़क के किनारे स्थित भूमि पर 30 शौचालय जन सुविधा हेतु बनवाये गये थे, जो अब जर्जर एवं अनुपयुक्त अवस्था में है। शौचालय के कारण मार्ग पर जाम नहीं लगता है।

उपरोक्त को हटाने के लिये स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

सैनिक कल्याण पुनर्वास निधि सरोजनी नगर, लखनऊ से टी0सी0एल0 कालोनी के पीछे से होकर गुजरने वाली सड़क के संबंध में मा0 श्री मुकेश वर्मा जी द्वारा दिये गये पत्र सं0 67139 दिनांक 15.01.2018 पर कार्यवाही हेतु

76-श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सैनिक कल्याण पुनर्वास निधि, सरोजनी नगर, लखनऊ से टी0सी0एल0 कालोनी पीछे से होकर गुजरने वाली सड़क जो कानपुर रोड से अनुराधा सिंह चौहान के घर होते हुये मुरली विहार कालोनी तक जाती है को क्रियोटिव

कान्वेन्ट कालेज, सरोजनी नगर से 100 मी0 दूरी पर अखिलेश्वर निवास से अजीत सिंह चौहान के घर तक 300 मी0 एवं अवध विहार कालोनी दि माडल पब्लिक स्कूल के पीछे श्रीमती लक्ष्मी सिंह के घर से श्री दिनेश सिंह के घर तक 150 मी0 तक नाली एवं सड़क बनवाने के सम्बन्ध में डा0 मुकेश वर्मा, स0वि0स0 का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र सं0 67139, दि0 15 जनवरी, 2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के वि0ख0 रामनगर के ग्राम पंचायत सीर में मुख्य मार्ग से महगूं पटेल के घर तक मार्ग मरम्मत करने हेतु

77-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम पंचायत सीर में जौनपुर-मिर्जापुर मुख्य मार्ग से महगूं पटेल के घर तक पिच रोड जर्जर हो जाने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। वर्तमान में मार्ग यातायात हेतु सुगम है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ के तह0 मधुबन अन्तर्गत ग्रा0 कुँवर पुरवा के पास रिटायर्ड सिंचाई विभाग के बंधे पर बसे लोगों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में

78-श्री पारसनाथ यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ की तहसील मधुबन के अन्तर्गत ग्राम कुंवर पुरवा के पास रिटायर्ड सिंचाई विभाग के बंधे पर वर्ष 1971 में बाढ़ कटान से प्रभावित लोगों को बसाया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि बीच-बीच में उनका उत्पीड़न किया जाता है व अवैध अतिक्रमण के नाम पर गिरफ्तार किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बंधे पर बसे लोगों को पट्टा देकर स्थायी समाधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

बाढ़ के समय कुछ ग्रामवासी अस्थायी रूप से तटबंध पर स्वयं आ गये थे, जिसमें से कुछ लोग अवैध रूप से पक्का मकान बनाकर रह रहे हैं।

जी नहीं। अवैध कब्जाधारियों से तटबन्ध को खाली कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

तटबन्ध का पट्टा दिये जाने की कोई नीति नहीं है।

उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ में अभियन्ताओं की तैनाती के संबंध में

79-श्री ओमकार सिंह तथा श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ में प्रतिनियुक्त पर कितने अभियन्ता कब से तैनात हैं उनको नियमों के विरुद्ध प्रखण्डों का चार्ज एम0डी0 द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो इसकी जांच कराकर सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ में कुल 06 अभियन्ता, वर्ष 2009 से 01, वर्ष 2014 से 02, वर्ष 2015 से 01, वर्ष 2017 से 01 एवं वर्ष 2018 से 01 प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 में तैनात एम0डी0 की जांच कराने की मांग

80-श्री ओमकार सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 में पैक्सफेड में सामानों को सप्लाई के लिये वर्तमान में कितनी फर्मे अनुबंधित हैं ? क्या भवनों के निर्माण हेतु सामग्री इन्हीं फर्मों द्वारा बिना टेण्डर व नियमों के विरुद्ध सामान सप्लाई करने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 में सामानों की सप्लाई के लिये वर्तमान में कुल 425 फर्मे पंजीकृत हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर के वि0स0क्षे0 बेहट में सुन्दरपुर से मिर्जापुर मार्ग पर हिन्डन नदी पर पुल के निर्माण का मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

81-श्री नरेश सैनी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट, में सुन्दरपुर में मिर्जापुर मार्ग पर पड़ने वाली हिन्डन नदी पर पुल निर्माण तथा तब्बरकपुर उर्फ उसण्ड से टोडरपुर तक जाने वाले मार्ग के लालू नदी पर पुल का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में सुन्दरपुर- नौरंगपुर मिर्जापुर मार्ग के किमी0 4 से हिण्डन नदी पर 158 मीटर स्पॉन का पुल निर्मित है जिस पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है, तथा लालू नदी के पुल के स्थान पर रपटे का कार्य स्वीकृत है, जिसे पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर के वि0स0क्षे0 बेहट में बाढ़ से रोकथाम के लिये बन्धें का निर्माण की मांग

82-श्री नरेश सैनी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट, जो पर्वतीय क्षेत्र से सटा हुआ है तथा इस पर्वतीय क्षेत्र से होकर 15 नदियां गुजरती हैं, में प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ व कटान से कृषकों को काफी नुकसान होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके रोकथाम के लिये जगह-जगह टक्करें व बन्धों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी हां।

विकास खण्ड सढ़ौली कदीम के अन्तर्गत टोरेन्टस पर स्थित 11 ग्रामों के सुरक्षार्थ क्षतिग्रस्त बाढ़ सुरक्षा कार्यो की पुनर्स्थापना के कार्य की परियोजना'' लागत रु0 381.72 लाख स्वीकृत है एवं रु0 200.86 लाख की धनराशि आवंटित कर दी गयी है। वर्षाकाल के उपरान्त कार्य कराया जायेगा तथा 38 ग्रामों की सुरक्षा हेतु एक अन्य परियोजना भी तैयार की गयी है। इस परियोजना के सक्षम स्तर से अनुमोदित होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के वि0स0क्षे0 बेहट में बरौली से जहानपुर तक मार्ग के चौड़ीकरण का निर्माण कराने की मांग

83-श्री नरेश सैनी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के बरौली से जहानपुर तक मार्ग का चौड़ीकरण कार्य, कुकरीखेड़ा से शाहजहांपुर मार्ग का निर्माण व महमूदपुर तकीपुर से मिर्जापुर ब्लाक मुजफ्फराबाद में सड़क का निर्माण जनहित में सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

बरौली से जहानपुर तक मार्ग का चौड़ीकरण कार्य प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 12.00 कि0मी0 हैं, जो अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। मार्ग की वर्तमान चौड़ाई 3.75 मीटर है तथा मार्ग पर वर्तमान यातायात घनत्व 1780 पी0सी0यू0 होने के कारण चौड़ीकरण के मानकों को आच्छादित नहीं करता है।

कुकरीखेड़ा से शाहजहांपुर मार्ग का निर्माण-प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 4.00 कि0मी0 है, जो कच्चा मार्ग है, परन्तु ग्राम कुकरीखेड़ा व शाहजहांपुर अलग-अलग लेपित मार्गो से जुड़े हुये है। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

महमूदपुर तकीपुर (राजस्व अभिलेखों के अनुसार मौहम्मदपुर ग्रांट) से मिर्जापुर (राजस्व अभिलेखों के अनुसार मिर्जापुर ग्रांट) ब्लाक मुजफ्फराबाद में सड़क का निर्माण मुजफ्फराबाद विकास खण्ड में राजस्व ग्राम मौहम्मदपुर ग्रांट से मिर्जापुर ग्रांट तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 1.70 कि0मी0 है, जो कच्चा मार्ग है, परन्तु मिर्जापुर ग्रान्ट राजस्व ग्राम मौहम्मदपुर ग्रान्ट का मजरा है, जिसकी आबादी 500 से कम है। वर्तमान में ऐसे मजरो को लेपित मार्गो से जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

वि0स0 क्षेत्र खड्डा के रेता उस पार के गांवों शिवपुर, मरचहवा, नरायनपुर आदि दर्जनों गांव को बाढ़ से बचाव के संबंध में

84-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आने वाले जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विपदा से लोग प्रभावित होते हैं ? यदि हां, तो उक्त हेतु बाढ़ के समय रेता उस पार के दर्जनों गांव चारों तरफ पानी से घिर जाते हैं इन गांवों को बाढ़ से बचाने के लिये क्या सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्नगत गांव बड़ी गण्डक नदी के बायें तट पर बाढ़ क्षेत्र में स्थित हैं। नदी का लम्बवत ढलान बायें तट से दायें तट की तरफ है। प्रश्नगत गांव के सामने नदी के दाहिने तट पर छितौनी तटबंध का निर्माण हुआ है। प्रश्नगत गांव बाढ़ क्षेत्र में स्थित होने के कारण गांव को बाढ़ से बचाने हेतु कोई कार्य योजना बनाया जाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र सदर के नगर पालिका परिषद् के वार्ड नं0 17 मुहल्ला सर्फुद्दीनपुर में अवैध निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में

85-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के नगर पालिका परिषद् वार्ड नं0-17 मुहल्ला सर्फुद्दीनपुर के अन्दर गाटा नं0-47 जो पोखरी व 191 में कैलासी देवी का नाम दर्ज हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि सक्षम अधिकारी के बिना अनुमति प्राप्त किये मानचित्र स्वीकृत कराकर अनाधिकृत निर्माण करा लिया गया है, जिससे राजस्व की क्षति भी हुई है ? क्या सरकार उक्त अनाधिकृत निर्माण को हटाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

श्रीमती कैलाशी देवी की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि खतौनी के खाता संख्या 191 में क्रमशः 0.220 व 0.170 हेक्टेयर क्षेत्रफल यानि कुल 390 वर्ग मीटर पर श्री महेन्द्र नाथ यादव व जितेन्द्र नाथ यादव पुत्र केदारनाथ का नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किया गया है। खतौनी के खाता संख्या 191 पर कैलाशी देवी द्वारा अभिलेखानुसार प्राधिकरण के गठन के पूर्व तत्कालीन नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र से वर्ष 1990 में मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। तहसील सदर की आख्या दिनांक 27.08.2018 के अनुसार आराजी संख्या 47 क्षेत्रफल 0.520 कड़ी लगान 4.50 रु0 सतगुरू सेवक पुत्र शीतल प्रसाद निवासी भदुली के नाम जम्मन 08 गाड़ा के रूप में दर्ज कागजात हैं। उक्त गाटा संख्या 47 नानजेड की भूमि है, जो खतौनी के खाता संख्या 35 पर तुलादेवी पत्नी मतेन्द्र निवासी भिलौली व सोहन पुत्र साधू सा0 देह के नाम जम्मन 08 के रूप में दर्ज है। राजस्व विभाग की आख्या के अनुसार वारिसानों द्वारा गाटा संख्या 42 के सम्पूर्ण क्षेत्र पर 0.039 हे0 भूमि पर पक्का मकान बनाकर कब्जा किया गया है एवं अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, आजमगढ़ की आख्या दिनांक 26-08-2018 के अनुसार नलकूप संख्या 1 एजी0 नलकूप कालोनी में स्थित है, की जमीन और नाली पर अतिक्रमण कर कोई निर्माण नहीं किया गया है।

श्री महेन्द्र नाथ यादव व जितेन्द्र नाथ यादव द्वारा स्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त निर्माण किये जाने के कारण आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 व 28 के तहत नोटिस जारी करते हुये वाद योजित किया गया है, जिसकी सुनवाई आजमगढ़ विकास प्राधिकरण में विचाराधीन है। सम्यक् सुनवाई के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र सदर के नगर पालिका परिषद् के वार्ड नं0 17 में स्थित सरकारी नलकूप पर हुये कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में

86-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर, नगर पालिका परिषद वार्ड नं0-17 मुहल्ला सर्फुद्दीनपुर के मकान के सामने से गुजरने वाली सरकारी नलकूप नाली पर महेन्द्र व जितेन्द्र पुत्र स्व0 श्री केदारनाथ द्वारा भवन पर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली को कब्जा मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के नगर पालिका परिषद् के वार्ड नं0 17 मुहल्ला सर्फुद्दीनपुर में राजकीय नलकूप संख्या 01ए0जी0 स्थापित है। राजस्व भू-अभिलेखों में दर्ज नलकूप नाली पर कोई कब्जा कर अतिक्रमण नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा महानगर के एम0जी0 रोड 1 से पंचकुईया, कोठी मीना बाजार, जयपुर हाउस, लोहा मण्डी को जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण करने हेतु

87-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर में एम0जी0 रोड 1 से पंचकुईया, कोठी मीना बाजार, जयपुर हाउस, लोहा मण्डी, मदिया कटरा को जोड़ने वाली सड़क का मास्टर प्लान के अनुसार चौड़ीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मास्टर प्लान के अन्तर्गत सड़कों को चिन्हित करने के संबंध में विकास प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा को निर्देशित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के अन्तर्गत तह0 किरावली में वि0स0 फतेहपुर सीकरी में गुड़ मण्डी स्थित सिंचाई भवन का निरीक्षण कराकर जीर्णोद्धार कराने की जानकारी

88-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की तहसील किरावली के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में गुड़ मण्डी स्थित सिंचाई विभाग के जीर्ण-शीर्ण निरीक्षण भवन का सरकार जीर्णोद्धार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां। जनपद आगरा की तहसील किरावली के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में गुड़ मण्डी स्थित सिंचाई विभाग के जीर्ण-शीर्ण निरीक्षण भवन का जीर्णोद्धार किया जाना प्रस्तावित है।

निरीक्षण भवन के जीर्णोद्धार के लिये परियोजना गठित की जा रही है। परियोजना स्वीकृत उपरान्त धनावंटन प्राप्त होने पर जीर्णोद्धारा का कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के अन्तर्गत तह0 किरावली में वि0स0 फतेहपुर सीकरी में गुड़ मण्डी स्थित क्षतिग्रस्त नहर पुलिया की जीर्णशीर्ण पटरी को सुधारने हेतु

89-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के तहसील किरावली के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में गुड़ मण्डी स्थित क्षतिग्रस्त नहर पुलिया एवं नहर के किनारे की जीर्ण-शीर्ण पटरी का अनुरक्षण कर दशा सुधारने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

धन की उपलब्धता होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा महानगर की पेयजल समस्या के समाधान संबंधी भावी योजना में फतेहपुर सीकरी वि0स0 क्षे0 को जोड़ने के संबंध में

90-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल की समस्या का समाधान करने वाली विस्तृत भावी योजना में भी सम्मिलित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल हेतु कोई विस्तृत योजना विचाराधीन नहीं है।

जनपद सीतापुर के तह0 महमूदाबाद के अन्तर्गत लोहिया गांव धर्मपुर, बजेहरा आदि में निर्माणाधीन सड़कों का कार्य पूर्ण किये जाने की जानकारी

91-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत चयनित लोहिया गांव धर्मपुर बजेहरा तथा शमशाबाद में निर्माणाधीन सड़कों का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम धरमपुर के 09, बजेहरा के 04 तथा शमशाबाद के 10, इस प्रकार कुल 23 सम्पर्क मार्गो के सापेक्ष ग्राम धरमपुर के 09, बजेहरा के 04 एवं शमशाबाद के 08 (कुल 21) सम्पर्क मार्गो का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। शमशाबाद के 02 कार्य प्रगति पर है जिन्हें पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के फेनिल ग्रुप की गोविन्द नगर शुगर मिल द्वारा कर्मचारियों को वेतन भुगतान न करने के सम्बन्ध में

92-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के फेनिल ग्रुप की गोविन्द नगर शुगर मिल के नियमित कर्मचारियों का वेतन फरवरी, 2018 से मिल द्वारा नहीं भुगतान किया गया है तथा सीजनल कर्मचारियों का भी वेतन मिल द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है एवं कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गई जी0पी0एफ0 की धनराशि भी कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 के खाते में जमा नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कर्मचारियों का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

बस्ती जिले में स्थित गोविन्द नगर शुगर मिल्स लिमिटेड (ए यूनिट आफ फेनिल शुगर्स लि0) वाल्टरगंज निजी क्षेत्र की चीनी मिल है, जिसका अपना निजी प्रबन्धतन्त्र है। इस निजी चीनी मिल में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, जी0पी0एफ0 आदि के भुगतान के संबंध में कार्यवाही चीनी मिल के प्रबन्धतंत्र द्वारा, अपने स्तर एवं वित्तीय संसाधनों से किया जाता है। इस संबंध में उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर के द्वारा संबंधित निजी चीनी मिल से लिखित सूचना प्राप्त की गई। तदक्रम में चीनी मिल से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, प्रश्नगत चीनी मिल में कुल 119 नियमित तथा 270 सीजनल कर्मचारी कार्यरत है, जिनके वेतन का भुगतान माह फरवरी, 2018 तक पूर्ण भुगतान तथा मार्च, 2018 का आंशिक भुगतान किया गया है तथा कर्मचारियों के वेतन से माह मार्च, 2018 तक की गई कुल कटौती की धनराशि कर्मचारियों के पी0एफ0 खाते में भेजा जा चुका है। चीनी मिल की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कर्मचारियों के माह मार्च, 2018 के वेतन का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा सका है। चीनी मिल की आर्थिक स्थिति ठीक होने पर ही कर्मचारियों का वेतन एवं पी0एफ0 की धनराशि का भुगतान निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा किया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में सहकारी समितियों के क्षतिग्रस्त भवनों के निर्माण कराने के सम्बन्ध में

93-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में स्थापित किये गये सहकारी समितियों के भवन क्षति ग्रस्त एवं जर्जर हैं जिससे बरसात के दिनों खाद, बीज छत टपकने के कारण खराब हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सहकारी समितियों के भवनों का मरम्मत एवं पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी हां। सहकारी समिति के गोदाम आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिनमें भण्डारित खाद, बीज की संरक्षण/सुरक्षा समितियां स्वयं के संसाधनों से करती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सहकारिता विभाग में गोदाम निर्माण एवं मरम्मत की कोई योजना वर्तमान में स्वीकृत/संचालित नही है।

जनपद गोरखपुर के नगर पंचायत बड़हलगंज, आदि नगर पंचायत को नगर पालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में

94-श्री विनय शंकर तिवारी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर पालिका बनाये जाने के लिये आबादी के सापेक्ष नगर पंचायतों को नगर पालिका बनाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो जिला गोरखपुर के नगर पंचायत बड़हलगंज, उस्का बाजार और गोला को मानक के हिसाब से नगर पालिका बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। नगर पंचायतों को उच्चीकृत कर नगर पालिका परिषद् बनाये जाने एवं नगर पालिका परिषदों का सीमा विस्तार किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या 2212/9-6-14-181 मिस/14 दिनांक 10.11.2014 एवं तत्क्रम में निर्गत संशोधित शासनादेश संख्या 690/नौ-6-18-181मिस/2014 दिनांक 03.04.18 में निर्धारित मापदण्डों के आधार पर जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षोपरान्त उच्चीकरण एवं सीमा विस्तार की कार्यवाही की जाती है।

जनपद गोरखपुर की नगर पंचायत, बड़हलगंज को नगरपालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है। उस्का बाजार नगर पंचायत जनपद गोरखपुर में नही है। नगर पंचायत गोला की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 13,335 है। शासनादेश संख्या 690/नौ-6-18-181मिस/2014 दिनांक 03.04.18 के अनुसार तृतीय श्रेणी की नगर पालिका

बनाने हेतु जनसंख्या 1 लाख से 1.50 लाख के मध्य होनी चाहिए। इस प्रकार नगर पंचायत, गोला नगर पालिका के लिये निर्धारित मानक पूर्ण नहीं कर रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई यांत्रिक में सहा0 अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में

95-श्री संजय गर्ग-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई (यांत्रिक) में सहायक अभियन्ता/ अधिशाषी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता की कमी के बावजूद विभाग के अधिकांश अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर राजकीय निर्माण निगम में भेजा गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त अभियन्ता लगभग 5 वर्षों से भी अधिक समय से नियमों के विपरीत उक्त निगम में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या विभागीय कार्यहित में उन्हें तत्काल उक्त मूल विभाग में वापस बुलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

सिंचाई (यांत्रिक) विभाग से केवल 02 अधिकारी श्री ओम प्रकाश पाठक, अधीक्षण अभियन्ता (यां0) उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम में दिनांक 27.12.2007 से प्रतिनियुक्ति पर हैं।

श्री अजय कुमार यादव, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम में दिनांक 07-10-2016 से प्रतिनियुक्ति पर हैं।

शासन के पत्र सं0 6245/12-सत्तासी-9(8)/10, दिनांक 22-01-2013 द्वारा श्री ओम प्रकाश पाठक, अधीक्षण अभियन्ता (यां0) की उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम में प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 27-12-2014 तक बढ़ायी गयी।

श्री अजय कुमार यादव, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम शासन के ज्ञाप सं0 2669/सत्ताइस-10-16-59/16, दिनांक 17-08-2016 द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्यमुक्त किये गये और 02 वर्ष से कार्यरत हैं।

शासन के पत्र सं0 1850/सत्ताइस-10-16-9(8)/10, दिनांक 15-07-2016 द्वारा श्री पाठक का उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम में संवलियन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर में भगवती आवास समिति लि0 के सहसचिव श्री नरेन्द्र तोमर के पद मुक्त होने पर भी अतिरिक्त सचिव के पद पर बने रहने के खिलाफ जांच/कार्यवाही के सम्बन्ध में

96-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कई आवास समितियों में फर्जी पते दिखाकर सदस्य रहने वाले भगवती सहकारी आवास समिति लि0 सहारनपुर के सहसचिव पद से श्री नरेन्द्र तोमर को दिनांक 16-11-2017 को पद मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो

उसके पश्चात् भी दिनांक 21-12-2017 को अपने को अतिरिक्त सचिव दर्शाकर पत्राचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उनके खिलाफ कोई जांच/कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

भगवती सहकारी आवास समिति लि0 सहारनपुर दिनांक 16.11.2017 के प्रस्ताव संख्या 4 के द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सहायक सचिव (अवैतनिक) को पद से मुक्त/पदच्युत कर दिया गया है।

जी हां।

श्री प्रीतम सिंह, सचिव का पत्र दिनांक 25.1.2018 श्री एन0एस0 तोमर पदमुक्त/पदच्युत वैतनिक सचिव के सम्बन्ध में परिषद कार्यालय में प्राप्त हुआ था, जिसे परिषद् कार्यालय के पत्रांक 6008/सह0 दिनांक 23.02.2018 द्वारा संयुक्त आवास आयुक्त, मेरठ जोन को प्रेषित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महमूदाबाद के अन्तर्गत नगर पालिका महमूदाबाद व टाउन एरिया में दुकानों की नीलामी के सम्बन्ध में

97-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के महमूदाबाद के अन्तर्गत नगर पालिका महमूदाबाद व टाउन एरिया पैतेपुर काफी समय पूर्व निर्मित दुकानों की कई बार नीलामी किये जाने के उपरान्त भी प्रीमियम/किराया ज्यादा होने के कारण नीलामी नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दुकानों का प्रीमियम कम कराकर फ्री नीलामी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नगर पालिका परिषद, महमूदाबाद जनपद सीतापुर में संगठित विकास योजना के अन्तर्गत 8 दुकानों का निर्माण कार्य वर्ष 2010-11 में कराया गया था। दुकानों के नीलामी की कार्यवाही विभाग द्वारा की जाती है। चूंकि निकाय एक स्वायत्तशासी संस्था है। अतः उसे अपनी परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लेने का अधिकार है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर दि किसान सहकारी मिल लिमिटेड महमूदाबाद के कर्मचारियों का 2008 से 2017 तक ग्रेच्युटी का भुगतान किये जाने की मांग

98-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ''किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड'' महमूदाबाद जनपद, सीतापुर के 2008 से 2017 तक की अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सम्पूर्ण ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त का भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी नहीं।

पेराई सत्र 2017-18 के अन्तर्गत चीनी की दरों में अप्रत्याशित गिरावट होने के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा चीनी की बन्धक दरों में कमी कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त चीनी का विक्रय भी नहीं हो सका। वर्ष 2008 से 2017 तक कुल 171 कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की धनराशि रु0 213.80 लाख देय है, जिसमें से 31 कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का 38.76 लाख भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान में शेष 140 कर्मचारियों की ग्रेच्युटी अंकन रु0 175.04 लाख अवशेष है। चीनी मिल आय के आधार पर वरिष्ठता क्रम में लम्बित ग्रेच्युटी भुगतान किये जाने के लिये कृत संकल्पित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की जिला सहकारी बैंकों से खातेदारों को मांग के सापेक्ष पैसा देने की मांग

99-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की जिला सहकारी बैंकों में ग्राहकों का जमा पैसा ग्राहकों की मांग के सापेक्ष नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार खातेदारों का जमा पैसा उनकी मांगों के सापेक्ष दिये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी नहीं।

बैंक की तरलता के दृष्टिगत बैंक ग्राहकों के व्यापक हितों को सुरक्षित करने हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति के अद्यतन निर्णयों के अन्तर्गत जमाकर्ताओं के भुगतान हेतु निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राहकों की मांग के सापेक्ष भुगतान की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में सरयू नहर परियोजना को पूरा कराने की मांग

100-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में निर्माणाधीन सरयू नहर परियोजना को पूर्ण कराकर नहरों से किसानों को पानी मिलेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद गोण्डा में मुख्य रूप से तरबगंज शाखा, गोण्डा शाखा मनकापुर शाखा इटियाथोक शाखा की नहर प्रणालियां निर्माणाधीन हैं। जनपद गोण्डा में चलित नहरों में अत्याधिक गैप होने के कारण किसानों को सिंचाई का पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। वर्तमान में शासन की प्राथमिकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत कृषकों द्वारा आपसी सहमति से नहरों में स्थित गैप की अधिकांश भूमि क्रय कर ली गई है। शेष बची भूमि का बैनामा कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा। इसके साथ ही नहरों के गैप्स की खुदाई का कार्य प्रारम्भ कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना जाना प्रस्तावित है।

परियोजना दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में चन्द्रदीप घाट गौरा चौकी हथियागढ़ मसकनवा सिकन्दरपुर को अयोध्या धार्मिक स्थल से जोड़ने की मांग

101-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के चन्द्रदीप घाट गौरा चौकी, हथियागढ़, मसकनवा, सिकन्दरपुर एवं सिद्धार्थनगर जनपदवसियों को अयोध्या धार्मिक स्थल जाने के लिये 2 लेन मार्ग न होने के कारण आमजनमानस को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को डुमरियागंज से गौराचौकी होते हुए अयोध्या तक 2 लेन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग की लेपित सतह की चौड़ाई 3.00 मी है। मार्ग पर यातायात घनत्व (6363) ज्यादा होने के कारण कभी कभी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

उक्त मार्ग को 2 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने हेतु आंकलित लागत रु0 6315.31 लाख है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा में तैनात जल निगम के अधिशासी अभियन्ता द्वारा इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाने में किये जा रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही हेतु

102-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में तैनात जल निगम 16वीं शाखा के अधिशासी अभियंता द्वारा इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाने के नाम पर

सम्बन्धित ठेकेदारों से 3000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक प्रति हैण्डपम्प स्थापना के नाम पर लिये जाने की शिकायत सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित शिकायत की जांच प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम से करायी जा रही है। यथाशीघ्र जांच आख्या प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ में गड्ढ़ामुक्त किये गये सड़कों के संबंध में

103-श्री सुखदेव राजभर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में गड्ढ़ामुक्त योजना के अन्तर्गत किन-किन सड़कों को गड्ढ़ामुक्त किया गया है तथा कितनी शेष हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद आजमगढ़ में गड्ढ़ामुक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में लक्षित कुल 1716 मार्गों के 2439.90 किमी0 लम्बाई में सड़कों को गड्ढ़ामुक्त किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल लक्षित 467 मार्गों के 1001.07 कि0मी0 के सापेक्ष 773.64 कि0मी0 लम्बाई में दिनांक 24.07.2018 तक सड़कों को गड्ढ़ामुक्त किया गया है। शेष 227.43 कि0मी0 में गड्ढ़ामुक्त की कार्रवाई प्रगति पर है।

जी हां।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के तहसील करछना में स्थित सहकारी साधन समिति, पुरैनी का नाम बदलने के संबंध में

104-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना के अन्तर्गत ग्राम-गधियांव में स्थित सहकारी साधन समिति पुरैनी के नाम दर्ज है ? क्या सरकार सहकारी साधन समिति पुरैनी के स्थान पर सहकारी साधन समिति गधियांव का नाम दर्ज करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी हां।

इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत डायमण्ड डेरी कालोनी, उदयगंज के आवास संख्या ई0डी043 के सामने स्थित नाले का निर्माण हेतु

105-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत डायमण्ड डेरी कालोनी, उदयगंज में आवास संख्या-ई0डी0-43 के सामने सड़क से लगी हुई नाली जर्जर हो जाने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली का जीर्णोद्धार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

सिल्ट भरी होने के कारण आंशिक रूप से जल निकासी अवरुद्ध हो जाती है। नाली की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद वि0स0 क्षेत्र कस्बा डासना के एम0एस0 इण्टरनेशनल पशुवधशाला से निकल रहे दूषित पानी की समस्या के समाधान हेतु

106-श्री असलम अली-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के कस्बा डासना में स्थापित एम0एस0 इण्टरनेशनल पशुवधशाला से निकलने वाला गन्दा पानी आबादी क्षेत्र में भर जाने से वाटर लेवल दूषित होने से लोगों को नई-नई बीमारियां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पशुवधशाला की जांच कराकर हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डासना, जनपद गाजियाबाद के पत्र दिनांक 19.07.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि कस्बा डासना में स्थापित एम0एस0 इण्टरनेशनल पशुवधशाला के गन्दे पानी व दुर्गन्ध से स्थानीय लोगों के बीमार होने से संबंधित कोई प्रमाणित रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के उर्दू बाजार से मंगोरादिला मार्ग पर टोंस नदी पर रपटा पुल का निर्माण हेतु

107-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के जलालपुर नगर पालिका क्षेत्र जनपद अम्बेडकरनगर में उर्दू बाजार से मंगोरादिला जाने के लिये टौंस नदी पर क्या सरकार रपटा पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत स्थल से अप स्ट्रीम में 500 मी0 पर तथा डाउन स्ट्रीम में 6.00 किमी0 पर पूर्व से सेतु निर्मित है। इस प्रकार दोनों ओर 10 किमी0 से कम दूरी पर सेतु स्थित है, जिनसे होकर आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है।

प्रदेश में पापुलर से बनने वाली प्लाईवुड फैक्ट्री लगवाने की जानकारी

108-श्री मसूद अख्तर-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पापुलर पेड़ के किसानों के आय स्रोत बढ़ाने के दृष्टिगत क्या सरकार प्रदेश में पापुलर से बनने वाली प्लाईवुड फैक्ट्री लगवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रदेश सरकार द्वारा काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश, आरामिल की स्थापना एवं विनियमन (षष्ठम संशोधन) नियमावली, 2018 दिनांक 14.03.2018 को जारी कर दी गयी है। इस नियमावली के प्राविधानों के क्रम में काष्ठ आधारित उद्योग के नये लाइसेंस हेतु काष्ठ आधारित उद्योग के आठ श्रेणियों हेतु जिसमें प्लाईवुड फैक्ट्री भी सम्मिलित है, के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये गये हैं। ई-लाटरी के माध्यम से सफल आवेदकों का चयन कर लाइसेंस निर्गत करने की कार्यवाही की व्यवस्था प्राविधानित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में दिलशाद निवासी मुख्य मार्ग, शंकलापुरी रोड की दुकान गलत तरीके से ध्वस्त किये जाने विषयक पत्र सं0 634, दि0 12.01.2018 पर कार्रवाई विषयक

109-श्री मसूद अख्तर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दिलशाद, निवासी-मुख्य मार्ग, शंकलापुरी रोड (बाग के सामने) सहारनपुर द्वारा निर्मित दुकान को सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा

गलत तरीके से बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिये जाने का मुकदमा प्रार्थी को दिलाये जाने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक-634, दिनांक 12-01-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

उक्त पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण का परीक्षण कराया गया जिसमें स्पष्ट हुआ कि श्री दिलशाद द्वारा लगभग 50' X 70' के क्षेत्र में 03 दुकान, गैलरी व हाल का निर्माण किये जाने के विरुद्ध दिनांक 11.08.2017 को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा 26, 27, 28 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 03.08.2017 नियत की गयी। निर्माणकर्ता द्वारा शमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, परन्तु प्रश्नगत निर्माण अवैध कालोनी में होने के कारण नियमानुसार शमन नहीं किया जा सकता था। अतः अवैध निर्माण के विरुद्ध दिनांक 04.12.2017 को ध्वस्तीकरण/सील के आदेश पारित किये गये, जिसकी प्रति निर्माणकर्ता को विधिवत प्रेषित की गयी। उक्त कार्यवाही नियमानुसार की गयी है।

अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में मुआवजा दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नगर महापालिका/नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति ग्रेच्युएटी दिये जाने के सम्बन्ध में

110-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका/नगर महापालिका में कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के एक दिन पूर्व दिवंगत होने की स्थिति में उन्हे मात्र 30000/- ग्रेच्युटी दी जाती है ? क्या सरकार राज्य कर्मचारियों की भांति ग्रेच्युटी नियमावली लागू कर नगरपालिका/नगर महापालिका में कार्यरत कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1168/दस-935-87, दिनांक 22.06.1987 द्वारा सरकारी सेवकों की पेंशन तथा ग्रेच्युटी के आगणन की निर्धारित प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या 44/11-4-89-83-ई-ओ0/85, दिनांक 31.01.1989 द्वारा लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश पालिका (अकेन्द्रीयित) सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन तथा ग्रेच्युटी का लाभ दिये जाने के संबंध में उ0प्र0 पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ (पंचम संशोधन) विनियमावली, 2016 के विनियम 4 द्वारा प्राविधान किया गया है।

प्रदेश में वर्ष 2017-18 में गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान करने हेतु

111-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पेराई-सत्र 2017-18 के गन्ना किसानों का किस माह तक का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है और अभी किसानों का कितने गन्ना मूल्य का भुगतान शेष है ? क्या सरकार बतायेगी कि बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान कब तक किसानों को कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

प्रदेश में पेराई सत्र 2017-18 के अन्तर्गत 119 चीनी मिलों द्वारा गन्ना पेराई का कार्य किया गया है। चीनी मिलों द्वारा अपनी-अपनी पेराई क्षमता के अनुसार (जो मिलवार अलग-अलग होती है) गन्ने की पेराई की जाती है तथा अपनी भुगतान क्षमता के अनुसार समय-समय पर गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाता है। चूंकि चीनी मिलों द्वारा अपनी भुगतान क्षमता के अनुसार पृथक-पृथक तिथियों में भुगतान किया जाता है, अतः पूरे प्रदेश में किसी विशेष माह तक भुगतान संसूचित किया जाना यथार्थपरक नहीं है। इसी क्रम में दिनांक 20-08-2018 तक की समेकित स्थिति के अनुसार प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2017-18 के अन्तर्गत कुल देय गन्ना मूल्य रु0 35,454.79 करोड़ के सापेक्ष रु0 24,932.64 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका है एवं वर्तमान में रु0 10,622.15 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है।

अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु बकायेदार चीनी मिलों को दिनांक 30-11-2017, 02-02-2018, 13-04-2018, 07-05-2018, एवं 29-06-2018 को नोटिसे निर्गत की गई है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर आहूत समीक्षा बैठकों में भी गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान कराये जाने हेतु बकायेदार चीनी मिलों को निर्देशित किया गया है। राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु पूर्णतः सजग एवं कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लखनऊ को स्वच्छ बनाने हेतु चीन की कम्पनियों से करार किये जाने के सम्बन्ध में

112-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के उद्देश्य से चीन देश की किन-किन कम्पानियों से क्या-क्या करार किया गया ? क्या सरकार इन कम्पानियों/देशों को कौन-कौन सी व्यापारिक छूट प्रदान की जायेगी ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रदेश की राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के उद्देश्य से चीन की किसी भी कम्पनी से कोई करार नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ के वि0स0क्षे0 डासना में मकदूम शरीफ के पास नाले के नवनिर्माण के सम्बन्ध में

113-श्री असलम अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना के कस्बा डासना में मकदूम शरीफ के पास का नाला क्षतिग्रस्त है और उस पर पुल जर्जर होने से लोगों को आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले व पुल का नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

नाला सही स्थिति में है। पुल की स्लैब व पैरापिट क्षतिग्रस्त हो गयी है तथा वर्तमान में पुल से आवागमन निरन्तर हो रहा है। पुल की मरम्मत का कार्य कराया जायेगा। आगामी दो माह में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के वि0स0क्षे0 डासना में अवैध पशुबधशाला के विरुद्ध कार्रवाई हेतु

114-श्री असलम अली-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के कस्बा डासना में स्थापित अलनफीस पशुबधशाला से निकलने वाले गन्दे पानी व दुर्गन्ध से स्थानीय लोग बीमार हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त पशुबधशाला के खिलाफ कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डासना, जनपद गाजियाबाद के पत्र दिनांक 19.07.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि कस्बा डासना में स्थापित अलनफीस पशुबधशाला के गन्दे पानी व दुर्गन्ध से स्थानीय लोग के बीमार होने से संबंधित कोई प्रमाणित रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ अन्तर्गत एल्डिको उद्यान-2 में लेकव्यू अपार्टमेन्ट तक सड़क की मरम्मत कराने हेतु

115-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत एल्डिको उद्यान-2 में रायबरेली रोड से शिव मन्दिर होते हुए लेकव्यू अपार्टमेंट तक लगभग 100 मीटर

रोड की मरम्मत/डामरीकरण की प्रस्तावित धनराशि अवमुक्त कर दी गई है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त है। मार्ग के डामरीकरण/सुधार हेतु प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। उक्त कार्य पर रु0 9.95 लाख का व्यय होना सम्भावित है। वर्षाकाल पश्चात प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृतोपरान्त कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर सदर विधान सभा क्षेत्र में राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत 2017-18 में सम्पर्क मार्गों के निर्माण की स्वीकृति के संबंध में

116-श्री पल्टूराम-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कितने सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र सदर को वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण के 35 कार्य जिनकी लम्बाई 66.05 किमी0, लागत रु0 563.89 लाख, विशेष मरम्मत के 19 कार्य जिनकी लम्बाई 29.46 किमी0, लागत रु0 339.32 लाख एवं नवनिर्माण का 01 कार्य जिसकी लम्बाई 0.70 किमी0 एवं लागत रु0 21.39 लाख है, की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विवरण संलग्न†है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ से निजात दिलाने हेतु तटबन्धों की मरम्मत कराने हेतु

117-श्री पल्टूराम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर में बाढ़ से निजात पाने के लिये राप्ती नदी पर तटबन्धों की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

---

†देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ संख्या 274 पर

अनुरक्षण मद से तटबंधों को सुरक्षित रखने हेतु एम0एल0टी0डी0 तटबंध पर आवश्यक स्थानों पर उच्चीकरण का कार्य, बेलहा गांव के समीप तटबंध के कटे भाग को जोड़ने का कार्य, ग्राम ककरा के निकट लूप कटिंग का कार्य, कोड़री घाट के पुल पर एफलक्स बांध एवं गाइड बंधे को सुरक्षित रखते हेतु छोटे-छोटे कटर का निर्माण कार्य, नौबस्ता गांव के समीप किमी0 8.100 व 8.400 पर स्पर की मरम्मत का कार्य, रजवापुर गांव के समीप सुरक्षात्मक कार्य, कोलवा गांव के निकट बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो रहे स्पर की मरम्मत का कार्य तथा तटबंधों पर हुये रेनकट्स व पाट होल्स को भरने का कार्य कराया गया है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर आगे भी कार्य कराया जायेगा। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद में स्वीकृत बाईपास के निर्माण कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण किये जाने हेतु

118-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में स्वीकृत बाईपास के लिये भूमि का अधिग्रहण कर उस पर मिट्टी लेपन तक कार्य किया गया है ? यदि हां, तो क्या लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है भूमि अधिग्रहण कर आंशिक रूप से मिट्टी का कार्य 700 मी0 लम्बाई में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1989 में अधिग्रहण हेतु बची धनराशि से कराया गया था तदोपरान्त 200 मी0 लम्बाई में मिट्टी पटाई का कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग सीतापुर/विकास खण्ड महमूदाबाद की संयुक्त टीम द्वारा मनरेगा पद्धति से कराया गया है। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद की आबादी एक लाख से कम होने के कारण उक्त मार्ग एक लाख से अधिक आबादी वाले बाईपास योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में शुगर केन कण्ट्रोल एक्ट के तहत केन्द्र सरकार द्वारा रिकवरी के सम्बन्ध में

119-श्री मसूद अख्तर-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शुगर केन कण्ट्रोल एक्ट के तहत केन्द्र सरकार द्वारा रिकवरी के संदर्भ में प्रतिवर्ष जारी शासनादेश जिसमें कि 9.50 प्रतिशत से ऊपर की रिकवरी में प्रति प्वाइंट इन्सेंटिव दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसका अनुपालन प्रदेश में कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त रिकवरी में अभी तक कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी नहीं।

शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 के प्राविधानों के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष हेतु गन्ने का ''उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ0आर0पी0)'' निर्धारित की जाती है, जिसमें निर्दिष्ट रिकवरी प्रतिशत में आंशिक वृद्धि के आधार पर सापेक्षिक रूप से उक्त एफ0आर0पी0 दर परिवर्तनीय होती है, जबकि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक गन्ना पेराई सत्र हेतु राज्य सरकार द्वारा गन्ने का ''राज्य परामर्शित मूल्य (एस0ए0पी0) निर्धारित किये जाने की प्रक्रिया प्रचलित है, जिसमें रिकवरी के आधार पर इन्सेंटिव दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2004 में केन्द्र सरकार द्वारा जारी शुगर केन कन्ट्रोल एक्ट में गन्ना मूल्य के भुगतान 14 दिन में किये जाने विषयक जानकारी

120-श्री मसूद अख्तर-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004 में केन्द्र सरकार द्वारा जारी शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 के क्लाज 3 में वर्णित प्राविधान के अनुसार 14 दिन से ज्यादा की अवधि में मिल द्वारा गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने पर उनको ब्याज सहित गन्ना मूल्य दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश का अनुपालन करते हुए इस वित्तीय वर्ष में कुल कितना गन्ना मूल्य किसानों को ब्याज सहित भुगतान कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

केन्द्र सरकार द्वारा शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 के उपबन्ध 3 (3-ए) एवं उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 17 (3) में वर्णित प्राविधान के अनुसार 14 दिन से ज्यादा की अवधि में मिल द्वारा गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने पर उनको ब्याज सहित गन्ना मूल्य दिये जाने का प्राविधान है।

पेराई सत्र 2017-18 में देय हुये गन्ना मूल्य के सापेक्ष चीनी मिलों द्वारा अभी पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाती है, जिसके अनुसार गन्ने की आपूर्ति से देय गन्ना मूल्य का चीनी मिलों द्वारा पूर्ण भुगतान करने की तिथि के आधार पर विलम्बित गन्ना मूल्य पर अधिरोपित किये जाने वाले ब्याज का अन्तिम रूप से आगणन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के प्रमुख मार्ग बस्ती से डुमरियागंज मार्ग पर अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में

121-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती का बस्ती से डुमरियागंज मार्ग पर मुख्य बाजारों में सड़क के पटरियों पर टैक्सी, ठेला लगाने वालों तथा पटरी दुकानदार द्वारा मार्ग की पटरियों पर अतिक्रमण कर जाम की समस्या पैदा होने से लोगों को असुविधा हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पर अतिक्रमण हटा कर आवागमन को सुलभ करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पाण्डेय बाजार स्थित बस्ती से डुमरियागंज मार्ग पर पालिका सीमा मात्र एक किलोमीटर है। पाण्डेय बाजार शहर का पुराना थोक व्यावसायिक क्षेत्र है, जहाँ पर भारी माल वाहन रोड पटरी पर माल लादते व उतारते हैं, जिस पर अस्थायी अतिक्रमण होने से जाम की समस्या उत्पन्न होती है।

अस्थायी अतिक्रमण समय-समय पर मुनादी कराकर पुलिस प्रशासन के सहयोग से हटाया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में डुमरियागंज मार्ग के बैड़ानाला के पास से समय माता मन्दिर भानपुर तक मार्ग की मरम्मत हेतु

112-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के बस्ती डुमरियागंज मार्ग के बैड़ानाला के पास से समय माता मन्दिर भानपुर के जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 500 मी0 है। जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग पर विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया हैं वर्तमान में मार्ग की दशा संतोषजनक है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के तहसील मछलीशहर में बाहरपुर माइनर से जमुहर-अमारा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में

123-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद की तहसील मछलीशहर स्थित ग्राम सभा बाहरपुर माइनर से सरायबीका होते हुए जमुहर अमारा माइनर तक (लम्बाई 22 किमी0) की सड़क जो कि वर्ष 2005 में निर्माण हेतु स्वीकृत थी तथा गिट्टी डालकर निर्माण प्रारम्भ कराया गया था को पूर्ण किये बिना ही रोक दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त का पुनः निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

चालू वित्तीय वर्ष में बजट का प्राविधान किया गया है। अतः यह कार्य इसी वित्तीय वर्ष में करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के वि0ख0 मुंगरा बादशाहपुर के ग्राम चन्दौकी में राजकीय नलकूप की स्थापना हेतु

124-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुंगरा बादशाहपुर की ग्राम सभा चन्दौकी में सिंचाई की गम्भीर समस्या को देखते हुए राजकीय नलकूप सरकार स्थापित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

डॉ0 राम मनोहर लोहिया 2000 नवीन नलकूप निर्माण परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में जनपद जौनपुर में प्रस्तावित 27 नवीन नलकूपों की कार्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मुंगरा बादशाहपुर की ग्राम सभा चन्दौकी का चयन जिला नलकूप स्थल चयन समिति द्वारा कर लिया गया है। नलकूप का निर्माण वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के वि0स0 क्षेत्र तिंदवारी में राजकीय नलकूपों को रिबोर कराने की माँग

125-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिंदवारी में सिंचाई हेतु कितने सरकारी राजकीय नलकूप हैं उनमें से कितने संचालित हैं और कितने संचालित नहीं हैं ? क्या सरकार बन्द पड़े राजकीय नलकूपों को रिबोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्मपाल सिंह-

जनपद बाँदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी में कुल 468 राजकीय नलकूप स्थापित हैं, जिनमें से 400 राजकीय नलकूप संचालित हैं। 38 नलकूप असफल, 09 राजकीय नलकूप परित्याग की श्रेणी में एवं 21 नलकूप सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित है।

वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के असफल नलकूपों के पुनःनिर्माण की प्रचलित परियोजना के अन्तर्गत जनपद बाँदा हेतु आवंटित 25 असफल नलकूपों के पुनःनिर्माण के प्राविधान में से वर्ष 2017-18 में तिन्दवारी विधान सभा क्षेत्र के 07 असफल राजकीय नलकूपों का पुनःनिर्माण कराकर उन्हें सिंचाईरत कर दिया गया है। वर्ष 2018-19 में तिन्दवारी विधान सभा क्षेत्र के 08 असफल राजकीय नलकूपों के पुनःनिर्माण का कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के वि0स0 क्षेत्र तिंदवारी में बन्द नहरों को संचालित करवाने की माँग

126-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिंदवारी में सिंचाई हेतु कितनी नहरें हैं कितनी नहरें संचालित हैं तथा कितनी नहरें बन्द हैं ? क्या सरकार बन्द नहरों को संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्मपाल सिंह-

जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिंदवारी में 24 नहरें हैं।

24 नहरें संचालित हैं।

जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिंदवारी में कोई भी नहर बन्द नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

127-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

[दिनांक 28-8-2018 को अता0प्र0स0-195 द्वारा उत्तरित]

जनपद बांदा के वि0स0 क्षेत्र तिंदवारी में शासन द्वारा मिले हैंडपम्पों को लगवाने के सम्बन्ध में

128-श्री बजेश कुमार प्रजापति-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र 232, तिंदवारी, जनपद बांदा में शासन द्वारा जो 100 हैंडपम्प मिले थे, उनमें से जल निगम द्वारा कितने हैंडपम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं और कितने शेष हैं तथा बचे हुए हैंडपम्पों को लगाने में कितना समय लगेगा ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कुल 100 नग हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के लक्ष्य के सापेक्ष 100 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जा चुके हैं।

जनपद अलीगढ़ में सिंचाई विभाग के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

129-श्री दलवीर सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में सिंचाई विभाग के कौन-कौन से मार्ग क्षतिग्रस्त हैं ? क्या सरकार इन मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्मपाल सिंह-

जनपद अलीगढ़ में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत ऊपरी गंगा नहर के किमी0 247.880 से किमी0 262.936 एवं किमी0 262.950 से किमी0 291.940, दाऊपुर माइनर के किमी0 0.00 से किमी0 3.250, कोल राजवाह के किमी0 26.300 से किमी0 33.250, हरदुआगंज राजवाह के किमी0 0.00 से किमी0 3.400 एवं किमी0 16.00 से किमी0 42.640, भवन खेड़ा माइनर के किमी0 0.00 से किमी0 1.600, अलहदादपुर माइनर के किमी0 0.600 से किमी0 2.00 एवं माचुआ राजवाह के किमी0 0.00 से किमी0 26.070 तक सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हैं।

जी हाँ।

सिंचाई विभाग की नहरों की पटरियों की विशेष मरम्मत कराने की परियोजनाएं जिनमें उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग सम्मिलित हैं, मुख्य अभियन्ता समिति की विशेष बैठक दिनांक 02-12-2017 में अनुमोदित हो चुकी हैं। वर्ष 2017-18 में उक्त मार्गों की परियोजनाओं की लागत अनुमोदित हो गयी है एवं परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। धनावंटन होने पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के तहसील गभाना के ग्राम दौरऊ में रेल उपरिगामी सेतु पर पहुँच मार्ग का निर्माण कराने हेतु

130-श्री दलवीर सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ग्राम दौरऊ, तह0 गभाना पर एन0एच0-91 से चण्डौस मार्ग पर प्रस्तावित रेल उपरिगामी सेतु सम्पार सं0-120 बी0 रेलवे वर्क्स प्रोग्राम 2014-15 में स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि सेतु पर पहुंच मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

जनपद अलीगढ़ में टुण्डला-गाजियाबाद रेल सेक्शन के किमी0 1351/20-22 जी0टी0 रोड-चण्डौस मार्ग पर सम्पार सं0-120बी/3-ई पर रेल उपरिगामी सेतु का विस्तृत प्रारम्भिक आगणन लागत रु0 3802.91 लाख का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में उतरौला बलरामपुर से भगवतीगंज चौराहा तक मार्ग बनाने विषयक

131-श्री पल्टूराम-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के उतरौला-बलरामपुर मुख्य मार्ग को भगवतीगंज चौराहे तक सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग की स्वीकृति शासनादेश संख्या-42/2016/395(1)/23-11-2015-1/2(191)/15 लखनऊ दिनांक 11-03-2016 द्वारा दी गयी है तथा कार्य प्रगति पर है। कार्य को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में उतरौला बलरामपुर से बीरविनय चौराहा तक मार्ग बनाने विषयक जानकारी

132-श्री पल्टूराम-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा-बलरामपुर मार्ग को बीरविनय चौराहे तक सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

गोण्डा-बलरामपुर मार्ग की कुल लम्बाई 38.790 किमी0 (फरेन्दा जरवल मार्ग 1ए के चैनेज 149.200 से 187.990 तक) है। वीर विनय चौराहा इस मार्ग के किमी0 150 में स्थित है। मार्ग हेतु सी0सी0 निर्माण कार्य स्वीकृत है। वर्तमान में 27.00 किमी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण है तथा अवशेष कार्य प्रगति में है, जिसे पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के वि0स0क्षे0 बलरामपुर सदर के अन्तर्गत गुमड़ी श्रीदत्तगंज मार्ग स्थित चवई नाले पर पुल बनाने विषयक

133-श्री पल्टूराम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अन्तर्गत गुमड़ी श्रीदत्तगंज मार्ग स्थित चवई नाले पर पुल सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चवई नाला 'लो-लैण्ड' स्थल है। इससे आस-पास क्षेत्र के वर्षा का पानी निकलता है। इस स्थल पर लोक निर्माण विभाग द्वारा ह्यूम पाइप डाल कर रपटा बनाया गया है।

जनपद गोण्डा के वि0स0क्षे0 बलरामपुर सदर के अन्तर्गत फुलवरिया बाईपास पर रेलवे उपरिगामी सेतु के निर्माण विषयक

134-श्री पल्टूराम-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अन्तर्गत फुलवरिया बाईपास पर रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु परियोजना की लागत व्यय-वित्त समिति द्वारा रु0 2038.12 लाख आंकलित की गयी है। रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों से खरीदे गये आलू से सरकार को हुए मुनाफे के सम्बन्ध में

135-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आलू किसानों से जो आलू खरीदा गया था वह कुल कितने कुन्टल व कितने धनराशि का था ? क्या विभाग द्वारा पूरा आलू बेचा जा चुका है ? यदि हां, तो कुल खरीदे हुए आलू से कर्मचारियों का वेतन, कोल्ड स्टोरों का भाड़ा/किराया आदि निकालकर सरकार को कितना मुनाफा हुआ है ?

श्री दारा सिंह चौहान-

बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018 में 02 लाख मीट्रिक टन रु0 549 प्रति कुन्टल की दर से किसानों से आलू खरीद का लक्ष्य निर्धारित था, किन्तु प्रदेश की मण्डियों में आलू का थोक बाजार भाव हस्तक्षेप मूल्य 549 प्रति कुन्टल से निरन्तर अधिक रहने के कारण किसानों द्वारा विक्रय हेतु आलू क्रय केन्द्रों पर नहीं लाया गया, इसलिए नामित क्रय एजेन्सियों द्वारा आलू की खरीद नहीं की गयी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत पैतेपुर पुल से केशरवारा डामर रोड को पूर्ण निर्माण कराने के सम्बन्ध में

136-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि त्वरित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में सीतापुर जनपद की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत पैतेपुर पुल से केशरवारा डामर रोड का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

त्वरित योजना के गतिशील कार्यों को नियोजन विभाग के स्तर से वित्त पोषण की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के स्तर से कार्य हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने हैं। कार्य का निष्पादन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के वि0स0क्षेत्र कस्बा डासना में चल रहे अल नासिर पशुबधशाला की जांच एवं उसके विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक जानकारी

137-श्री असलम अली-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के कस्बा डासना में स्थापित अल नासिर पशुबधशाला का गन्दा पानी व दुर्गन्ध से स्थानीय लोग बीमार हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पशुबधशाला की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डासना, जनपद गाजियाबाद के पत्र दिनांक 19-07-2018 द्वारा सूचित किया गया है कि कस्बा डासना में स्थापित अल नासिर पशुबधशाला के गन्दे पानी व दुर्गन्ध से स्थानीय लोगों के बीमार होने की कोई प्रमाणित रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ के वि0स0 क्षेत्र धौलाना के कस्बा डासना में आइडियल स्कूल से कल्लुगढ़ी तक निर्माण नाले की सफाई कराने हेतु

138-श्री असलम अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र डासना में आइडियल स्कूल से कल्लुगढ़ी तक नाला जर्जर होने से नाले में पानी की निकासी नहीं हो पाती और नाले में पड़ने वाला पानी आबादी में भर जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले की सफाई/पूर्ण निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नहीं उठता। नाला जर्जर स्थिति में नहीं है तथा आबादी में जल भराव जैसी स्थिति नहीं है तथा नाले में जल प्रवाह निरन्तर हो रहा है।

सेक्टर एम0 कानपुर योजना लखनऊ के आवास संख्या ई0-135 से ई0-150 तक के सामने पार्क पर हुये अबैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में

139-श्री पारसनाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित सेक्टर एम, कानपुर रोड योजना, लखनऊ के आवास संख्या ई-135 से ई-150 तक के सामने पार्क व पीछे की सड़क पर आवंटियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनाधिकृत कब्जा को हटाने एवं सड़क व पार्क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

लखनऊ नगर स्थित सेक्टर-एम, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीन है। नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को प्रश्नगत कार्य के लिये सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 सहकारी निर्माण संघ लि0 लखनऊ के एम0डी0 के सम्बन्ध में दिनांक 16-05-2018 को दिये गये पत्र पर कार्यवाही हेतु

140-श्री पारसनाथ यादव तथा श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने उ0प्र0 राज्य सहकारी निर्माण संघ लि0, लखनऊ के वर्तमान एम0डी0 के सम्बन्ध में एक पत्र दिनांक 16-05-2018 को मुख्य मंत्री व मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को दिया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी हाँ।

प्रश्नगत शिकायत की पुष्टि करा ली गयी है। शिकायती-पत्र पर श्री धीरेन्द्र सिंह, अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक/प्रबन्ध निदेशक, पैक्सफेड का भी पक्ष प्राप्त किया गया है। अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती में सरयू नहर परियोजना के तहत बने देवछुवा नाले पर बने पुल को चालू कराने विषयक

141-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में सरजू नहर परियोजना के अन्तर्गत सल्टौआ गोपालपुर विकास खण्ड के अजगेबा जंगल व गौर विकास खण्ड के पड़री

ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिये वित्तीय वर्ष 2002-2003 में देवछुआ नाले पर पुल का निर्माण कराया गया था परन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा 15 वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक उक्त नाले पर बने पुल का एप्रोच न बनाये जाने के कारण पुल का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त देवछुआ नाले पर पुल व आवागमन हेतु एप्रोच का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

142-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[02 मंगलवार के अता0 प्र0सं0-184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सीतापुर के वि0स0 क्षेत्र मोहाली में फसलों के विकास के लिये संचालित योजनाओं को आवंटित बजट की जानकारी

143-श्री शशांक त्रिवेदी-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के महोली में उद्यान की फसलों के विकास के लिये कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं एवं पिछले पांच वर्षों से संचालित योजनाओं के लिये कितना बजट आवंटन हुआ है एवं कितने कृषकों को किस-किस योजना का क्या-क्या लाभ दिया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जनपद सीतापुर के महोली विकास खण्ड में उद्यान की फसलों के विकास के लिए प्रमुख रूप से एकीकृत बागवानी विकास मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों हेतु औद्यानिक विकास, पान विकास आदि योजनायें संचालित रही हैं।

पिछले पांच वर्षों में जनपद सीतापुर में संचालित योजनाओं के लिए धनराशि रु0 7,20,11,764 आवंटन हुआ, जिसके सापेक्ष रु0 5,73,49,551 व्यय किया गया। इस अवधि में महोली के 204 लाभार्थी कृषकों को एकीकृत बागवानी विकास मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों हेतु औद्यानिक विकास योजना, पान विकास योजना का लाभ प्रदान करते हुए 93.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बागवानी विकास पर धनराशि रु0 18,00,361 का लाभ दिया गया।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर वि0स0 क्षेत्र महोली में निर्माण किये गये तालाबों के गहरीकरण एवं सौन्दर्यीकरण पर खर्च की गयी राशि की सूची देने विषयक

144-श्री शशांक त्रिवेदी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की महोली विधान सभा क्षेत्र में नवीन तालाबों के निर्माण के प्रस्ताव विभागीय कार्य योजना अथवा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी विगत पांच वर्षों में महोली विधान सभा क्षेत्र में तालाबों के रख-रखाव, गहरीकरण, जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है ? यदि हां, तो तालाबों के नाम/ग्राम सहित लागत राशि की सूची सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग द्वारा नवीन तालाबों के निर्माण की कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है। सामान्यतः नवीन तालाबों का निर्माण ब्लाक स्तर पर कराया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग द्वारा नवीन तालाबों के निर्माण की कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है। सामान्यतः नवीन तालाबों का निर्माण ब्लाक स्तर पर कराया जाता है।

जनपद बांदा के वि0स0 क्षेत्र तिन्दवारी के यमुना नदी में बनी जौहरपुर पम्प कैनाल को पुनः संचालित किये जाने हेतु

145-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी के अन्तर्गत यमुना नदी पर बनी जौहरपुर पम्प कैनाल, नदी की जल धारा दूर हो जाने के कारण वर्षों से बन्द है और सिंचाई के अभाव में किसानों के सैकड़ों एकड़ खेत प्रति वर्ष परती पड़ जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पम्प कैनाल को पुनः संचालित कराने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद बाँदा के विधान सभा क्षेत्र-तिन्दवारी के अन्तर्गत यमुना नदी पर बनी जौहरपुर पम्प कैनाल (क्षमता 20 क्यूसेक) यमुना नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यमुना नदी की मुख्य धारा लगभग 1.50 किमी0 दूर चले जाने के कारण पम्प नहर का संचालन प्रभावित हो रहा

था। वर्तमान में वर्षा हो जाने के फलस्वरूप धारा पुनः अपने मूल स्थान से प्रवाहित होने लगी है। पर्याप्त वर्षा हो जाने के फलस्वरूप नहर पर सिंचाई की माँग नहीं है। कृषकों द्वारा माँग होने पर पम्प नहर का संचालन करते हुये माँग के अनुरूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के वि0स0 क्षेत्र तिन्दवारी में नलकूपों के रि-बोर न होने के विरुद्ध सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु

146-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के तिन्दवारी विधान सभा क्षेत्र ब्लाक तिन्दवारी को डार्क जोन से मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि अभी तक सहर फेल राजकीय नलकूपों को पुनर्निर्माण (रि-बोर) की सूची में शामिल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार फेल नलकूपों को रि-बोर कराने की सूची में शामिल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

शासनादेश सं0-01/2018/45/62-1-2018-04 आर0/2009, दिनांक 10-01-2018 के अनुसार जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी को सेमीक्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे की स्थिति के दृष्टिगत गठित 75 असफल नलकूपों के पुनःनिर्माण की परियोजना के अन्तर्गत विकास खण्ड तिन्दवारी के असफल नलकूपों में से वर्ष 2017-18 में 02 राजकीय नलकूपों का पुनःनिर्माण कराया जा चुका है। वर्ष 2018-19 में 03 राजकीय नलकूपों एवं 2019-20 में 01 राजकीय नलकूप का पुनर्निर्माण प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद के गांधी पार्क खुराना गेट में स्थित शौचालय को ठीक कराने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त को दिये गये पत्रांक ख-6 नं0-318491 दिनांक 28-04-2018 पर कार्यवाही हेतु

147-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के गांधी पार्क खुराना गेट में स्थित सार्वजनिक शौचालय जर्जर स्थिति में होने के चलते इसके समीप सैकड़ों की संख्या में निवास करने वाले इसी शौचालय पर निर्भर गिहार समाज के नागरिकों के साथ-साथ प्रतिदिन पार्क में टहलने आने वाले हजारों नगरवासियों को असुविधा के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं नगर आयुक्त नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र संख्या ख-6 नं0 318491, दिनांक 28-04-2018 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

नगर निगम, फिरोजाबाद के गांधी पार्क खुराना गेट में स्थित सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत अतिशीघ्र कराने के साथ ही उसके समीप स्थित भूमि पर एक अतिरिक्त सार्वजनिक शौचालय भी बनाया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा सचिव उ0प्र0 शासन को प्रेषित पत्र सं0-1179/स्था0नि0/ शासन सन्दर्भ/2018, दिनांक 20-02-2018 पर कार्यवाही हेतु

148-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा सचिव, उ0 प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-6, लखनऊ को प्रेषित पत्र संख्या-1179/ स्था0नि0/शासन संदर्भ/2018, दिनांक 20-02-2018 जो कि नगर निगम सीमा से सटी श्रीराम कालोनी के नागरिक जो वर्तमान में न तो ग्राम सभा के अन्तर्गत आते हैं और न ही नगर निगम के अन्तर्गत आते हैं तथा इसके चलते यहां पिछले अनेक वर्षों से विकास कार्य पूर्णतः अवरुद्ध पड़े होने के कारण आये दिन धरना, विरोध, प्रदर्शन होने की घटनाओं के चलते नगर निगम सीमा के अन्तिम क्षेत्र से बहुत अन्दर घनी आबादी में बसे श्रीराम कालोनी आदि क्षेत्र को नगर निगम में सम्मिलित कर यहां के नागरिकों को आधारभूत अवस्थापना सुविधायें प्रदान कराने विषयक हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नगर निगम फिरोजाबाद का सीमा विस्तार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव जिलाधिकारी, फिरोजाबाद से प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

149-श्री अजय कुमार लल्लू-

[02 मंगलवार के अता0 प्र0सं0-183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ के जानकीपुरम स्थित आवास सं0 645ए/83 से 645ए/124 के सामने सड़क निर्माण के सम्बन्ध में

150-श्री पारसनाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित सी0 आई0, जानकी बिहार कालोनी, जानकीपुरम् स्थित आवास संख्या-645ए/83 से 645ए/124 के सामने सड़क निर्माण हेतु दिनांक 26-4-2018 को नगर विकास मंत्री द्वारा मण्डलायुक्त, लखनऊ को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो सड़क निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

प्रश्नगत कालोनी अनियोजित एवं प्राइवेट सोसायटी द्वारा छोटे-छोटे भूखण्ड काटकर बसाई गयी है, जिसका तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है। कार्य की आवश्यकतानुसार आंगणन तैयार करा लिया गया है। धन उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ स्थित रतन खण्ड आवासीय योजना के पार्क सं0 10 की सफाई एवं मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

151-श्री पारसनाथ यादव तथा श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित रतन खण्ड आवासीय योजना, लखनऊ के पार्क संख्या 10 की मरम्मत, सफाई व पेड़ लगाने आदि का कार्य क्या सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

पार्क के सुधार एवं मरम्मत कार्य हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है। पार्क की क्षतिग्रस्त दीवार, प्लास्टर के सुधार, रंगाई-पुताई, ग्रिल के कार्य के साथ पाथवे आदि के लिए आगणन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ के वर्तमान एम0डी0 के विरुद्ध चल रही जाँचों के सम्बन्ध में

152-श्री पारसनाथ यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ के वर्तमान एम0डी0 के विरुद्ध जांच विषयक पत्र दिनांक 16-5-2018 आपको व सचिव, सहकारिता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी हां।

अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के वि0 स0 क्षेत्र बबीना के चिरगांव नगर पालिका में जल आपूर्ति हेतु ट्यूबेलों की संख्या बढाने हेतु

153-श्री राजीव सिंह "पारीछा"-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की बबीना विधान सभा क्षेत्र के चिरगांव नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु कई वर्षों पूर्व स्थापित ट्यूबवेल से जनसंख्या वृद्धि के कारण सभी को पेयजल हेतु पानी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में पेयजल आपूर्ति हेतु ट्यूबवेलों की संख्या बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के चिरगांव नगर पालिका परिषद हेतु 25 एच0पी0 क्षमता के 02 नग मोटर लगे हुए हैं, जो चालू हालत में हैं तथा उनसे 620 के0एल0 क्षमता के ओवर हेड टैंक के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त चिरगांव नगर में 115 नगर इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जो चालू स्थिति में हैं।

उक्त कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद के छजलैट-बिजनौर मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने हेतु

154-श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नु)-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में छजलैट-बिजनौर मार्ग (एस0एच0-76) के कि0मी0 64 वाया शेरपुर एतमाधपुर घनौरा, अमरोहा, कांठ मार्ग अति संकरा एवं क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। वर्तमान में मार्ग क्षतिग्रस्त नहीं है तथा सुगम यातायात हेतु उपलब्ध है। मार्ग की लेपित सतह की चौड़ाई 3 मी0 है।

चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद अमरोहा बन्द पड़ी चीनी मिल को चालू किये जाने के हेतु

155-श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नु)-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अमरोहा में गन्ना सीजन 2018-19 में गन्ने की पैदावार वर्तमान वर्ष से बहुत अधिक है एवं इस गन्ना बाहुल्य क्षेत्र में पूर्व सरकार द्वारा बेची गई शुगर मिल बन्द पड़ी है ? क्या वर्ष 2018-19 में सरकार अमरोहा में चड्ढा ग्रुप की बेची गई शुगर मिल को चलवाने हेतु प्रयास करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी हां।

चीनी निगम की समस्त चीनी मिलों के निजीकरण/बिक्रय किये जाने के शासनादेश दिनांक 04-06-2007 के क्रम में शासनादेश दिनांक 02-07-2010 द्वारा अमरोहा चीनी मिल का बिक्रय/हस्तान्तरण मेसर्स वेव इन्डस्ट्रीज लि0 को कर दिया गया था।

मेसर्स वेव इन्डस्ट्रीज लि0 (चड्डा ग्रुप) के अधीन बन्द पड़ी अमरोहा चीनी मिल को चलवाने हेतु चीनी निगम द्वारा अपने पत्र दिनांक 06-05-2017, 13-06-2017, 29-08-2017, 14-03-2018 एवं 16-07-2018 द्वारा मेसर्स वेव इन्डस्ट्रीज लि0 को नोटिस जारी की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ के एम0डी0 के विरुद्ध विजिलेंस जाँच एवं कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में

156-श्री पारसनाथ यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ द्वारा प्रदेश में विभिन्न विभागों के आवास बनाने का कार्य किया जा रहा है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त आवासों में ब्रिक कोबा का कार्य मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी विजिलेंस जांच वर्तमान एम0डी0 से कराकर संलिप्त दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी हां।

बिक्र कोबा का कार्य मानक के अनुरूप हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बाराबंकी के ग्राम खजुहां से निकलने वाली ड्रेन की सफाई में की गयी गड़बड़ी के सम्बन्ध में

157-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम खजुहां से निकलने वाली ड्रेन जो अगजना मइवा तक निकली है ? क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 2017-18 में ड्रेन की सफाई का भुगतान बगैर सफाई कराये ही कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ। जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम खजुहा से निकल कर अगजना तक मिलने वाली ड्रेन विकास खण्ड देवा के अन्तर्गत शंखनी ड्रेन है।

शंखनी ड्रेन की सफाई का भुगतान, कार्य पूर्ण होने तथा सत्यापन के उपरान्त ही किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्य पूर्ण होने तथा सत्यापन के उपरान्त ही भुगतान किया गया है।

उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 में तैनात एम0डी0 द्वारा वर्ष 2018 में अनुबन्ध पर की नियुक्तियों के सम्बन्ध में

158-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 में तैनात वर्तमान एम0डी0 द्वारा वर्ष अप्रैल, 2018 में काफी संख्या में अनुबन्ध पर नियुक्तियां तृतीय व चतुर्थ श्रेणी पद पर किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि इसमें कितने एम0डी0 के कितने सजातीय लोग हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि मार्च, 2018 में अनुबन्ध पर तैनात कितने कर्मियों का अनुबन्ध समाप्त हुआ था, कितने का कहां-कहां पर बढ़ाया गया है तथा कितने का अनुबन्ध नहीं बढ़ाया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उसमें से कितने किस-किस जाति के हैं ? क्या जाति विशेष के लोगों की छंटनी एम0डी0 द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी हाँ।

कार्य के सापेक्ष प्रखण्ड प्रभारी द्वारा प्रखण्डों की आवश्यकता एवं उनकी संस्तुति के आधार पर अधिकतम एक वर्ष हेतु अनुबन्ध में रखा जाता है। इसमें सजातीय/विजातीय का कोई भेद नहीं किया जाता है।

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समस्त 612 अनुबन्धित कार्मिकों का अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो गया। अनुबन्ध को बढ़ाये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

अनुबन्धित कार्मिक रखने में कोई जातीय भेदभाव नहीं किया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 में तैनात एम0डी0 द्वारा अनधिकृत रूप से अपने परिवार के नाम पर अर्जित सम्पत्ति के सम्बन्ध में

159-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 के तैनात वर्तमान एम0डी0 द्वारा बड़े पैमाने पर अनधिकृत रूप से अपने व अपने परिवार के नाम अपार सम्पत्ति अर्जित किये जाने की तमाम शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी जांच कराकर दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी हाँ।

अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के आशुतोषनगर, कृष्णानगर में मकान नं0 42 से मकान नं0 01 की ओर सड़क पर अतिक्रमण हटवाने विषयक जानकारी

160-श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के आशुतोषनगर, कृष्णानगर में मकान नं0 42 से मकान नं0 1 की ओर जाने वाली सड़क पर अतिक्रमण के कारण नागरिकों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रश्नगत कालोनी अनियोजित तरीके से निर्मित है, जहाँ पर स्थल निरीक्षण के समय कोई भी स्थायी अतिक्रमण दृष्टिगोचर नहीं हुआ। अस्थायी अतिक्रमण हटा दिया गया है। सामान्यतः समय-समय पर स्थायी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत चाँदारत्ती में माइनर पर निर्माणाधीन पुल के कार्य को पूर्ण कराने विषयक

161-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद की चांदारत्ती ग्राम पंचायत में ड्रेनेज खण्ड गोण्डा-2 द्वारा माइनर पर पुल का बुनियाद बनाकर 15 साल से छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर रास्ते को पुनः खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में स्थापित शुगर मिलों द्वारा किसानों के गन्ना भुगतान कराने हेतु

162-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना मूल्य भुगतान हेतु सरकार के नियमावली के अनुपालन (जिसमें गन्ना खरीद के 14 दिन के भीतर भुगतान किये जाने का स्पष्ट प्राविधान है) के लिये सरकार द्वारा बस्ती जनपद में स्थापित चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जनपद बस्ती के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की 03 चीनी मिलें यथा- बभनान, रूधौली तथा वाल्टरगंज संचालित हैं। दिनांक 20-08-2018 तक की स्थिति के अनुसार उक्त चीनी मिलों पर पेराई सत्र 2017-18 के अन्तर्गत निम्नवत गन्ना मूल्य अवशेष हैं-

नाम चीनी मिल	गन्ना मूल्य (करोड़ रु0)			
	देय	भुगतान	अवशेष	भुगतान %
बभनान	401.86	311.08	90.78	77.41
रुधौली-अठदमा	159.08	97.67	61.41	61.40
वाल्टरगंज	33.10	13.16	19.94	39.76

अवशेष गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान करने हेतु बकायेदार चीनी मिलों को दिनांक 02-02-2018, 13-04-2018, 07-05-2018 एवं 29-06-2018 को नोटिसें निर्गत की गयी हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर आहूत समीक्षा बैठकों में भी गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान कराये जाने हेतु बकायेदार चीनी मिलों को निर्देशित किया गया है। राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु पूर्णतः सजग एवं कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के वि0स0 क्षेत्र तमकुहीराज स्थित ए0पी0 तटबन्ध के अन्तर्गत आने वाले बन्धों के निर्माण के सम्बन्ध में दिये गये पत्र संख्या 206/नेता का0वि0म0द0 दिनांक 18-05-2018 पर कार्यवाही हेतु

163-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में स्थित ए0पी0 तटबन्ध के अन्तर्गत आने वाले बन्धों के निर्माण विषयक मुख्य मंत्री, उ0प्र0 को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-206/नेता का0वि0म0द0, दिनांक 18-05-2018 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

अमवाखास तटबन्ध एवं अहिरौलीदान-पिपराघाट तटबन्ध की सुरक्षा हेतु गण्डक उच्च स्तरीय स्थाई समिति की संस्तुति की अनुशंसाओं पर योजनायें बनायी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के वि0स0 क्षेत्र तमकुहीराज के तमकुहीराज रोड से अहिरौलीदान सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में दिये गये पत्र संख्या 205/नेता का0वि0म0द0 दिनांक 18-05-2018 पर कार्यवाही हेतु

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में तमकुहीराज रोड से जीरो चौराहा होते हुए अहिरौलीदान एवं तमकुहीराज से सिसवा नहर होते हुए अहिरौलीदान तक सड़क का निर्माण कार्य एवं चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने विषयक मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-205/नेता का0वि0म0द0, दिनांक 18-05-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

वर्णित पत्र में कुल 2 मार्गों में से क्रम सं0 1 पर अंकित मार्ग "तमकुहीराज रोड से जीरों चौराहा होते हुए अहिरौलीदान तक" में दो मार्ग समाहित हैं-

अ-सेवरही पिपराघाट मार्ग (ग्रामीण मार्ग) जिसकी लम्बाई 7.10 किमी0 है उक्त मार्ग ग्रामीण मार्ग होने के कारण चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के मानकों से आच्छादित नहीं है।

ब-मार्ग का द्वितीय भाग ए0पी0 बन्धे पर निर्मित है, जिसकी लम्बाई 17.15 किमी0 है। इस मार्ग का स्वामित्व सिंचाई विभाग के अधीन है।

क्रम सं0 2 पर अंकित मार्ग "तमकुहीराज से सिसवा नहर होते हुए अहिरौलीदान तक" (अन्य जिला मार्ग) लम्बाई 22.30 किमी0 है। इस मार्ग पर दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु रु0 4999.40 लाख की धनराशि आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उक्त वस्तु स्थिति से पत्र सं0-सी0एम0-192/23-12-18-सी0एम044/18टीसी-II, दिनांक 26-07-2018 द्वारा मा0 सदस्य, विधान सभा को अवगत भी करा दिया गया है।

जनपद कुशीनगर के वि0स0 क्षेत्र तमकुहीराज के अभवा दीगर एवं जवही दयाल बूढ़ी गण्डक नदी पर पीपे का पुल के निर्माण के सम्बन्ध में दिये गये पत्र संख्या 204/नेता का0वि0म0द0, दिनांक 18-05-2018 पर कार्यवाही हेतु

165-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में अभवा दीगर एवं जवही दयाल में बूढ़ी गण्डक नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराये जाने विषयक मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-204/नेता का0वि0म0द0, दिनांक 18-05-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

जनपद कुशीनगर में तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में अभवा दीगर एवं जवही दयाल में बूढ़ी गण्डक नदी के एक तट पर उ0प्र0 राज्य तथा दूसरे तट पर बिहार राज्य है। इन दोनों स्थानों पर नदी का पॉट लगभग 8 से 10 किमी0 लम्बा है तथा वर्तमान में नदी दोनों राज्यों के मध्य तीन धाराओं में बह रही है। धाराओं के बीच 2 से 4 किमी0 तक का आईलैण्ड है, जिसकी स्थिति प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में उक्त दोनों स्थानों पर पाण्टून पुल का निर्माण किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश की नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिये जाने हेतु

166-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों में 7वें वेतन आयोग के अनुसार नवीन वेतनमान 01-01-2016 एवं षष्ठम् अकेन्द्रीयत पेंशन संशोधन 16-12-2016 से लागू किया गया है ? क्या यह सही है कि आगरा

मण्डल की नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों को नवीन वेतनमान के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन एवं उनके अवशेषों की अदायगी करा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि श्री शिवनन्दन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, नगर विकास कर्मचारी महासंघ, उ0 प्र0 द्वारा आगरा मण्डल की नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के पेंशन धारकों, पारिवारिक पेंशन धारकों को 7वें वेतन आयोग एवं षष्ठम अकेन्द्रीयत पेंशन संशोधन के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं उनके अवशेषों की अदायगी कराने हेतु आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा से अपने पत्र 19-05-2017, 19-07-2017 एवं 20-12-2017 द्वारा अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो कब तक बढ़ी हुई पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं उनके अवशेषों की अदायगी कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

आगरा मण्डल के नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों को नवीन वेतनमान के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन दिया जा रहा है तथा उनके अवशेष के भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 24/2017/ वे0आ0-2-1149/ दस-04(एम)/2016, दिनांक 22-12-2017 के अनुसार किया जा रहा है।

श्री शिवनन्दन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष नगर विकास कर्मचारी महासंघ उ0 प्र0 का पत्र दिनांक 20-12-2017 आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को प्राप्त हुआ है। आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा इस सम्बन्ध में आगरा मण्डल के जनपदों से प्राप्त पेंशन पत्रावलियों को उनके प्रस्ताव के अनुसार नियमानुसार स्वीकृत कर जनपदों को भेजा जा रहा है।

सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान कराने के सम्बन्ध में

167-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद पर गन्ना किसानों का वर्तमान पेराई का कितना गन्ना मूल्य भुगतान बकाया है व इसका भुगतान कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

दिनांक 20-08-2018 तक की स्थिति के अनुसार सहकारी क्षेत्र की किसान सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर पर पेराई सत्र 2017-18 के अन्तर्गत रु0 48.68 करोड़ गन्ना मूल्य अवशेष है। अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु चीनी मिल को दिनांक 02-02-2018, 26-02-2018, 13-04-2018, 07-05-2018 एवं 29-06-2018 को नोटिसें निर्गत की गयी हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर आहूत समीक्षा बैठकों में भी गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान कराये जाने हेतु बकायेदार चीनी मिल को निर्देशित भी किया गया है। राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु पूर्णतः सजग एवं कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के उपलब्धता एवं बेतवा नदी लिफ्ट कैनाल स्वीकृत एवं धनराशि उपलब्ध कराने विषयक जानकारी

168-श्री राजीव सिंह "परीछा"-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है एवं विगत कई वर्षों से कम वर्षा होने के कारण प्राकृतिक जल स्रोत भी सूख गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सर्वे कराकर सिंचाई हेतु ब्लाक बबीना स्थित बेतवा नदी पर लिफ्ट कैनाल योजना की स्वीकृति एवं धनराशि अवमुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

बबीना विधान सभा के बबीना ब्लाक के 15 ग्रामों (सेंकर, पृथ्वीपुर नया खेडा, घिसौली, बघौरा, बडोरा, बबीना, पुरा, सुकुवा, सिमरिया, लहर ठकुरपुरा रसीना मानपुर, कोटी, ठकुरपुरा एवं गणेशपुरा) को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु बेतवा नदी पर सुकुवा-ढुकुवा बांध के 02 किमी0 अपस्ट्रीम में ग्राम सेंकर के पास पम्प हाउस बनाकर पानी को लिफ्ट करके सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति में है। बबीना विधान सभा के बबीना ब्लॉक में सिंचाई हेतु शहजाद बांध से पानी लिफ्ट करते हुए बबीना ब्लाक के ग्रामों को स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से सिंचित करने हेतु सर्वेक्षण के लिए धनावंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

169-श्री राजीव सिंह "परीछा"-

[दिनांक 28-8-2018 को अता0 प्र0सं0-196 द्वारा उत्तरित]

वि0स0 क्षेत्र बबीना के बरुआसागर नगर में बेतवा नदी घाट पर नयी पाइप लाइन डाल कर पेयजलापूर्ति किये जाने हेतु

170-श्री राजीव सिंह "पारीछा"-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के बरूआसागर नगर में बेतवा नदी के नोट घाट से पेयजल आपूर्ति हेतु कई वर्षों पूर्व डाली गयी पाइप लाइन जगह-जगह से क्षतिग्रस्त एवं जनसंख्या वृद्धि होने के कारण लोगों को पीने का पानी पूरी क्षमता से नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुरानी पाइप लाइन के स्थान पर नयी अधिक क्षमता वाली पाइप लाइन डाल कर पेयजलापूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनपद झांसी के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् बरूआसागर की पेयजल व्यवस्था के संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य जल संस्थान द्वारा किया जाता था। पेयजल आपूर्ति हेतु डाली गयी पाइप क्षतिग्रस्त होने पर यथाशीघ्र ठीक कराया जाता है। बरुआसागर क्षेत्र में पेयजल समस्या का मूल कारण बेतवा नदी के नोट घाट स्थित रा-वाटर प्लान्ट व फिल्टर प्लान्ट का पूर्ण

क्षमता पर न चल पाना है, जिसके पुनरुद्धार की आवश्यकता है। बरुआसागर नगर में बेतवा नदी के नोट घाट से पेयजल आपूर्ति हेतु कई वर्षों पूर्व डाली गयी पाइप लाइन के स्थान पर नयी अधिक क्षमता वाली पाइप लाइन डाल कर पेयजलापूर्ति का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मीरजापुर स्थित जिगना मिसिरपुर मार्ग पर जिगना से हरगढ़ बाजार तक जाने वाली सड़क के नवीनीकरण कराये जाने विषयक जानकारी

171-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मीरजापुर स्थित जिगना मिसिरपुर मार्ग पर जिगना से हरगढ़ बाजार तक जाने वाली सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त मार्ग का नवीनीकरण कराकर उसे गड्ढामुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद मिर्जापुर में जिगना मिसिरपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) की लम्बाई 16.00 किमी0 है। जिस पर सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत है। उक्त स्वीकृति के सापेक्ष 13.00 किमी0 कार्य पूर्ण करा दिया गया है जिसकी दशा सन्तोषजनक है। शेष 3.00 किमी0 लम्बाई में पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। मौसम अनुकूल होने के उपरान्त नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के नगर पालिका पडरौना की सीमा विस्तार के लिये अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में

172-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका क्रमांक 344631/2017 तथा अवमानना वाद संख्या-4758/2017 में पडरौना नगर पालिका परिषद्, जनपद कुशीनगर के सीमा विस्तार के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए दाखिल किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि इसमें उच्च न्यायालय का आदेश है कि सरकार पडरौना नगर पालिका परिषद् के विस्तार के लिए तत्काल अधिसूचना जारी करे ? यदि हां, तो क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अधिसूचना जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ। उक्त प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-11-2017 में मुख्यतः यह निर्देशित किया गया है कि स्थानीय निकाय चुनाव के सम्पन्न होने के उपरान्त प्रकरण में औचित्यपूर्ण निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा शीघ्रता से कार्यवाही की जाय।

नगर पालिका परिषद्, पडरौना जनपद कुशीनगर के सीमा विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियों एवं सुझाव हेतु शासन से अनन्तिम अधिसूचना दिनांक 19-02-2018 को जारी की जा चुकी है। निर्धारित समयान्तर्गत प्राप्त आपत्तियों को आदेश संख्या-780/नौ-6-2018-10 नियम/14, दिनांक 12 जून, 2018 द्वारा निस्तारित कर दिया गया है। अन्तिम अधिसूचना हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राज्य सहकारी निर्माण संघ लि0, लखनऊ में तैनात लेखाकारों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के विषय में जानकारी

173-श्री पारसनाथ यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य सहकारी निर्माण संघ लि0, लखनऊ में कितने लेखाकार ऐसे तैनात हैं जो प्रतिनियुक्ति पर विभाग में तैनाती कराकर गलत तरीके से अपना समायोजन पूर्ण रूप से विभाग में कराकर विभाग की छवि धूमिल कर रहे हैं ? क्या ऐसे लोगों का समायोजन व प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल विभाग में वापस करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ में ऐसे लेखाकार की संख्या शून्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में अमृत योजना के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु नगर आयुक्त को दिये गये पत्र पर कार्यवाही हेतु

174-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल, फिरोजाबाद में स्थित विशाल मैदान पर अमृत योजना के अन्तर्गत एक पार्क निर्माण हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद का प्रस्ताव संख्या-446/सा0प्र0/अमृत योजना/2017-18, दिनांक 15-03-2018 जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा निदेशक/राज्य मिशन निदेशक (अमृत), स्थानीय निकाय निदेशालय को प्रेषित पत्र संख्या-1344/स्था0 नि0/नगर निगम/2018, दिनांक 21-03-2018 के द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

जिला अस्पताल, फिरोजाबाद के टी0बी0 वार्ड स्थित ग्राउण्ड में पार्क निर्माण के प्रस्ताव को स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी (एस0एल0टी0सी0) की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत होने वाली स्टेट लेवल हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी (एस0एच0पी0एस0सी0) की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के वाल्टरगंज शुगर मिल पर वर्ष 2016-17 के गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में

175-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के वाल्टरगंज शुगर मिल पर गन्ना किसानों का वर्ष 2016-17 का बकाया भुगतान सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

दिनांक 20-08-2018 तक की स्थिति के अनुसार जनपद बस्ती के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की चीनी मिल वाल्टरगंज पर गत पेराई सत्र 2016-17 में रु0 22.58 करोड़ गन्ना मूल्य अवशेष है। अवशेष गन्ना मूल्य का समयान्तर्गत भुगतान न करने के कारण चीनी मिल वाल्टरगंज के विरुद्ध गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के स्तर से दिनांक 07-02-2018 को कुल अवशेष गन्ना मूल्य रु0 27.87 करोड़ की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है।

चीनी मिल वाल्टरगंज के विरुद्ध रु0 27.87 करोड़ की वसूली हेतु जारी प्रमाण-पत्र के क्रम में जिला प्रशासन के स्तर से कार्यवाही की जा रही है तथा वर्तमान पेराई सत्र में उत्पादित चीनी की बिक्री से अब तक रु0 5.29 करोड़ की वसूली चीनी मिल से की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के तुलसीबाग फेस नं0-1, दयालबाग में मकान नं0-109 से 117 तक की सड़क का पुनिर्निर्माण करने हेतु

176-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर के तुलसीबाग फेस नं0-1, दयालबाग में मकान नं0-109 से 117 व 95 से 105 तक की सड़क जर्जर व जगह-जगह पर गड्ढे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क पर इन्टरलाकिंग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

तुलसीबाग फेस नं0-1 में मकान नं0-95 से 105 तक एवं 109 से 117 तक की सड़क का निर्माण पूर्व में नगर निगम द्वारा कराया जा चुका है। वर्तमान में मार्ग आवागमन हेतु सुगम है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के रोशन विहार सिकन्दरा के मकान नं0-1 से राधा किशन मन्दिर, के0आर0 नगर तक की सड़क व नाली का पुनर्निर्माण करने हेतु

177-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर के रोशन विहार सिकन्दरा के मकान नं0-1 से राधा किशन मन्दिर, के0 आर0 नगर तक व रोशन विहार पार्क के चारों ओर की सड़क व नाली काफी जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

आगरा नगर के रोशन विहार सिकन्दरा के मकान नं0-1 से राधा किशन मन्दिर, के0आर0 नगर तक व रोशन विहार पार्क के चारों ओर सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त करते हुये धनराशि रु0 64.31 लाख की निविदा स्वीकृत की गयी है। अनुबन्ध आदि की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए स्थल पर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

178-श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

[02 मंगलवार के अता0 प्र0सं0-182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आवास विकास की वृन्दावन कालोनी में स्थित मकान सं0-9-सी/237 एवं 9-सी-151 के पास बने अवैध डेरियों को हटाने के सम्बन्ध में

179-श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियमों के विपरीत रिहायशी क्षेत्र आवास विकास की वृन्दावन कालोनी, लखनऊ में स्थित मकान सं0-9-सी/237 एवं 9-सी-151 के पास सार्वजनिक मार्ग एवं खाली प्लाटों में अतिक्रमण करके कतिपय लोगों द्वारा दुधारू जानवर पालन कर दूध डेरी चलायी जा रही है जिससे उक्त क्षेत्र में गन्दगी, प्रदूषण उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध डेरियों को अन्यत्र हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जी हां।

नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को प्रकरण में प्राथमिकता के आधार पर आवास विकास परिषद् एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर अवैध दूध डेरियों के विस्थापन की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद श्रावस्ती की नगर पालिका परिषद् भिनगा में आय-व्यय, सोलर लाइट अधिष्ठापन, विद्युत कमियों के साथ-साथ नाली/शौचालय के निर्माण की जांच के सम्बन्ध में

180-श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती की नगर पालिका परिषद् भिनगा में आय-व्यय, सोलर लाइट अधिष्ठापन, विद्युत सम्बन्धी कमियों के साथ-साथ नाली व शौचालय के निर्माण कार्यों की जांच हेतु जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा पृथक-पृथक गठित जांच टीम द्वारा करायी गई जांच रिपोर्ट निदेशक, स्थानीय निकाय को सम्बोधित पत्र सं0-24175/2017, दिनांक 18-8-2017 एवं प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित पत्र सं0-24307/51, 2017, दिनांक 05/10/2017 द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग/गबन किये जाने की प्रथम दृष्टया पुष्टि करते हुये अवगत कराया है एवं उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17 एवं 18 अक्टूबर, 2017 क्रमशः मा0 मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। जनपद श्रावस्ती की नगर पालिका परिषद् भिनगा में आय-व्यय, सोलर लाइट अधिष्ठापन, विद्युत सम्बन्धी कमियों के साथ-साथ नाली व शौचालय के निर्माण कार्यों की जांच हेतु जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा पृथक-पृथक गठित जांच टीम द्वारा करायी गयी जांच रिपोर्ट निदेशक, स्थानीय निकाय को सम्बोधित पत्र सं0 24175/2017, दिनांक 18-08-2017 एवं प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित पत्र सं0 24307/51, दिनांक 05-10-2017 एवं उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही प्रश्नकर्ता का मा0 मुख्यमंत्री जी एवं प्रमुख सचिव, नगर विकास को सम्बोधित पत्र क्रमशः दिनांक रहित एवं 16 अक्टूबर, 2017 प्राप्त हुये हैं।

जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा उपलब्ध जांच रिपोर्ट पर अध्यक्ष का प्रतिउत्तर प्राप्त कर संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, श्रावस्ती को शासन के पत्र संख्या-2403/9-6-2017-32कैम्प/2017, दिनांक 19-01-2018 एवं अनुस्मारक-पत्र संख्या 1555/9-6-18-32 कैम्प/2017, दिनांक 14-08-2018 द्वारा निर्देशित किया गया है। संस्तुति सहित आख्या प्रापत होते ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मेरठ, आगरा, लखनऊ आदि शहरों में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

181-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, इलाहाबाद में वायु प्रदूषण का मानक क्या है और विगत वर्ष से कितने प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है ? क्या सरकार बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ?

श्री दारा सिंह चौहान-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किये गये हैं, जो कि जनपद मेरठ, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर एवं इलाहाबाद में भी लागू है। निर्धारित मानक का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	प्रदूषक	समय आधारित औसत	परिवेशीय वायु में सान्द्रण
1	सल्फर डाई आक्साइड, (SO2) Hg/m^3	वार्षिक	50
		24 घन्टे	80
2	नाइट्रोजन डाई आक्साइड, (NO2) Hg/m^3	वार्षिक	40
		24 घन्टे	80
3	विविक्त पदार्थ (पी0एम010) (10 माइक्रान से कम आकार) या पी0एम0 10 Hg/m^3	वार्षिक	60
		24 घन्टे	100
4	विविक्त पदार्थ (पी0एम0 2.5) (2.5 माइक्रान से कम आकार) या पी0एम0 2.5 Hg/m^3	वार्षिक	40
		24 घन्टे	60
5	ओजोन (O3) Hg/m3	8 घन्टे	100
		01 घन्टा	180
6	सीसा (Pb) Hg/m3	वार्षिक	0.50
		24 घन्टा	1.0
7	कार्बन मोनोक्साइड (CO) Hg/m3	8 घन्टा	02
		01 घन्टा	04
8	अमोनिया (NH3) Hg/m3	वार्षिक	100
		24 घन्टे	400
9	बेंजीन (C6H6) Hg/m3	वार्षिक	05
10	बेन्जो (ए) पाईरीन; (BaP) केवल विविक्त कण ng/m3	वार्षिक	01
11	आर्सेनिक (As) ng/m3	वार्षिक	06
12	निकिल (Ni) ng/m3	वार्षिक	20

वर्ष 2016 एवं वर्ष 2017 में उक्त शहरों में पी0एम0 10 सल्फर डाई आक्साइड एवं नाइट्रोजन डाई आक्साइड प्रचालकों का अनुश्रवण कार्य किया गया। परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण कार्य से प्राप्त आंकड़ों से परिलक्षित होता है कि-

सल्फर डाई आक्साइड की मात्रा समस्त स्थलों पर एवं नाइट्रोजन डाई आक्साइड की मात्रा अधिकांश स्थलों पर मानकों के अनुरूप पाई गयी है। पी0 एम0 10 की मात्रा समस्त स्थलों पर निर्धारित मानकों से अधिक पाई गयी।

लखनऊ नगर में पी0एम0 की मात्रा में 9.3, सल्फर डाई आक्साइड की मात्रा में 5.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है जबकि नाइट्रोजन डाई आक्साइड की मात्रा में 6.9 प्रतिशत की कमी हुई है।

कानपुर नगर में पी0एम0 10 की मात्रा में 3.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, सल्फर डाई आक्साइड की मात्रा में 4.1 प्रतिशत की कमी एवं नाइट्रोजन डाई आक्साइड की मात्रा में 9.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

आगरा नगर में पी0एम0 10, सल्फर डाई आक्साइड एवं नाइट्रोजन डाई आक्साइड की मात्रा में क्रमशः 6.0, 28.6, एवं 2.4 प्रतिशत की कमी हुई है।

वाराणसी नगर में पी0एम0 10 की मात्रा में 7.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, सल्फर डाई आक्साइड की मात्रा में 28.7 प्रतिशत की कमी एवं नाइट्रोजन डाई आक्साइड की मात्रा में 12.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

इलाहाबाद नगर में पी0एम0 10 की मात्रा में 32.3 प्रतिशत की कमी हुई है जबकि सल्फर डाई आक्साइड एवं नाइट्रोजन डाई आक्साइड की मात्रा में क्रमशः 6.0 एवं 8.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

मेरठ नगर में पी0एम0 10, सल्फर डाई आक्साइड एवं नाइट्रोजन डाई आक्साइड की मात्रा में क्रमशः 4.4, 3.1 एवं 8.6 प्रतिशत की कमी हुई है।

गोरखपुर नगर में पी0एम0 10 की मात्रा में 5.1, सल्फर डाई आक्साइड की मात्रा में 3.0 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है जबकि नाइट्रोजन डाई आक्साइड की मात्रा में 0.5 प्रतिशत की कमी हुई है।

कार्य योजना पूर्व से लागू है।

पर्यावरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के औद्योगिक नगरों गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, मेरठ, बुलन्दशहर, बागपत एवं मुजफ्फरनगर में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कॉम्प्रीहेन्सिव एक्शन प्लान फॉर रेड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन इन एन0सी0आर0 (यू0पी0) तैयार किया गया है तथा उक्त कार्य योजना का क्रियान्वयन/अनुश्रवण का कार्य सम्बन्धित उत्तदायी विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं के माध्यम से कराया जा रहा है। राज्य स्तर पर उक्त कार्य योजना के अनुपालन का अनुश्रवण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस प्लान में कुल 17 विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं हेतु वायु प्रदूषण के स्तरों के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही के 34 बिन्दु निर्धारित किये गये हैं। इसी भांति कानपुर, लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद एवं वाराणसी नगरों हेतु वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की

गयी है तथा कार्य योजना के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु वेब पोर्टल विकसित किया गया है। सम्बन्धित विभागों से जिला स्तर पर वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्यवाही कराये जाने एवं उसको पोर्टल पर अपलोड किये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी को दिया गया है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं।

जनपद लखनऊ के भरत नगर के सीतापुर रोड के मैट्रो रिटेल के पास चौराहे पर निर्मित खड़न्जा, नाली एवं डामर रोड की जाँच कराने विषयक

182-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरों/नगरों में डामरीकरण करने के क्या नये मानक बनाये गये हैं ? क्या डामरीकरण हेतु सड़क पर पड़ने वाली पत्थर की गिट्टी में मिट्टी डालने का मानक तय किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या लखनऊ नगर के भरत नगर, सीतापुर रोड, लखनऊ में मैट्रो रिटेल के पास चौराहे से निर्मित खड़न्जा, नाली एवं डामर रोड में मानक के विपरीत मिट्टी डाल कर डामरीकरण करने वाले दोषियो के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

भरत नगर मे डॉ0 पवार चौराहे से पानी की टंकी होते हुए शुक्ला पुलिया तक सड़क (डामरीकरण) व इन्टरलॉकिंग टाइल्स का कार्य मानक के अनुरूप सम्पादित कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के वि0ख0 चिरगांव एवं गुरसराय के ग्रामों में सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर लगाने हेतु

183-श्री राजीव सिंह "पारीछा"-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता समिति, झांसी द्वारा जनपद झांसी के विकास खण्ड चिरगांव एवं गुरसराय के ग्रामों में सिंचाई सुविधा हेतु ग्राम समूह की स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना रुपये 25046.85 लाख की तैयार कर उ0 प्र0 शासन को दिनांक 15-12-2017 को भेजी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परियोजना की स्वीकृति एवं धनराशि अवमुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी, हाँ।

उक्त परियोजना की स्वीकृति एवं धनराशि अवमुक्त करने हेतु परियोजना विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के वि0स0 क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के ग्राम पहाड़ी, बंगरा बंगरी, करगुवा रामनगर आदि में ट्यूबवेल निर्माण हेतु स्वीकृति धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु

184-श्री राजवी सिंह "पारीछा"-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक चिरगांव के ग्रामों में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है एवं विगत कई वर्षों से कम वर्षा होने के कारण प्राकृतिक जल स्रोत भी सूख गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सिंचाई हेतु ब्लाक चिरगांव के ग्राम-पहाड़ी में बेतवा माइनर पर ग्राम बंगरा बंगरी, करगुवां रामनगर एवं रमपुरा-बुधुपुरा में ट्यूवबेल के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद झाँसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक चिरगाँव में वर्तमान में 52 चलित राजकीय नलकूपों, एक वृहद/मध्यम डाल नहर एवं 04 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को माँग के अनुरूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2018-19 में डॉ0 राम मनोहर लोहिया 2000 नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के अन्तर्गत जनपद झाँसी के विकास खण्ड-चिरगाँव में 08 राजकीय नलकूपों का चयन किया गया है जिसमें ग्राम करगुवां में राजकीय नलकूप लगाया जाना प्रस्तावित है। बेतवा माइनर पर ग्राम पहाड़ी, बगराबंगरी एवं रमपुरा-बुद्धपुरा का क्षेत्र नहर कमाण्ड में होने के कारण नलकूप स्थापित किया जाना साध्य नहीं है। ग्राम रामनगर पथरीला क्षेत्र होने के कारण एवं मानक के अनुरूप निकास उपलब्ध न होने के कारण नलकूप लगाया जाना साध्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झाँसी के वि0स0 क्षेत्र बबीना के ब्लाक बड़ागांव के ग्राम मबई गिर्द व धमना में चेकडैम व रपटा पुल निर्माण हेतु

185-श्री राजीव सिंह "पारीछा"-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बड़ागांव के ग्रामों में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है एवं विगत कई वर्षों से कम वर्षा होने के कारण प्राकृतिक जल स्त्रोत भी सूख गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सिंचाई हेतु ब्लाक बड़ागांव स्थित ग्राम-मबई गिर्द व धमना के बीच पहूज नदी पर चेकडैम व रपटा पुल का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव के ग्रामों में पहूज मुख्य नहर/गढ़मऊ मुख्य नहर प्रणालियों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित ट्रांसपोर्ट नगर फेज-2 के भवन संख्या एफ-448 से एफ-462 तक सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में

186-श्री राजीव सिंह "पारीछा"

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर फेज-II के भवन संख्या-एफ-448 से एफ-462 तक की सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

उक्त कार्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। प्रस्ताव स्वीकृति उपरान्त निविदा आदि की औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए 06 माह में कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर वि0स0 क्षेत्र तमकुहीराज में ब्लाक दुदही के ग्राम पंचायत की जमीन को वन विभाग को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में दिये गये पत्र संख्या-207/नेता का0वि0म0द0 दिनांक 18-05-2018 पर कार्यवाही हेतु

187-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में दुदही ब्लाक की ग्राम पंचायत दशहवा के टोला पुष्कर नगर में वर्षों से घर बनाकर रह रहे ग्रामीणों की जमीन को वन विभाग से स्थानान्तरित कर राजस्व विभाग में अंकित कराने विषयक मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-207/नेता का0वि0म0द0, दिनांक 18-05-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

मा0 सदस्य विधान सभा का वर्णित पत्र दिनांक 18-05-2018 मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित है। पत्र में वर्णित बिन्दुओं के दृष्टिगत कार्यालय, मुख्यमंत्री के पत्र दिनांक 19-05-2018 के माध्यम से परीक्षणोंपरान्त शीघ्र कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग, उ0 प्र0 शासन को सन्दर्भित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के वि0स0 क्षेत्र तमकुहीराज में बूढ़ी गण्डक नदी के अमवाखास पिपराघाट पर बंधा निर्माण के सम्बन्ध में दिये गये पत्र संख्या 190/नेता का0वि0म0द0 दिनांक 14-05-2018 पर कार्यवही हेतु

188-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में बूढ़ी गण्डक नदी के किनारे अमवाखास, पिपराघाट में बाढ़ बचाव हेतु बंधा निर्माण से सम्बन्धित कतिपय कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-190/नेता का0वि0म0द0, दिनांक 14-05-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

इन तटबन्धों की सुरक्षा हेतु कुल 24 अदद परियोजनायें बनाई गयी हैं, जिनकी कुल लागत रु0 187.944 करोड़ है। परियोजनाओं के सक्षम स्तर से अनुमोदित होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अमेठी के डी0एफ0ओ0 द्वारा अवैध कटान के सम्बन्ध में पूर्व विधायक गौरीगंज श्री तेजभान सिंह द्वारा दिये गये पत्रांक 324 दिनांक 17-10-2017 पर कार्यवाही हेतु

189-श्री सूर्यभान सिंह-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित भाजपा विधान मण्डल दल कार्यालय के पत्रांक-324 दिनांक 17-10-17 श्री तेजभान सिंह, पूर्व विधायक, गौरीगंज का पत्र जो कि अमेठी वन प्रभाग के तत्कालीन डी0एफ0ओ0 द्वारा अपने कार्यकाल में अवैध कटान कराने, किसानों को परमिट देने में भ्रष्टाचार तथा वृक्षारोपण में फर्जी मास्टर रोल भराकर वृक्षारोपण कराना दिखाकर कई करोड़ का सरकारी धन का आहरण करने विषयक उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हाँ।

वर्णित प्रकरण में श्री तेजभान सिंह, मा0 पूर्व0 विधायक के पत्र दिनांक 17-10-2017 में उल्लिखित बिन्दुओं की प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करके जांच करायी गयी। विषयगत जांच आख्या में बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् है-

1-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 (लखनऊ-वाराणसी) के चार लेन चौड़ीकरण में कादूनाल वन क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न प्रजाति के बाधक वृक्षों का संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त छपान एवं

अन्य कार्यवाही के पश्चात् उ0प्र0 वन निगम द्वारा पातन का कार्य किया गया, जिसमें अवैध कटान नहीं हुआ है।

2-वर्षाकाल 2017 में 883.0 हे0 (1573000 पौधे) में कराये गये वृक्षारोपण का भौतिक सत्यापन मुख्य वन संरक्षक, प्रभारी वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0, सरयू वृत्त, फैजाबाद द्वारा करायी गयी जिसमें सफलता मानक के अनुसार है।

3-श्री ए0पी0 यादव, तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी वन प्रभाग का स्थानान्तरण अन्यत्र हो चुका है। इनके स्थान पर श्री करन सिंह गौतम, सहायक वन संरक्षक, प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी वन प्रभाग अमेठी के पद पर तैनात किया गया है।

4-अमेठी वन प्रभाग के अन्तर्गत गौरीगंज रेंज में निजी भूमि पर सागौन के 72 वृक्षों के अवैध कटान में दोषी पाये गये जामो बीट के प्रभारी श्री प्रयाग प्रसाद गुप्ता को प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी द्वारा कड़ी चेतावनी दी गयी है। उक्त प्रकरण में वन रक्षक, गौरीगंज रेंज द्वारा 04 अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 15-06-2017 को थाना जामों में मु0अ0सं0 397/2017 उत्तर प्रदेश वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1976 की धारा 4/10 एवं उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी एवं वन उपज अभिवहन नियमावली, 1978 के धारा 3/28 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 पंजीकृत कराया गया है, जिसकी अन्तिम जांच रिपोर्ट चार्जशीट सं0 89/14-07-2017 द्वारा मा0 न्यायालय, सुल्तानपुर में भेजा गया है। प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ग्राम पंचायत मक्खनपुर को नगर पंचायत बनाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को दिये गये पत्र संख्या 1438/स्था0नि0/न0प0 मक्खनपुर/ 2018 दिनांक 12-04-2018 पर कार्यवाही हेतु

190-मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की ग्राम पंचायत मक्खनपुर को नगर पंचायत बनाने के सम्बन्ध में संशोधित प्रस्ताव संख्या 771/रा0का0, दिनांक 09-04-2918 जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्र संख्या-1438/ स्था0नि0/न0पा0 मक्खनपुर/ 2018, दिनांक 12-04-2018 के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ। ग्राम पंचायत, मक्खनपुर को नगर पंचायत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से अनन्तिम अधिसूचना संख्या 1430/9-1-2018-131सा/ 2013, दिनांक 31 जुलाई, 2018 निर्गत की गयी है।

जनपद हमीरपुर के वि0स0 क्षेत्र राठ में हमीरपुर के कुछेछा को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण हेतु

191-श्रीमती मनीषा अनुरागी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में कुछेछा से राठ होते हुए हमीरपुर के कुछेछा को जोड़ने वाली सड़क जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने से आवागमन में

असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद हमीरपुर में कुछेछा से राठ होते हुए हमीरपुर के कुछेछा को जोड़ने में दो मार्ग सम्मिलित है-

1-कुछेछा से राठ यह अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 18.00 किमी0 है। मार्ग पर पॉट होल्स/पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। वर्तमान में मार्ग की दशा सन्तोषजनक है।

2-राठ से हमीरपुर मार्ग-इस मार्ग की लम्बाई 72.785 किमी0 है, जो कि विश्व बैंक के कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। उक्त मार्ग की निविदा आमन्त्रित कर मूल्यांकन की कार्यवाही प्रगति पर है।

वर्तमान में अत्यधिक बरसात होने के कारण मार्ग के आबादी भाग के किमी0 16, 20, 21 (800) एवं 22 क्षतिग्रस्त हो गये हैं, जिनकी मरम्मत का कार्य उपलब्ध संसाधनों से कराया जा रहा है। शेष मार्ग की दशा संतोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ के वि0स0क्षे0 डासना तहसील सदर गाजियाबाद में खसरा सं0 1236 पर जमीन पर अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही हेतु

192-श्री असलम अली-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद, कस्बा डासना, तहसील सदर में खसरा नं0 1236 की जमीन पर अवैध कब्जा कर मार्केट बना लेने का प्रकरण सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर खसरा नम्बर 1236 पर अवैध कब्जादारों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर अवैध बन रही मार्केट को गिरवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उपजिलाधिकारी गाजियाबाद के आदेश दिनांक 30-10-2007 से पूर्व जनपद गाजियाबाद कस्बा डासना, तहसील सदर में खसरा नं0 1236 की जमीन, श्रीमती सत्यवती तथा प्रेम कुमार के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि को यूपी लैण्ड रिवेन्यू एक्ट 1901 की धारा 33/39 के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी गाजियाबाद के आदेश दिनांक 30-10-2007 को सड़क दर्ज किया गया था। उक्त आदेश के आधार पर दिनांक 14-11-2007 को श्री मो0 युसुफ पुत्र श्री मो0 रफीक आदि के द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य को नगर पंचायत डासना के द्वारा उपजिलाधिकारी गाजियाबाद के आदेश प्राप्त कर थानाध्यक्ष थाना मसूरी गाजियाबाद के माध्यम से रुकवा दिया गया था।

उपजिलाधिकारी, गाजियाबाद के द्वारा प्रश्नगत खसरा नं0 1236 की भूमि को लेखपाल व कानूनगो के माध्यम से सिजरा के अनुसार पैमाइश करायी गयी। पैमाइश के समय खसरा नं0 1236 पर सड़क चलती हुयी पायी गयी और प्रश्नगत निर्माण कार्य काश्तकार की भूमि खसरा नं0 1248 पर पाया गया। जिसके आधार पर उपजिलाधिकारी गाजियाबाद ने अपने पत्र संख्या 369/एस0टी0-एस0डी0एम0/गा0 दिनांक 06-12-2007 के द्वारा थानाध्यक्ष, थाना मसूरी, गाजियाबाद को पूर्व में रोके निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया गया कि यदि मो0 युसुफ आदि कोई निर्माण कार्य करता है, तो उनके निर्माण कार्य में अवैध रूप से किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाय। वर्तमान में जनपद गाजियाबाद के कस्बा डासना, तहसील सदर के खसरा नं0 1236 की जमीन पर उपजिलाधिकारी के आदेश दिनांक 30-10-2007 पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में श्री प्रेम कुमार द्वारा योजित रिट संख्या 2728/2018 में दिनांक 13-03-2018 को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। इसलिए प्रश्नगत खसरा नं0 1236 की भूमि/सम्पत्ति वर्तमान में विवादित है।

जनपद लखनऊ में वरदान खण्ड, गोमती नगर विस्तार, सेक्टर 1 में मानचित्र के विपरीत निर्मित आवासों का ध्वस्तीकरण करने हेतु

193-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित वरदान खण्ड, गोमती नगर विस्तार सेक्टर-1, लखनऊ योजना में भू-खण्ड स्वामियों द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत आवासों का निर्माण धड़ल्ले से कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मानचित्र के विपरीत निर्मित आवासों के अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण व फूटपाथों पर कब्जे के उद्देश्य से निर्मित रैम्पों को हटवाकर पैदल यात्रियों को सुविधा प्रदान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

वरदान खण्ड, गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-1, लखनऊ में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत कतिपय भवनों का निर्माण हुआ, जिसे चिन्हित कर उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 व धारा 28 के अधीन कार्यवाही की व्यवस्था है। विहित प्राधिकारी न्यायालय में सुनवाई के उपरान्त सील/ध्वस्तीकरण करने की कार्यवाही की जाती है तथा अनुमन्य सीमा से अधिक फुटपाथों पर बनाये गये रैम्पों को चिन्हित करते हुये धारा 26(ग) के अन्तर्गत बिना नोटिस के हटवाने की कार्यवाही की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के वि0स0 क्षेत्र तमकुहीराज में बांसी नदी के गौरी घाट पर पीपा पुल बनवाने के सम्बन्ध में दिये गये पत्र संख्या 185/नेता का0वि0म0द0, दिनांक 15-05-2018 पर कार्यवाही हेतु

194-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर के गौरी जगदीश में स्थित बांसी नदी के गौरी घाट पर पीपा पुल लगवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-185/नेता का0वि0म0द0, दिनांक 15-05-2018 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी, हाँ।

ग्राम सभा गौरी जगदीश में बांसी नदी के गौरी घाट पर पीपा का पुल लगवाये जाने हेतु रु0 39.43 लाख की धनराशि आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के वि0स0 क्षेत्र तमकुहीराज में राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत 10 नई सड़कों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दिये गये पत्र संख्या 188/नेता का0वि0म0द0 दिनांक 15-05-2018 पर कार्यवाही हेतु

195-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत 10 नई सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक है, प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-188/नेता का0वि0म0द0, दिनांक 15-05-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

वर्णित पत्र में कुल 10 मार्गों का उल्लेख है। उल्लिखित मार्गों के संरेखण पर स्थित दोनों ओर के ग्राम पूर्व से ही लेपित मार्ग से संतृप्त है। अतः मार्ग निर्माण लोक निर्माण विभाग की वर्तमान नीति से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के वि0स0क्षेत्र खड्डा नगर में सुभाष चौक व सोहरौना रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु धन आवंटित करने विषयक

196-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के तहत) अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में

अनुदान संख्या-83 (2018-2019) के द्वारा रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के लिए एकमुश्त व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद कुशीनगर के खड्डा नगर में सुभाष चौक व सोहरौना रेलवे क्रासिंग के ऊपर उपरिगामी सेतु का निर्माण उक्त योजना में करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के तहत) द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अनुदान संख्या 83 (2018-19) के अन्तर्गत रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु रु0 1061.00 लाख की एक मुश्त व्यवस्था की गयी है। जनपद कुशीनगर हेतु अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

प्रश्नगत उपरिगामी सेतु का निर्माण मानकों के अनुरूप उपयुक्त पाये जाने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

गार्डिनिया ग्लैमर फेस-2 प्रोजेक्ट के फ्लैटों की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-6/041608 दिनांक 11-08-2017 पर कार्यवाही हेतु

197-सुनील कुमार शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फ्यूटेक सेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड/गार्डिनिया इंडिया लिमिटेड बिल्डर द्वारा गार्डिनिया ग्लैमर फेस-2 प्रोजेक्ट के फ्लैटों की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-6/041608, दिनांक 11-08-2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ

परिषद की बसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-3 में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 3/जीएच-एस0पी0एल0-3 मैसर्स फ्यूटेक सेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा दिनांक 14-3-2008 की नीलामी में आवंटित है। विकासकर्ता/आवंटी द्वारा सम्पत्ति के विरुद्ध बकाया न जमा न करने के कारण तथा पूर्णता प्रमाण प्राप्त न करने के कारण परिषद द्वारा विकासकर्ता के पक्ष में आवंटित भूखण्ड की रजिस्ट्री नहीं की जा सकी है। तत्समय भूखण्ड के विरुद्ध देय बकाया रु0 379441125.00 की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र (आर0सी0) कलेक्टर गाजियाबाद को जारी किया गया है। कलेक्टर, गाजियाबाद द्वारा विकासकर्ता के कुछ फ्लैटों को सील कर अपने कब्जे में ले लिया गया। बिना पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये आवंटियों को कब्जा देने के लिए परिषद द्वारा कार्यवाही हेतु अपर जिलाधिकरी, वित्त/राजस्व, गाजियाबाद को पत्र प्रेषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा विकासकर्ता के डायरेक्टरों पर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 64ग एवं उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 की धारा 13 के अन्तर्गत दिनांक 26-5-2018 को एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी गयी है।

परिषद् के पक्ष में वर्तमान में देय बकाया धनराशि रु0 76.65 करोड़ प्राप्त होने पर परिषद द्वारा विकासकर्ता आवंटी के पक्ष में आवंटित भूखण्ड की रजिस्ट्री की जा सकेगी।

आवंटी द्वारा ब्याज के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट संख्या 49252/2014 योजित की गयी है, जो मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के रामगढ़ ताल को बचाने एवं प्रदूषण मुक्त एवं राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल कराने विषयक

198-श्री अजय कुमार'लल्लू'-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के रामगढ़ ताल को बचाने एवं प्रदूषण मुक्त करने हेतु क्या भारत सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान की है ? यदि हां, तो कितनी और कब ? क्या सरकार बतायेगी कि रामगढ़ ताल को राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

गोरखपुर के रामगढ़ ताल को बचाने एवं प्रदूषण मुक्त करने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 'रामगढ़ ताल के प्रदूषण नियंत्रण एवं सरंक्षण' हेतु कुल रु0 196.57 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसमें केन्द्रांश रु0 87.02 करोड़ एवं शेष धनराशि रु0 109.55 करोड़ राज्यांश है। राज्य सरकार द्वारा अब तक रु0 108.34 करोड़ तथा भारत सरकार द्वारा रु0 84.20 करोड़ अर्थात उक्त योजना पर कुल रु0 192.54 करोड़ अवमुक्त हुआ है, जिसके सापेक्ष रु0 177.17 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

जी हाँ।

दिनांक 01-04-2010

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में निर्मित वनस्थली अपार्टमेन्ट, गोमतीनगर विस्तार, सेक्टर-1 में अग्निशमन उपकरण लगाने विषयक

199-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन लारसन एण्ड टर्बो द्वारा निर्मित वनस्थली अपार्टमेन्ट गोमती नगर विस्तार सेक्टर-1 लखनऊ में सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर अग्निशमन उपकरण पानी तथा गैस सिलेण्डर आदि नहीं लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अपार्टमेन्ट में अग्निशमन उपकरणों, गैस सिलेण्डरों सहित अन्य उपयोगी यंत्रों को लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्राधिकरण द्वारा वनस्थली अपार्टमेन्ट में अग्निशमन की व्यवस्था की गयी थी। प्राधिकरण द्वारा पुनः वनस्थली अपार्टमेन्ट में अग्निशमन उपकरण पानी तथा गैस सिलेन्डर आदि लगाने हेतु दिनांक 20-08-2018 को निविदा प्राप्त की जा चुकी है, जो कि स्वीकृति प्रक्रिया में है। निविदा स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के वि0स0 क्षेत्र तमकुहीराज के तमकुही बरवा पट्टी मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दिये गये पत्र संख्या 186 नेता का0वि0म0द0, दिनांक 15-02-2018 पर कार्यवाही हेतु

200-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में तमकुही बरवा पट्टी मार्ग के निर्माण कार्य कराये जाने विषयक है, प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-186/नेता का0वी0म0द0, दिनांक 15-05-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

तमकुही बरवा पट्टी मार्ग के (अन्य जिला मार्ग) का किमी0 3, 4, 5 व 6 के पुनर्निर्माण का आगणन राज्य योजना सामान्य के अन्तर्गत रु0 407.96 लाख गठित है। कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

[12:20] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम 300 के अन्तर्गत मुझे दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली श्री राजीव कुमार सिंह जी की और दूसरी माननीय श्री रामगोविन्द चौधरी जी की है। पहली सूचना के विषय में यह निवदेन करना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय 1973 की धारा 20 में, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में विधायकों का मनोनयन नहीं होता है और आपने इस सूचना में विधायकों के मनोनयन का कार्यपरिषद में, ऐसा प्रश्न उठाया, हम सब जानते हैं कि नियम 300 के अन्तर्गत विधान सभा की कार्यवाही से जुड़े विषय ही उठाये जाते हैं तो इस लिए जब पोषण ही नहीं है तो मैं इसे निरस्त करता हूँ।

दूसरी सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष की है उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग की आड़ में एक गोशाला से दूसरे गोशाला में गायों को भेजने के नाम पर तस्करी, माननीय नेता प्रतिपक्ष स्वयं यह बात जानते हैं....

प्रदेश में गो-वध व गो-तस्करी के आरोपित को गो-सेवा आयोग का सदस्य बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

नेता विरोधी दल-(श्री राम गोविन्द चौधरी)-

एक मिनट सुन लीजिये सुनने के बाद कह दीजिये मैं जो कहना चाहता हूँ सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन आप सहमत हैं ना कि नियम 300 में नहीं आता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

वह आपका अधिकार है। लेकिन सुन लीजिये पहले।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले यह बताइये कि नियम 300 में आता है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

पहले हमको सुन तो लीजिए। जब वकील बहस करता है तब जज उसको मानता है।

श्री अध्यक्ष-

आप छोटे-मोटे वकील नहीं है आप बहुत बड़े वकील हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैं बहुत बड़ा वकील नहीं हूँ। माननीय अध्यक्ष जी बहुत महत्वपूर्ण मामला है कोई भी आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद में और यहाँ पर जो पास होता है उसके बाद बजट होता है तब आयोगों में लोगों को नामित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

सब यहीं पास होता है। यह 300 में नहीं आता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इसमें एक ऐसे व्यक्ति को नामित कर दिया गया है जिस पर गो-तस्करी का और गो-वध का एफ0आई0आर0 भी लिखा गया है और उस पर चार्जशीट भी लागू हो गयी। ऐसे व्यक्ति को गो-सेवा आयोग में सदस्य के रूप में नामित किया गया है तो जो भक्षक हैं वही रक्षक कैसे हो सकता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपको इस विषय को और किसी नियम में कहते तो हम इन्कार थोड़े ही करते। अभी बजट पर आ रहे हैं बोल लें और तमाम विषयों पर आ रहे हैं उस पर आप बोल लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह सदन संविधान और नियमावली के तहत चलता है उसमें विधेयक पास किये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

सारे विधेयक विधान सभा में पास होते हैं। नियमावली के तहत इसमें चर्चा होती है। लेकिन यह नियम 300 में नहीं आता है आप भी जानते हैं नियम 300 में नहीं आता है। हम आप कोई जबर्दस्ती करेंगे तो नये सदस्य क्या सीखेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हमारी समझ से तो आता है मान्यवर। आप सुन तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

हम एक दूसरे के मित्र हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मित्र बाहर हैं। यहाँ आप माननीय अध्यक्ष हैं और मैं एक साधारण सदस्य हूँ विधान सभा का। यह सदन संविधान नियमावली और जो इसमें विधेयक पास होते हैं और विधेयक का गठन जब हो जाता है तो उसके बाद आयोग का गठन होता है। मैं नियमावली पढ़ देता हूँ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

हम नियमावली पढ़ देते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अभी तो हम कहे ही नहीं, इन्होंने कहने ही नहीं दिया तो जवाब कैसे दे देंगे। मेरा केवल कहना यह है कि संविधान और नियमावली के अनुसार यह सदन चलता है।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम 300 पढ़ दीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है।

श्री अध्यक्ष-

जिससे सदन का काम चलता है, ऐसे नियम।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन में नियमावली से संविधान के अन्तर्गत विधेयक आते हैं। जब विधेयक यहाँ से पास होता है और वह विधेयक गजट होता है और गजट के अनुसार आयोग का गठन होता है। विधेयक ही सदन में पास होता है और इस नियमावली में भी है कि संविधान के अनुच्छेद के अनुसार विधेयक ही सदन में आते हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस नियमावली में है कि ऐसे अनुच्छेद जिनसे इस सदन का कार्य विनियमित होता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, उसी संविधान के अनुच्छेद के अनुसार इस सदन में विधेयक लिये जाते हैं और वह विधेयक इस सदन से पास होते हैं तो वह विधेयक गजट हो जाता है और जब गजट हो जाता है तो आयोग का गठन होता है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसे नहीं होता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप ही बता दें कि आयोग का गठन कैसे होता है ?

श्री अध्यक्ष-

आयोग का गठन नियम 300 का विषय नहीं है। आयोग का गठन अधिनियम से होता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अधिनियम पास कहाँ होता है और अधिनियम संविधान के अनुच्छेद के अनुरूप आता है या बिना संविधान के अनुच्छेद के अनुरूप आता है ?

श्री अध्यक्ष-

मैं आपका सादर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि ऐसे अनुच्छेद, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने नियम 300 पढ़ दिया कि औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है तो सदन में विधेयक आयेंगे या नहीं आयेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

विधेयक आयेंगे और उन विधेयकों को कार्य संचालन में विधेयक कैसे पेश होगा और विधेयक का प्रोसीजर क्या होगा, विधेयक के समय सदन कैसे चलेगा मैं बार-बार कह रहा हूं कि ऐसे अनुच्छेद जिनसे इस आदरणीय सदन का कार्य विनियमित होता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हम कह रहे हैं कि आयोग के गठन के लिए विधेयक इस सदन में आते हैं या नहीं आते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

बिल्कुल आते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यही तो मैं भी कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अब आप जिद पकड़ लें तो अलग बात है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप जिद पकड़ रहे हैं। मैं तो केवल ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि आप इस आदरणीय सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और एक पक्ष के आदरणीय नेता हैं, इसलिए नियम 300 में कोई भी चीज कहते समय आपको और हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए तो मैंने नियम 300 पढ़ दिया।

श्री अध्यक्ष-

इसी लिए मैं भी उसी को पढ़ रहा हूं, जिसे आपने पढ़ा है। औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है। कांस्टीट्यूशन्स के ऐसे आर्टिकिल्स जिनसे सदन की कार्य-संचालन नियमावली का प्रभाव आता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद के अनुसार विधेयक इस सदन में पास होता है और जब विधेयक इस सदन में पास हो जाता है और जब गजट होता है तो कानून बन जाता है। उसी कानून के अन्तर्गत आयोगों का गठन होता है। यही तो मैं भी कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप सर्वोच्च हैं।

श्री अध्यक्ष-

हम सर्वोच्च नहीं हैं। हम आप की ही तरह इस सदन का अंग हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप इस सदन के सर्वोच्च अधिकारी हैं और आपकी बात को मानना सबके लिए जरूरी है। लेकिन नियमों में जो व्यवस्था है उसी से आप भी बंधे हैं और हम भी बंधे हैं। विधेयक तो सदन से ही पास होता है आज ही कार्य-सूची में तीन विधेयक हैं। यह जो विधेयक आ रहे हैं यह क्यों आ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

नियमों में बंधे होने के कारण ही हम यह कह रहे हैं कि यह नियम 300 में नहीं आता है।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

यह बात आप बाद में कहते, सुनने के बाद कहते ।

श्री अध्यक्ष-

आपकी लिखित नोटिस है आपका उस पर हस्ताक्षर है ।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

हमारी सूचना विधि सम्मत है न मानें यह आपका अधिकार है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई विधेयक यहॉ जब पास होता है वह पास होने के बाद गवर्नर साहब के पास जाता है वहॉ पर उसका गजट होता है जब गजट हो जाता है तो उसी नियमावली के अनुसार आयोगों का गठन होता है। चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हो चाहे अनुसूचित जाति आयोग हो चाहे जो भी आयोग हो।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

कैसा है आप ही बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

हम फिर आपका ध्यान नियम 300 की ओर आकर्षित कर रहे हैं।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

आयोग का गठन कैसे होता है यह बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

हम सीखने के लिए यहॉ आए हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि किसी भी आयोग का गठन करने के लिए सदन में विधेयक आता है। विधेयक जब यहॉ से पास हो जाता है तो महामहिम राज्यपाल जी के यहॉ जाता है जब वहॉ से गजट हो जाता है तो फिर सरकार के यहॉ नियमावली बन जाती है। उसके अनुसार आयोगों का गठन होता है। आप हमारी बात को नहीं मान रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका कहना है कि यहॉ विधेयक आता है विधेयक विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत यहॉ प्रस्तुत होता है विधेयक के गुण दोष पर विचार करके विधान सभा से पास होता है और जब महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वह विधि बन जाता है इस तरह की एक विधि नहीं है उत्तर प्रदेश में सैकड़ों विधियॉ हैं सैकड़ों कानून हैं उन कानूनों के अनुपालन में कानूनों द्वारा बनाई गई नियमावली अथवा शासनादेश के अनुपालन में यदि कहीं कोई त्रुटि होती है तो वह नियम 300 का विषय नहीं बनता है। पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम कानून प्रचलित हैं उन कानूनों का कहीं पालन होता है कहीं नहीं होता है उसकी शिकायत के लिए दूसरे नियम हैं। उस पर विचार करने के लिए दूसरे नियम हैं नियम 300 का सीधा तात्पर्य यह है कि संविधान के वह अनुच्छेद जिनसे यह हाउस चलता है पूरे अनुच्छेद नहीं और नियमावली का वह भाग जिससे नियमावली सदन में प्रवर्तित होती है।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी मैं भी वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। उसी संविधान के अनुच्छेद के अनुरूप सदन में विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ कि आखिर में आयोगों का गठन कैसे होता है।

श्री अध्यक्ष-

आयोग के गठन का काम विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 300 से आच्छादित नहीं होता । आयोग का बनना बाई वर्च्यू आफ ला है वह अलग बनेगा विधान सभा की कार्यवाही का विनियमन संविधान के उन अनुच्छेदों से जिनसे विनियमन होता है सारे अनुच्छेदों से नहीं सम्पूर्ण संविधान से नहीं संविधान के वह अनुच्छेद जिससे इस सदन की कार्यवाही का विनियमन होता है उन पर नियम 300 का नोटिस आता है।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

वह कौन कौन से अनुच्छेद हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप पढ़ लीजिए।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

यह नियमावली जो बनी है यह संविधान के अनुच्छेदों को ध्यान में रखकर ही बनी है।

श्री अध्यक्ष-

हॉ बनी है।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

आप सदन के सर्वोच्च अधिकारी हैं मैं आपकी बात काटता नहीं हूँ मैं केवल अपनी बात रखता हूँ आपकी बात काटने की हम किसी में शक्ति नहीं है। लेकिन आपसे आरजू करने के लिए और सदन की नियमावली और संविधान की गरिमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

हम लोगों की रक्षा करने का भी आपका ही अधिकार है। जब तक इस सदन में कोई विधेयक नहीं आता है आपने जो बात कही वह तो मैंने मान ली ऐसा राम गोबिन्द चौधरी नहीं है लेकिन आपकी जगह कोई दूसरा विधान सभा अध्यक्ष होता तो राम गोबिन्द चौधरी मानता नहीं। कतई नहीं मानता क्योंकि हमारा जो नियम 300 है यह संविधान और नियमावली से सम्बद्ध है। आप कहते हैं कि नहीं आता है ठीक है नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष-

मुझे बहुत खेदपूर्वक और कष्टपूर्वक यह कहना है मैंने जो पढ़ा है आपने भी पढ़ा है ऐसा हो सकता है कि आप किसी विषय के ज्यादा जानकार हों ।

आप या हम दोनों में कोई किसी विषय के ज्यादा जानकार हों। हम आपको कुछ कहना नहीं चाहते। सदन के नेता प्रतिपक्ष के नाते और आपकी गरिमा और महिमा के नाते मेरे हृदय में आपके प्रति बहुत आदर, प्रेम और अतिरिक्त सम्मान है और वह सम्मान मैं व्यक्त करता हूँ, लेकिन मैं फिर से अपनी बात को रेखांकित करता हूँ कि यह विषय नियम 300 में नहीं आता है। यह परिपाटी नहीं है कि अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष को टोके। नियम 300 का मसला था और आपने स्वयं कहा कि मैं उसका संरक्षक हूँ इसलिये उसमें टोका। इसलिये अगर अब आप अनुमति दें तो मैं आगे बढ़ूँ। यह नियम 300 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है इसलिये मैं इसे निरस्त करता हूँ।

[12:36] नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29-08-2018 को नियम 301 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें 20 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्री नफीस अहमद की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर तहसील सगड़ी के अन्तर्गत आराजी गॉव में 44 घरों के घाघरा नदी में विलीन होने के कारण पीड़ित परिवारों को सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है, दूसरी सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के अन्तर्गत निर्माण कार्य में अनियमितताओं के संबंध में है, तीसरी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के तहसील सगड़ी के विकास खण्ड बिलरियागंज के ग्राम नुरूद्दीनुर के गरीबों के पुत्रियों के शादी हेतु अनुदान दिलाये जाने के संबंध में है, चौथी सूचना श्री नाहिद हसन की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, पॉचवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की जनपद बुलन्दशहर के विकासखण्ड अगौता के तालाब के चारों तरफ दीवार बनाये जाने के संबंध में है, छठी सूचना डॉ0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर नगर में स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, सातवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की जनपद मथुरा के किसानों को सिंचाई की सुविधा हेतु माइनरों के सुव्यवस्थित संचालन कराये जाने के संबंध में है, आठवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में चकबंदी न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, नवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर स्थित बिल्सनबाग कालोनी अन्तर्गत कच्चे नाले का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, दसवीं सूचना श्री हरीराम की जनपद सौनभद्र स्थित अमवार कनहर सिंचाई परियोजना में प्रभावित विस्थापित लोगों को राहत दिलाये जाने के संबंध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत मिश्रपुर से सीतामढ़ी के बीच गंगा नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, बारहवीं सूचना डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सौराव में वृद्धाश्रम का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, तेरहवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत अकबरपुर स्थित सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने के संबंध में है, चौदहवीं सूचना श्री उमा शंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के संबंध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ में भू-गर्भ जल के गिरते जल स्तर से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ दीजिये।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भू-गर्भ जल स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है। लखनऊ के 11 इलाकों का जल स्तर 05 मीटर से ज्यादा गिरा है। यद्यपि पानी की

जरूरत 450 एम0एल0डी0 है, इसका बड़ा हिस्सा ट्यूबवेल से पूरा होता है। अनेक प्रयासों के बाद भी केवल 395 एम0एल0डी0 पानी निकल पा रहा है। लखनऊ के आसपास के इलाकों में शहरीकरण के साथ पानी की मांग बढ़ी है। पानी का तेजी से दोहन होने के कारण भूजल भण्डार पर खतरनाक ढंग से दबाव बढ़ रहा है। घर-घर में बोरिंग कर पानी निकाला जा रहा है। प्राईवेट संस्थान व होटल भू-जल का बेहिसाब दोहन कर रहे हैं। भू-जल स्तर गिरने का एक और कारण है कि लखनऊ की सतह पर तेजी से कंक्रीट बिछाया जा रहा है जो भू-जल रिचार्ज को प्रभावित कर रहा है। भू-जल रिचार्ज की गाईडलाइन्स को भवन एवं अन्य निर्माण में सख्ती से लागू कराया जाने की नितान्त आवश्यकता है। सरकार भू-जल विनियमन अधिनियम को शीघ्रता से लाए और अवैध रूप से किये जा रहे भू-जल दोहन पर प्रतिबंध लगाए। अतः नियम 301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गिरते हुए भू-जल स्तर को नियंत्रित किये जाने हेतु कठोर कदम उठाए जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

सोलहवीं सूचना श्रीमती लीना तिवारी की जनपद जौनपुर स्थित संजयनगर से दमोदरा रोड की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है, सत्रहवीं सूचना श्री जटा शंकर त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत कतिपय ग्राम पंचायतों में विशेष सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है, अठारहवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर अन्तर्गत मालन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर स्थित हरिद्वार मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में है, बीसवीं सूचना श्री कपिल देव अग्रवाल की जनपद मुजफ्फरनगर स्थित सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी।)

श्री अध्यक्ष-

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीः-

1-श्री पल्टूराम

2-श्री श्रीराम सोनकर

3-श्री वीरेन्द्र यादव

4-श्रीमती राजबाला

5-श्री जितेन्द्र वर्मा

6-श्री नन्द किशोर गुर्जर

7-श्री पारस नाथ यादव

8-श्री आजाद अरिमर्दन

9-श्री विजेन्द्र सिंह

10-श्री बहोरन लाल मौर्य

11-श्री संजय प्रताप जायसवाल

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर तहसील सगड़ी के अन्तर्गत आराजी गांव में 44 घरों के घाघरा नदी में विलीन होने के कारण पीड़ित परिवारों की सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नफीस अहमद-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि विधान सभा क्षेत्र गोपालापुर जनपद आजमगढ़ के तहसील सगड़ी के तहत आराजी सेमरी गांव में 44 घर कटान के कारण घाघरा नदी में विलीन हो गये। नदी के कटान के कारण यहां के लोग बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कटान हो जाने के कारण इन गांवों के लोगों का मकान भी बह गया है, जिससे इन लोगों को रहने का आवास ही नहीं हैं किसी तरह से सड़क के किनारे पन्नी डालकर जीवन व्यतीत कर रहे है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और लोक महत्व का है। तत्काल पीड़ित परिवारों को सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध कराकर बसाया जाय और मकान दिया जाय एवं इन्हें खाने-पीने की व्यवस्था की जाए।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त व्यक्तियों के लिए मकान बनाये जाने एवं आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग सरकार से करता हूँ।]

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के अन्तर्गत निर्माण कार्य में अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र किशनी के विकास खण्ड किशनी की ग्राम पंचायत चितायन में कटरा से बदनपुर तक सम्पर्क मार्ग पर जे0सी0बी0 से कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया। इसका भुगतान पंचायत में पर्याप्त मनरेगा श्रमिक होने के बावजूद भी 30 किमी0 दूर किठाह की मनरेगा श्रमिक लगाकर फर्जी भुगतान ग्राम प्रधान द्वारा करा लिया गया है।

इसी ग्राम पंचायत में आवास की सूची में पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के लगभग 80 लोगों के नाम फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति में दर्ज करा दिये गये। इससे अनुसूचित जाति के लाभर्थियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।

फर्जी लाभार्थी के नाम दर्शाकर शौचालय का काफी रुपया ग्राम प्रधान द्वारा निकाल लिया गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सरकार से कर्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के तहसील सगड़ी के विकास खण्ड विलरियागंज के ग्राम नुरूद्दीनपुर के गरीबों के पुत्रियों के शादी हेतु अनुदान दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। ग्राम नुरुद्दीनपुर, विकास खण्ड बिलरियांगज, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़, निवासी सुगेश्वर

नोट :-[ ] यह अंश पड़ा हुआ माना गया।

साहनी पुत्र दुब्बर साहनी एक पिछड़ी जाति के गरीब व्यक्ति की पुत्री की शादी दिनांक 29-4-2018 को होना निश्चित था। प्रार्थी ने अपनी पुत्री की शादी के लिए अनुदान दिये जाने हेतु दिनांक 25-4-2018 को प्रार्थना-पत्र दिया था जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या 315756767 है। परन्तु प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि शादी के कार्ड/प्रमाण-पत्र की तिथि का मेल नहीं हो रहा है। जबकि प्रार्थना-पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्र व विवरण जो संलग्न किया गया था जिसकी तिथि में कोई विरोधाभास नहीं था।

अतः इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त गरीब व्यक्ति को पुत्री की शादी का अनुदान दिलाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नाहिद हसन-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा कैराना जनपद शामली के ग्राम गन्दराऊ से गढ़ी होते हुए भूरा जन्धेड़ी मार्ग तक तथा ग्राम भडी से ग्राम चौसाना तक तथा ग्राम पान्तुपुरा से से खडलाना की ओर सड़क न होने से स्थानीय ग्रामीणों को बेहद असुविधा हो रही है। वर्षाकाल में बेहद असुविधा हो रही है जनहित में उपरोक्त तीनों मार्गों का निर्माण अति आवश्यक है।

अतः जनहित में उपरोक्त मार्गों का निर्माण कराने हेतु आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड अगौता के तालाब के चारों तरफ दीवार बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर के विकास खण्ड अगौता के ग्राम सुजापुर के तालाब के चारों तरफ दीवार, पक्का, रास्ता तथा पानी निकलने हेतु नाला बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। तालाब से पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बरसात में पानी अत्यधिक जमा होने के कारण इस तालाब की सीमा से लगे ग्रामवासियों के भवन गिरने का खतरा उत्पन्न हो जाता है साथ ही कृषि की फसलें जमाव के कारण नष्ट हो जाती है। जिससे इस क्षेत्र के निवासियों की फसले तो बरबाद होती ही है साथ ही मकानों के गिरने से जनधन की भी हानि होती है। जनहित में ग्राम सुजापुर के तालाब के चारों तरफ दीवार, पक्का, रास्ता तथा पानी निकलने हेतु नाला बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए समस्या के निराकरण हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर नगर में स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 श्याम बिहारी लाल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 122 फरीदपुर जनपद बरेली के फरदीपुर नगर में स्थित रेलवेक्रासिंग के दोनों ओर नगर बसा हुआ है तथा बदायूँ जनपद से आने वाला मार्ग भी इसी क्रासिंग से गुजरता है। पूरे दिन में लगभग 100 ट्रेन निकलने के

नोटः- [ ] यह अंश पड़ा हुआ माना गया।

कारण नगर के लोगों को बहुत परेशानी होती है। प्रत्येक वर्ष आये दिन इस क्रासिंग पर दुर्घटनाएं होती रहती है, जिससे लगभग एक दर्जन लोग मर जाते है। इस क्रासिंग पर ओवरब्रिज निर्माण कराये जाने की सख्त आवश्यकता है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्ब लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मथुरा के किसानों को सिंचाई की सुविधा हेतु माइनरों के सुव्यवस्थित संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बल्देव जनपद मथुरा के अन्तर्गत किसानों की सिंचाई का एकमात्र साधन मांट ब्रान्च लोअर खण्ड जिसके अन्तर्गत ब्लाक बल्देव व ब्लाक राया का पूरा ग्रामीण किसानों की जमीन आती है। इस मांट ब्रान्च में बल्देव राजवाह, राया राजवाह, कुरसण्डा राजवाह आदि राजवाहों से तमाम माइनर निकलते है। क्षेत्र में जमीन के नीचे खारा पानी है। सिंचाई का एकमात्र साधन सिर्फ मांट ब्रान्च ही है। इसमें वर्षों से धरातल पर सफाई, खुदाई न होने से पूरा क्षेत्र अपने धान की खेती, आलू की खोती व अन्य फसल को पर्याप्त सिंचाई का पानी न मिलने के कारण किसान अत्यधिक दुखी है। इस सम्बन्ध में पिछले माह जिलाधिकारी के कार्यालय में स्वयं व सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के मध्य किसानों की उपस्थिति में समस्या के समाधान के लिये बैठक का भी आयोजन किया गया। अत्यन्त खेद का विषय है कि जिलाधिकारी मथुरा के द्वारा किसानों को पर्याप्त सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के विषय पर सिंचाई विभाग के इंजीनियरों द्वारा स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि हम किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं करा सकते। कारण जो भी कुछ हो हम यह भी नहीं बता सकते। ऐसी परिस्थिति में हमारी एवं सरकार की असहाय स्थिति हो रही है। इसी प्रकार का हाल हमारे क्षेत्र के अपर आगरा कैनाल, लोअर खण्ड मथुरा के ब्लाक फरह के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण किसानों का है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में चकबंदी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा धोकरहा, विचपटवा, अमवा दीगर की तहसील तमकुहीराज के अन्तर्गत में चकबन्दी न होने से कृषकों के छोटे-छोटे चक होने से खेतों की जुताई-बुवाई करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चकबन्दी न होने से उक्त गांवों को चकमार्ग नहीं मिल पाये हैं। चकबन्दी होने से किसानों को चकमार्ग मिल जायेगा एवं बच्चों को खेलने-कूदने हेतु खेल का मैदान मिल जायेगा। बंजर एवं परती पड़ी जमीनों का भौगोलिक विकास होगा। उपरोक्त ग्राम सभा के बगल में सभी ग्राम सभाओं में चकबन्दी करके बन्दोबस्त तैयार कर तहसील मुख्यालय में नियमित कार्यवाही चल रही है। परन्तु उक्त ग्रामों की अनदेखी की जा रही है जिससे उक्त ग्राम के निवासियों में सरकार/चकबन्दी विभाग के प्रति काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

नोटः- [ ] यह अंश पड़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार से प्राथमिकता के आधार पर उपर्युक्त ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया अविलम्ब शुरू कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर स्थित विल्सन बाग कालोनी अन्तर्गत कच्चे नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसूद अख्तर-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 04 सहारनपुर के मानकमऊ विल्सन बाग कालोनी डा0 सरफराज की दुकान से लोहारों के मकान तक आर0सी0सी0 नाला पूर्णतया कच्चा है। पानी का निकास न होने पाने के कारण मकानों के नीव में पानी जमा हो रहा है जिससे मकान अति जर्जर हो गये हैं तथा 3-4 मकान अभी हाल में गिर चुके हैं। इसी लाइन में सैकड़ों मकान हैं वह भी अति जर्जर हो गये हैं। किसी भी समय मकान ध्वस्त हो सकते हैं और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जनहित में पानी निकासी हेतु उक्त नाले का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सोनभद्र स्थित अमवार कनहर सिंचाई परियोजना में प्रभावित विस्थापित लोगों को राहत दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरीराम-

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मेरा विधान सभा क्षेत्र दुद्धी जनपद सोनभद्र में सरकार की महत्वाकांक्षी अमवार कनहर सिंचाई परियोजना जो 5 दशक से निर्माणाधीन है। इस परियोजना से प्रभावित गांव के लोगों को पिछली सरकार द्वारा धोखा देकर अभी तक आवश्यक विस्थापितों को प्लांट उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे विस्थापित परिवारों में पिछली सरकार से विश्वास उठ चुका था। जबकि वर्तमान सरकार चुनाव में विस्थापितों को भरोसा दिलाया है कि जो लोग विस्थापन पैकेज से वंचित रह गये है उन्हें पुनः सर्वे कराकर विस्थापन सूची में सम्मिलित कर पूर्ण रूप से विस्थापन पैकेज व प्लांट उपलब्ध कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों से वार्ता के क्रम में जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी लगभग 2000 प्लांट की आवश्यकता है जिससे प्रारम्भिक आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करा लिया गया है। इस सम्बन्ध में शासन के आदेश के साथ ही ब्लाक जे0के0एल0एम0 के रूप में चार भागों में विभक्त कर लगभग 2000 प्लांट तैयार किया जा सकता है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में शीघ्र अमवार कनहर सिंचाई परियोजना से विस्थापित लोगों को प्लाट एवं विस्थापन पैकेज दिलाये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पड़ा हुआ माना गया।

जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत मिश्रपुर से सीतामढ़ी के बीच गंगा नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राहुल प्रकाश-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद मिर्जापुर से पौराणिक स्थल सीतामढ़ी जनपद इलाहाबाद को जोड़ने की आवश्यकता है जो कम दूरी का रास्ता बन जायेगा। जबकि यह दूरी मिर्जापुर होकर जाने में 100 कि0मी0 व इलाहाबाद होकर जाने पर 120 किमी0 की दूरी तय करनी पड़ेगी। पीपा पुल का निर्माण हो जाने पर धार्मिक आस्था के प्रति लोगों का और झुकाव बढ़ेगा।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में मिश्रपुर से सीतामढ़ी के बीच गंगा नदी पर पीपा पुल (प्लाटून पुल) निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में वृद्धाश्रम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 जमुना प्रसाद सरोज-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद इलाहाबाद में मेरे विधान सभा क्षेत्र सोरावं में ग्राम कलन्दरपुर एवं ग्राम करनाईपुर में काफी वृद्ध महिलाएं निवास करती है। उक्त गांवों में वृद्धा आश्रम न होने के कारण वृद्ध व बेसहारा महिलाओं को काफी परेशानी होती है। वहां के निवासियों की मांग है कि उक्त ग्रामों में एक-एक वृद्धा आश्रम का निर्माण हो जाय, तो वृद्ध व बेसहारा महिलाओं को परेशानी से निजात मिल सकें।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त ग्रामों में एक-एक वृद्धा आश्रम का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत अकबरपुर स्थित सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[मान्यवर, जिला अम्बेडकर नगर की विधान सभा क्षेत्र 281, अकबरपुर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा आटंगी (राईस मिल्स) से मुडियहवा होते हुए नौगवा (डडवा) (ल0 लगभग 3.0 कि0मी0) तक की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त जर्जर सड़क का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पड़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा रसड़ा में निम्नलिखित ग्रामों/स्थलों पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर कम क्षमता की वजह से आये दिन जल जाता है जिससे इन सभी क्षेत्र के निवासी लगातार अंधेरे में रहने हेतु बाध्य होते हैं।

1-ग्राम सभा गढ़ियों में पावर हाउस के पास लगे 100 केवीए ट्रांसफार्मर को 250 केवीए में उच्चीकृत किये जाने का कार्य।

2-सिकरिया खुर्द में लगे 100 केवीए ट्रांसफार्मर को 250 केवीए में उच्चीकृत किये जाने का कार्य।

3-ग्राम सभा बुढ़ऊ के पश्चिमपुरा में लगे 100 केवीए ट्रांसफार्मर को 250 केवीए में उच्चीकृत किये जाने का कार्य।

4-ग्राम सभा खनवर बीच गांव में लगे 100 केवीए ट्रांसफार्मर को 250 केवीए में उच्चीकृत किये जाने का कार्य।

5-बनिया बांध नाथ बाबा रोड, रसड़ा में लगे 100 केवीए ट्रांसफार्मर को 250 केवीए में उच्चीकृत किये जाने का कार्य।

6-ग्राम सभा रोहना में लगे 100 केवीए ट्रांसफार्मर को 250 केवीए में उच्चीकृत किये जाने का कार्य।

7-ग्राम सभा अठिला मेन गांव में लगे 100 केवीए ट्रांसफार्मर को 250 केवीए में उच्चीकृत किये जाने का कार्य।

8-पाण्डेयपुर (संवरा) में लगे 100 केवीए ट्रांसफार्मर को 250 केवीए में उच्चीकृत किये जाने का कार्य।

9-ग्राम सभा मटीही शिव मंदिर के पास लगे 100 केवीए ट्रांसफार्मर को 250 केवीए में उच्चीकृत किये जाने का कार्य।

10-ग्राम सभा हजौली के टेकारी में लगे 100 केवीए ट्रांसफार्मर को 250 केवीए में उच्चीकृत किये जाने का कार्य।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत उपरोक्त सभी ग्रामों/स्थलों में लगे ट्रांसफार्मरों की क्षमता को उच्चीकृत किये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ में भू-गर्भ जल के गिरते जल स्तर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, उ0 प्र0 की राजधानी लखनऊ में भूगर्भ जल स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है। लखनऊ के 11 इलाकों का जल स्तर 5 मीटर से ज्यादा गिरा है। यद्यपि पानी की जरूरत 450 एम0एल0डी0 है। इसका बड़ा हिस्सा ट्यूवेल से पूरा होता है। अनेक प्रयासों के बाद भी

नोट :-[ ] यह अंश पड़ा हुआ माना गया।

केवल 395 एम0एल0डी0 पानी ही निकल पा रहा है। लखनऊ के आस-पास के इलाकों में शहरीकरण के साथ पानी की मांग बढ़ी है। पानी का तेजी से दोहन होने के कारण भूजल भण्डार पर खतरनाक दबाव बढ़ रहा है। घर-घर में बोरिंग कर पानी निकाला जा रहा है। प्राइवेट संस्थान व होटल भू-जल का बेहिसाब दोहन कर रहे है। भू-जल स्तर गिरने का एक और कारण है कि लखनऊ की सतह पर तेजी से कंकरीट बिछाया जा रहा है जो भूजल रिचार्ज को प्रभावित कर रहा है। भू-जल रिचार्ज की गाइड लाइन्स को भवन एवं अन्य निर्माण में सख्ती से लागू करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। आवश्यकता है कि सरकार भू-जल विनियमन अधिनियम को शीघ्रता से लाये और अवैध रूप से किये जा रहे भू-जल विनियमन अधिनियम को शीघ्रता से लाये और अवैध रूप से किये जा रहे भू-जल दोहन पर प्रतिबन्ध लगाये।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गिरते हुए भू-जल स्तर को नियंत्रित किये जाने हेतु कठोर कदम उठाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर स्थित संजयनगर से दमोदरा रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती लीना तिवारी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं जनपद जौनपुर में संजय नगर से दमोदरा रोड तक मुख्य मार्ग कई वर्षों से जर्जर हो चुकी है। जिससे क्षेत्रीय जनता के आवागमन में काफी दिक्कत होती है। इस सड़क में काफी बड़े-बड़े गढ्ढे हो जाने से बरसात के दिनों में पानी भर जाता है जिससे कई दुर्घटनाएं हो जाती है। क्षेत्रीय जनता ने जिला प्रशासन से मरम्मत कराने के काफी प्रयास किया। परन्तु आज तक कोई कार्य नहीं कराया गया। जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं जनपद जौनपुर में संजय नगर से दमोदरा रोड तक मुख्य मार्ग (सड़क) की विशेष मरम्मत/पुनः निर्माण कराये जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत कतिपय ग्राम पंचायतों में विशेष सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

[मान्यवर, माननीय मंत्री जी कृपया यह बताने का कष्ट करें कि विधान सभा क्षेत्र खड्डा कुशीनगर में स्थित ग्राम पंचायतें जो कि नारायणी नदी रेता के उस पार में स्थित है। जिसमें शिवपुर, मरचहवां, नरायनपुर के साथ ही हजारों की आबादी पिछले कई वर्षों से बदहाली एवं प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभिषिका से प्रभावित होते है। सरकार के तरफ से ठोस प्रबंधन के अभाव में आज भी इस क्षेत्र में आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ, पेयजल, मकान, शिक्षा, जैसी बुनियादी सुविधाओं को अभाव है।

माननीय मंत्री जी क्या सरकार के तरफ से ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में समस्याओं के निराकरण के लिए कोई स्थाई समाधान हेतु कार्ययोजना सरकार द्वारा बनायी जा रही है। यदि हां तो क्या-क्या योजना तैयार की गयी है यदि नहीं तो क्या कारण है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त विषय को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की कृपा करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पड़ा हुआ माना गया।

जनपद बिजनौर अन्तर्गत मालन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में किरतपुर से बुडगरी मार्ग पर मालन नदी पर पुल की अत्यन्त आवश्यकता है हर वर्ष वर्षा ऋतु में कई ग्रामों का आवागमन बन्द हो जाता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त स्थान पर पुल बनवाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर स्थित हरिद्वार मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप कुमार-

[मान्यवर, जनपद सहारनपुर उत्तराखण्ड हरियाणा से मिला हुआ जनपद है। यहां पर आवागमन बहुत ज्यादा रहता है। हरियाणा को जोड़ने के लिए गंगोह विधान सभा के अन्तर्गत लखनोती के पास दौलतपुर में पुल का निर्माण चल रहा है, जो कुछ ही समय बाद चालू होने वाला है, जिससे उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड का आवागमन हरियाणा व हरियाणा का उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड में आवागमन और भी ज्यादा बढ़ेगा। जिससे भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। परिवहन की दृष्टि से व आवागमन सुलभ व सरल हो, उत्तराखण्ड से मंगलौर होते हुए देवबन्द, नानौता, गंगोह होते हुए दौलतपुर पुल से हरियाणा की सीमा में और हरियाणा से उत्तराखण्ड में आना-जाना बहुत तेजी से बढ़ेगा। हरिद्वार जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जो हमारी धार्मिक दृष्टिकोण से भी धर्मनगरी है। इसके लिए इस रोड को जो हरियाणा उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड को जोड़ने वाला मार्ग होगा। इस मार्ग का चौड़ीकरण करते हुए फोर लाइन में परिवर्तित किये जाने की मांग करता हूँ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कपिल देव अग्रवाल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 14 मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत गांव कूकड़ा नई मण्डी स्थल चौक से एन0एच0-58 तक सड़क अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। इस सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं। यह सड़क जनपद मुजफ्फरनगर का व्यस्तम मार्ग है जिस पर यातायात का भारी दबाव रहता है तथा प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहन इस मार्ग से होकर गुजरते हैं जिस कारण से गांव कूकड़ा नई मण्डी स्थल चौक से एन0एच0-58 तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पड़ा हुआ माना गया।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-843/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(10)-2017, दिनांक 30 जून, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-843/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(10)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1823/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(89)-2017, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1823/ग्यारह- 9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(89)-2017, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1824/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(90)-2017, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1824/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(90)-2017, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1826/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(90)-2017, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1826/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(92)-2017, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उ0 प्र0 माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-82/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम, 2017-आदेश

---

†छापी नहीं गई।

(96)-2018, दिनांक 18 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-389/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(110)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-389/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(110)-2018, दिनांक 7 मार्च, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-390/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(111)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-390/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (111)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

(इसी मध्य 12 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुखदेव राजभर पीठासीन हुए।)

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-391/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(112)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-391/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(112)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-392/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(113)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-392/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(113)-

†छापी नहीं गई।

2018, दिनांक 07 मार्च, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-393/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-297-आदेश(114)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-393/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-297-आदेश(114)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-394/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-297-आदेश(115)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-394/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(115)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-395/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(116)-298, दिनांक 07 मार्च, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-395/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(116)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-396/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(117)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-396/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(117)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गई।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-405/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(118)-2018, दिनांक 12 मार्च, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-405/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(118)-2018, दिनांक 12 मार्च, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-415/ग्यारह-9 (57)-17-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश(119)-2018, दिनांक 07 मार्च, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-415/ग्यारह-9(57)-17-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश(119)-2018, दिनांक 14 मार्च, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-487/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(120)-2018, दिनांक 26 मार्च, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-498/ग्यारह-9 (42)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(121)-2018, दिनांक 27 मार्च, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्ध अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-498/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(121)-2018, दिनांक 27 मार्च, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

(इसी समय 12 बजकर 49 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

---

†छापी नहीं गई।

नियम 301 के अधीन ग्राहय सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधानसभा के प्रथम सत्र, 2018 (दिनांक 08.02.2018 से दिनांक 27.08.2018 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 301 के अधीन ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या-1 वर्ष, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राज्य सरकार के वित्त 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2018 को संविधान के अनुच्छेद-151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-05-2014 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-05-2014 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-24 इसमें कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2017-18) का 43वां प्रतिवेदन†

श्री राम नरेश रावत-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2017-18) का 43वां प्रतिवेदन जो जनपद-फर्रूखाबाद के ग्राम बल्लू बेहटा, थाना कायमगंज में फर्जी मुठभेड़ में 9 व्यक्तियों की निर्मम हत्या की घटना के सम्बन्ध में एवं श्रीमती अमिता देवी, निवासिनी ग्राम भुलभुलिया पुरवा, जनपद सीतापुर की चहारदीवारी गिराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

---

†छापी नहीं गई।

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2017-18) का 44वां प्रतिवेदन

श्री राम नरेश रावत-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2017-18) का 44वां प्रतिवेदन जो ग्राम समाज द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों को पट्टे पर दी गयी आवंटित भूमि से उन्हें बेदखल न करने के सम्बन्ध में, तहसील व जनपद कन्नौज के ग्राम सभा कटरी अमीनाबाद में खाता संख्या-49, खसरा नम्बर-82/01, रकबा 3.12 एकड़ भूमि कल्लू पुत्र दुर्गा के नाम से जमीन को पूर्व विधायक बनवारी लाल दोहरे के नाम अंकित कराने के सम्बन्ध में मा0 विधायक श्री कल्याण सिंह दोहरे का पत्र एवं प्रार्थिनी श्रीमती रामबेटी पत्नी श्री गंगाराम, अनुसूचित जाति, निवासिनी, गहलोतनपुरवा, जनपद कन्नौज की जमीन पर गांव के दबंग व्यक्तियों द्वारा कब्जा करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री कल्याण सिंह दोहरे के पत्र से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''नियम समिति'' वर्ष (2017-2018) का प्रथम प्रतिवेदन

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नियम समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''नियम समिति'' वर्ष (2017-2018) का प्रथम प्रतिवेदन जो नवगठित ''संसदीय अनुश्रवण समिति'' से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, इसी से संबंधित एक प्रस्ताव है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस प्रस्ताव को भी रख दूं।

मान्यवर, ''प्रस्ताव यह है कि उत्तर प्रदेश, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 251 जो ''नियमावली'' मे संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, के उपनियम (क) जिसमें समिति की सिफरिशों को पटल पर रखे जाने के दिन से 14 दिन की कालावधि जो सिफारिशों में किसी संशोधन हेतु निर्धारित है, को नियम समिति की संस्तुति अनुसार शिथिल कर आज सदन में प्रस्तुत ''नियम समिति'' का प्रथम प्रतिवेदन जो ''संसदीय अनुश्रवण समिति'' के गठन से संबंधित है, को यदि सदन सहमत हो तो आज ही सर्वसम्मति से स्वीकृत करा लिया जाये।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि ''उत्तर प्रदेश, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 251 जो ''नियमावली'' मे संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, के उपनियम (क) जिसमें समिति की सिफरिशों को पटल पर रखे जाने के दिन से 14 दिन की कालावधि जो सिफरिशों में किसी संशोधन हेतु निर्धारित है, को नियम समिति की संस्तुति अनुसार शिथिल कर आज सदन में प्रस्तुत ''नियम समिति'' का प्रथम प्रतिवेदन जो ''संसदीय अनुश्रवण समिति''

†छापी नहीं गई।

के गठन से संबंधित है, को यदि सदन सहमत हो तो आज ही सर्वसम्मति से स्वीकृत करा लिया जाये।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति वर्ष (2017-2018) का पंचम प्रतिवेदन†

श्री रामचन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का पंचम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2001-2002 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित हैं, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का षष्ठम् प्रतिवेदन†

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का षष्ठम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2009-2010 एवं 2013-2014 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित हैं, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का सप्तम् प्रतिवेदन†

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का सप्तम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1998-1999 एवं 1999-2000 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित हैं, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम का अष्ठम् प्रतिवेदन†

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का अष्ठम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011 एवं 2012-2013 (वाणिज्यिक) में

†छापी नहीं गई।

उल्लिखित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित हैं, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का नवम् प्रतिवेदन†

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का नवम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2012-2013 एवं 2015-2016 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित हैं, प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

श्री राकेश सिंह जी उपस्थित नहीं हैं।

श्री राकेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)

श्री राकेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मथुरा के श्रीमती विमला देवी कालेज भदार सौंख को बी0टी0सी0 (डी0एल0डी0) कोर्स की सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में श्री तेजवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित नहीं की गयी।

श्री अध्यक्ष-

श्री जगन प्रसाद गर्ग, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित नहीं की गयी।

श्री जगन प्रसाद गर्ग, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित दो याचिकाएं (व्यपगत)

1-जनपद आगरा के महानगर के भगवान टाकीज से लेकर स्वामीबाग होते हुए पोईयाघाट तक की सड़क को चौड़ी करने के सम्बन्ध में श्री राहुल सिकरवार व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षारित याचिका, तथा

2-जनपद आगरा की कालोनी अंकुर विहार में ट्रान्सफार्मर से निराला नगर तक एवं नगलापदी दयालबाग तक 700 मी0 की सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में श्री ममता ठाकुर व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 34 में कुछ नहीं है।

---

†छापी नहीं गई।

[12:58]

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28 अगस्त, 2018 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की है:-

1-दिनांक 29 अगस्त, 2018 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 एवं श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी विधेयक, 2018 पर विचार एवं उनके पारण सम्बन्धी मदें ले ली जायं।

2-दिनांक 30 अगस्त, 2018 को दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार एवं उनके पारण सम्बन्धी मदें ले ली जायं।

तद्नुसार दिनांक 29 अगस्त, 2018 से दिनांक 31 अगस्त, 2018 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

अगस्त, 2018

29 बुधवार 1-वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(1) उत्तर प्रदेश सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018

(2) श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी विधेयक, 2018

3-अन्य कार्य, यदि कोई हों।

30 गुरुवार 1-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(1) उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018

(2) उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018

(3) इण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018

2-अन्य कार्य, यदि कोई हों।

31 शुक्रवार (1) विधायी कार्य।

(2) असरकारी दिवस (आधा दिन)

31 शुक्रवार (3) श्री विनय शंकर तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनाांक 22 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना करायी जाय।''

(4) श्री सुखदेव राजभर एवं श्री अजय कुमार 'लल्लू', सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :-

''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि 2004 के बाद से नियुक्त उ0प्र0 के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन बहाल किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(5) श्री अजय कुमार 'लल्लू', सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरी घाट, धोकरहा घाट तथा खैरवा घाट पर जनहित में पुलों का निर्माण शीघ्र कराया जाय।''

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के सम्बंध में जो प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने आज सदन में प्रस्तुत किया है उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

इसमें कुछ नहीं है, अब मद संख्या-37

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जय प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूँ।

[1:00] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव लेते हैं। पहली सूचना मा0 राम गोविंद चौधरी जी, मा0 श्री उज्ज्वल रमण सिंह जी, मा0 मनोज कुमार पारस जी तथा मा0 अजय कुमार 'लल्लू' जी, मा0 नरेश सैनी जी, मसूद अख्तर जी, मा0 आराधना मिश्रा मोना जी, सोहिल अख्तर अंसारी जी, सुश्री अदिति सिंह जी की प्रदेश में माह अगस्त में भारी बारिश एवं बाढ़ से प्रभावित लोगों को सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं का लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

दूसरी सूचना मा0 लालजी वर्मा जी, सुखदेव राजभर जी, श्री रामअचल राजभर जी, श्री आजाद अरिमर्दन की दिनांक 02.04.2018 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम में संशोधन से नाराज संगठनों द्वारा भारत बंद के आह्वान के समय कतिपय जनपदों में गलत तथ्यों के आधार पर की गई गिरफ्तारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में है। शुरू की दो सूचनाओं की ग्राह्ता पर हम सुनेंगे।

तीसरी सूचना मा0 शैलेन्द्र यादव ललई जी तथा जगदीश सोनकर जी की प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम न किये जाने एवं दिनांक 23.08.2018 को जनपद जौनपुर के थाना मड़ियाहूं के ग्राम गहलाई में बी0एस0सी0 की छात्रा कोमल तिवारी के साथ दुष्कर्म के उपरान्त हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। जिस पर हमने ध्यानाकर्षण किया।

चौथी सूचना राकेश प्रताप सिंह जी की प्रदेश में हांगकांग की कम्पनी क्यूनेट द्वारा की जा रही ठगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में है। जिस पर हमने ध्यानाकर्षण किया।

पांचवी सूचना मनोज कुमार पाण्डेय जी, श्री प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री उज्जवल रमण सिंह जी की प्रदेश में मच्छरों की बढ़ती हुई संख्या एवं डेंगू के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम हेतु समुचित कार्रवाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में है जिस पर ध्यानाकर्षण कर दिया है।

छठी सूचना श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर एडवोकेट की उ0 प्र0 राज्य खाद्य आवश्यक वस्तु निगम द्वारा किये जा रहे खाद्यान्न वितरण का कार्य विपणन शाखा को दिये जाने के उपरान्त हो रही कालाबाजारी की रोकथाम किये जाने के सम्बंध में है। जिस पर ध्यानाकर्षण कर दिया है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाये अस्वीकार की गईं:-

1-श्री संग्राम यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री वीरेन्द्र यादव, श्री धर्मराज सिंह, श्री राजकुमार यादव, श्री बृजेश कठेरिया, श्री मो0 इरफान ।

2-श्री संजय गर्ग

दिनांक 24 सितम्बर, 2018 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

3-डा0 हरगोविन्द भार्गव

4-श्री असलम अली

5-श्री हरिओउम यादव।

श्री अध्यक्ष-

अब मा0 नेता विरोधी दल अपनी बात रखें।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविंद चौधरी)-

मान्यवर, इस समय बाढ़ का बहुत घोर संकट खड़ा हुआ है। प्रदेश की जो भी नदियां हैं वह उफान पर हैं। गांव कट रहे हैं। किसानों की जमीन कट रही है। किसानों ने जो बोया था उसकी फसल नष्ट हो गयी है। पिछली बार भी विधान सभा में बाढ़ पर लम्बी चर्चा हुई थी। मैं जानता हूँ कि आप इस पर चर्चा नहीं कराएंगे, लेकिन नियम 56 में मैं अपनी बात कह रहा हूँ। लगभग 100 से ऊपर लोगों की वर्षा और बाढ़ से मृत्यु हुई है। लाखों हेक्टयर जमीन किसानों ने जो मेहनत करके बोया था। खाद बीज लगाया था मजदूरों को लगाकर उसको ठीक किया था इस अरमान से कि हमारी फसल उगेगी और हम इस फसल से जो बेचेंगे उससे खाने के बाद अपने लड़के की शादी करेंगे और घर बनाएंगे।

उनके अरमान इस बाढ़ ने ध्वस्त कर दिया। ऐसे लोग जो बाढ़ के किनारे अपना घर बनाकर के रहते थे, उनके घर गिर गए, फसल नष्ट हो गयी। घाघरा और गंगा के कटान से उनके खेत नष्ट हो गए, उनके मकान नष्ट हो गए और अब तक सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपको याद होगा, पिछले ही साल मैंने इस बात को उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि मुख्यमंत्री जी, आपके अधिकारी बाढ़ पर यह कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी बांध बचाने की है, बांध के अन्दर जो गॉव हैं, अगर वह कट जायेंगे तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहीं खड़े होकर कहा था कि हमारे अधिकारी क्या कहते हैं, इसको हम नहीं जानते, मैं एक भी घर गिरने नहीं दूँगा। माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह जी अभी आ रहे हैं, इनके क्षेत्र में कई गॉव गिर गए, पिछली बार का कह रहा हूँ, टी0 एस0 बन्धा के करीब घाघरा आ गयी, मेरे क्षेत्र में एक गॉव गिर रहा था, उसी को मैंने उठाया था। माननीय प्रभारी मंत्री जी भी उस गॉव गए थे, वह कह कर आए, शायद मा0 मंत्री, उपेन्द्र तिवारी जी भी उनके साथ थे, मंत्री जी ने गॉव के लोगों को आश्वासन दिया कि एक महीने के अन्दर हम यहॉ पर ऐसा काम करा देंगे कि गॉव नहीं कटेगा। जो माननीय सांसद हैं, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुआर महीने तक बाढ़ रहती है, माननीय मंत्री जी भादों में गए थे। इतना भी मंत्री जी को पता नहीं कि बाढ़ के रहते, वह स्लीपर कैसे बनवा देंगे? वहॉ के माननीय सांसद जी ने कहा, जब उस गॉव के पीड़ित लोग गए तो कहा कि दो हफ्ते में काम शुरू हो जायेगा और फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क तो गिर ही गयी, 8-10 घर भी गिर गए, इस बार भी मंत्री जी 04 घर गिर गए, जो गरीबों के हैं, मल्लाह हैं, गोंड हैं, जिनके पास खेती नहीं है, मजदूरी का काम करते हैं और आज तक जो प्रोजेक्ट बने थे, जो हमारी सरकार ने प्रोजेक्ट बनवाये थे, आपकी सरकार आयी, वह प्रोजेक्ट खत्म हो गए और आपकी सरकार में भी अधिकारियों ने प्रोजेक्ट बनाकर भेजा लेकिन आज तक वह प्रोजेक्ट 02 साल में

पास नहीं हो पाया और फिर मैंने जब जिलाधिकारी से बहुत आग्रह किया कि आप इस गॉव को बचाइये, तो मैं जिलाधिकारी को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं बचाऊँगा और उन्होंने वहॉ पर ईंट का टुकड़ा गिरवा करके किसी तरह से कराया। बाढ़ में सरकार देती है, हर साल होता है, कटान विरोधी, बाढ़ विरोधी काम और बंधों पर मरम्मत के काम अप्रैल तक पूरे हो जाने चाहिए, कहीं नहीं होता, बांध टूट गया, मंत्री जी, उपेन्द्र तिवारी जी आप भी गए थे, उस बांध में दरार पड़ गया, लोगों में दहशत हो गयी, अप्रैल तक वह बांध क्यों नहीं पूरा हो गया, क्यों दरार पड़ गयी ? यह आज की बात नहीं है, हमेशा की बात है, बाढ़ विभाग के अधिकारी यह देखते हैं कि जब बाढ़ आये, तभी काम हो। आखिर जब अप्रैल तक बाढ़ सम्बन्धी, कटान सम्बन्धी, बांधों की मरम्मत, बांधों का निर्माण हो जाना चाहिए, वह काम क्यों नहीं हुआ? अभी गोण्डा में तबाही हो गयी, बलिया में तबाही हो ही रही है, घाघरा नदी से भी और गंगा नदी से भी, गॉव कट ही रहे हैं, खेत कट गए कितने लोगों के, मोहाली से लेकर जय प्रकाश जी के गॉव तक सैकड़ों बीघा जमीन गिर गयी।

(घोर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष-

कोई भी माननीय सदस्य इस तरह से टोका-टांकी नहीं करेगा। यह सदन है इसमें इस तरह से टोका-टाकी का तरीका ठीक नहीं है।

श्री मोहम्मद फहीम-

अध्यक्ष जी, यह आपको कुछ नहीं समझ रहे हैं। जब मर्जी करे यह तब बोल जाते हैं। अध्यक्ष जी, चर्चा करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

इस तरह से वरिष्ठ नेताओ के भाषण पर टोका-टांकी करने से सदन का वातावरण बिगड़ता है। जब आपका नम्बर आएगा तब आप बोलेंगे। बैठे-बैठे कई लोग टोका-टांकी करते हैं यह बिल्कुल ठीक नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में नेता सदन थे माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी और भयंकर बाढ़ आई हुई थी पूरे प्रदेश में और हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि नदी के किनारे मजदूर किसान बसते हैं और अभी उनका केवल खेती और मवेशी इन्हीं दोनों से उनकी रोजी-रोटी चलती है। मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने नियम बना दिया उन्होंने आदेश करा दिया कि अगर किसी किसान का नदी के कटान से मकान अगर गिरता है तो उसको पक्का मकान का मुआवजा, यदि किसी का कच्चा मकान गिरता है नदी के कटान से तो उसके कच्चे मकान का मुआवजा, किसी के छप्पर का मकान है अगर वह कटान से गिरता है तो उसके छप्पर का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। अगर किसान की बाढ़ में डूबने से मौत होती है तो उसको सरकार को पांच लाख रू0 की आर्थिक का इंतजाम किया। अगर किसान का कटान से खेत गिर जाता है तो खेत का मुआवजा, यह सब मुलायम सिंह यादव जी ने करके दिखाया। दो-दो बार इस विधान सभा में बाढ़ पर चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे संकल्पित

होकर दबा भी दिया। लेकिन क्या है कि आज जनता को तो सहायता मिलती ही नहीं। क्या जिनके मकान गिरे उनको पैसा मिला, जिनके खेत गिरे उनको खेत का पैसा मिला? मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने किसान दुर्घटना बीमा योजना लागू की थी कि किसी किसान की एक्सीडेण्ट में मौत हो जाने पर, ओलावृष्टि से मौत हो जाने पर, सॉप काटने से मौत हो जाने पर, आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो जाने पर हम एक लाख रुपया मुआवजा किसान के परिवार को दिलाते थे। जब मा0 अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए तो उसे 5 लाख रुपया कर दिया गया लेकिन यह सरकार उस मद में पैसा ही नहीं दे रही है। किसान दुर्घटना बीमा योजना में पैसा ही एलॉट नहीं हुआ। आज जो किसान नदी में डूब जाता है, उसका मुआवजा नहीं मिला। जिसके पशु डूब गए नदी में उसका मुआवजा नहीं मिला। श्रीमन्, आज बाढ़ और वर्षा से पूरा प्रदेश तबाह है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि नदी के किनारे वही लोग बसते हैं, जो गरीब हैं, केवल खेती करते हैं, मवेशी पालते हैं और किसी तरह से अपना भोजन चलाते हैं। बेटा-बेटी की शादी करने में उनके छक्के छूट जाते हैं, कर्ज लेना पड़ता है। आज वे बिल्कुल खत्म हो गए, उनकी पूरी सम्पत्ति खत्म हो गई। सरकार को चाहिए कि वह खेत गिरने का मुआवजा दे, फसल की बरबादी का मुआवजा दे। अब फसल की बरबादी में क्या होता है कि केन्द्रीय अध्ययन दल आता है। जब बाढ़ बीत जाती है, पानी सूख जाता है, रबी की बुआई हो जाती है, तब केन्द्रीय अध्ययन दल आता है। तब तक साल-दो साल बीत जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि आप तत्काल बाढ़ से, वर्षा से, ओलावृष्टि से किसानों की जो फसल नष्ट हुई है उसका आकलन करा करके मुआवजा दिलाइए। जिनके मकान गिरे हैं, उनको मुआवजा दिलाइए। जिसका खेत गिरा है उसको मुआवजा दिलाइए। जो किसान नदी में डूबा है, मर गया है उसको मुआवजा दिलाइए। जिस किसान के गाय, भैंस, बैल नदी के इस पार से उस पार करने में मर गए हैं, उसको मुआवजा दिया जाए। आज बाढ़ ने जो प्रलंयकारी रूप धारण किया है तो आगे कोई गॉव न गिरे, सरकार इसकी व्यवस्था करे। मैंने इस विषय को नियम 56 में दिया है। यह तात्कालिक घटना है, अविलम्बनीय है, लोक महत्व की है। जनता बाढ़ की इस भयानक त्रासदी से डरी हुई है, उनके मन में भय व्याप्त हो गया है। लोग अपने गॉव छोड़-छोड़ कर भाग रहे हैं। इसलिए सदन की सारी कार्यवाही तत्काल रोक करके बाढ़ के ऊपर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, बाढ़ और बन्धे का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण और गम्भीर है। हमने इसे आज नियम 56 में कार्य स्थगन की सूचना के अन्तर्गत आपके पटल पर रखा है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह नदियॉ उफान पर हैं, प्रदेश के 26 जनपद अति संवेदनशील स्थिति में है और 14 जनपदों को संवेदनशील स्थिति में सिंचाई विभाग की टीम ने रखा था। अध्यक्ष जी, यह मेरा आंकड़ा नहीं है, सिंचाई विभाग के बुलेटिन का आंकड़ा है। इन 26 अति संवेदनशील जनपदों में मात्र तीन को छोड़कर सिद्धार्थनगर, बलिया का एक बन्धा और महाराजगंज का बी-गैप छोड़कर एक भी परियोजना की स्वीकृति मुख्यमंत्री जी ने नहीं की जो स्थाई संतुलन समिति के अध्यक्ष हैं। इनकी गम्भीरता इस बात को दर्शाती है कि इन लोगों ने बाढ़ और बन्धे

के प्रति कभी भी कोई गम्भीर चिन्ता करने का काम नहीं किया। अध्यक्ष जी, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूँगा। आज गोण्डा की क्या स्थिति है, चरसड़ी बन्धा दो साल से टूटा हुआ है, 220 मीटर टूटा हुआ है। क्या मुख्यमंत्री जी को इसकी पहले से जानकारी नहीं थी, क्या बाढ़ मंत्री जी को पहले से जानकारी नहीं थी? बहराइच का क्या हाल है, आज 150 सौ गॉव पानी में डूबे हुए हैं। गोरखपुर के पास क्या स्थिति है, सन्त कबीर नगर की क्या स्थिति है, बलिया की क्या स्थिति है, आजमगढ़ की क्या स्थिति है, मऊ की क्या स्थिति है ? अध्यक्ष जी, इन सारी जगहों पर बाढ़ से हाहाकर मचा हुआ है।

अध्यक्ष जी, परियोजनाएँ टी0ए0सी0 में स्वीकृत होती हैं। परियोजनाओं की स्वीकृति के बाद परियोजनाओं का धन आवंटन करने का काम हेतु जब परियोजनाओं की स्वीकृति टी0ए0सी0 के अधिकारियों द्वारा स्वीकृत की जाती है तो स्टेयरिंग की जाती है। यह पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने इस साल एक भी स्टेयरिंग करने का काम नहीं किया तो क्यों नहीं आफत और संकट आएगा, क्यों नहीं जल के सैलाब की तबाही पूरे प्रदेश की स्थिति को बेकाबू करेगी। अध्यक्ष जी, मेरा क्षेत्र विधान सभा तमकुहीराज आज क्या स्थिति ए0पी0 तटबंध पर अहिरौलीदान के 500 घर पानी में कटकर विलीन हो गए है। नौनियापट्टी के 300 घर पानी में कट कर विलीन हो गया। बाघाचौर, मधुरही माननीय बाढ़ राज्य मंत्री जी मौके पर गई थी इन्होंने जाकर मौके पर भी देखा था। मैं तो इस बात के लिए हतप्रभ हूँ जिस बात को मैं सदन में कहने जा रहा हूँ कि एन0सी0डी0पी0 मौके पर जैसे ही गए उन्होंने कहा कि आपके क्षेत्र में काम क्यों होगा मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा है, पता नहीं कहा है भी की नहीं कहा है कि विपक्ष के विधायक के क्षेत्र में कोई काम नहीं होगा। कितनी गंभीर बात है मैं ऑन रिकार्ड बोल रहा हूँ। ऑन रिकार्ड बोल रहा हूँ अध्यक्ष जी, कितनी गंभीर बात है।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा इस बात को विरोध किये जाने पर।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन में एक नेता को जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। यह बड़े दुःख की बात है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा, हम इसका पुरजोर खण्डन करते हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मैंने कहा कि पता नहीं मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा कि नहीं कहा लेकिन उस अधिकारी ने मौके पर जाकर कहा। माननीय अध्यक्ष जी, आज हालात क्या हैं?

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के बीच में टोका-टांकी करने पर।)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

पहले सुनें, सुनना सीखें। हालात और स्थिति को सुनना सीखें यदि आपको ही बोलना है तो आप ही बोल लें।

श्री अध्यक्ष-

आप हमारी ओर, पीठ की ओर देखकर बोलिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, आज पूरा प्रदेश हाहाकार झेल रहा है, पूरे प्रदेश में आज मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वे कर रहे हैं। हवाई सर्वे की क्या जरूरत पड़ गई ?

श्री अध्यक्ष-

वह तो पहले के मुख्यमंत्री भी करते रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

यदि बंधों का मरम्मतीकरण समय से कर लिया गया होता। बंधों पर स्पर/स्टड हेतु जो परियोजना टी0ए0सी0 ने स्वीकृत की थी उसका धन आवंटन हो गया होता तो कुछ होता आज हवाई यात्रा करने से इसका हल नहीं होता है। अध्यक्ष जी, यह तो हाल ऐसा है जैसे रोम जल रहा था और नीरो बॉसुरी बजा रहा था। आज प्रदेश में हाल यह है कि बंधे कट रहे हैं, गॉव तबाह हैं। गॉव-गॉव में पानी घुस गया है। हजारों लाखों एकड़ फसल कटकर पानी में विलीन हो गई है। मा0 अध्यक्ष जी, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले साल भी हमने बाढ़ के दंश को झेला था। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी को 25 पत्र दिए कि इसकी स्टेयरिंग कराइये, मैंने मंत्री जी को दिया, मैंने प्रभारी मंत्री को भी लिखित दिया लेकिन सारे पत्र दर-किनार कर दिये गये। अगर हमने उनको इसकी सूचना दी तो उस पर कार्यवाही उनको करनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष-

इस समय आपकी मॉग क्या है ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, सुन तो लीजिए। नियम-56 में यह स्थगन प्रस्ताव पर बात रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

जैसे श्री राम गोविन्द चौधरी जी ने संक्षेप में अपनी बात रखी है, वैसे ही कहें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बार भी हजारों एकड़ फसल पानी में कटकर विलीन हुई। उसका भी मुआवजा आज तक नहीं मिला है। इस साल भी लाखों हेक्टेयर फसल कई लोगों की कटकर पानी में विलीन हो गई है। आज हालात बद से बदतर है। लगातार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन के बाद भी कोई अधिकारी और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अब तक 211 लोगों की मौतें हो चुकीं हैं। हम आपसे मॉग करना चाहते हैं अध्यक्ष जी कि जहॉ कटान की स्थिति गंभीर हो, वहॉ तत्काल योजना स्वीकृत करके स्पर/स्टक का निर्माण कराया जाए। अध्यक्ष जी, इसी सदन में मेरे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नदी से बंधों के बीच की दूरी को हम किसी कीमत पर कटने नहीं देंगे, गांव हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा था कि मैं भी जब सरकार में नहीं था और गांव कटते थे तो मेरे दिल में पीड़ा होती थी। चूंकि मुख्यमंत्री जी अगर सदन में बोल रहे हों तो वह अपने-आप में पर्याप्त है वह अब कानून के रूप में माना जाता है लेकिन अधिकारियों से बार-बार सम्पर्क करने के बाद उन्होंने सीधे तौर से कहा कि हम गांव नहीं बचा सकते, हम बंधा बचाएंगे और बंधे से नदी 50 मीटर दूर रहेगी तब उसका काम करेंगे। अध्यक्ष जी, कोई जानता है कि नदी किस ओर मुँह कर लेगी? जब

नेपाल का पानी डिस्चार्ज होता है वह पानी जब तेज वेग से चलता है तो वह धारा किधर चली जाएगी कोई नहीं जानता। हमारे क्षेत्र के बगल में बिहार है उसने पहले से जो परियोजना गंगा फ्लड लेवल कमेटी ने स्वीकृत की, उस पर काम करा लिया है हमारे जस्ट बंधे के बगल में। बगल का बंधा बिहार अमुआखास के पास है उसको करा दिया गया। बिहार सरकार ने इस सरकार को पत्र लिखा कि हमारे क्षेत्र में बंधा कटान से दिक्कत हो सकती है उसके बाद भी यह सरकार गंभीर नहीं हुई। आज हालात बेकाबू हैं। हम मांग करना चाहेंगे जिन लोगों ने अपना घर खोया है जिनके घर विलीन हो गए हैं उन्हें तत्काल कहीं जमीन आवंटित करके, चाहे मुख्यमंत्री आवास हों या किसी भी आवास योजना के अंतर्गत दी जाये।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को एक उदाहरण के साथ समाप्त करना चाहूँगा। चूंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी बहुत मजबूती के साथ बात कही है कि 'सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है कि पहले ऑख छीन लेती है फिर बाद में चश्मा दान करती है' यह हाल इस सरकार का है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है इसमें तमाम पक्ष के भी विधायक हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, इसमें सभी पक्षों के विधायक हैं जो कह रहे हैं कि हमारे बंधे का, हमारे गांव का अस्तित्व खतरे में है। मैं आपसे इस सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा की मांग करना चाहूंगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहूंगा। प्रत्येक वर्ष नाव का प्रबन्ध होता है। दो तरह की नाव का प्रबन्ध है, एक बड़ी नाव जिस पर लोग तियारे के उस पार जाकर बिहार से चारा ले आते हैं अपने मवेशियों को खिलाते हैं या जो तियारे में बसने वाले लोग डूब जाते हैं तो वह अपने मवेशियों को, अपना सामान लादकर इस पार ले आते हैं। एक छोटी नाव लगती है क्योंकि बड़ी नाव उतनी नहीं हैं। हमारे जिले में अधिकांशतः छोटी नाव लगती है कि गांव के आदमी उस पर चढ़कर के बाजार आ सकें और सामान खरीदकर फिर अपने गांव में जा सकें। हमारे विधान सभा क्षेत्र में घाघरा के किनारे जितने गांव डूबे हुए हैं उनमें अभी तक नाव की व्यवस्था हुई नहीं है। हमेशा नाव लगायी जाती है। अब अधिकारी बहाना कर रहे हैं कि छोटी नाव डूब जाएगी तो लोग मर जाएंगे फिर हम पर आरोप आएगा। आप पहले से ही जान रहे हैं कि नाव डूब जाएगी और डूब जाएगी तो उसको आप कैसे रोक पाओगे। अभी बिजनौर में नाव डूब गयी उसमें कितने लोग मर गए। अध्यक्ष जी, नाव की तत्काल व्यवस्था हो। गाजीपुर में अभी बरहिया, बड़हलिया, पुरैना, सरैया, भदेपुर जैसे तमाम

गांव डूबे हुए हैं। एक बहुत बड़ा मन्दिर कटान में आ गया है वह गिरने की कगार पर है उसकी भी देखरेख आप करवा लीजिए और जो बाढ़ से घिरे गांव हैं उनमें नाव की तत्काल व्यवस्था कराइये। मैं अपने क्षेत्र और पूरे प्रदेश के लोगों के लिए कहता हूं कि पूरे प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित जो गांव डूब गए हैं उनके लिए नाव की तत्काल व्यवस्था हो। अधिकारी हीलाहवाली कर रहे हैं उन्हें तत्काल आप बलिया और प्रत्येक जिले के अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि कहीं भी अगर नाव की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो हम कड़े से कड़ा दण्ड देने का काम करेंगे।

(अजय कुमार लल्लू के अपने स्थान से खड़े होकर बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष-

अब आपका तो हो गया ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जिन लोगों का घर कट कर पानी में विलीन हो गया है उसमें एक पिता के चार पुत्र हैं और चारों पुत्र की स्थिति यह है कि चारों की शादी हो गयी है चारों अलग-अलग रहते हैं। हमारे पास मान लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

नहीं मान न लें, आप बात बताइये क्या कह रहे हैं ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

वही कह रहे हैं अगर 5 भाई हैं, 5 कमरे हैं तो पॉचों का हिस्सा होना चाहिये। लेकिन अध्यक्ष जी, केवल एक आदमी के नाम से मुआवजा बन रहा है। संसदीय कार्य मंत्री जी यह बड़ा अहम सवाल है अगर पॉच परिवार एक घर में रह रहे है तो पॉचों परिवार के लोगों को मुआवजा देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, न कि केवल एक व्यक्ति को। इस व्यवस्था से सैकड़ों परिवार के लोगों को मुआवजा मिल जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने और जो आदरणीय नेता कांग्रेस ने कहा है, उसका संज्ञान लिया गया है, उसमें व्यवस्था करेंगे । यह हमारी बाढ़ नियंत्रण मंत्री जी मौके पर गयी थी श्रीमती स्वाति सिंह जी, यह विस्तार से जवाब देंगी ।

महिला कल्याण परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती स्वाति सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल सरकार के समक्ष खड़े किये हैं, मैं उसका जवाब देना चाहूँगी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने बड़ी चिन्ता जताई है कि सरकार की तैयारी नहीं है। मैं इस विषय में बताना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 मई को एक बैठक ली थी जिसमें सभी 40 जिले के जिलाधिकारियों को बुलाया गया था जिनको बाढ़ से पूर्व सभी तैयारियों के लिये निर्देश दे दिये गये थे। चाहे वह फ्लड फाइटिंग की सामग्री एकत्र करने की बात हो, चाहे राहत सामग्री की बात हो, चाहे मवेशियों के टीकाकरण की बात हो, चाहे जगह चिन्हित करने की बात हो कि अगर कोई भी इमर्जेन्सी आयेगी तो

लोगों को कहॉ इवेक्यूवेट करके ले जाना है, या मवेशियों को कहॉ लेकर जाना है वह सारे इंतजामात हो गये हैं। मैं आपको बताना चाहूॅगी कि जिन तैयारियों को लेकर माननीय नेता प्रतिपक्ष परेशान हैं। श्री संजय कुमार, सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ने दिनांक 02 मई, 2018 को सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र लिखा था जिसका विषय था, वर्ष 2018 में संभावित बाढ़ से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री दिये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश। अध्यक्ष जी अगर आप आज्ञा दें तो मैं पूरा पत्र ही पढ़कर बता देती हूॅ। उसके बाद 19 जुलाई 2018 को श्री संजय कुमार, सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा, उसका विषय था बाढ़ के दौरान माडल राहत कैम्प संचालित किये जाने के सबंध में। इसके बाद उसी दिन दिनांक 19 जुलाई, 2018 को सभी जिलाधिकारियों को एक और पत्र गया, जिसका विषय था बाढ़ के दौरान राहत कैम्प प्रबन्धन के संबंध में। उसी दिन दिनांक 19 जुलाई, 2018 को एक और पत्र सभी जिलाधिकारियों को गया, जिसका विषय था बाढ़ प्रबन्धन एवं राहत कार्यो में कारपोरेट संस्थानों, स्वंयसेवी संस्थानों तथा अन्य दानदाताओं का सहयोग प्राप्त किये जाने के संबंध में। दिनांक 19 जुलाई को जिलाधिकारियों को एक और पत्र गया जिसका विषय था, बाढ़ की आपदा से निपटने हेतु नाव एवं मोटरबोट के अंतरजनपदीय प्रबन्ध के संबंध में। जो अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सवाल खड़े किये थे कि बलिया में किसी भी बोट का इंतजाम ही नहीं किया गया। पता नहीं कौन आपको फोन कर रहा है अगर वह सूचना आप विभाग तक पहुॅचा देंगे तो अगर इंतजाम नहीं हुआ होगा तो जरूर करवा देंगे। लेकिन मैं आश्वस्त करती हूॅ कि जितने भी 40 जिले हैं सभी में सारे इंतजामात हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नाव का इंतजाम हो जाय।

श्रीमती स्वाति सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं वही कह रही हूॅ 19 जुलाई को यह पत्र जा चुका है और सभी जिलाधिकारियों ने पूरी तरह से इन तैयारियों को कर रखा है। दिनांक 30 जुलाई, 2018 को एक और पत्र गया समस्त जिलाधिकारियों को जिसका विषय था, भारी वर्षा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान किये जाने के संबंध में। मैं बताना चाहूॅगी कि दिनांक 02 अगस्त, 2018 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने समस्त जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा जिसका विषय था, बाढ़ राहत एवं प्रबन्धन में जिलाधिकारियों की भूमिका। उनकी भूमिका भी उनको स्पष्ट रूप से बता दी गयी। जहॉ तक माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था कि जितने 40 जिले हैं वहॉ सब हताहत हो गये हैं घर बह गये हैं गांव बह गया है । मेरे पास यह पूरा डेटा है। मैं यह डेटा पढ़ना चाहूॅगी आपके सामने। मैं पूरी कम्परेटिव स्टडी करके आई हूॅ 2017 और 2018 की। वर्ष 2017 का जिक्र इसलिये करूॅगी मार्च 2017 में हमारी सरकार बनी थी और उससे पहले आपकी ही सरकार थी। प्रभावित जनपदों की संख्या वर्ष 2017 में 25 थी और इस वर्ष 16 है। प्रभावित ग्रामों की संख्या वर्ष 2017 में 3,067 थी और इस वर्ष 384 है। प्रभावित जनसंख्या 24 लाख 10 हजार 757 पिछले वर्ष थी और इस वर्ष 2 लाख 58 हजार 247 है। प्रभावित क्षेत्रफल 3 लाख 84 हजार 365 हेक्टेयर था और इस वर्ष 70 हजार 251 हेक्टेयर है। सुरक्षित स्थानों पर पहुॅचाये गये लोग, 1 लाख 3 हजार 903, 2017 में थे

और इस वर्ष 27 हजार 249 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। संचालित राहत शिविर 302 थे, 2017 में और इस बार 66 की ही व्यवस्था इसलिये की गई क्योंकि उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं थी। राहत शिविरों में शरण लिये व्यक्तियों की संख्या पिछले साल 57,069 थी और इस साल 9069 राहत शिविरों में लोगों ने शरण लिया है।

(अजय कुमार 'लल्लू' जी के बोलने का प्रयास करने पर।)

आप के सवालों का भी जवाब दूँगी, पहले नेता प्रतिपक्ष का दे दूँ, सीनियर हैं। उपयोग में लाई गई नावों की संख्या पिछली बार 3,972 थी, इस बार 1,506 नाव हैं, जो कि उपयोग में लाई गई हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और हमारे बड़े ही सम्मानित विधायक, माननीय लल्लू जी ने एल्गिन चरसड़ी बांध का जिक्र किया था। एल्गिन चरसड़ी बांध के लिए पिछले साल भी काफी चर्चा हुई थी और इस साल भी चर्चा हो, इससे अच्छा है कि मैं यह पढ़कर बता दूँ कि किस समय बनी थी और उसमें क्या गड़बड़ी थी और क्या उसमें टेक्नीकल फॉल्ट था।

(अजय कुमार 'लल्लू' जी के बोलने का प्रयास करने पर।)

विधायक जी, अभी तो आपने बोला हमारी भी सुन लीजिये, माननीय अध्यक्ष जी, जनपद गोण्डा के दक्षिण करनैलगंज में घाघरा नदी के बायें तट पर एल्गिन ब्रिज चरसड़ी तटबंध, जिसकी कुल लम्बाई 52.400 कि0मी0 है। यह तटबंध स्थाई संचालन समिति की बैठक दिनांक 24.12.2003 में स्वीकृत हुई है तथा इसका निर्माण 2005 में प्रारंभ होकर वर्ष 2007 में पूर्ण धनराशि रुपये 1,488 लाख से निर्मित किया गया था। तटबंध का निर्माण का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रारंभ होकर वर्ष 2007 में पूर्ण हुआ था। इस तटबंध के जनपद गोण्डा के 64 गॉव, जनपद बाराबंकी के 11 गॉव और जनपद बहराइच के एक गॉव को इससे सुरक्षा प्रदान होती है। इस तटबंध के कि0मी0 9 से 14 तक का भाग निर्माण के समय नदी की तरफ घुमवा देने के कारण, जब से बांध बना है, प्रतिवर्ष बांध को नदी से कटान का खतरा बना रहता था एवं बांध 10 वर्षों में 3 बार क्रमशः वर्ष 2010 में कि0मी0 14.780, जब उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, वर्ष 2011 में कि0मी0 11.150, उस समय भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी एवं वर्ष 2016 में कि0मी0 9.405 उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, टूट गया था। बड़े दुख की बात है कि उस समय आप लोगों को चिंता नहीं हुई जो स्टीयरिंग कमेटी की बात हो रही है, यह स्टीयरिंग कमेटी में पास हुआ था, लेकिन उसका नक्शा चेन्ज कर दिया गया। उस समय किसी ने स्टीयरिंग कमेटी के डिसीजन को क्यों चेंज किया, उस पर किसी ने सवाल नहीं खड़े किये और आज वही फॉल्ट है। जब हमारी सरकार उसका सुधार कर रही है। उस टेक्निकल गलती का जो आप यहॉ पर चर्चा कर रहे है, जब आपकी सरकारों में टेक्निकल फॉल्ट हुआ, किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया क्योंकि तब किसी और को फायदा मिल रहा था। अब माननीय लल्लू जी ने जो सवाल खड़े किये हैं मैं उनका जवाब दे दूँ, माननीय लल्लू जी बार-बार कहते हैं कि मैं बहुत दुःखी हूँ, मेरे क्षेत्र में सब डूब रहा है, गॉव डूब रहा है, मेरा पूरा विधान सभा डूब रहा है। लेकिन शायद आप यह जिक्र करना भूल गये कि कुशीनगर में 20 परियोजनायें चल रही हैं और जिसमें आपके तमकुहीराज में 17 परियोजनायें चल रही हैं।

(अजय कुमार 'लल्लू' जी के बोलने का प्रयास करने पर।)

मैं जो आप से बात कह रही हूँ, पहले आप सुन लीजिये कि पूरे कुशीनगर में 20 परियोजनायें चल रही हैं और इनके विधान सभा क्षेत्र, तमकुहीराज में 17 परियोजनायें चल रही हैं, उसकी भी चर्चा करिये। बता रही हूँ, आप चिन्ता मत कीजिए। इस वर्ष इन परियोजनाओं में कुल 27 करोड़ 42 लाख रुपए दिये गये हैं, सारा का सारा इन्हीं की विधान सभा में लग रहा है लेकिन कहीं आपने उसका जिक्र नहीं किया है। इस वर्ष जितने भी जिले हैं जिनको धनावंटन हुआ है बाढ़ की दृष्टि से वहॉ परियोजनाओं के लिए या फिर अनुरक्षण मद में जो भी पैसा गया है आप यह भी जिक्र कर लीजिए कि जो शीर्ष तीन जनपद हैं उनमें से एक आपका जनपद कुशीनगर है। अनुरक्षण का जो सारा पैसा गया है कुशीनगर में वह सारा का सारा आपके विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में लग रहा है, इसका भी जिक्र कर लिया होता। सदन में यह भी सवाल खड़े किये गये कि सरकार पैसा ही नहीं दे रही है मैं बताना चाहूँगी कि विगत पॉच वर्षों में अनुरक्षण के अन्तर्गत ऑन ऐन एवरेज जो पैसा गया था वह 246 लाख रुपए थे, मैं कुशीनगर की बात कर रही हूँ 246 लाख रुपए ऑन ऐन एवरेज गया था इस बार चार सौ लाख रुपए गया है आपके कुशीनगर में, उसका भी जिक्र कर लीजिए और वह सारा का सारा आपकी विधान सभा में खर्च हो रहा है। अभी नेता प्रतिपक्ष ने सवाल खड़ा किया कि देखिये हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं वह बाढ़ के बाद गये थे, मैं कहती हूँ कि जिस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जाकर विजिट करते हों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को देखते हों वहॉ किसी और मंत्री की जरूरत क्या है फिर भी मंत्री, विधायक सभी जाते हैं और देखते हैं। मुझे लगता है मा0 नेता प्रतिपक्ष जी शायद आप वहॉ जाना भूल गये हैं इसलिए आपको इसकी सूचना नहीं मिली कि कितने लोग वहॉ जाते हैं और कितने अधिकारी वहॉ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ये वहॉ गये थे।

श्रीमती स्वाती सिंह-

मैं माननीय लल्लू जी की विधान सभा के बारे में बताती हूँ जिस जगह की अहरौलिया की आप बात कर रहे हैं मैं बताना चाहूँगी कि वहॉ स्वयं मैं गई हूँ। सबसे पहले जब मैंने बाढ़ का दौरा किया तो मैं वहीं गई थी, वहॉ 6 बार डी0एम0 कुशीनगर गये, दो बार कमिश्नर गये, ई0एन0सी0 डी0पी0 एक बार गये, मुख्य अभियन्ता स्तर वहॉ दो बार गये, ई0एन0सी0 लगभग रोज जाते हैं क्या सिर्फ आप ही का विधान सभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में या गोरखपुर में और कोई जगह नहीं है। मैं यह भी बताना चाहूँगी आपके बारे में जहॉ आप धरने पर रोज बैठते हैं, वहॉ से मेरे पास एक दिन फोन आया कि कट रहा है बॉध, मैंने अपने अधिकारियों से बात की और कहा कि जो भी तैयारी हो बचाने के लिए वह कीजिए, बॉध नहीं वह जिसकी आप बात कर रहे थे, जिस गॉव की बात कर रहे थे उसे भी मैं अभी बता दूँगी। मैंने कहा कि सारी सामग्री है, आप लोग तैयारी कीजिए, अधिकारी ने कहा कि मैम बोल्डर आ रहा है। आपके बड़े ही करीबी ने मैं नाम नहीं यहॉ पर कोड करूँगी, उन्होंने कहा कि पहले ये बताओ कि बोल्डर कहॉ से ला रहे हो, मैंने फोन पर बोला कि बोल्डर कहॉ से आ रहा है इससे मतलब नहीं होना चाहिए, बचाव काम हो रहा है या नहीं इससे मतलब होना चाहिए। मा0 विधायक जी मैं आपको बताना चाहूँगी।

श्री अध्यक्ष-

आप हमको बताइये, उनको न बताइये।

श्रीमती स्वाती सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, ये वहॉ पर हाहाकार मचवाना चाहते हैं, जब अधिकारी वहॉ काम करने जाता है तो ये पूरे बॉध पर धरना दे करके लोगों के साथ बैठ जाते हैं, आगे अधिकारियों को जाने नहीं देते हैं तो फिर सुरक्षात्मक कार्य कैसे होगा कहॉ से होगा, पहले इस बात का जवाब दें क्योंकि सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, मा0 मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दिये हैं कि जो बाढ़ प्रभावित जनपद हैं, फ्लड सेंसेटिव जनपद है, उनको छोड़कर कोई भी अधिकारी वहॉ से नहीं जायेगा, अगर जायेगा तो उसे सस्पेंड किया जायेगा लेकिन आप वहॉ पर काम नहीं करने देते हैं, आप वहॉ काम को अवरुद्ध करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप उनसे बात न कीजिए नहीं तो और नहीं काम करने देंगे।

श्रीमती स्वाती सिंह-

मैं यह भी बताना चाहूँगी कि मैं पिछले डेढ़ सालों से बाढ़ का काम देख रही हूँ कि लेकिन टेक्निकली मुझे इतनी नॉलेज नहीं हुई है लेकिन मा0 विधायक जी बताते हैं कि यहॉ बोल्डर डाल दो, वहॉ बोल्डर डाल दो।

श्री अध्यक्ष-

उनको टेक्निकल नॉलेज होगी।

श्रीमती स्वाती सिंह-

नहीं है मा0 अध्यक्ष जी यह तो इंजीनियर ही जान सकता है। अधिकारियों को टेक्निकल नॉलेज है और वह बचाव के लिए हरसम्भव कार्य करते हैं। आप जिस गॉव की बात कर रहे हैं मैं यह भी बताना चाहूँगी मा0 अध्यक्ष जी कि उस क्षेत्र में जो लोग बसे हुए हैं। मा0 अध्यक्ष जी, जो लोग डूब क्षेत्र में बसे हुए हैं और जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनमें से कितने लोगों के घर कटे हुए हैं उनकी संख्या मैं अभी बता दूँगी, उनकी पूरी सूची मेरे पास उपलब्ध है। जिन जिम्मेदारियों की बात नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे कि सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मा0 मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में खड़े होकर कहा था कि हम उन लोगों की भी जिम्मेदारी लेते हैं जो डूब क्षेत्रों में रहते हैं। हम पिछली सरकारों की तरह नहीं हैं कि डूब क्षेत्र के लोगों को छोड़कर सिर्फ बन्धे की सुरक्षा की बात करें। जब मा0 मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया तो कोई भी अधिकारी इससे इन्कार नहीं कर सकता है। अभी मा0 सदस्य कह रहे थे कि जब मा0 मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तो वही निर्णय हो जाता है, तो जब मा0 मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तो उस निर्णय को सभी अधिकारी मानेंगे। आप इस सदन में कह रहे थे कि मालूम नहीं कि मा0 मुख्यमंत्री जी से किसी ने कहा या नहीं कहा। मा0 अध्यक्ष जी, जब मा0 सदस्य बिना जानकारी के इतना बड़ा स्टेटमेण्ट इस सदन में दे रहे हैं तो इसका मतलब जितनी भी बातें मा0 सदस्य ने कही, उसकी कोई भी जानकारी इनको नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

उस दिन नेता प्रतिपक्ष वहॉ दौरे पर थे, हमारी फोन से वार्ता हुई थी। माननीया मंत्री जी, पीठ को संबोधित करते हुए अपनी बात कहिए।

श्रीमती स्वाती सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक बात और भी बताना चाहूँगी कि हमारे मा0 सदस्य वहॉ पर दो बार धरने पर भी बैठ चुके हैं और जब इन्होनें जाकर काम देखा तो काम से संतुष्ट होकर धरने से उठ गये। अगर यह काम से संतुष्ट नहीं थे तो धरने से क्यों उठे, इसका जवाब दे दें ?

श्री अध्यक्ष-

इस बीच विधान सभा थी, इसलिए धरना छोड़कर चले आए। मा0 नेता प्रतिपक्ष।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी, कुछ गुस्से में थी, हमारे परिवार की हैं, इसलिए जितना इन्होंने कहा, उतना तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि परिवार का लिहाज दूसरा होता है। जहॉ तक मैंने अपने क्षेत्र के मनियर ब्लाक में ककरघटा ग्राम सभा का नौका गॉव (पुरवा) की बात कही, जब मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गॉव नहीं गिरने देंगे, उसके बाद 15-20 घर गिर गये, सेहन भी कट गयी। मा0 अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया था, तत्पश्चात चुनाव आ गया, सरकार आपकी बन गयी, फिर आपके ही सरकार के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट बनाकर भेजा, वह प्रोजेक्ट आज तक पास हुआ या नहीं हुआ, यह मैं संसदीय कार्यमंत्री और माननीया मंत्री जी से नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूर्व में ही कह दिया था कि वह परिवार की हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या वहॉ प्रोजेक्ट पास हो गया, काम हो गया। अगर काम हुआ होता तो इस साल 2-4 घर कैसे गिर गये ? मा0 प्रभारी मंत्री जी खुद जाकर जनता को आश्वासन देकर आए कि मेरी जिम्मेदारी है कि एक माह के अंदर पिचिंग का काम हम करा देंगे, लगभग एक साल बीत गया और फिर बाढ़ आ गयी। सत्ता पक्ष के दो विधायक जाकर देख लें कि क्या वहॉ पर पिचिंग का काम हुआ है? मैंनें खुद जिलाधिकारी महोदय से कहा कि आप के पास कुछ भी पैसा हो, तो वहॉ पर बंधा किसी तरह से कटने से रुकवाइये। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से कहा तो कुछ ईट का टुकड़ा वहॉ पर गिराकर कटान रोकने का प्रयास कर रहे थे। माननीया मंत्री जी मैं उस गॉव में चार बार गया हूँ और एक दिन कटान हो रहा था तो वहीं से मेरी विधान सभा अध्यक्ष जी से बात भी हुई थी। अधिकारियों ने पत्रकारों के सामने मुझसे खुद ही कहा कि हम लोग ठेकेदारों से उधारी पैसे पर काम करा रहे हैं। हम लोगों के पास पैसा अभी नहीं आया है, वहॉ पर कुछ ठेकेदार भी मौजूद थे, मैंनें उनसे कहा कि भैया किसी तरीके से इस काम को करवा दीजिये। भाषण देना अलग की बात है, काम करना अलग की बात है। ठीक कहा आपने कि मुख्यमंत्री जी, जो कहते हैं वहीं नियम है। मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के कहने के पश्चात हमारे गॉव में ज्यादा नहीं तो लगभग 15-20 घर कट ही गये। अभी तक स्वीकृत भी नहीं हुई। आज ही उन्होंने कहा कि पता नहीं किसने उन्हें फोन कर दिया। क्षेत्र के लोग जब परेशान होते हैं तो किसी भी माननीय विधायक को फोन करते हैं। कोई भी परेशानी होती है और अगर विधायक

नहीं है असेम्बली में हैं, लखनऊ में हैं तो फोन करेंगे। मैंने आज एस0डी0एम0 साहब से बात की कि पब्लिक परेशान है, नाव की व्यवस्था कराईये। उन्होंने कहा कि मैं यह देखने जा रहा हूँ कि कहॉ-कहॉ नाव की आवश्यकता है। माननीया मंत्री जी जो हमारे परिवार की ही हैं वह हमें ही डांट रही हैं। नाव की व्यवस्था नहीं हुई तो मेरी पार्टी के लोगों ने यह कागज का नाव बना करके मुझको दिया है। (मा0 नेता विरोधी दल ने सदन में कागज का नाव दिखाया) हमारे लोगों ने कहा कि कागज का नाव ले लीजिए, सरकार के पास नाव की व्यवस्था नहीं है तो मैं जाऊँगा तो यही नाव ले करके जाऊँगा। लेकिन कोई भी बात जिम्मेदारी से कहनी चाहिए क्योंकि सरकार हमारी दुश्मन नहीं है और न हम सरकार के दुश्मन हैं। जनता की जो कठिनाई व परेशानी है उसका समाधान हमको और आपको दोनों लोगों को मिलकर करना है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपका पूरा विषय आ गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीया मंत्री जी इसमें बहुत खीझ की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको दोषी नहीं बनाया है, एक सिस्टम है और चिट्ठी चाहे सौ लिखिये जब तक उस चिट्ठी का कार्यान्वयन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है।

श्री अध्यक्ष-

आपके ऊपर कौन आरोप लगायेगा ? आप बैठिये, कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी मेरी भी बात सुन लीजिए, यह सदन में कार्यवाही का भाग बनेगा।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, कोई आरोप नहीं लगा, धरना देना कोई आरोप नहीं है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

नहीं, अध्यक्ष जी बहुत सारे आरोप लगे हैं। अध्यक्ष जी, अगर इतने जागरूक थे तो कितने परियोजनाओं की स्वीकृति दी यह मा0 मंत्री जी बता दें। अगर मुझे धरने पर बैठना पड़ा तो किन कारणों से बैठना पड़ा ? बन्धे का निर्माण नहीं हुआ, गॉव कट रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर तो सुन लीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अगर ये लोग इतने जागरूक थे, बन्धों के निर्माण के प्रति, गॉव के प्रति तो यह मेरे क्षेत्र में गई थीं तो मेरे क्षेत्र से आने के बाद कितनी परियोजनायें स्वीकृत कर दी ? इन्होंने एक भी परियोजना स्वीकृत नहीं किया। मा0 मुख्यमंत्री जी के पास मेरे क्षेत्र की 24 परियोजनायें हैं।

यह बता दें कि इस साल 24 परियोजनाओं में से अगर एक भी परियोजना स्वीकृत की हो तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूँगा।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई।)

श्री अध्यक्ष-

अब आप उत्तर तो सुन लीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अगर एक भी परियोजना स्वीकृत हुई हो तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर वापस चला जाऊंगा। अध्यक्ष जी, मैं उस मिट्टी का नहीं हूँ, मैं जो बोलता हूँ सत्य के साथ बोलता हूँ। मैंने कहा कि गॉव और बंधे के बीच, गॉव और नदी के बीच, वह गॉव नदी में विलीन हो रहा है। आप मौके पर गयी थीं, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, कमिश्नर गये, डी0एम0 गये इससे मैंने डिनाई नहीं किया। दूसरी बात प्रभारी मंत्री जी यहीं पर हैं उनसे पूछ लें कि मैंने इनको पत्र दिया या नहीं दिया? मैंने स्वतः मुख्यमंत्री जी से मिल करके पत्र दिया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप सुन तो लीजिए। आप तीसरी बार बोल रहे हैं। आप क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, यह पहली बार है इस मार्च के पहले मुख्यमंत्री जी ने स्टेयरिंग नहीं किया। यह पहला इतिहास है और इस सरकार ने अपनी अनुभवहीनता का परिचय दिया जिसके कारण यह त्रासदी बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, बाढ़ एक दैवीय आपदा है और इस सरकार ने अप्रैल, मई से पूरी तैयारी इस बात की थी कि अगर सम्भावित बाढ़ हो तो उसके लिए हम क्या-क्या इंतजाम करें। उसके लिए बजट में प्रॉविजन भी है और अभी जो बांसडीह की बात बतायी गयी उसमें 04 गॉव प्रभावित हैं, 02 जनहानि एक पशु हानि हुई है। उसमें सरकारी सहायता भी उपलब्ध करा दी गयी है जब सरकार इतनी संवेदनशील है कि केरल में जो बाढ़ आई उसके प्रति हमने संवेदना व्यक्त की, उसके प्रति सामग्री भी भेजी गई मान्यवर और धन भी भेजा गया। यह तो हमारे प्रदेश का मामला है यह हमारा अपना मामला है इसलिये हम लोग अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं और यहॉ पर नाव की बात कही है, यह नाव की व्यवस्था तुरन्त करा दी जायेगी। आज ही इस बात का निर्देश दे दिया जायेगा अगर नहीं हुई है तो व्यवस्था कराई जाय। जितनी बात आपने यहॉ पर कहीं चाहे वह खेत में नुकसान होने के मुआवजे की बात हो, चाहे घर के मुआवजे की बात हो हम पूरी व्यवस्था के प्रति संवेदनशील हैं। जो कुछ जितना नुकसान हुआ है हम नियमों के अन्तर्गत पूरी व्यवस्था करेंगें। मान्यवर, हम यह आपके माध्यम

से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं। सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और हर व्यवस्था सरकार करेगी यह मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ।

(कई सदस्यों व सदस्य अजय कुमार लल्लू के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

सरकार का पूरा स्पष्टीकरण आ गया। अब आप कितनी देर बोलेंगें पहले यह बता दें। यह कोई चर्चा तो हो नहीं रही। आप तीसरी बार खड़े हो गये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आज अनुपूरक बजट भी है अगर उचित समझें तो आगे का विषय लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम 56 की इस सूचना को अग्राहय करता हूँ और दूसरी सूचना है माननीय श्री लाल जी वर्मा, माननीय श्री सुखदेव राजभर जी की। आप लोग बैठें मैंने दूसरी सूचना पर माननीय राजभर जी को बुला लिया है।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा व्यवस्थित हो जायं लोग।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायं। मैंने माननीय सदस्य को बुला लिया है। अभी बजट पर भी चर्चा होगी। आप लोग सहयोग करें।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, सरकार के उदासीन रवैये के चलते मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(अजय कुमार लल्लू जी और उनके दल के सदस्य सदन से चले गये।)

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ। इस घटना के बाद यह सदन आहूत हुआ है। 1/2 अप्रैल, 2018 को प्रदेश में तमाम संगठनों द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संशोधन से दुःखी हो करके कई संगठनों ने एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया और बड़े शान्तिपूर्ण ढंग से। कहीं-कहीं कुछ अराजक तत्वों द्वारा इस तरह की भी कुछ हरकतें की गईं जिसमें यह शान्त प्रदर्शनकारी जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, इन लोगों ने किया और लगभग प्रदेश के हर कोने में या देश में जहाँ भी कई संगठनों ने किया था लेकिन मान्यवर, मैं ज्यादा न कहकर इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से यह सामाजिक कार्यकर्ता थे। जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात को कहने के लिये शान्तिप्रिय ढंग से इकटठे होकर के अपनी एक नाराजगी जाहिर की थी। यह लोकतंत्र में आज नहीं जबसे डेमोक्रेसी है तब ही से लोग इस तरह के तमाम धरना प्रदर्शन का काम करते रहे हैं। जिस तरह से बर्बरता के साथ इन कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, मारे गये यहाँ तक तो जो कुछ हुआ

उन्होंने लाठियॉं सहीं। इस तरह का उत्पीड़न अंग्रेजों के समय भी नहीं हुआ होगा। या जो भी निर्देश रहे होंगें लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आज जो भी हुआ माननीय नेता सदन बैठे हुए हैं मैं बड़े अदब के साथ, हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और भरोसा भी रखकर हम लोग सदन में बैठते है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के तमाम निर्णय इस तरह के हो रहे हैं। लेकिन आज दुःख का विषय है मान्यवर, कि इसी सदन के भूतपूर्व सदस्य आन्दोलन में शामिल भी नहीं हुए घर पर थे और उनका केवल इतना दोष है कि वह पूर्व विधायक हैं और बहुजन समाज पार्टी के। उनकी पत्नी मेयर हैं। इनके ऊपर रासुका लगाकर बंद कर दिया गया। यह न कोई तोड़-फोड़, न कोई हत्या, न अस्त्र शस्त्र लेकर कहीं गये हों। आज तमाम हापुड़ से लेकर आजमगढ़ तक के, कम से कम बीस, पच्चीस, तीस लड़के भारतीय दंड संहिता की 20-20, 25-25 धाराओं के अन्तर्गत वह जेल में बन्दी बनाए गए हैं इसलिए मैं अनुरोध करुँगा कि इस आन्दोलन से इतना गुस्सा ना हो जाएं, ऐसा नहीं है कि इस आन्दोलन से देश की बहुत बड़ी क्षति हुई, प्रदेश की बहुत बड़ी क्षति हुई ।नियम में संशोधन से थोड़ा दुखी हो गए, सड़क पर आ गए बाद में इसमें संशोधन भी हुआ विचार भी हुआ उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं ।लेकिन संयोग से जिन बच्चों को जेलों में निरुद्ध किया गया है वह गरीब परिवारों के बच्चे हैं जिनके पास जमानत का पैसा तक नहीं है उनके परिवार के लोग उनकी पैरवी भी नहीं कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूँ अब सरकार की तरफ से जो जवाब सवाल आवे कहें, इस डेमोक्रेसी में लोकतांत्रिक व्यवस्था में शान्तिप्रिय ढंग से बच्चों ने आन्दोलन किया ।उस अधिनियम से दुखी थे कि संशोधन गलत हो गया है और उन्होंने एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। मैं इस बात को भी कह रहा हूँ बाद में रिपोर्ट भी आई अखबारों में खबरें भी आईं कि कुछ अराजक तत्व इसमें घुसकर के कहीं न कहीं हिंसक रूप धारण कराने का काम किए ।ऐसी परिस्थिति में मैं अनुरोध करुँगा कि आज कम से कम चार- छः जिलों में 25,30,40 बच्चे जेल में हैं ।इस सदन के एक पूर्व सदस्य जिनकी पत्नी मेयर हैं उनके ऊपर रासुका लगा दिया गया। इतना कड़ा कानून, जॉंच करवा लें वह किसी स्थान पर किसी धरने में खड़े भी नहीं हुए हैं लेकिन दोष केवल यही है कि वह बहुजन समाज पार्टी के नेता, बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं इस आधार पर अगर किसी को निरुद्ध किया गया है तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रह गया है इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी,मैं माननीय नेता सदन से बड़े ही अदव के साथ कहना चाहता हूँ कि तमाम मुकदमें वापस हो जाते हैं, हो भी रहे हैं बहुत से सत्याग्रह हुए हैं तोड़फोड़ तक हो गई है मैं मानवीय आधार पर माननीय नेता सदन जी आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि इनका भी मुकदमा वापस ले लें यह पूर्व विधायक हैं अगर यह दोषी हों तो फॉंसी लगवा दें, सादर आपका सम्मान किया जाएगा लेकिन अगर यह निर्दोष हैं और इनको इस भावना से कि कैसे यह सड़क पर आ गए अगर यह दोष है या गरीब के लड़के की सड़क पर आने की आदत कैसे पड़ गई। हजारों बरस से दबे-कुचले लोग सड़क पर कैसे आ गए।

श्री अध्यक्ष-

आपका विषय पूरा आ गया है।

श्री सुखदेव राजभर-

ग्राह्यता है इसकी, बस इतना अनुरोध कर रहा हूँ कि यह मुकदमों को वापस करा दें। पूर्व विधायक हैं आज चार-पॉच महीने से रासुका के अन्दर बन्द है।

(श्री लालजी वर्मा के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी विषय आ तो गया है।

श्री लाल जी वर्मा-

मैं आपसे निवेदन करुँगा कि यह महत्वपूर्ण विषय है और जो आन्दोलन का विषय था केन्द्र सरकार ने संविधान संशोधन करके मान भी लिया। जिस तरह से माननीय योगेश वर्मा जी जो पूर्व विधायक थे उनको प्रशासन के अधिकारियों ने शान्त कराने के लिए बुलाया और वह बेचारे शान्त कराने के लिए गए और उसी में उनको मुलजिम बना दिया गया और रासुका भी लगा दिया गया।उनका दोष केवल इतना है कि वह अनुसूचित जाति के हैं उनकी पत्नी मेयर हैं।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हापुड़ में चार लोगों के ऊपर गैंगस्टर लगाया गया। विनोद सागर जी,सचिन दयाल जी, विकास दयाल जी, मोनू जी यह आज भी जेल में गैंगस्टर में बन्द हैं तो निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम लोगों का जो आन्दोलन होता है कभी भी अशान्तिपूर्ण आन्दोलन नहीं होता है। मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा अनुशासित पार्टी कोई नहीं है देश में और प्रदेश में।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें।

श्री लाल जी वर्मा-

मैं यह दावे के साथ और चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ। बड़े-बड़े कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी के हुए हैं कहीं किसी का जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ है।निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता शान्ति प्रिय आन्दोलन कर रहे थे।लेकिन जैसा आप भी जानते हैं कि बहुत से आन्दोलन में,बहुत से उददंड लोग भी आ जाते हैं उन लोगों ने जो काम किया उसकी सजा हमें मिल रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि या तो इस पर चर्चा करा दें अन्यथा माननीय संसदीय कार्यमंत्री, इस समय माननीय नेता सदन भी हैं, आज भी उनके ऊपर रासुका लगा है गैंगस्टर लगा है, केन्द्र सरकार ने उनकी बात को मानते हुए उस एक्ट में संशोधन के लिए संविधान संशोधन कर दिया है जब उनकी बात मान ली गई है तो आज यह सारे मुकदमें वापस लेकर इन लोगों के साथ न्याय करने की कृपा करें यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 56 के माध्यम से मा0 राजभर जी और मा0 वर्मा जी को हमने सुना। लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का तो अधिकार है, लेकिन कानून अपने हाथ में पूरी तरीके से लेकर गाड़ियों को, संपत्ति को क्षति पहुंचाने, किसी की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। चूंकि मा0 योगेश वर्मा के बारे में मा0 वर्मा जी ने और मा0 राजभर जी ने इंगित किया है अगर आप अनुमति दें तो हमारे पास शासन से जो रिपोर्ट आयी है, उसकी चार लाइनें पढ़ दूं। मान्यवर, जो मा0 योगेश वर्मा के बारे में बताया गया है। योगेश वर्मा, पूर्व विधायक, मेरठ के नेतृत्व में विभिन्न दलित संगठनों के लगभग एक हजार 1500 कार्यकर्ताओं द्वारा अम्बेडकर चौराहा पहुंचकर एससी-एसटी एक्ट को पुनः प्रभावी बनाने की मांग को लेकर नारेबाजी, धरना-प्रदर्शन आरम्भ किया गया। फोटोस्टेट की दुकानों में तोड़फोड़ की गयी। इससे प्रभावित दुकानदारों को अपनी दुकानें बन्द करनी पड़ीं। इसी बीच भीड़ में मौजूद असामाजिक तत्वों द्वारा यह प्रचारित कर दिया गया कि कचहरी में अधिवक्ताओं द्वारा दलित संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर दी गयी। उत्तेजित होकर भीड़ में मौजूद नवयुवकों ने हाथों में लोहे की सरिया, डण्डे आदि लेकर कचहरी में घुस गये जहां उनके और वकीलों के बीच में टकराव हो गया। एक-दूसरे पर लाठी-डण्डे से हमला किया गया तथा वहां खड़ी तीन मोटर साइकिल व थाना नौचन्दी की एक जीप को जला दिया गया। मेरठ विकास प्राधिकरण के सामने कचहरी प्रांगण में खड़े निजी वाहन व दुकानों के आसपास खड़ी 20 कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसी बीच अराजक तत्वों द्वारा फायरिंग भी की गयी, जिसमें एक व्यक्ति अंकुर पुत्र शिवदान, निवासी छोटा हसनपुर, थाना-भावनपुर, मेरठ गोली लगने से घायल हो गया। जिसे उपचार हेतु आनन्द अस्पताल भेजा गया, जहां से उसे हायर सेन्टर रेफर कर दिया गया परन्तु बाद में इसकी मृत्यु हो गयी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर शोभापुर पुलिस चौकी पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर जाम आदि का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर उपद्रियों द्वारा शोभापुर पुलिस चौकी में आग लगा दी गयी, जिसमें एक सरकारी वायरलेस, दो सेट बैट्री, दो हैण्डसेट, एक फैंडम, एक अपाचे, एक फैंटम, एक स्प्लेण्डर, दो अलमारी, इन्वर्टर बैट्री आदि सरकारी संपत्ति जल गयी। इसके अतिरिक्त थाना क्षेत्र के सर्दना फ्लाई ओवर में हरौली चौराहे के आसपास 6 रोडवेज बसें और 6 निजी कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। गुजरने वाले यात्रियों के साथ मारपीट करते हुए लगभग 7 मोटर साइकिलों में आग लगा दी गयी। दीवान पब्लिक स्कूल की एक बस में आग लगा दी गयी। निकट आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की गयी। पुलिस द्वारा जाम खुलवाने के लिए आवश्यक बल प्रयोग करने, भीड़ तितर-बितर करने का प्रयास किया गया, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भीड़ द्वारा, पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग की गयी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गये। थाना ककाखेड़ा पुलिस द्वारा उपद्रियों से 20 वाहनों को कब्जे में ले लिया गया। यहीं पर थाना मेडिकल क्षेत्रान्तर्गत डेमोक्रेटिक स्टूडेन्ट फ्रन्ट के 300-400 कार्यकर्ताओं द्वारा श्री सुशील गौतम, अध्यक्ष के नेतृत्व में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, थाना मेडिकल, मेरठ पर एकत्रित होकर विश्वविद्यालय परिसर स्थित लाइब्रेरी में तोड़फोड़ कर विश्वविद्यालय में सभी विभागों को बन्द कराया गया। इसके पश्चात् विश्वविद्यालय में यातायात बाधित किया गया। कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा तोड़फोड़ की गयी, पेट्रोल पम्प पर तोड़फोड़ की गयी। यह स्थिति है मान्यवर। इसमें काफी

अभियोग पंजीकृत हुए हैं और यह सही है कि जो परिस्थिति पैदा हुई, वह अपने आप में हिंसात्मक रूप ले गयी। हिंसा तो किसी को भी करने का अधिकार नहीं है। जिस परिस्थिति में जो कुछ भी हुआ है, वह मैंने पूरी बात आपके सामने रख दी। सरकारी ड्यूटी पर पुलिस वालों के साथ मारपीट होना सरकारी काम में बाधा पहुँचाना यानी जितने प्रकार की हिंसात्मक घटनाएं हो सकती थीं वह सभी कुछ हुई हैं वैसे तो किसी के साथ भी अगर कोई न्याय प्रिय तरीके से कानून सम्मत तरीके से कोई धरना प्रदर्शन करता है तो उसको अपनी बात कहने का अधिकार है हम यह स्वीकार करते हैं लेकिन हिंसा के ऊपर अगर उतर आए तो कानून तो अपना काम करेगा और जो परिस्थिति है वह हमने आपके सामने रखी है किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है इस निमित्त इसमें नियमानुसार कार्यवाही की गई लेकिन दोनों वरिष्ठ सदस्यों ने इस बात को उठाया है हम आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करते हैं कि पूरी तरीके से न्यायपूर्ण व्यवहार होगा नियम 56 में यह सूचना नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य किया जाए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो रिपोर्ट पढ़ी है उससे कहीं भी योगेश वर्मा द्वारा तोड़फोड़ किया जाना प्रदर्शित नहीं होता है। निश्चित रूप से आज रासुका जैसी संगीन धारा लगाकर उनको चार पॉच महीने से बन्द किया हुआ है केवल उनका दोष इतना ही है कि पत्नी मेयर चुनी गई और उस जिद में कि कैसे उनकी पत्नी भाजपा को हराकर मेयर चुनी गई केवल इस आधार पर उनके खिलाफ रासुका लगाया गया।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठें।

श्री लाल जी वर्मा-

जो रिपोर्ट माननीय मंत्री जी ने पढ़ी है। मान्यवर, अब यह लोग बोल रहे हैं इस तरह से तो नहीं चलेगा। या तो आप चर्चा स्वीकार कर लीजिए सभी को बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी जो बात माननीय वर्मा जी ने कही जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने पढ़कर सुनाया तो जिस व्यक्ति का इन्होंने नाम लिया उसका तो रिपोर्ट में कहीं नाम नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों के अपने आसन पर खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग क्यों खड़े हो गए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जिस भीड़ ने हिंसा की उसका नेतृत्व श्री योगेश वर्मा कर रहे थे।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

मान्यवर, झगड़ा मूलतः यही है शपथ ग्रहण में भी झंझट हुआ था मेरा आपके माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जिसका नाम नहीं है जो आन्दोलन मे गया ही नहीं है प्रदर्शन में गया ही नहीं तो उस पर जो मुकदमा है उसको वापस कर लीजिए। अगर

गए होते फायरिंग की होती तो बात समझ में आती। जब गए ही नहीं तो निर्दोष आदमी पर रासुका लगाने का क्या मतलब। इसलिए जो श्री सुखदेव राजभर जी ने और वर्मा जी ने जो बात उठाई है पूरा विपक्ष उनकी बातों से सहमत है इसमें निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी माननीय सदस्य को भी सुन लीजिए यह घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं।

श्री दिनेश खटीक-

मान्यवर मुझे अपनी बात रखने के लिए एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा नहीं हो रही है। अगर दूसरे लोग बोलेंगे तो चर्चा हो जाएगी।

श्री दिनेश खटीक-

आपकी अनुमति हो तो एक मिनट दे दीजिए। न एक मिनट तो आधा मिनट दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इस पर चर्चा स्वीकार कर लें तो इनकी बात भी आ जाए।

मुख्यमंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने एक नोटिस दी। आपके दो मा0 सदस्य बोले। मेरठ के रहने वाले मा0 विधायक हैं इसलिये वह स्थानीय स्थितियों के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बोल सकते हैं और मुझे लगता है कि मा0 विधायक को भी उसमें बोलने का अवसर मिलना चाहिये। चेयर से इसीलिये उनका नाम बोला गया, लेकिन आप बीच में अनावश्यक रूप से उन्हें अपनी बात बोलने से रोक रहे हैं। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनकी बात को एक मिनट सुन लिया जाए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, यह लोग नियम 56 में कैसे बोल सकते हैं ? इन्होंने आपको नियम 56 की नोटिस दी है ? नियम 56 में जिन मा0 सदस्यों के दस्तखत होते हैं उन्हीं मा0 सदस्यों को बोलने का अधिकार होता है। अगर मा0 सदस्य को बोलना है, किसी मा0 सदस्य को बोलना है या मा0 मुख्यमंत्री जी को बोलना है, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को बोलना है तो चर्चा स्वीकार कर लीजिये और इस पर गुण-दोष के आधार पर चर्चा हो जाए। मा0 अध्यक्ष जी, नियम तो यह है कि नियम 56 में जिसके दस्तखत से नोटिस होगी वही सदस्य उस पर बोलता है।

श्री अध्यक्ष-

हम तो आप लोगों को अलाऊ करते हैं, आप बताईये क्या कहना है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

उसमें मा0 सुखदेव राजभर तथा मा0 लालजी वर्मा जी केवल दो लोगों के दस्तखत थे इसलिये इनके अलावा बोलने का अथवा उत्तर देने का अधिकार या तो केवल मा0 मुख्यमंत्री जी को है या मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी को है।

(इस मध्य कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा।)

श्री दिनेश खटीक-

मा0 अध्यक्ष जी, आप जिस योगेश वर्मा की बात कर रहे हैं वह थाना सरधना का हिस्ट्रीशीटर है और उन्होंने उस दिन मेरठ में पेट्रोल पम्प पर आगजनी की है। उनकी सीसीटीवी फुटेज है।

(इसी मध्य श्री लाल जी वर्मा द्वारा बोलने का प्रयास किया गया, लेकिन कई सदस्यों के साथ बोलने के कारण शोर/व्यवधान की स्थिति बनी रही।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के पास पूरा विवरण है।

श्री दिनेश खटीक-

उन्होंने पूरे योजनाबद्ध तरीके से एक दिन पहले शराब बटवाई। मा0 अध्यक्ष जी, मैं भी हस्तिनापुर विधान सभा से अनुसूचित जाति से विधायक हूँ। यह पीड़ा अनुसूचितों की थी और है और अगर यह पीड़ा अनुसूचितों की है तो वह सरकार ने माना है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें। मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

अब क्या हो गया ? मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बोलने जा रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, जो योगेश वर्मा है यह पुराने अपराधी हैं। इनका अपराध 94/95, धारा 302 थाना निसारीगेट, आरोप पत्र संख्या 211/95 है। इसके अलावा 47/12, 332 व 353 का केस है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह बात गलत है। आपने किस अधिकार में नियम 56 में मा0 सदस्य को सुना है ?

(इस मध्य समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण व्यवधान बना रहा।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाएं। कोई एक बोले।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, यह कहना कि केवल मेयर का चुनाव उसकी वजह है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सन् 1995 में 302 का केस चला। सन् 2012 में उनके ऊपर 332 व 353 का केस चला। यह अपराध करने के हैबिचुअल हैं। यह रिपोर्ट कहती है और हम तो पूरी रिपोर्ट पढ़ने वाले थे। यह अपराध करने के हैबिचुअल हैं। इसका मेयर के चुनाव से कोई मतलब नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

इस विषय पर नियम 56 में आप लोगों को सुना गया और इस पर सरकार का पक्ष आ गया।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने मा0 सदस्यों को बैठाईये। अब सभी लोग चिल्ला रहे हैं तो आपको कौन सुनेगा। आप लोग कृपया बैठें। यह सूचना मैंने अग्राह्य भी कर दी है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर इस तरह से सदन चलेगा तो हम लोग सदन में नहीं बैठेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान बना रहा।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

सरकार की तरफ से भी पूरा विषय आ गया है। आप लोग कृपया बैठें। मा0 वर्मा जी, आप अपनी बात कह लें।

(घोर व्यवधान के मध्य।)

सरकार की तरफ से भी पूरा विषय आ गया है और आपकी तरफ से भी पूरा विषय आ गया है। मा0 लाल जी वर्मा, जल्दी बताइये आप को क्या कहना है ?

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, कार्य स्थगन की नोटिस नियम-56 के तहत देने का प्रोविजन है। हमने एक विषय उठाया है। मा0 श्री योगेश वर्मा जैसे आंदोलन पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए हैं। मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के पास जो सरकारी सूचना है वह अधिकारियों के द्वारा प्राप्त सूचना है, उसमें कहीं भी योगेश वर्मा को तोड़-फोड़ करते हुए दिखाया नहीं गया है। निश्चित रूप से जब मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की पूरी रिपोर्ट हमने सुन ली उसके बाद किसी दूसरे सदस्य के द्वारा अतिरिक्त बात करने का क्या मतलब? अगर मेरठ के होने के कारण उनको कहने का, बोलने का अधिकार है तो अन्य सदस्यों को भी बोलने का अधिकार होना चाहिए।

(घोर व्यवधान के मध्य।)

यह सरकार निर्दोष लोगों को जानबूझकर दास्ता में बाधित करना चाहती है, सरकार की इस दमनकारी नीति के खिलाफ हम और हमारा दल सदन से बर्हिगमन करता है।

(तत्पश्चात् श्री लाल जी वर्मा अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बर्हिगमन कर गये।)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार गरीब उत्पीड़न के खिलाफ में एक निर्दोष आदमी को, जो दलित जाति का है उसको फंसा रही है। दलितों के उत्पीड़न के विरोध में मैं तथा समाजवादी पार्टी सदन का बहिष्कार करती है।

(तत्पश्चात् श्री राम गोविन्द चौधरी अपने दल के
सदस्यों के साथ सदन से बर्हिगमन कर गये।)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है, बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने वालों के साथ सख्ती हो रही है इसलिए हम और हमारा दल कांग्रेस सदन का बर्हिगमन करता है।

(तत्पश्चात् श्री अजय कुमार 'लल्लू' अपने दल के
सदस्यों के साथ सदन से बर्हिगमन कर गये।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, विशेष रूप से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, वर्ष 1995 में भाजपा की सरकार नहीं थी बल्कि वर्ष 1995 में बसपा की सरकार थी, वर्ष 2012 में भी भाजपा की सरकार नहीं थी। श्री योगेश वर्मा के खिलाफ बसपा और सपा सरकार के वक्त के मुकदमे हैं जो यह कहा जा रहा है कि केवल मेयर की वजह से हैं। मैं अपराध संख्या बता रहा हूँ। अपराध संख्या-54/95 आई0पी0सी0 की धारा 302, थाना लिसारी गेट, जनपद मेरठ और आरोप पत्र संख्या-211/95 दिनांक 19.07.1995। मान्यवर, यह 302 के केस में वर्ष-1995 में उनके ऊपर चार्जसीट लगी हुई है। मान्यवर, दूसरी अपराध संख्या-47/12 आई0पी0सी0 की धारा 332, 353, 186, 188 तथा 127 थाना परतापुर, जिला मेरठ आरोप पत्र दिनांक 27.02.2012 का लगा है। मान्यवर, दिनांक 27.02.2012 को भाजपा की सरकार नहीं थी उस समय भी बसपा की सरकार थी। तीसरी अपराध संख्या-81/94 आई0पी0सी0 की धारा 392 रेलवे रोड़, मेरठ। मान्यवर, कई थानों में इस प्रकार के मुकदमें लिखे गये हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है। अपराध संख्या-135/14 आई0पी0सी0 की धारा 420, 487, 406, 504 एवं 506 थाना परतापुर, जिला मेरठ। मान्यवर, यह 2014 का मुकदमा है। सवाल यह है कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर इस तरह के अपराध है धारा 323 से लेकर 353, 302, 392, 420 तक के। यह मेरठ वाले चुनाव की जो बात ले आये यह बिल्कुल आफ्टर थॉट है और केवल इन लोगों को अपने किसी न किसी रूप में पब्लिक ओपीनियन बनाने का यह अच्छा तरीका है कि उनके ऊपर रख दो कि आफेन्स इज द बेस्ट डिफेन्स। चूंकि चुनाव में ये मेरठ में जीत गये इसलिए ऐसा हो रहा है। चुनाव का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। जिस जलूस में हिंसा हुई, जिस जलूस में आदमी मरा, जिस जलूस में तोड़-फोड़ हुई, जिस जलूस में पुलिस चौकी फूंकी गयी, जिस जलूस में हिंसात्मक घटनायें हुईं उस जलूस का नेतृत्व योगेश वर्मा ने किया, यह अपने आपमें काफी है कि योगेश वर्मा उस जलूस का नेतृत्व कर रहे थे उसी में ये हिंसात्मक घटनायें घटी इसलिए मान्यवर, जो भी पुलिस

के द्वारा कार्यवाही की गयी है उसके लिए हम यह आश्वस्त करते हैं कि हम पूरी न्याय पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए उसमें न्यायोचित कार्यवाही होगी।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण (अनुदान सं0-01 लगायत 84, 86 तथा 92)

श्री राजेश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 01 लगायत 02, 06 लगायत 07, 09 लगायत 11, 13 लगायत 17, 24, 26, 28, 31 लगायत 34, 37 लगायत 38, 40 लगायत 42, 44, 46 लगायत 47, 49, 51, 54, 57 लगायत 60, 62 लगायत 63, 65, 68, 70, 72 लगायत 75, 78 लगायत 79, 81, 83 लगायत 84, 86 तथा 92 के अन्तर्गत कुल रूपये चौंतीस हजार सात सौ चौरासी करोड़ इक्यावन लाख उनचास हजार (रुपये 34784, 51, 49,000) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्वीकार करने की कृपा करें।

अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग

(1) आबकारी मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत 2,00,00,000 रुपये (दो करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-02 आवास विभाग

(2) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये (पांच करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

(3) वस्त्रोद्योग मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 1,000 रुपये (एक हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

(4) औद्योगिक विकास मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 600,00,00,000 रुपये (छः सौ करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग

(5) ऊर्जा मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 7848,80,10,000 रुपये (सात हजार आठ सौ अड़तालीस करोड़ अस्सी लाख दस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग

(6) उद्यान मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 8,00,13,000 रुपये (आठ करोड़ तेरह हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

(7) कृषि मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 1387,20,10,000 रुपये (एक हजार तीन सौ सत्तासी करोड़ बीस लाख दस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

(8) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 806,88,60,000 रुपये (आठ सौ छः करोड़ अट्ठासी लाख साठ हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायतीराज)

(9) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 6629,19,23,000 रुपये (छः हजार छः सौ उन्तीस करोड़ उन्नीस लाख तेईस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

(10) पशुधन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 48,45,64,000 रुपये (अड़तालीस करोड़ पैंतालीस लाख चौंसठ हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

(11) दुग्ध विकास मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये (पांच करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

(12) मत्स्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 96,13,000 रुपये (छियानवे लाख तेरह हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

(13) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 5535,00,00,000 रुपये (पांच हजार पांच सौ पैंतीस करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस)

(14) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 957,53,92,000 रुपये (नौ सौ सत्तावन करोड़ तिरपन लाख बानवे हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

(15) राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 20,00,00,000 रुपये (बीस करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-31 चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण

(16) चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 10,54,95,000 रुपये (दस करोड़ चौवन लाख पन्चानवे हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)

(17) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 70,000 रुपये (सत्तर हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

(18) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 12,98,71,000 रुपये (बारह करोड़ अट्ठानवे लाख इकहत्तर हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

(19) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 2,00,00,000 रुपये (दो करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग

(20) नगर विकास मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 880,00,00,000 रुपये (आठ सौ अस्सी करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग

(21) नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 805,00,00,000 रुपये (आठ सौ पांच करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग

(22) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 762,90,57,000 रुपये (सात सौ बासठ करोड़ नब्बे लाख सत्तावन हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग

(23) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 50,00,00,000 रुपये (पचास करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग

(24) न्याय मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 121,52,13,000 रुपये (एक सौ इक्कीस करोड़ बावन लाख तेरह हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग

(25) पर्यटन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 30,00,00,000 रुपये (तीस करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग

(26) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 12,00,000 रुपये (बारह लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग

(27) प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,81,17,000 रुपये (एक करोड़ इक्यासी लाख सत्रह हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग

(28) महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 846,28,18,000 रुपये (आठ सौ छियालीस करोड़ अट्ठाईस लाख अठारह हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

(29) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 301,00,00,000 रुपये (तीन सौ एक करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

(30) लोक निर्माण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 6,20,50,000 रुपये (छः करोड़ बीस लाख पचास हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन, सेतु)

(31) लोक निर्माण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत 15,80,00,000 रुपये (पन्द्रह करोड़ अस्सी लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन, सड़कें)

(32) लोक निर्माण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत 225,00,00,000 रुपये (दो सौ पच्चीस करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

(33) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 17,80,15,000 रुपये (सत्रह करोड़ अस्सी लाख पन्द्रह हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-60 वन विभाग

(34) वन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत 4,03,78,000 रुपये (चार करोड़ तीन लाख अठहत्तर हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

(35) वित्त मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 3031,89,50,000 रुपये (तीन हजार इकतीस करोड़ नवासी लाख पचास हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

(36) वित्त मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपये (दस करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

(37) वित्त मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये (पांच करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय

(38) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये (पांच करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

(39) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 44,43,56,000 रुपये (चौवालीस करोड़ तैंतालीस लाख छप्पन हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

(40) माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 30,53,69,000 रुपये (तीस करोड़ तिरपन लाख उनहत्तर हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

(41) उच्च शिक्षा मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 999,19,95,000 रुपये (नौ सौ निन्यानवे करोड़ उन्नीस लाख पन्चानवे हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-74 गृह विभाग

(42) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स के अन्तर्गत 198,08,72,000 रुपये (एक सौ अट्ठानवे करोड़ आठ लाख बहत्तर हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

(43) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 6,62,77,000 रुपये (छः करोड़ बासठ लाख सतहत्तर हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग

(44) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 4,89,00,000 रुपये (चार करोड़ नवासी लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

(45) दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 198,70,70,000 रुपये (एक सौ अट्ठानवे करोड़ सत्तर लाख सत्तर हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

(46) समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 507,79,93,000 रुपये (पांच सौ सात करोड़ उन्यासी लाख तिरानवे हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

(47) समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 1754,50,45,000 रुपये (एक हजार सात सौ चौवन करोड़ पचास लाख पैंतालीस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग

(48) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 4,50,00,000 रुपये (चार करोड़ पचास लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग

(49) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत 21,00,00,000 रुपये (इक्कीस करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग

(50) संस्कृति मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 15,26,52,000 रुपये (पन्द्रह करोड़ छब्बीस लाख बावन हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो अनुपूरक बजट रखा है, माननीय मुख्यमंत्री इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

माननीय अध्यक्ष जी, अनुपूरक बजट 2018-19 जो हमारी सरकार की ओर से हमारे वित्त मंत्री जी द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, यह अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश सरकार का अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। चूंकि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सरकार गांव, गरीब, किसान, नौ-जवान, महिलायें और समाज के प्रत्येक तबके के हित के लिए बिना भेद-भाव के कार्य करेगी इसलिए वास्तविक तथ्य सामने न आ जायें और जिन लोगों ने इस प्रदेश को और इस प्रदेश की जनता को हमेशा अंधेरे में रखा है वे स्वयं कटघरे में न खड़े हो जायें इसलिए उनको एक बहाना चाहिए था और बहाना उनको मिला वे लोग सदन से वाक-आउट कर गये लेकिन वास्तविकता है कि उनकी सरकार के समय के वे कारनामें प्रदेश की जनता के सामने न आने पायें इसलिए बहुत से वे लोग भागे हैं उन्होंने वाक-आउट किया है। मा0 अध्यक्ष जी, चूंकि यह अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है तो अनुपूरक बजट के जो कुछ बिंदु हैं उनको सबके सामने रखा जाये। खासतौर पर जो चीजें अब तक हुई हैं। मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देश के अंदर देखने को मिला है। हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर 2014 में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी क्षण था जब आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार केन्द्र में बनी और सरकार ने किसानों को केन्द्र में रख करके अपनी कार्य-योजना प्रारम्भ की। आजादी के बाद लगातार जिस बात को ले करके किसानों के लिए मांग हो रही थी वह बात थी कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को उनकी लागत का डेढ़ गुना किया जाये और हम सब आभारी हैं कि भारत सरकार ने रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लगभग

दोगुना और कुछ फसलों में 3 से 4 गुने तक की वृद्धि करके किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है और मैं भारत सरकार तथा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस देश का अन्नदाता किसान इस योजना से लाभान्वित हुआ है और इसीलिए हमारी सरकार ने शुरू से ही किसानों पर फोकस करते हुए अपनी योजनाएं बनाई हैं। किसानों को ध्यान में रखकर जो योजनाएं बनाई गई हैं। उसमें मुख्य रूप से जो चीजें थीं उसमें खासतौर पर किसानों की फसल ऋण माफी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने प्रदेश के अंदर फसल ऋण माफी के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है और उसकी अंतिम किश्त भी इस अनुपूरक बजट में लगभग 1500 करोड़ रुपये हमने किसानों को समर्पित किया है। महोदय, किसानों से संबंधित यह जो बातें सामने आती हैं। तो स्वाभाविक रूप से गन्ना किसानों की बात सामने आ जाती है। अनुपूरक बजट इससे महत्वपूर्ण है कि जब मार्च, 2017 में सरकार आई थी तो वर्ष 2011-12 से ले करके वर्ष 2016-17 तक गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों पर था। सत्ता और चीनी मिल मालिक आपस में मिल करके गन्ना किसानों का शोषण किस रूप में करते थे कि 5 वर्ष का, 6 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया किसानों का चीनी मिलों पर था लेकिन सरकार के स्तर पर कभी-भी कोई प्रभावी कार्यवाही करने का प्रयास नहीं हुआ। हमारी सरकार आई और हम लोगों ने गत वर्ष गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए जो कार्यवाही प्रारम्भ की। उसका परिणाम था कि किसानों में भी गन्ना के दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक नया कार्य हुआ। वर्ष 2016-17 में जहां 20.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल गन्ना का था वहीं वर्ष 2017-18 में 22.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल गन्ना का बढ़ा। इस वर्ष क्षेत्रफल बढ़ करके 26.72 लाख हेक्टेयर हुआ है। यानी काफी वृद्धि हुई है।

इस प्रदेश में 34 लाख गन्ना किसान हैं। उन गन्ना किसानों का प्रदेश की सरकार पर एक विश्वास जागृत हुआ है कि प्रदेश की सरकार गन्ना किसानों के हितों के लिए कार्य करेगी, उनके गन्ना मूल्य का भुगतान करेगी। प्रदेश की सरकार ने भी इस दिशा में बेहतर प्रयास करके किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान यथासंभव कराया है। अकेले इस वर्ष गन्ना किसानों का जो गन्ना मूल्य का भुगतान है वह विभिन्न चीनी मिलों पर लगभग 35 हजार करोड़ रुपये का है जिसमें से 25 हजार करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक प्रदेश सरकार की पहल पर हुआ है। गत वर्ष के गन्ना मूल्य के भुगतान को लें तो इस वर्ष अब तक हमारी सरकार 35 हजार करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को करवा चुकी है। जो अब तक की सबसे बड़ी धनराशि है। जो गन्ना किसानों के हित के लिए प्रदेश सरकार ने किसानों को दिया है। लेकिन प्रदेश में 120 लाख मी0टन चीनी का उत्पादन भी हुआ है। यह पहली बार है कि जब 15 अक्टूबर से लेकर जून के अंतिम सप्ताह तक चीनी मिलें प्रदेश में चली हैं। इतना लम्बा सीजन चीनी मिलों का कभी नहीं रहा। लेकिन इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम कम होने के कारण इसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से चीनी मिल मालिकों पर भी पड़ा है, किसानों पर भी पड़ने की संभावना थी इसलिए किसानों को राहत देने के लिए इस अनुपूरक बजट में प्रदेश की जो हमारी चीनी मिलें हैं चाहे वह कोआपरेटिव की हों या फेडरेशन की हों

उनके गन्ना मूल्य के भुगतान की राशि भी हमने अनुपूरक बजट में उसका स्थान दिया है। साथ ही साथ इस बात की भी व्यवस्था की है कि 15 अक्टूबर तक हमारा प्रयास हो कि अधिकतर गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों का हो सके। इसके लिए प्रदेश सरकार ने ऋण की व्यवस्था 4 हजार करोड़ रुपये की चीनी मिलों को देने की भी इसमें की है। जो भी चीनी मिल मालिक इस ऋण को लेगा वह ऋण सीधे किसानों के खाते में जाये। वह किसी अन्य के एकाउंट में न जाकर वह सीधे किसानों के खाते में जाये। इसके साथ-साथ जितनी चीनी का प्रदेश के अंदर उत्पादन हुआ है उस चीनी पर प्रति कुन्तल साढ़े चार रुपये का एक अनुदान चीनी मिल मालिकों को भी देने का निर्णय किया है। उसकी 500 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था हम लोगों ने इन अनुदान मांगो में रखा है। इसलिए किसानों के हित के लिए जितना बड़ा कार्य विगत साढ़े चार वर्ष में केंद्र की सरकार ने चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हो, कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से हो या फिर स्वायल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हो, किसानों के लिए एम0एस0पी0 की घोषणा हो, वह किया है। मान्यवर, पहले उत्तर प्रदेश में रबी और खरीफ की फसल में किसानों की उपज को खरीदा नहीं जाता था उसको समर्थन मूल्य के बराबर दाम नहीं मिलता था। आलू उत्पादन करने वाले किसानों को भावान्तर योजना के अंतर्गत पहली बार विगत वर्ष हम लोगों ने राशि दी थी और इस बार भी हम लोगों ने उसमें भरपूर सहायता की है। इसी प्रकार से गेहूं क्रय इस वर्ष लगभग 53 लाख मी0टन हुआ है। जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी नहीं किया गया। 43 लाख मी0टन धान का क्रय प्रदेश के अंदर किया गया जो पहले कभी नहीं हो पाया। प्रदेश के अंदर लम्बी सिंचाई परियोजनाओं को अभी प्रधानमंत्री जी जून में आये थे और उन्होंने बाण सागर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। मान्यवर, योजना आयोग ने सन् 1973 में इस परियोजना को बनाया था। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व0 मोरार जी देसाई जी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था। लेकिन कछुआ चाल से परियोजना चलती रही। मध्य प्रदेश ने अपने हिस्से का कार्य वर्ष 2006 में पूरा कर लिया। मध्य प्रदेश के किसानों में खुशहाली आयी। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 15 वर्षों के अंदर सरकार के नाम पर जो लोग आये थे इन लोगों ने किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा किया कि पैसा ही नहीं देते थे। और पैसा देते थे तो उसमें अपना ठेकेदार बैठाते थे। इसका परिणाम यह होता था कि कार्य होता ही नहीं था। विगत एक वर्ष के दौरान हमने इस अभियान को अपने हाथ में लिया। चाहे बाण सागर परियोजना हो, सरयु नहर परियोजना हो, मध्य गंगा परियोजना हो या फिर बुन्देलखण्ड की वह 06 परियोजनायें वर्षों से लम्बित थीं इन सबको हम लोगों ने केंद्र के साथ नाबार्ड के साथ बातचीत करके एकमुश्त धनराशि इन्हें उपलब्ध कराने का कार्य किया। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मिर्जापुर में बाण सागर परियोजना का लोकार्पण किया जा चुका है। एक लाख हे0 खेती इससे सिंचित हो रही है। और एक लाख 70 हजार किसाने सीधे-सीधे इस परियोजना से लाभान्वित होने जा रहा है। और जब हम इसको ड्रिप एरिगेशन के साथ जोड़ेंगे तो यह योजना और भी क्षेत्रफल को खेती को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करा सकती है। किसानों के हित के लिए किये जाने वाले इन तमाम कार्यक्रमों को हम लोगों ने अपने इस अनुदान मांगों के भी दायरे में लाने का प्रयास किया है।

मान्यवर, हम आदरणी प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि आजादी के बाद एक बात जो लगातार होती रही है वह थी कि इस देश में पिछड़ी जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलना। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का कार्य पहली बार हुआ है और हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। इस अनुपूरक बजट में पिछड़ी जाति से जुड़े हुए छात्र-छात्राओं के लिए हम विशेष योजना लेकर आए हैं और खासतौर पर इतनी बड़ी संख्या में इन योजनाओं को यहां पर देने का काम हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत वर्षों में किसी प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए लोगों के हितों के साथ सरकारों द्वारा खिलवाड़ होता रहा है और कैसे उन्हें छात्रवृत्ति से वंचित किया गया है। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हम लोगों के पास हैं। यह सच्चाई सामने न आ जाए इसके लिए इन लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है कि सदन से वॉक-आऊट कर जाओ और सदन से वॉक-आऊट करके यह लोग यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह सच्चाई सामने आनी चाहिए। इस दृष्टि से मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा क्योंकि पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए छात्रों के लिए हम लोगों ने छात्रवृत्ति की जो व्यवस्था की है उस छात्रवृत्ति की व्यवस्था के साथ-साथ विगत वर्ष में हम लोगों ने कितनी धनराशि कार्य के लिए उपलबध कराई है? मान्यवर, वर्ष 2016-17 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति में 34 लाख 96 हजार छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए थे। 2017-18 में 41 लाख 21 हजार छात्र-छात्राओं को हम लोगों ने लाभान्वित किया और इस वर्ष हम लोग 45 लाख छात्र-छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से 2016-17 की जो छात्रवृत्ति थी वह पिछली सरकार ने वितरित नहीं की थी और जब हमारी सरकार आई तो मार्च के बाद ही उस छात्रवृत्ति को हमारी सरकार के द्वारा वितरित किया गया है। इसी प्रकार से शुल्क प्रतिपूर्ति में भी विगत वर्ष हम लोगों ने 2016-17 के 30 लाख 81 हजार छात्र-छात्राओं को और 2017-18 के 33 लाख 89 हजार छात्र-छात्राओं को इस योजना से लाभान्वित किया है तथा इस वर्ष इसका दायरा बढ़ाकर के 38 लाख छात्र-छात्राओं को हम शुल्क प्रतिपूर्ति से लाभान्वित करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से पूर्व दशम जो छात्रवृत्ति है विगत वर्ष हम लोगों ने वर्ष 2016-17 के भी 10 लाख 70 हजार छात्रों को इस योजना से लाभान्वित किया है और 2017-18 के भी 14 लाख 22 हजार छात्र-छात्राओं को इससे लाभान्वित किया है। इस वर्ष 17 लाख छात्र-छात्राओं को इस योजना से सरकार लाभान्वित करने जा रही है और इसके लिए भरपूर धनराशि की व्यवस्था इस अनुपूरक मांग में यहां पर की गई है। मान्यवर, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। इस समय देश के अंदर तेजी के साथ एक मांग उठी है और खासतौर पर असम की सरकार ने उस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है कि एक राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एन0आर0सी)हो। प्रदेश के अंदर पहले कैसी सरकारें थीं? आपने अभी दो दिन पूर्व देखा होगा कि मा0 न्यायालय ने प्रदेश के अंदर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त कुछ आतंकियों को सजा दी है। यह वही आतंकी हैं जिनके लिए पिछली सरकार ने उनके सारे मुकदमें वापस लेने की चेष्टा की है। अगर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता तो यह आतंकवादी प्रदेश और देश के अंदर जाने कितने अन्य स्थलों को दहलाते। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे भी सामने न आने पायें, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो लोग खतरनाक हैं,

समाज की सुरक्षा के लिए जो खतरनाक हैं, उन लोगों के मुकदमों को वापस लेना, यह राष्ट्र-द्रोह से कम नहीं है और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने कुत्सित चेष्टा करने का प्रयास किया था कि आतंकवादियों के मुकदमों को भी वापस लेने की कुत्सित चेष्टा की थी। आज इस देश के अन्दर असम की सरकार ने एन0आर0सी0 के मुद्दे पर जो स्टैंड लिया है, मुझे लगता है, वह एक सार्थक पहल है। हमें तय करना चाहिए, कौन हमारा नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है ? इस देश का नागरिक कौन है, कौन नहीं है? हम शरणार्थियों को सम्मान दें, उन्हें हर प्रकार की सुविधा दें, यह भारत की नीति रही है, लेकिन घुसपैठिये के रूप में आ करके जो लोग भारत के गरीबों, भारत के वंचितों और भारत के नागरिकों के हकों पर डकैती डालने का कार्य रहे हैं, इस प्रकार की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है और मुझे लगता है, एक बहुत सराहनीय पहल हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह पहल हुई है और इस पहल का हम स्वागत करते हैं। इसी प्रकार से अन्य तमाम योजनाएँ जो प्रदेश और देश के हित के लिए हो सकती हैं, केन्द्र सरकार के द्वारा प्रारम्भ की गयीं और प्रदेश सरकार ने अपने को उसके साथ जोड़ा है, अनुपूरक जो मांगें हैं, उस अनुपूरक मांगों में उसको हम लोगों ने समावेश करने का प्रयास किया है, खास तौर पर आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत इस देश की अब तक की स्वास्थ्य बीमा की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें इस देश के लगभग 50 करोड़ लोग सीधे-सीधे लाभान्वित होने जा रहे हैं। इसमें 10 करोड़ ऐसे परिवारों को 2011 की एसीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार जो लोग उस योजना से आच्छादित होने हैं, जिनके नाम हैं, ऐसे 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा से लाभान्वित करना। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है और अनुपूरक बजट इस दृष्टि से उन गरीबों के लिए, जब हमारे विपक्ष के मित्रगण यहाँ पर अपनी बात कह रहे थे, वास्तव में इनकी बात दलितों, वंचितों को अपमानित करने वाली बातें हैं। अपनी सरकार के समय इन लोगों ने 15 वर्षों तक उस तबके को पूरी तरह शोषण किया, उनके साथ अन्याय किया, उनको हर प्रकार से तबाह करने का प्रयास किया, उन्हें शासन की योजनाओं से वंचित करने का कार्य किया। पहली बार हो रहा है, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वह प्रधानमंत्री उज्जवला योजना हो, चाहे वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैकशिप की जो स्कीम है, स्वच्छ भारत मिशन की, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक उस परिवार के पास एक-एक व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराने की योजना हो, इन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश ने कितनी लम्बी छलांग लगायी। महोदय, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा हुई थी और अक्टूबर, 2014 से मार्च, 2017 तक प्रदेश के अन्दर बने कुल 28 लाख शौचालय, लगभग ढाई वर्ष के अन्दर बन पाये थे और महोदय, विगत 15 महीनों के दौरान हमारी सरकार ने बनाये हैं, 01 करोड़ 25 लाख शौचालय। (मेजें थपथपाई गईं) हमारी सरकार 01 करोड़ 25 लाख शौचालय बनाती है, 01 वर्ष 03 महीने में और समाजवादी पार्टी की सरकार ढाई वर्ष में बनाती है, 28 लाख शौचालय। इसके साथ ही अगर शहरी क्षेत्र में हम देखें तो इस दौरान 06 लाख 19 हजार, 945 शौचालयों का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर हम देखेंगे तो बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना महोदय, हम अगर

ग्रामीण में देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी आवास गरीब के नहीं बनें। वर्ष 2016-17 में समाजवादी पार्टी की सरकार में लोहिया आवास बनाए गए 30 हजार 6 सौ। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी गरीब को उन्होंने इस योजना से लाभान्वित नहीं किया है। जबकि इस योजना में हर गरीब को एस0ई0सी0सी0 के सर्वे में जिसका नाम आया है उस गरीब को जो पात्रता रखता है। 1 लाख 20 हजार रुपये आवास के लिए 12 हजार रुपये शौचालय के लिए और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर उसको धनराशि अतिरिक्त उपलब्ध होती है। यानि लगभग डेढ़ लाख एक गरीब परिवार को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक भी आवास नहीं बनाया। यह लोग गरीबों के हितैषी बनते हैं, दलितों के हितैषी बनते हैं और हमारी सरकार के समय 8 लाख 85 हजार आवास हमारे कल तक पूर्ण हो जाएंगे। 30 और 31 अगस्त तक हम 8 लाख 85 हजार गरीबों को एक-एक आवास जिसमें 1 लाख 20 हजार की राशि, 12 हजार रुपये शौचालय के लिए अलग से और 90 दिन की मनरेगा के अंदर उनकी मजदूरी की व्यवस्था इसके माध्यम से देने जा रहे हैं। यह सच्चाई सामने ना आने पाए इसलिए सदन को बहस का केंद्र बिन्दु यह नहीं बनने देना चाहते। सदन में बहस ना हो इसके लिए उनका वॉक आउट है। कहीं यह सच्चाई ना आ जाए कहीं जनता इनसे पूछने ना लग जाए कि तुम तो जाति-जाति के नाम पर लड़ाते थे समाज को, आतंकवादियों की पैरवी करते थे, गरीबों की पैरवी नहीं करते थे, किसानों की पैरवी नहीं करते थे, दलितों और वंचितों की पैरवी नहीं करते थे और केंद्र सरकार पैसा दे रही है उस पैसे का उपयोग भी नहीं करते थे। स्वास्थ्य विभाग में भारत सरकार डेढ़ सौ लाईफ सपोर्ट एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश को देना चाहती थी इन्होंने नहीं ली। इन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भारत सरकार से एम्बुलेंस ले लेंगे और इस योजना से उत्तर प्रदेश के लोग लाभान्वित हो जाए और मोदी जी की ब्राण्डिंग हो जाएगी। मोदी जी किसी सरकार के मोहताज नहीं ब्राण्डिंग करने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को इन्होंने कितनी महत्वपूर्ण सुविधा से वंचित रखा था कि एक सौ पचास लाईफ सपोर्ट एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आ पाई। जब हमारी सरकार आई तब यह योजना हम उत्तर प्रदेश के अंदर लागू कर पाए थे। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में जो आवास इस दौरान बनाए गए उन आवासों में काफी बड़ी संख्या इस वर्ष हम लोग लगभग 4 लाख 32 हजार आवास शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले उन परिवारों को देंगे। जिसमें ढ़ाई लाख का अनुदान सरकार दे रही है। जिसमें डेढ़ लाख भारत सरकार का है और एक लाख प्रदेश सरकार की तरफ से है। पिछली सरकारों ने कभी इसमें रूचि नहीं ली। महोदय, यह प्रदेश के अंदर विकास की बात क्या करेंगे मेरे पास आकड़ें हैं इनके मैनपुरी और इनके उन क्षेत्रों के जो उस समय इन योजनाओं के सबसे करीब माने जाने वाले जनपद मेरे पास कन्नौज के भी आकड़े हैं और मेरे पास मैनपुरी के भी आकड़े हैं। महोदय, कन्नौज की स्थिति जो है किसानों के ऋण माफी का कार्यक्रम अकेले कन्नौज के अंदर 65 हजार 2 सौ 74 लोगों का किसानों का ऋण माफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई उसके बाद हुआ है। हम लोगों ने इस दौरान वहां पर पिछली बार कन्नौज के अंदर स्वच्छ

भारत मिशन के अंतर्गत 67 हजार 6 सौ 45 शौचालय वर्ष 2016-17 में बने और विगत एक वर्ष के दौरान 01 लाख 23 हजार 731 शौचालयों का निर्माण वहाँ पर किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना कन्नौज में जीरो थी लेकिन जब हमारी सरकार आई थी तो उसके बाद 8395 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वहॉ लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जीरो और जब हमारी सरकार आई तो ऐसे 943 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 230 जोड़ों के सामूहिक विवाह का कार्यक्रम वहाँ पर सम्पन्न हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो निःशुल्क एल0ई0डी0 वितरित किए गए थे उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जीरो और जब हमारी नई सरकार आई है तो इस सरकार ने 63882 परिवारों को निःशुल्क एल0ई0डी0 लाइट्स वितरित कीं। सौभाग्य योजना में इन्होंने एक भी गरीब को विद्युत कनेक्शन वितरित नहीं किया लेकिन जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार के समय 72410 लोगों को अब तक वहाँ पर सौभाग्य योजना से निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सरकार आने के बाद 61408 लोगों को लाभान्वित किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्र, समाजवादी सरकार के समय 08 बने और हमारी सरकार के समय 99 बने। इसी प्रकार से निराश्रित महिला पेंशन समाजवादी पार्टी के समय 14095 थी और जब हमारी सरकार आई तो 14699 हो गई। अनुसूचित जाति-जनजाति को जो अन्य तमाम योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है तो उसमें भी 139 लोगों को लाभान्वित किया गया है। महोदय, इसी प्रकार गेहूँ क्रय में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय वर्ष 2016-17 में 3584 मीट्रिक टन केवल खरीदा गया और जब हमारी सरकार आई तो विगत वर्ष 33564 मीट्रिक टन और इस वर्ष 43582 मीट्रिक टन गेहूँ का क्रय सीधे किसानों से किया गया। यानी उनसे 10-12 गुना गेहूँ का क्रय उन क्षेत्रों में हुआ है, ये तो वे क्षेत्र हैं जिनको ये लोग समाजवाद का गढ़ मानते हैं। बाकी प्रदेश की स्थिति क्या रही होगी। इसी प्रकार से हमारे पास मैनपुरी के आंकड़े हैं। यानी ये आंकड़े इस बात को बताते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, कारनामे बहुत किए हैं और महोदय वे कारनामे किस रूप में हैं। एक कारनामा है पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का। बड़ी चर्चा होती थी, ये लोग कहते हैं कि ये तो हमने बनाई थी, ये नाम हमने रख दिया था। योजना किसी व्यक्ति की नहीं होती है, सरकार संचालित करती है लेकिन योजना उस प्रदेश की जनता की होती है, योजना प्रदेश की होती है। प्रदेश की योजना को अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बनाने का प्रयास हुआ क्योंकि यहॉ राजनैतिक वातावरण ही नहीं, जहॉ लोगों ने राजनैतिक एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को परिवारवाद के दायरे में, जातिवाद के दायरे में कैद करके कुन्द कर दिया हो। उन लोगों से लोकतंत्र की बात करना, लोकतांत्रिक मूल्यों पर बातचीत करना एक हास्यास्पद बात हो जाती है और यही स्थिति हम लोगों को तब लगती है जब प्रदेश की किसी परियोजना को समयबद्ध ढंग से हमारी सरकार पूरा करती है और कुछ नेता उस पर टिप्पणी करते हैं। महोदय, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जब हम लोगों की सरकार मार्च, 2017 में आई थी तो 20 प्रतिशत जमीन भी अधिगृहीत नहीं थी। लेकिन बिना जमीन/भूमि अधिग्रहण के इन लोगों ने जो बिड उस समय एक्सप्रेस वे के

निर्माण में निकाली थी, यानी भूमि अधिग्रहण का कार्य अलग से, केवल निर्माण के लिए, सिविल वर्क के लिए 15200 करोड़ रुपये इन्होंने उसके बारे में तय किया था कि इतने में यह एक्सप्रेस वे बनेगा। उनसे ज्यादा जमीन हमने अधिगृहीत की। 94 फीसदी जमीन अधिगृहीत करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास करवाया है और महोदय इस समय डेढ़ वर्ष के बाद जब एक्सप्रेस वे बन रहा है तो डेढ़ वर्ष के बाद इसकी लागत बढ़ने के बजाय घटी है। 11800 करोड़ में हम इस एक्सप्रेस-वे को बना रहे हैं (मेजों की थपथपाहट)। इन समाजवादियों से पूछना चाहिए कि ये 3000 करोड़ रूपया किसकी जेब में जाता? ये 3000 करोड़ रुपये कौन लोग डकारने जा रहे थे? क्या प्रदेश की जनता को वे लोग इसका जवाब देंगे? क्या एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहॉं पर एक बड़ी आबादी सुविधाओं से वंचित है, आवास से वंचित है, शौचालय से वंचित है, बिजली से वंचित है, सम्पर्क मार्गों से वंचित है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा से वंचित है, वहॉं पर एक योजना में 3000 करोड़ रुपये की डकैती। महोदय, यह डकैती के सिवाय और कुछ नहीं है। प्रदेश के अंदर एक लूटतंत्र मचा रखा था और इस लूट पर पड़ा हुआ पर्दा कहीं छट न जाए इसके लिए यह सब घड़ियाली ऑसू बहाने का कार्य हो रहा है। ये जो मुकदमें बताये जा रहे हैं ये मुकदमें एक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय दायर नहीं हुये हैं। ये सपा और बसपा के समय में हुए हैं और मुझे तो आश्चर्य होता है कांग्रेस के नेता को जब मैं देखता हूँ तो लगता है बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वह उछल-उछलकर जबरदस्ती जाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि राहुल हमारे नेता नहीं हो सकते क्योंकि वह इस योग्य नहीं हैं कि उसे प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाया जाए वह हमारे गठबंधन का नहीं है लेकिन वह जबरदस्ती चिपके जाते हैं। चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया चल रहा है। बसपा कहती है कि सपा से हमारी दूरी वैसी ही है। पता नहीं कितनी दूरी है लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ महोदय, सॉंप का बच्चा हमेशा सॉंप ही होता है, जहरीला ही होता है। सॉंप कभी नेवला नहीं बन सकता, जिनकी डंक मारने की आदत होगी वह डंक ही मारेंगे और मुझे लगता है कि होशियार लोगों के लिए आवश्यक होता है कि वे किसी दूसरे को ठोकर खाकर देखते हुए संभल जाए। अगर स्वयं ही ठोकर खाने और बार-बार ठोकर खाने का कोई आदी है तो ईश्वर उनकी मदद करे उस ठोकर से उन्हें बचायें लेकिन विधान सभा को, सदन को बंधक बनाना, हर बात को लेकर वेल में आ जाना, हरेक कार्य को बाधित करना उचित नहीं है। बाढ़ के मुद्दे पर आज हमारी बाढ़ मंत्री ने यहॉं पर जवाब दिया होगा कि कौन लोग बाढ़ संबंधी कामों में व्यवधान कर रहे थे और कितनी धनराशि बाढ़ कार्यों के लिए सरकार ने खर्च की है। अब तक की सर्वाधिक राशि, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जितनी राशि थी उससे कई गुना राशि हमारी सरकार ने बाढ़ क्षेत्रों में कार्य हेतु खर्च की है। विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा पानी बरसा है। नदियॉं कई बार ओवरफ्लो हो चुकी हैं, खतरे के निशान से ऊपर जा चुकी है, कुछ ही गॉंवों को छोड़ दिया जाए सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में विगत एक वर्ष के अंदर बाढ़ के बचाव के लिए किये गये कार्यों के लिए और पीड़ितों को राहत देने के लिए जो कार्य हुआ है, वह अभूतपूर्व है, कभी नहीं हुआ है और मैं कह सकता हूँ कि पूरी सरकार हमारी उसके प्रति

पूरी संवेदनशील है लेकिन कुछ लोगों ने बाढ़ बचाव के कार्यों को ठेके-पट्टों से जोड़ दिया था और जब भी वहॉ विकास के कार्यों के लिए कोई जाता था। यहॉ से सरकारी अभियंता जाते थे, सरकारी योजनायें वहॉ के लिए बनती थी। वही स्थिति जो यहॉ पर है हर कार्य के लिए वेल में आ जाना। वही वहॉ हर कार्य के लिए कार्यस्थल पर धरने पर बैठ जाना। हम नहीं करने देंगे, जब तक यह ठेका हमें नहीं मिलेगा तब तक कार्य नहीं होगा। अब हमने ठेके की प्रथा ही बंद कर दी है। हमने ई-टेण्डरिंग कर दी है। अब ई-टेण्डरिंग के माध्यम से जो रजिस्टर्ड ठेकेदार होगा, जिसके साथ एग्रीमेंट होगा वह वहॉ जाएगा समयबद्ध ढंग से कार्य करेगा। उसका परिणाम है कि आज मैं कई जनपदों में होकर आया हूँ। हम लोगों ने इस दौरान बहुत सारे इनोवेशन किये हैं कि बाढ़ बचाव के लिए क्या कार्य किये जा सकते हैं। बेहतर कार्य हुआ है। विगत वर्ष प्रदेश के 24 जिले बाढ़ से बहुत बुरी तरह प्रभावित थे मुझे स्वयं स्टीमर से निकलकर विभिन्न गॉवों में जाना पड़ा था। हमारे मंत्रिगण, विधायकगण और हमारे सांसदगण गए थे, अधिकारियों को फील्ड में रुकना पड़ा था।

इस वर्ष बाढ़ बचाव से पूरा प्रदेश अब तक लगभग सुरक्षित है, कुछ गांवों को, दर्जनभर गांवों को छोड़ दिया जाये जहां पर पानी है लेकिन हम अगले वर्ष तक उसकी भी समस्या का समाधान निकालने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हर एक मुद्दे का राजनीतिकरण करना, हर एक मुद्दे पर सदन को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास करना लोकतंत्र में इसकी इज़ाजत किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए। लोक सदन चर्चा का विषय होना चाहिए। सरकार ने बार-बार कहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं लेकिन फिर भी बार-बार बंधक बनाने का प्रयास, बार-बार व्यवधान डालने का प्रयास इस स्तर पर किया जा रहा है यह समझ से परे है। महोदय, इस दौरान अन्य तमाम क्षेत्रों में भी कार्य हुए। मैं एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट के लिए कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया और बार-बार इस बात को कहा कि उर्जा संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा कार्य हम कर सकते हैं। हम पर्यावरण के बचाव के लिए भी बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं और खासतौर पर एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट बदल करके। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 16 नगर निगमों में जितनी भी परम्परागत स्ट्रीट लाइट लगी थीं, हाइलोजन थे इन सबको एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट में बदलने के लिए भारत सरकार की संस्था ई0एस0एस0एल0 के साथ एक समझौता किया और इस बात का हमारा समझौता था कि हम एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट का एक भी पैसा नहीं देंगे। रिप्लेस करने का कोई पैसा हम नहीं देंगे। 7 वर्षों तक गारण्टी संस्था को लेनी पड़ेगी और जो डिफरेंस बिल में आयेगा उसी से वह लोग अपनी प्रतिपूर्ति करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर जो लगभग 12 लाख एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट हैं इनमें 6 लाख स्ट्रीट लाइट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट में बदल चुके हैं। दूसरा जो इसका बहुत बड़ा पहलू आया है 225 मिलियन किलोवाट आवर यानि यूनिट की बचत हुई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि प्रदेश को 250 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष इसके माध्यम से बचत हो रही हैं यानि हमने पर्यावरण को भी बचाया है, हमने राजस्व की भी बचत की है। इसको चर्चा का विषय क्यों नहीं बनाने का प्रयास हो रहा है। अगर मैं विद्युत विभाग के द्वारा इस दौरान किया गया कार्य यहां पर रखूँ,

यह जो आंकड़ें हैं यह वास्तव में देखे जा सकते हैं। किस प्रकार से बेहतर करने का प्रयास प्रत्येक विभाग ने अपने स्तर पर पूरे प्रदेश के अंदर किया है और इसमें खासतौर पर विद्युत विभाग द्वारा विगत 15 महीनों के दौरान जो कार्य इस दौरान हुए हैं उसमें 72 हजार मजरों तक तो विद्युतीकरण का कार्य हुआ है, 47 लाख से अधिक गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे। इन लोगों के समय में जिस विद्युत कनेक्शन के लिए 20 हजार, 25 हजार रुपये एक गरीब को खर्च करना पड़ता था तब भी 10 बार जाना पड़ता था आज कैम्प लगाकर विद्युत विभाग जगह-जगह उन्हें विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध करा रहा है, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा रहा है। एक बड़ा कार्य इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छे ढंग से इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है लेकिन इस कार्य को यह लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं यह सच्चाई जनता के सामने अगर आ गयी तो इन लोगों को अभी तो कम से कम वहां बैठने के लिए ही जनता ने मौका दे दिया है कहीं ऐसा न हो कि अगली बार वहां से भी इनको मरहूम होना पड़े इसलिए इनके द्वारा प्रयास होता है कि इस सदन को चर्चा का केन्द्र बिन्दु कतई न बनने दिया जाये। महोदय, इस दौरान विगत 15-16 महीनों में 33/11 केवीए के 380 विद्युत सब स्टेशन के कार्य को भी सफलतापूर्वक विद्युत विभाग ने सम्पन्न किया है साथ-साथ जो तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां होती थी विद्युत विभाग में इससे बड़ा कार्य हुआ है। खासतौर से अगर आप देखेंगे तो यह 32.80 प्रतिशत से घट करके आज 27.67 प्रतिशत हुयी है इससे प्रदेश को 3400 करोड़ की बचत इस हानि को रोकने से प्रदेश को और ऊर्जा विभाग को इस कारण से हुयी है। लाइन लॉस में उत्तर प्रदेश बदनाम था विद्युत चोरी के मामले को लेकर। प्रदेश के अंदर लाइन लॉस अब 30 प्रतिशत तक आया है और इस तीस प्रतिशत के कारण तथा अन्य जो सुधारात्मक कार्य हुये हैं, उसके कारण प्रदेश में राजस्व की बचत हुयी है, जिसके कारण भारत सरकार के सहयोग से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, आई0सी00डी0एस0 तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से 72 हजार से अधिक मजरों में विद्युतीकरण कार्य करने में हम लोग सफल हुये हैं और साथ ही साथ 47 लाख 60 हजार परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने में भी हम लोगों को सफलता प्राप्त हुयी है। यह कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे जिस पर हम लोगों ने अनुदान मांगों में चूँकि इस कार्य के लिये धनराशि की व्यवस्था की है, इसलिये इनको यहॉ बताना आवश्यक था। महोदय इसके अलावा प्रदेश को इस दौरान 08 नये मेडिकल कालेज मिले हैं, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में। मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। आपने विगत वर्ष या इससे पहले के वर्ष में इस सदन में या अन्य जगह आप लोग बार-बार इस बात को सुनते रहे होंगे कि कैसे बड़ी मात्रा में वेक्टरजनित बीमारियों से मौतें होती थीं। मस्तिष्क ज्वर यानि इंसेफ्लाइटिस से, डेंगू से, कालाजार से, चिकनगुनिया से अन्य तमाम प्रकार की बीमारियों से। लेकिन विगत एक वर्ष के दौरान जो कार्य किया गया, उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आये हैं और महोदय मुझे इस सदन को अवगत कराना है कि इस दौरान जो कार्य हुये हैं और सरकार ने भी मुक्त हस्त से इन सब कार्यो के लिये सहयोग किया है। स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, महिला कल्याण एवं बाल विकास

विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग सभी 06 विभाग और स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बना करके हम लोगों ने कार्य किया। विगत वर्ष हम लोग आये थे, नये आये थे, कार्य योजना हमारी बनी थी, कार्य चल रहा था, तब भी हम लोगों ने एक बड़ा कार्य किया। महोदय, विगत वर्ष और उसके पहले के वर्षो के आकड़ों को अगर मैं सदन के सामने रखूँगा तो पूरा सदन चौकेंगा कि वास्तव में इतना बड़ा कार्य इस दौरान हुआ है। इस मामले में जो विगत वर्ष के आकड़े मेरे पास हैं उसके अनुसार विगत वर्ष गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, जिसमें इंसेफ्लाइटिस से सर्वाधिक मौतें होती थीं विगत वर्ष वहॉ पर इस महीने यानि अगस्त महीने में 400 से अधिक पेशेंट भर्ती हुये थे। 86 से ज्यादा की मौत हुयी थी इससे पहले वर्ष भी यही स्थिति थी और लगभग 40 वर्षो से कार्य चल रहा था। लेकिन इस बार जब 06 विभागों ने सामूहिक रूप से काम किया, उसका परिणाम किस रूप में सामने आया कि अगस्त महीने में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में 400 की तुलना में केवल 80 पेशेंट आये हैं और विगत वर्ष जहॉ 86 मौतें हुयी थीं इस बार केवल 06 मौत अब तक हुयी हैं। इतना बड़ा कार्य इसके लिये हर एक तबके को लगना पड़ा स्वास्थ्य विभाग को, चिकित्सा शिक्षा विभाग को, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग को, ग्राम्य विकास विभाग को, पंचायती राज विभाग को, नगर विकास विभाग को इन सबने टीम वर्क के साथ काम किया। स्वच्छता के कार्यक्रम चले, विशेष अभियान चले फरवरी में, अप्रैल में, जुलाई में। अप्रैल माह के अंदर पूरा एक पखवाड़ा वैक्सीनेशन के लिये समर्पित किया गया। 0 से 15 वर्ष तक के प्रत्येक बालक-बालिका को वैक्सीनेशन किया गया। उन गांवों में पेयजल की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम्य विकास विभाग ने और शहरी क्षेत्र में नगर विकास विभाग ने की। स्वच्छता के विशेष अभियान चलाये गये, जागरूकता के अभियान चलाये गये, ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाये गये, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में बेड्स बढ़ाये गये, हर डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में 10 से लेकर 15 बेड के आई0सी0यू0, पिडियाट्रिक्स के आई0सी0यू0 बनाये गये। सी0एच0सी0 में तीन-तीन बेड के आई0सी0यू0 का निर्माण किया गया। 64 हजार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को और अन्य पैरामेडिकल के स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई। 500 के आस-पास चिकित्सकों को, पिडियाट्रिशियन को ट्रेनिंग दी गई और आज उसका परिणाम है कि जो विगत वर्ष ऑकड़े मौत के 86 थे, इस वर्ष घटकर 6 पर आ गये हैं और मुझे लगता है कि टीम वर्क से जब कोई काम होगा तो उसके परिणाम इसी प्रकार से आयेंगे। यह जितने भी कार्य थे, यह पिछली सरकारों के पाप के स्मारक थे।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं।)

क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के कारण इस प्रकार की स्थितियॉं प्रदेश के अंदर होती थी। आज प्रदेश के अंदर कानून की स्थिति में भी भारी सुधार हुआ है। महोदय, अगर 2016 में डकैती की घटना को आप देखें तो 168 डकैती पड़ी थी और 2018 में इसी दौरान केवल 96 घटनायें सामने आयी हैं। इसी प्रकार से अन्य तमाम घटनाओं में चाहे वह लूट की घटनायें हों, हत्या की घटनायें हों, रोड होल्डअप की हों, फिरौती की हों, दहेज मृत्यु की हों और बलात्कार की हों, इन सभी घटनाओं में भारी कमी इस दिशा में हुई है और मेरा यह मानना है

कि प्रदेश की आज की कानून व्यवस्था पर जो प्रश्न खड़ा कर रहा है, मुझे लगता है कि उसको किसी एक नई दृष्टि की आवश्यकता है। यह जान-बूझ करके, इसको हम दृष्टि-दोष कह सकते हैं। 15 वर्षों में आज प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। पिछले 16 महीनों में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अन्दर नहीं हुआ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं।)

प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने प्रभावी ढंग से जो कार्य किया, उसका परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर निवेश आ रहा है। फरवरी में हम लोगों ने जो इंवेस्टर्स समिट किया था। लोग पहले हँसते थे कि उत्तर प्रदेश में निवेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ऐसी तस्वीर बना करके रख दी गई थी। उत्तर प्रदेश को इस प्रकार का वीभत्स दृश्य प्रस्तुत कर दिया गया था कि उत्तर प्रदेश का मतलब अराजकता जहाँ हो, गुण्डा-गर्दी जहाँ हो, एक ऐसी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बना दी गई थी। आज क्या है, आज देश और दुनिया का हर उद्योगपति उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए इच्छुक दिखाई दे रहा है, वह आ रहा है। अभी 29 जुलाई को हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इंवेस्टर्स समिट में जो हमारे साथ समझौते हुये थे, उन समझौतों में से साठ हजार करोड़ रूपये का परियोजनाओं को शिलान्यास का कार्य हम लोगों ने पूरा किया है। बहुत शीघ्र 50 हजार करोड़ रूपये की नई परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्य हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बहुत शीघ्र इन योजनाओं को डिफेंस कॉरिडोर के लिए हम लोगों ने बजट में व्यवस्था की है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे को, बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन को भी दूर करने के लिए, हम लोग एक नया एक्सप्रेस-वे बनाने जा रहे हैं। एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इसमें की है। एक सकारात्मक सोच का परिणाम है। हमने नकारात्मक दृष्टि से कभी भी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया क्योंकि हम सब का यह मानना है कि सकारात्मक सोच प्रदेश को आगे बढ़ा सकती है और हम आभारी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जिन्होंने उत्तर प्रदेश को डिफेंस कॉरिडोर के लिए चुना है और डिफेंस कॉरिडोर के लिए आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झाँसी, चित्रकूट, इस पूरे क्षेत्र को डिफेंस कॉरिडोर के लिए चयन करके इस दिशा में भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक प्रदेश सरकार की, निवेशकों की, स्टेप होल्डर्स की, कई दौर की बैठकें सम्पन्न हो चुकी हैं और मेरा यह मानना है कि बहुत शीघ्र हम लोग इन स्थलों पर ढाई लाख नौजवानों को रोजगार देने वाला डिफेंस कॉरिडोर को मूर्त रूप में लाने का भी प्रयास करेंगे। महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आजादी के 72वें वर्ष में हमारे वन विभाग ने बहुत बेहतर कार्य किया है। मैं वन मंत्री को और उनकी पूरी टीम को यद्यपि पूरी सरकार और सभी विभागों ने उनके साथ सहयोग किया था। लेकिन लीड उन्होंने किया था, नेतृत्व उन्होंने किया था। पहली बार प्रदेश में साढ़े नौ करोड़ वृक्षारोपड़ हुआ है। एक जनान्दोलन बना, जनसहभागिता से कार्य हुआ, मुझे भी तीन जगह जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं देख रहा था कि लोगों में उत्सुकता है। बच्चे हों, बालक हों, नौजवान हों, प्रौढ़ हों, बुजुर्ग हों, महिला हो या पुरूष हो, सरकारी सेवक हो या गॉव में रहने वाला व्यक्ति हो, जनप्रतिनिधि हो या समाज

के किसी भी तबके का व्यक्ति हो, हरएक ने इस अभियान के साथ बढ़ चढ़ करके भाग लिया, औपचारिकता नहीं बनीं बल्कि वृक्षारोपड़ के क्षेत्र में लोगों ने जुट करके इस अभियान को सफल बनाया है। पहली बार उत्तर प्रदेश ने साढ़े नौ करोड़ वृक्षारोपड़ एक दिन में किया मुझे लगता है अगले वर्ष के लिए भी एक बड़ा लक्ष्य ले करके वन विभाग चल रहा है, हमें विश्वास है कि अगले वर्ष इससे बड़े टारगेट को लेकर वन विभाग चलेगा। प्रदेश के अन्दर हम लोग वनाच्छादन व्यापक रूप से दें जिससे उत्तर प्रदेश की आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई दे। मैं जो बात कर रहा था कि प्रदेश के अन्दर मेडिकल एजूकेशन में, पिछली सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए ऐसी-ऐसी जगह दे दी थी अपने व्यक्तिगत लोगों को लाभान्वित करने के लिए, जहॉ यह बन पाना कठिन था। योजनाएं इसलिए बनती थीं कि उनके लोग लाभान्वित हो सकें, प्रदेश की जनता उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, प्रदेश की जनता के लिए वह कार्य करें इसके लिए वे कार्य नहीं करते थे, उनके एजेण्डे में प्रदेश की 22 करोड़ जनता नहीं थी, प्रदेश का किसान नहीं था, प्रदेश का नौजवान नहीं था, प्रदेश की महिलाएं नहीं थीं, प्रदेश का गरीब और प्रदेश का वंचित नहीं था, उनके एजेण्डे में सीमित लोग थे, उन सीमित लोगों के लिए योजनाएं बनती थीं। जब हम लोग विगत वर्ष आये थे तो भारत सरकार के सहयोग से पॉच नये मेडिकल कॉलेजेज जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे उनको ले करके बनने की कार्यवाही प्रारम्भ होनी थी, वह प्रारम्भ नहीं हो पायी थी क्योंकि सरकार की उसमें रुचि नहीं थी। प्रदेश में अच्छी शिक्षा हो, अच्छी मेडिकल एजूकेशन हो, हमारी हर स्तर की शिक्षा अच्छी हो, इसमें उनकी कोई रुचि नहीं थी, रुचि लेने के लिए उस प्रकार की दृष्टि होनी चाहिए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जब दृष्टि ही नहीं तो सृष्टि को बनायेंगे कैसे ये लोग, इनकी रुचि ही नहीं थी, उनकी रुचि का विषय ही नहीं था, उनको तो ऐसा कार्य चाहिए था जिसमें 15 हजार करोड़, 16 हजार करोड़ की योजना बना दें और जमीन में 5 हजार करोड़ हो और बाकी सब इनकी जेब में जाय। मेडिकल कॉलेज चूँकि भारत सरकार मॉनीटर करती है इसलिए उन्होंने नहीं बनने दिया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये जो पॉच मेडिकल कॉलेजेज विगत वर्ष भारत सरकार के सहयोग से प्रारम्भ हुए थे, फैजाबाद, बस्ती, फिरोजाबाद, शाहजहॉपुर, बहराइच। जब हम लोग आये थे तो इन सबकी जो प्रोग्रेस थी वह जीरो से लेकर 15 प्रतिशत के बीच में थी और एक वर्ष में फैजाबाद की प्रोग्रेस है 65 फीसदी, बस्ती की 62 फीसदी, फिरोजाबाद की 55 प्रतिशत, शाहजहॉपुर की 45 प्रतिशत और बहराइच की 52 प्रतिशत है। इस वर्ष आठ नये मेडिकल कॉलेज भारत सरकार से हमें प्राप्त हुए हैं जिन्हें एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर और देवरिया में बनाया जायेगा, इन जनपदों में बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने अपना अंश दे दिया है और प्रदेश सरकार भी इस मामले में अपनी राशि इसके साथ दे रही है ताकि आठों के आठों स्थानों पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ हो सके, यह कार्यवाही युद्धस्तर पर प्रारम्भ होने जा रही है जिसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। महोदय, इसके अलावा जब प्रदेश की बात आये तो स्वाभाविक रूप से अमेठी और रायबरेली की बात तो होगी ही होगी। अमेठी और रायबरेली की स्थिति क्या थी इसे हर कोई जानता है वहॉ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक नहीं था, सी0एम0ओ0 का कार्यालय भी नहीं था और

भी कुछ कार्यालय नहीं थे। बाढ़ के कटाव से बचाव के लिए जो कार्य होने थे वह भी हमारी सरकार ने जब पैसा दिया तब बाढ़ से बचाव के कार्य वहॉ पर किये गये। रायबरेली में एम्स की घोषणा कब हो गई थी लेकिन एम्स के कार्य को युद्धस्तर पर पूरा करके अभी प्रारम्भिक चरण की ओ0पी0डी0 का कार्य हम सफलतापूर्वक रायबरेली में प्रारम्भ कर चुके हैं।

उसको वृहद् स्तर पर व्यवहारिक रूप से प्रारम्भ करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। महोदय, इसके अलावा गोरखपुर एम्स के लिए भी कार्य युद्ध स्तर पर चला है। गोरखपुर एम्स के लिए जमीन की पूरी औपचारिकता हमारी सरकार आने के बाद पूरी हो पायी है। वहॉ प्रदेश सरकार के स्तर पर जो सुविधाएं दी जानी चाहिए थी वह सारी सुविधाएं हम लोगों ने देना प्रारम्भ किया है। भारत सरकार के सहयोग से गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, झॉसी एवं मेरठ इन छः मेडिकल कालेजों में 08 नई सुपर स्पेशिएलिटी को प्रारम्भ करने के लिए भारत सरकार ने कुछ धनराशि की व्यवस्था की है। इन सभी मेडिकल कॉलेजेज में से चार में हमारा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, हमारा प्रयास है कि दिसम्बर तक यह सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। दो मेडिकल कालेज कानुपर एवं आगरा को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। महोदय, इन विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रोग्रेस हम कर पाएं हैं इसमें पूरी सरकार एवं सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर सामूहिक प्रयास किया है, आज उसके परिणाम सबके सामने हैं, यह टीम वर्क है। इस बजट में हम लोगों ने कुछ अन्य कार्य योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। खासतौर पर इस देश ने अभी 16 अगस्त 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को खोया है। उनका देहावसान भारत की राजनीति के साथ-साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक योग्य मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व श्रद्धेय अटल जी का प्राप्त होता था, उससे वंचित हुआ है। प्रदेश सरकार ने अनुपूरक मॉगों में बहुत सारी ऐसी बातें रखी हैं जो श्रद्धेय अटल जी को समर्पित हैं। खासतौर पर श्रद्धेय अटल जी की पैतृक जन्मभूमि बटेश्वर में एक स्मारक बनाने की संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग से जो कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए कहा गया है उस धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में किया है। उनकी उच्च शिक्षा कानपुर के जिस डी0ए0वी0 कॉलेज में हुई थी उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स के लिए हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की है। सार्वजनिक जीवन में उनका पदार्पण बलरामपुर लोकसभा सीट से हुआ था। बलरामपुर जनपद जो आज श्रावस्ती लोकसभा सीट के रूप में है, वहॉ पर हम लोगों ने के0जी0एम0यू0 का एक सेटेलाइट सेंटर बनाने और बाद में मेडिकल कालेज के रूप में श्रद्धेय अटल जी के नाम से एक मेडिकल कालेज बनाऍगे। बलरामपुर जनपद उनके सार्वजनिक जीवन में पदार्पण का जनपद रहा है और के0जी0एम0यू0 प्रदेश का एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है, तो उस अति पिछड़े जनपद में के0जी0एम0यू0 के मार्गदर्शन में मेडिकल एज्यूकेशन और वहॉ की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक सेंटर और मेडिकल कालेज के रूप में उसे विकसित करने की कार्यवाही हम लोग वहॉ पर करेंगे और इसके साथ ही एक चिकित्सा विश्वविद्यालय श्रद्धेय अटल जी के नाम पर हमारी सरकार प्रदेश के अंदर करने जा रही है, जो प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों को उसके साथ सम्बद्ध करने का कार्य करेगी। यह कार्य हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस अवसर पर करने का निर्णय लिया

है। बहुत सारे कार्य अन्य क्षेत्रों में भी हम लोगों ने प्रारम्भ कराये हैं। मैं सभी मा0 जनप्रतिनिधियों से इस बारे में अपील करूँगा कि उन्होंने जो मेहनत की है, खासतौर से ग्राम स्वराज्य अभियान के दौरान गॉव-गॉव में जा करके केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं का फोकस, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज का वह तबका, जो वास्तव में शासन की योजनाओं से वंचित था। आज आप किसी भी गॉव में जाऍगे, प्रधानमंत्री आवास योजना आपको दिखायी देगी, हर गॉव में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर गरीब के घर के पास एक शौचालय दिखायी देगा, इज्जत घर दिखायी देगा। केन्द्र और प्रदेश सरकार की जो लाभार्थीपरक योजनाएं हैं, इन योजनाओं का केन्द्र बिन्दु वास्तव में वह गरीब बने, जिसे केवल जाति के आधार पर इन लोगों ने व्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ने से रोका था।

आज जब वह फोकस में आया है, उसको कनेक्शन मिल रहा है, उसको सुविधा मिल रही है, उसको कनेक्टिविटी मिल रही है, उसको चलने के लिए अच्छी सड़क मिल रही है, उसको हर प्रकार की सुविधायें जब मिलनी शुरू हुई है तो हमारे विपक्ष में बैठे हुए मित्रों को कष्ट होना स्वाभाविक है क्योंकि उनके पैरों के नीचे की धरातल खिसकती हुई दिखायी देती है और अपने पैरों के नीचे की खिसकती हुई धरातल को देख करके आज एक छटपटाहट अपने स्वयं के वजूद को बचाने की है। लेकिन मैं अपने विपक्ष के मित्रों से कहना चाहूँगा कि श्रद्धेय अटल जी ने एक बात कही थी कि-''छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।'' (मेजें थपथपायी गयीं।) सरकार के सकारात्मक योगदान में यह लोग सहभागी बनें। सरकार एक सकारात्मक योगदान चाहती है। हमने शुरू के दिनों में कहा था कि सदन चर्चा का मंच बनना चाहिए। प्रदेश से जुड़ी हुई हर योजना के बारे में यहॉ चर्चा होनी चाहिए। प्रदेश के विकास के बारे में सत्तापक्ष और विपक्ष को मिल करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब विकास किया हो तो विकास में रुचि हो। यहॉ तो केवल अपने महलों को बनाने में लोगों की रूचि रही है, स्वयं का घर बन जाये बाकी किसी का घर न बने, इसीलिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना प्रदेश के अंदर लागू नहीं करने दिया था। गरीबों के स्वास्थ्य के लिए योजना लागू नहीं करने दी गयी थी। बेसिक शिक्षा के विद्यालय के बच्चों को किस प्रकार की यूनिफार्म दी गयी थी, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए उस खिसियाहट को मिटाने के लिए ये लोग बार-बार सदन में व्यवधान पैदा करने का प्रयास करते हैं, वाक-आउट का बहाना बनाते हैं। प्रदेश के अंदर एक नव-सृजित वातावरण को कहीं न कहीं यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इस नये माहौल के अनुरूप जो विकास का माहौल बना है, सुरक्षा का माहौल बना है, प्रदेश को समृद्धि की ओर अग्रसर करने का माहौल बना है उस माहौल को ये लोग कहीं न कहीं बाधित करना चाहते हैं। उनके इस बाधा को मुझे लगता है कि सारे सदन को मिलकरके अपने-आप दूर करना चाहिए। हम मिल करके शासन की योजनाओं को जिस तबके लिए बनी हैं उन तक पहुँचवा दें, लाभार्थियों तक पहुँचवा दें, ईमानदारी से ये लाभार्थीपरक योजनायें पहुँच जांय। केन्द्र और प्रदेश सरकार की योजनायें ईमानदारी से लोगों तक पहुँच जॉय। अब वह खेल नहीं चलेगा जो जाति के नाम पर प्रदेश को बॉटने का कार्य होता था। प्रदेश को तमाम अन्य

वादों के आधार पर बॉट करके प्रदेश के सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने का जो कुत्सित प्रयास होता था वह अब नहीं चल पायेगा और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि हमारे पास अवसर है उत्तर प्रदेश को 2019 में जनवरी महीने में, जनवरी से मार्च तक कुम्भ के आयोजन करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। देश के 06 लाख गॉवों को कुम्भ के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है और मैं आज पूरे सदन से यह कहूँगा कि हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि प्रदेश की 60 हजार ग्राम पंचायतें कुम्भ के साथ जुड़ें और कुम्भ के साथ जोड़ने की कार्यवाही हमारे स्तर पर हो। हर गॉव से कुछ न कुछ लोग जरूर कुम्भ में आयें। कुम्भ में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागी बनें। कुम्भ की तैयारी युद्धस्तर पर चल रही है। अब तक का सबसे अच्छा कुम्भ की दृष्टि से बुनियादी ढॉचागत विकास की जो कार्यवाही होनी चाहिए वह अब हो रही है। दुनिया के 192 देशों को हम कुम्भ में बुला रहे हैं। देश के 06 लाख गॉवों को भी हम कुम्भ में आमंत्रित कर रहे हैं। हर जाति, हर मत, हर सम्प्रदाय, हर पंथ के धर्माचार्यों को, उनके अनुयायियों को कुम्भ के आयोजन में हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। हर रंगकर्मी को, हर कलाकार को, हर संस्कृतिकर्मी को हम कुम्भ में आमंत्रित करने का कार्य कर रहे हैं। समाज के अलग-अलग तबके में कार्य करने वाले लोगों को, पर्यावरणविदों को, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वालों को, टेक्नोक्रेट को तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वालों को भी हम कुम्भ में आमंत्रित कर रहे हैं और कुम्भ के इस आयोजन को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अभी से इसकी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। कुम्भ के पहले 05 बड़े वैचारिक कुम्भ का आयोजन किया जायेगा। वाराणसी, तीर्थराज प्रयाग, लखनऊ, आगरा और अयोध्या, इन स्थलों पर वैचारिक कुम्भ के आयोजन वृहद स्तर पर होने जा रहे हैं। कहीं पर महिलाओं को केन्द्र बिन्दु बना करके, कहीं पर युवाओं को केन्द्र बिन्दु बना करके, कहीं पर पर्यावरणविदों को केन्द्र बिन्दु बना करके, कहीं पर सामाजिक समरसता का माहौल किस रूप में हो सकता है, इसको केन्द्र बिन्दु बना करके, कहीं पर अन्य समाज से जुड़े हुए उन सभी पक्षों को ले करके हम लोगों ने इस वैचारिक कुंभ का आयोजन पहले किया है। साथ ही साथ हमें एक और अवसर प्राप्त होने जा रहा है। प्रदेश के अंदर माह जनवरी, 2019 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन पहली बार उत्तर प्रदेश को करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और यह 20, 21 और 22 जनवरी, 2019 को वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस होगा। जिसमें दुनिया के अलग-अलग देशों में रहने वाले लगभग 6 हजार से अधिक प्रवासी भारतीय उत्तर प्रदेश में वाराणसी में आ करके अपने पुरखों की भूमि को देखने का अवसर उन्हें प्राप्त होगा। हम लोगों का ही दायित्व बनता है कि उत्तर प्रदेश को अतिथि देवो भवः के इस आयोजन के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। प्रयागराज हो या वाराणसी दोनों हमारी प्राचीन नगरियॉ हैं। हमारी आध्यात्मिक नगरियॉ हैं। गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिये हम लोगों ने कार्य प्रारम्भ किया है। हम लोगों का प्रयास है कि 15 दिसम्बर तक गंगा की धारा को हम पूरी तरह निर्मल करने में सफल हो जायं। इसके लिये जहॉ एस0टी0पी0 लगनी है वहॉ एस0टी0पी0 लगेगी और जहॉ पर अन्य तकनीकी की आवश्यकता पड़ेगी उस तकनीकी को ले करके कुंभ को दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ के रूप में

हम आयोजित करेंगें लेकिन सामूहिक जागरूकता में आप सबकी बड़ी भूमिका हो सकती है और उस सामूहिक जागरूकता में आप सबका सहयोग हम लोग चाहेंगें क्योंकि आयोजन एक व्यक्ति का नहीं, केवल सरकार का नहीं उत्तर प्रदेश का आयोजन बने, इस देश का आयोजन बने इस दृष्टि से हम लोग अपने स्तर पर गंगा किनारे जो भी जनपद पड़ते हैं, जो भी गॉव पड़ते हैं अभी से एक अभियान जो नगर पड़ते हैं जो कस्बे पड़ते हैं, एक अभियान कि गंगा जी में गंदगी नहीं जानी चाहिए। गंगा जी की अविरलता और गंगा जी की निर्मलता के लिये एक वृहद अभियान अभी से प्रारम्भ होना चाहिए। यमुना जी के किनारे जो गॉव हैं, जो कस्बे हैं उन गॉवों और कस्बों में हमने अभी से ओ0डी0एफ0 की कार्यवाही गंगा जी के किनारे पूरी कर दी हे। यमुना जी के किनारे युद्धस्तर पर चल रही है। अन्य कार्यवाही भी हमारी युद्धस्तर पर चल रही है और मैं पूरे सदन से इस बारे में अपील करूँगा कि सभी लोग मिल करके इन दो आयोजनों को पूरी भव्यता के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर करने की तैयारी के लिये अपना योगदान दें जिससे हम लोग पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ इस आयोजन को उत्तर प्रदेश के अंदर कर सकें और उत्तर प्रदेश को टूरिज्म का देश का सबसे बेहतर डेस्टीनेशन के रूप में प्रस्तुत कर सकें। एक अवसर है हमारे सामने देश और दुनिया को दिखाने के लिये कि नहीं उत्तर प्रदेश वह नहीं था जो आज से दो ढाई वर्ष पहले था। उत्तर प्रदेश जिस बात के लिये बदनाम होता था आज उत्तर प्रदेश में वह नहीं है। नई सरकार आने के बाद देश के अंदर यह मैसेज स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुन्डागर्दी करने का मतलब क्या? उत्तर प्रदेश में तो उसके लिये जगह नहीं ही रहेगी यह तय है (मेजों की थपथपाहट) और उत्तर प्रदेश में कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती लेकिन सुरक्षा सबको सरकार देगी। हर एक की सुरक्षा, हर एक का संरक्षण, हर एक की समृद्धि, हर एक का विकास, बिना भेद-भाव के विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने का काम यह सरकार करेगी लेकिन जन सहयोग से जो कार्यक्रम होते हैं उसके परिणाम भी उतने अच्छे होते हैं। जो बेहतर परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में आये हैं उन बेहतर परिणामों को और आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य किये जाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर महोदय इस अनुपूरक बजट में जो एक मॉग हम लोगों ने रखी है वह है वाराणसी से भदोही। यह एक मार्ग बना है। मुझे लगता है 250 करोड़ रूपया होगा संभवतः। यह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में ठेका हथियाने के लिये काम हो गया लेकिन गरीबों का मुआवजा नहीं बॉटा गया और वह मुआवजा आज हम लोगों को देना पड़ रहा है। यह कार्य होता था इन लोगों की सरकार के समय में। यानि कार्य हो गया है युद्ध स्तर पर उसको बाद में हम लोगों ने बढ़ाया। और जब कार्य हो गया तो पता लगा कि वहॉ पर किसी भी किसान को कम्पनसेशन ही नहीं मिला है। तब उस कम्पनसेशन के लिये अनुदान मॉगों में व्यवस्था हम लोगों को करनी पड़ रही है। वह व्यवस्था भी हम लोग दे रहे हैं। इसमें एक और चीज आप देख रहे होंगे, एक बड़ी राशि है जो उत्तराखंड के पेंशनर्स को दी जा रही है।यह स0पा0 और ब0स0पा0 दोनों सरकारों ने, जिन लोगों ने यहां पर कार्य किया था और उत्तराखंड चले गए थे उनकी पेंशन ही बन्द कर दी थी। 1300 करोड़ रुपये पहले हम इसमें दे रहे हैं अलग-अलग उसमें। जिन कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश में कार्य किया था उनकी पेंशन को

भी रोक दिए थे यह लोग। यानि आने वाले समय में इन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में कर्मचारियों को वेतन भी नहीं देना है पेंशन भी नहीं देना है। क्योकि मानसिकता वैसे ही नहीं आती है इनकी सोच एक नकारात्मक सोच है और उस नकारात्मक सोच के कारण इन्होंने यह स्थिति पैदा की है। महोदय, हमारी सरकार ने अनुदान मॉगों में इसकी व्यवस्था की है कि जिन्होंने प्रदेश की सेवा में अपना योगदान किया है उनका सम्मान करना, उनके हितों को संरक्षण देना, प्रदेश सरकार इसके लिए पूरा योगदान दे रही है और इसके लिए व्यवस्था हम लोगों ने की है। उत्तराखंड के सभी कर्मियों को जो इन योजनाओं से वंचित थे उनके लिए भी हमने व्यवस्था इसमें की है। गर्मियों में आग लगती है फायर टेण्डर नहीं रहता है पहली बार हमने फायर टेण्डर की बड़ी मात्रा में व्यवस्था की है और प्रयास किया है कि हर माननीय विधायक को, जहां भी उसकी मॉग है उसके अनुसार थाना या फायर टेण्डर दे सकें। अग्निशमन केन्द्र एक वहां दे सकें। इसकी व्यवस्था की गई है। प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिन्होंने पोषण मिशन को सफलतापूर्वक अपने यहां प्रारम्भ किया है होमगार्ड के जवान बहुत दिनों से अपनी मॉगों को लेकर कार्य करते थे आन्दोलन करते थे धरना देते थे उनके मानदेय को बढ़ाने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। अनुपूरक मॉगों में हमने उसकी भी व्यवस्था की है।

(मेजें थपथपाई गईं)

और भी अन्य कार्य किए हैं। ऑगनबाड़ी की कार्यकत्रियों के लिए भी हम लोगों ने उनके मानदेय को बढ़ाने की व्यवस्था अपने इस अनुपूरक बजट में की है। इस पर भी कार्यवाही होने जा रही है। महोदय, मैं इस बारे में कह सकता हूँ कि सरकार हरेक नागरिक के हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश के विकास में जो योगदान देगा उसके हितों को संरक्षण देना इस सरकार का नैतिक दायित्व है और सरकार अपने इस नैतिक दायित्व का निर्वहन करेगी।मेरा यह मानना है कि लोकतंत्र में संवाद से हर समस्या का समाधान हो सकता है। प्रदेश सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करती है। लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर समस्या का समाधान सरकार चाहती है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। खासतौर से जी0एस0टी0 के मामले में जिन राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया है उसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी है और इसमें बहुत अच्छे परिणाम प्रदेश में आए हैं। खासतौर पर हम लोगों ने जो जी0एस0टी0 से जुड़े फीगर हमारे पास हैं काफी अच्छा परिणाम उसका हमारे सामने है। 2016-17 में जिस समय वैट था केवल 27 हजार 270 करोड़ की जी0एस0टी0 आई थी। आज के दिन हमारी सरकार में यह राशि आई है 42 हजार 974 करोड़ की आई है।

(मेजें थपथपाई गईं)

काफी अन्तर आया है काफी चीजें बढ़ी भी हैं इसी प्रकार खनन में स0पा0 की सरकार के समय में जो राजस्व प्राप्त हुआ था वह 505 करोड़ था वह इस सरकार के समय में आया है 1134 करोड़ रुपये।

(मेजें थपथपाई गईं)

महोदय, आबकारी में, एक्साइज मंत्री सोच रहे होंगे कि उनकी बात नहीं हो पा रही है लेकिन बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्होंने अपने कार्य को किया बहुत अच्छे ढंग से लागू किया। माननीय अध्यक्ष जी, आश्चर्य तो यह होता है कि विगत वर्ष तो शराब के जितने भी ठेके थे, समाजवादी पार्टी की सरकार दो साल का एक साथ कर देती थी और प्रदेश को उसका कितना लॉस होता था। उस समय 2016-17 में प्रदेश के अन्दर आबकारी से केवल 4 हजार 711 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे और इस दौरान प्राप्त हुए हैं रुपये 8 हजार 369 करोड़। दोगुने से ज्यादा का अन्तर है। यह आंकड़े इस बात को बताते हैं कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में कारनामे चलते थे और यह कारनामे प्रदेश की जनता को लूटने के चलते थे। उसके माध्यम से इन्होंने प्रदेश के अन्दर हर एक क्षेत्र में लूटने का काम किया है। आप स्टाम्प और निबन्धन में देखें 2016-17 में 4 हजार 951 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे तो 2018-19 में 5 हजार 344 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। परिवहन में 2016-17 में 1664 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे और 2018-19 में 2343 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। हम लोगों ने रक्षाबंधन के दिन बहनों के लिए परिवहन विभाग की सारी बसें मुफ्त में चलाने की कार्रवाई पूरे प्रदेश में की थी। इसी प्रकार से भू-राजस्व में 2016-17 में 105 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे और 2018-19 में 351 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में 2016-17 में 96 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे और 2018-19 में 489 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। यह आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि प्रदेश में इन विभागों के माध्यम से उस समय की सरकार बहुत सारे गुल खिला रही थी। यह सब चीजें सामने न आने पायें इसलिए स्वाभाविक रूप से बहुत से वे लोग भागेंगे, लेकिन मैं आपका आभारी हूं कि मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा जो अनुपूरक बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मुझे लगता है कि इस बजट से आप सभी सहमत होंगे। इन सभी कार्यों के अलावा अन्य तमाम जो योजनायें हैं, उन सबको लागू करने और इन योजनाओं को समाज के हर तबके तक पहुंचाने में आप सबका योगदान इसी प्रकार से होगा। हर विभाग ने बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास किया है, हर क्षेत्र में किया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह प्रदर्शन और बेहतर होगा। इस विश्वास के साथ अनुपूरक मांगों के लिए जो बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है। अगर हम देखेंगे तो यह विगत वर्ष की तुलना में अब तक जो धनराशि खर्च हुई है यह 52.94 प्रतिशत अधिक धनराशि विगत वर्ष की तुलना में ज्यादा खर्च हुई है। जो हमारा मूल बजट पास हुआ है, यह बजट प्रदेश के विकास के लिए, एक संतुलित विकास के लिए प्रस्तुत किया गया अनुपूरक बजट है। हम इसके माध्यम से उन तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जो प्रदेश के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए, बुनियादी ढांचागत विकास के लिए चाहे वह बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हो, चाहे वह जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण का हो, चाहे वह चीनी उद्योग की बेहतरी के लिए हो, चाहे वह गांवों की कनेक्टिविटी के लिए हो, अच्छी सड़कें गांवों में मिले, अच्छी बिजली गांवों में मिले, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधायें गांवों में मिले, इन सब कार्यों में भी हम लोग और बेहतर करने में सफल होंगे। इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि इस अनुपूरक बजट को सदन पास करे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 01 लगायत 02, 06 लगायत 07, 09 लगायत 11, 13 लगायत 17, 24, 26, 28, 31 लगायत 34, 37 लगायत 38, 40 लगायत 42, 44, 46 लगायत 47, 49, 51, 54, 57 लगायत 60, 62 लगायत 63, 65, 68, 70, 72 लगायत 75, 78 लगायत 79, 81, 83 लगायत 84, 86 तथा 92 के अन्तर्गत कुल रुपये चौंतीस हजार सात सौ चौरासी करोड़ इक्यावन लाख उनचास हजार (रुपये 34784, 51, 49,000) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

[03:49] उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-19 का अनुपूरक) विधेयक, 2018

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-19 का अनुपूरक) विधेयक, 2018 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-19 का अनुपूरक) विधेयक, 2018 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री राजेश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-19 का अनुपूरक) विधेयक, 2018 को पुरः स्थापित करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-19 का अनुपूरक) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-19 का अनुपूरक) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

दिनांक 29 सितम्बर, 2018 के आसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक अनुसूची खण्ड-1 प्रस्तावा व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2018

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2018 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2018-2019 के लिए 8054,49,27,000 रुपये का दिया जाना

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2019 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की ससमेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 8054,49,27,000 रुपये (रुपये आठ हजार चौवन करोड़ उनचास लाख सत्ताईस हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	100.00	-	100.00
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	25888.00	-	25888.00
		पूंजी :	363513.27	-	363513.27
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	231000.00	-	231000.00
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	4000.00	-	4000.00
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	4800.00	-	4800.00
		पूंजी :	500.00	-	500.00

1	2		3		
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	5.00	–	5.00
		पूंजी :	1000.00	–	1000.00
37	नगर विकास विभाग	पूंजी :	10000.00	–	10000.00
38	नागरिक उड्यन विभाग	पूंजी :	50000.00	–	50000.00
42	न्याय विभाग	राजस्व :	–	440.00	440.00
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	1.00	–	1.00
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	500.00	–	500.00
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	2500.00	–	2500.00
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व :	500.00	–	500.00
		पूंजी :	7500.00	–	7500.00
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	पूंजी :	20000.00	–	20000.00
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पति निदेशालय)	राजस्व :	2200.00	–	2200.00
60	वन विभाग	पूंजी :	10000.00	–	10000.00
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	–	1.00	1.00
		पूंजी :	–	1.00	1.00
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	6000.00	–	6000.00
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	63000.00	–	63000.00
		पूंजी :	2000.00	–	2000.00
	योग :	राजस्व :	340494.00	441.00	340935.00
		पूंजी :	464513.27	1.00	464514.27
	महायोग :		805007.27	442.00	805449.27

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री राजेश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-19 का अनुपूरक) विधेयक, 2018 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-19 का अनुपूरक) विधेयक, 2018 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

[**3.53**]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इसमें एक संशोधन है कि विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द है।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

चूँकि संशोधन के प्रस्तावक उपस्थित नहीं हैं इसलिए मैं दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 23 जुलाई, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(ङ) शारीरिक निःशक्तता का तात्पर्य उन निःयाक्तताओं से है जो इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।''

धारा 3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :-

''(दो) ऐसी लोक सेवाओं और पदों में, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अभिज्ञात करे, प्रत्येक समूह के पदों में संवर्ग सदस्य संख्या में कुल रिक्तियों की संख्या का अन्यून चार प्रतिशत, संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों से भरा जाना तात्पर्यित है जिसमें से एक-एक प्रतिशत, खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए और एक प्रतिशत, खण्ड (घ) और (ङ) के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जायेगा, अर्थात् :-

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि ;

(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास ;

(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता ;

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता ;

(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है ;''

अनुसूची का बढ़ाया जाना

4-मूल अधिनियम में निम्नलिखित अनुसूची अंत में बढ़ा दी जायेगी।

अनुसूची

धारा 2 का खण्ड (ङ) देखें

विनिर्दिष्ट शारीरिक निःशक्तता

1-शारीरिक निःशक्तता :-

(क) चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता (व्यक्ति की विशिष्ट गतिविधियों को करने में असमर्थता, जो स्वयं और वस्तुओं के चालन से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीकंकाली या तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है : (क) ''कुष्ठ उपचारित व्यक्ति'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कुष्ठ से उपचारित है किन्तु निम्नलिखित से पीड़ित है-

(एक) हाथ या पैरों में संवेदना का ह्रास के साथ-साथ आँख और पलक में संवेदना का ह्रास और आंशिक घात किन्तु व्यक्त विरूपता नहीं है ;

(दो) व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किन्तु अपने हाथों और पैरों में पर्याप्त चलन से सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है ;

(तीन) अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ-साथ वृद्धावस्था, जो उन्हें कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और पद ''कुष्ठ व्यक्ति'' का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ख) ''प्रमस्तिष्क घात'' का तात्पर्य अविकासशील तन्त्रिका सम्बन्धी अवस्थाओं के किसी समूह से है जो शरीर के चलन और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है, साधारणः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरन्त पश्चात होती है;

(ग) ''बौनापन'' का तात्पर्य किसी चिकित्सीय या आनुवांशिक दशा से है जिसके परिणाम स्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की ऊँचाई चार फीट दस इंच (147 से0मी0) या उससे न्यून रह जाती है;

(घ) ''पेशी दुष्पोषण'' का तात्पर्य वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग के किसी समूह से है जो मानव शरीर को सचल करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है, जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ्य पेशियों के लिए आवश्यकता होती है। इसकी विशेषता अनुक्रमिक अस्थिपंजर, पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटियां और पेशी कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु है;

(ङ) ''अम्ल आक्रमण पीड़ित'' का तात्पर्य अम्ल या समान संक्षारित पदार्थ फेंकने के द्वारा हिंसक आक्रमण के कारण विरूपित किसी व्यक्ति से है;

ख-दृष्टि ह्रास-

(क) ''अंधता'' का तात्पर्य ऐसी दशा से है जहां सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् किसी व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है,-

(एक) दृष्टि का पूर्णतया अभाव; या

(दो) सर्वोत्तम सम्भव सुधार के साथ अच्छी आँख दृष्टि संवेदनशीलता 3/60 या 10/200 (स्नेलन) से अन्यून; या

(तीन) 10 डिग्री से कम किसी कक्षांतरित कोण पर दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

(ख) ''निम्न दृष्टि'' का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात्-

(एक) बेहतर आंख में सर्वोत्तम सम्भव सुधार के साथ-साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) दृश्य संवंदनशीलता; या

(दो) 40 डिग्री से कम 10 डिग्री तक की दृष्टि अंतरित किसी कोण के क्षेत्र की सीमाएं।

ग-''श्रवण शक्ति का ह्रास''-

(क) ''बधिर'' का तात्पर्य दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों से 70 डिसबिल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्तियों से है;

(ख) ''ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति'' का तात्पर्य दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों में 60 डिसबिल से 70 डिसबिल श्रव्य ह्रास्य वाले व्यक्ति से है;

घ-

''अभिवाकृ और भाषा निःशक्तता'' का तात्पर्य लेराइनजेक्टोमी या अफेसिया जैसी स्थितियों से उदभूत होने वाली स्थायी निःशक्तता से है, जो कार्बनिक या तंत्रिका सम्बन्धी कारणों से अभिवाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2-''बौद्धिक निःशक्तता'' ऐसी स्थिति है, जिसकी विशेषता दोनों बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलन व्यवहार में महत्वपूर्ण रूप से कमी होना है, जिसके अन्तर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहारिक कौशल श्रृंखला आच्छादित है, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट है :-

(क) ''विनिर्दिष्ट विद्या निःशक्तता'' का तात्पर्य स्थितियों के किसी ऐसे विजातीय समूह से है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने का प्रसंस्करण करने की कमी विद्यमान होती है जो बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणनाओं को समझाने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अन्तर्गत ऐसी स्थितियां सम्मिलित हैं यथा-बोधक निःशक्तता, डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया भी सम्मिलित है ;

(ख) ''स्वलीनता स्पैक्ट्रम विकार'' का तात्पर्य किसी ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति से है जो आमतौर पर जीवन के प्रथम तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की सम्पर्क करने की, सम्बन्धों को समझने की और दूसरों से सम्बन्धित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और प्रायः यह असामान्य या घिसे-पिटे कर्मकांडों या व्यवहारों से सहबद्ध होता है।

3-मानसिक व्यवहार-

''मानसिक रुग्णता'' का तात्पर्य चिंतन, मनोदशा, बोध, पूर्वाभिमुखीकरण या स्मरणशक्ति के सारभूत विकार से है जो जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किन्तु जिसके अन्तर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता, बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

4-**निम्नलिखित के कारण निःशक्तता-**

(क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं, जैसे-

(एक) ''बहु-स्केलेरोसिस'' का तात्पर्य प्रवाहक, तंत्रिक प्रणाली रोग से है, जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरे के साथ सम्पर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है;

(दो) ''पार्किसन रोग'' का तात्पर्य तंत्रिका प्रणाली के किसी प्रगामी रोग से है, जिसके द्वारा कम्प, पेशी, कठोरता और धीमा, कठिन चलन, मुख्यतया मध्य आयु वाले और वृद्ध लोगों से सम्बन्धित मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामाइन के ह्रास से सम्बद्ध हो।

(ख) रक्त विकृति-

(एक) ''हेमोफीलिया'' का तात्पर्य किसी आनुवंशकीय रोग से है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है किन्तु इसे महिला द्वारा अपने पुरुष बालकों को संप्रेषित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे गौण घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है;

(दो) ''थेलेसीमिया'' का तात्पर्य वंशानुगत विकृतियों के किसी समूह से है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति है;

(तीन) ''सिक्कल कोशिका रोग'' का तात्पर्य होमोलेटिक विकार से है जो रक्त की अत्यन्त कमी, पीड़ादायक घटनाओं, और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकशान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है।

स्पष्टीकरण-''हेमोलेटिक'', लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

5-बधिरता, अंधता सहित बहुनिःशक्तता (ऊपर विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक निःशक्तता) का तात्पर्य ऐसी किसी दशा से है जिसमें किसी व्यक्ति को श्रव्य और दृश्य का सम्मिलित ह्रास हो सकता है जिसके कारण संप्रेषण, विकास और शिक्षण सम्बन्धी गम्भीर समस्यायें होती हैं।

6-कोई अन्य श्रेणी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

निरसन और अपवाद

5-(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 2018 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2018

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी विधेयक, 2018

दुग्ध विकास एवं धमार्थ कार्य मंत्री (श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी विधेयक, 2018 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

इसमें भी संशोधन पेश करने वाले मा0 सदस्यगण अनुपस्थित हैं इसलिये हम सीधे प्रश्न उपस्थित करते हैं।

प्रश्न यह है कि श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी विधेयक, 2018 पर विचार किया जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-32 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी विधेयक, 2018

श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद् की, उसकी अधिकारिता के अधीन विशिष्ट क्षेत्र में उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप पर्यटन के उन्नयन हेतु सांस्कृतिक, अध्यात्मिक, पौराणिक और स्थापत्य सम्बन्धी सौन्दर्यबोध विकसित और अनुरक्षित करने हेतु उक्त विशिष्ट क्षेत्र का सृजन, प्रतिपादन, क्रियान्यवन और विनियमन के निमित्त, स्थापना करने का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद् वाराणसी अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 29 जून, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें

2-(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,

(क) ''अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी'' का तात्पर्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता करने और उसकी अनुपस्थिति में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करने के लिये राज्य सरकार या आयुक्त द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;

(ख) ''सुख-सुविधाओं'' में सड़क, पथ, जल और विद्युत आपूर्ति, पथ प्रकाश खुले क्षेत्र पार्क, प्राकृतिक विशिष्टतायें, जल निकास मल वहन, लोक कार्य तथा अन्य उपयोगितायें, सेवायें एवं सुविधायें सम्मिलित हैं;

(ग) ''परिषद्'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद् से है;

(घ) ''भवन'' में किसी भी सामग्री से निर्मित कोई संरचना या संरचना का आंशिक भाग सम्मिलित है जो मानव निवास या पशुधन या सम्पत्ति की अभिरक्षा या पूजा सम्पादन स्थल के रूप में या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त किया जाना आशयित है;

(ङ) ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;

(च) ''आयुक्त'' का तात्पर्य वाराणसी मण्डल के आयुक्त से है;

(छ) अपनी व्याकरणिक भिन्नताओं के साथ ''विकास'' का तात्पर्य भूमि में, उस पर, उसके ऊपर या उसके अधीन निर्माण, अभियन्त्रण या अन्य क्रियायें करके किसी क्षेत्र के सुनियोजित विकास से है;

(ज) ''जिला मजिस्ट्रेट'' का तात्पर्य वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट से है;

(झ) ''पुनर्वास योजना'' का तात्पर्य ऐसी किसी योजना से है जिसे ऐसे निवासियों, स्वामियों, अधिभोगियों को व्यवस्थित एवं पुनर्वासित करने के उद्देश्य से अनुमोदित नियमावली तथा विनियमावली की अपेक्षानुसार परिषद् द्वारा तैयार की जायेगी जिन्हें परिषद् द्वारा तैयार की गयी और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित विशिष्ट विकास क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु पुनर्स्थापित किया जाना हो;

(ञ) ''विशिष्ट विकास क्षेत्र'' का तात्पर्य राजस्व जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश में अवस्थित अधिसूचित सजरा बन्दोबस्त योजना में चिन्हित सीमाओं के अधीन अधिसूचित विशिष्ट विकास क्षेत्र से है जिसमें निम्नलिखित वार्ड हैं :-

क्र0 सं0	वार्ड का नाम	वार्ड विस्तार
1	दशाश्वमेध	डी-1, लाहौरीटोला
		डी-2, धर्मकूप
		डी-3, मीरघाट
		डी-5, त्रिपुरभैरवी (अंश)
		डी-6, रानीभवानीगली
		डी-7, शंकरकंदगली
		डी-8, कालिकागली
		डी-10, साक्षीगली
		डी-11, कोतवालपुरा
2	गढ़वासीटोला	सी0के0-1, पठानीटोला
		सी0के0-9, मणिकर्णिका
		सी0के0-10, ब्रम्हनाल
		सी0के0-28, पंचपाण्डवा
		सी0के0-31, ज्ञानवापी
		सी0के0-34, लाहोरीटोला

ऐसे क्षेत्रों से है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय;

(ट) ''अंतरिती'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे कोई सम्पत्ति परिषद् द्वारा यथाविहित प्रयोजनार्थ अन्तरित की गयी हो या की जा रही हो;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित है।

परिषद् की स्थापना

3-(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक परिषद् स्थापित करेगी जिसे श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी के रूप में जाना जायेगा जो इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा समनुदेशित कृत्यों का निष्पादन करेगी।

(2) परिषद् एक निगमित निकाय होगी।

(3) परिषद् का मुख्यालय वाराणसी में होगा।

परिषद् की संरचना

4-(एक) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति-अध्यक्ष,

(दो) मुख्य कार्यपालक अधिकारी-सदस्य सचिव,

(तीन) जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी-सदस्य,

(चार) अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी-सदस्य,

(पांच) उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी-सदस्य,

(छः) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी-सदस्य,

(सात) नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी-सदस्य,

(आठ) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी-सदस्य,

(नौ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी-सदस्य,

(दस) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी-सदस्य,

(ग्यारह) अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, वाराणसी-सदस्य,

(बारह) अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी-सदस्य,

(तेरह) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग अथवा उसका नाम-निर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो-सदस्य (पदेन),

(चौदह) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग अथवा उसका नाम-निर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो-सदस्य (पदेन),

(पन्द्रह) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, धर्मार्थ कार्य विभाग अथवा उसका नाम-निर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो-सदस्य (पदेन),

(सोलह) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग अथवा उसका नाम-निर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो-सदस्य (पदेन),

(सत्रह) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग अथवा उसका नाम-निर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो-सदस्य (पदेन),

(अट्ठारह) अध्यक्ष के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले तीन ऐसे व्यक्ति, जो कला, वास्तुकला, संस्कृति, इतिहास या साहित्य में अनुभवी हो-सदस्य।

2-अध्यक्ष एवं पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पदधारण करेंगे;

3-परिषद् के गठन में किसी रिक्ति या त्रुटि के विद्यमान होने के कारण परिषद् की कोई कार्यवाहियां या प्रक्रिया अविधिमान्य नहीं होंगी।

परिषद् के कर्मचारिवृंद

5-(1) परिषद् के पास अपने कार्यालय एवं दिन-प्रतिदिन के कार्य संचालन के लिए स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारिवृंद होगा;

(2) परिषद्, राज्य सरकार के अनुमोदन से परिषद् के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन कर सकती है;

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कर्मचारिवृंद के वेतन एवं भत्ते सहित सेवा की निबन्धन एवं शर्तों का अंतिम रूप, राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रदान किया जायेगा;

(4) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ परिषद्, राज्य सरकार क अनुमोदन से किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवायें अधियाचित कर सकती है;

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारिवृंद, अध्यक्ष, जो नियुक्ति प्राधिकारी होगा, के प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक नियंत्रण में होगा किन्तु वे मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

6-(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, परिषद् का कार्यपालक प्रमुख होगा जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी नियमावली और विनियमावली के उपबंधों के अनुसार कार्य करेगा और आदेश पारित करेगा;

(2) (क) परिषद् यथाशक्य शीघ्र विशिष्ट विकास क्षेत्र के लिए एक योजना तैयार करेगी;

(एक) उक्त योजना में विभिन्न क्षेत्र परिभाषित होंगे जिसमें ऐसे क्षेत्रों में विकास के प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रत्येक क्षेत्र की भूमि और किये जाने वाले विकास के प्रक्रम उपदर्शित हो सकते हैं, उक्त क्षेत्र मूल ढांचा कार्य पद्धति के रूप में कार्य कर सकते हैं जिसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों की विकास संबंधी योजनायें तैयार की जा सकती है;

(दो) उक्त योजना में ऐसे क्षेत्र के समुचित विकास के लिए आवश्यक किसी अन्य मामले का उपबंध हो सकता है;

(ख) परिषद् यथा अपेक्षित पुनर्वास योजना तैयार करेगी और उसे विशिष्ट विकास क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु पुनः स्थापित किये जाने वाले निवासियों, स्वामियों या अधिभोगियों को व्यवस्थापित करने तथा पुनर्वासित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित करायेगी;

(ग) परिषद् अपनी अधिकारिता के अधीन आने वाली विरासत को संरक्षित करने की दीर्घकालिक योजना तैयार करेगी और उसे निष्पादित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि परिवेश, राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् सजरा बन्दोबस्त योजना के अनुसार है;

(3) राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अध्ययधीन परिषद्, पारस्परिक वार्ता, क्रय, दान, अन्तरण, पट्टा, किराया या अन्यथा के माध्यम से किसी भवन या भूमि का अर्जन कर सकती है। वह तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार किसी भूमि, भवनों को भी अर्जित कर सकती है और स्थानीय समाचार-पत्र/गजट में ऐसे व्यक्तियों को अपना दावा प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करायेगी जिनके पास ऐसी सम्पत्ति के लिए दावा या हित हों;

(4) राज्य सरकार, ऐसे निबंधन एवं शर्तों द्वारा, जैसा कि वह उचित समझे, अपने नियंत्रणाधीन या किसी स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन कोई भूमि परिषद् में निहित कर सकती है;

(5) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से नीलामी, आवंटन या अन्यथा द्वारा परिषद् से संबंधित किसी भूमि या भवन का ऐसी रीति से और ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर जैसा कि विहित किया जाय, विक्रय कर सकती है, पट्टा कर सकती है, किराये पर दे सकती है या अन्यथा अन्तरित कर सकती है;

(6) परिषद् ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी शर्तों पर ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय, लाइसेंस नवीकृत कर सकती है और विशिष्ट विकास क्षेत्र में कोई व्यवसाय या व्यापार कर सकती है;

(7) विशिष्ट विकास क्षेत्र के समुचित नियोजन और विकास के प्रयोजनों के लिए परिषद् ऐसे निदेश, जिन्हें वह उचित समझे, निम्नलिखित के संबंध में जारी कर सकती है :-

(क) विनियमावली का उल्लंघन किये जाने पर किसी भवन के परिनिर्माण या अधिभोग पर प्रतिबंध;

(ख) किसी भवन की ऊंचाई या अग्रभाग के स्थापत्य संबंधी विशेषताओं का संरक्षण;

(ग) किसी कार्य स्थल पर भवनों का अभिन्यास एवं संरेखण;

(घ) भवनों में और उनके चारों ओर अनुरक्षित किये जाने वाले खुले स्थानों तथा भवनों की ऊंचाई और उनके स्वरूप से संबंधित निर्बंधन एवं शर्तें;

(ङ) ऐसे आवासीय भवनों की संख्या जो किसी स्थल पर परिनिर्मित किये जा सकते हैं;

(च) दुकानों, कार्यशालाओं, गोदामों, कारखानों या भवनों के परिनिर्माण;

(छ) दीवारों, बाड़ों, झाड़ियों या किसी अन्य संरचना या स्थापत्य निर्माणों की ऊंचाई व स्थिति का अनुरक्षण;

(ज) सुख-सुविधाओं का अनुरक्षण;

(झ) जिस प्रयोजन के लिए स्थल आवंटित किया गया हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु किसी स्थल के प्रयोग का निर्बंधन;

(ञ) समुचित (एक) अपशिष्ट जल निकासी (दो) अपशिष्ट निपटान और (तीन) नगर कचरा निपटान हेतु उपबंधित किये जाने वाले साधन;

(ट) भवनों के बाहरी और विभाजक, दिवारों, छतों, फर्शों एवं अन्य भागों, उनकी स्थिति या अवस्थित या निर्माण पद्धति हेतु प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियां;

(ठ) योजनायें प्रस्तुत किये जाने के लिए आवश्यक एवं आनुषंगिक प्रमाण-पत्र, संशोधित योजनायें एवं समापन और/या अधिभोग प्रमाण-पत्र।

स्थल या भवन के समुचित अनुरक्षण को विनियमित करने की शक्ति

7-यदि परिषद् को यह प्रतीत होता है कि किसी स्थल या भवन की दशा या नियोजन उपयोग से विशिष्ट विकास क्षेत्र के किसी भाग में सुख-सुविधाओं के समुचित नियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या पड़ना सम्भावित है तो वह उस स्थल या भवन के अंतरिती, अधिभोगी या स्वामी को उससे यह अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील कर सकती है कि वह ऐसे उपाय ऐसी अवधि में करें जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय और तत्पश्चात् इसे ऐसी रीति से अनुरक्षित रखे जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय और यदि ऐसा अंतरिती, अधिभोगी या स्वामी ऐसे उपाय करने में या तत्पश्चात् इसका अनुरक्षण करने में विफल हो जाय तो परिषद् स्वयं उसका समुचित अनुरक्षण करने हेतु उपाय कर सकती है और इस पर उपगत लागत ऐसे अंतरिती, अधिभोगी या स्वामी से वसूल सकती है।

कर एवं सेवा प्रभारों का उद्ग्रहण

8-(1) विशिष्ट विकास क्षेत्र में सुख-सुविधायें प्रदान करने, अनुरक्षित करने या जारी रखने के प्रयोजनों के लिए, परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी स्थल या भवन के संबंध में उसके अंतरिती या अधिभोगी से ऐसा कर या सेवा शुल्क अधिग्रहीत कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे :

परन्तु यह कि ऐसा कुल कर भार, ऐसे स्थल या भवन के वार्षिक मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद 'वार्षिक मूल्य' का वही अर्थ होगा जैसा कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 174 में उपबंधित है;

(2) यदि परिषद् लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे किसी अंतरिती या अधिभोगी या उसके किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन उदग्रहीत कर से पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट प्रदान कर सकती है।

शास्ति

9-(1) जहां कोई अंतरिती, किसी प्रतिफल एवं धनराशि या उसके किस्त अथवा परिषद् द्वारा किसी स्थल या भवन के अंतरण के कारण किसी अन्य देय धनराशि या किसी पट्टे के संबंध में परिषद् के प्रति देय किसी किराये के संदाय में कोई त्रुटि करता है अथवा जहां कोई अंतरिती, अधिभोगी या स्वामी इस अधिनियम के अधीन उदग्रहीत किसी फीस या कर के संदाय में कोई त्रुटि करता है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी यथास्थिति बकाया धनराशि के अतिरिक्त अंतरिती, अधिभोगी या स्वामी से वसूल की जाने वाली धनराशि से अनधिक धनराशि का शास्ति अधिरोपित कर सकती है;

(2) परिषद् द्वारा किसी स्थल या भवन का अंतरण किये जाने के कारण प्रतिफल धनराशि या उसकी किसी किस्त का संदाय न किये जाने की स्थिति में अथवा ऐसे अंतरण की किसी शर्त का किसी प्रकार का उल्लंघन या इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली या इस प्रकार अंतरित स्थल या भवन के किसी उपबंध का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में तत्संबंध में सदत्त सम्पूर्ण या आंशिक धनराशि, यदि कोई हो, अग्रतर समपहृत हो सकती है;

(3) जहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी स्थल या भवन की अध्यपेक्षा के लिए आदेश करता है वहां कलेक्टर उसकी अध्यपेक्षा पर उसका कब्जा उसे प्रदान करा सकता है और उस प्रयोजन हेतु वह ऐसा बल प्रयोग कर सकता है या करने दे सकता है जैसा कि आवश्यक हों।

भवन या भूमि का निरीक्षण करने और उसमें प्रवेश करने की शक्ति

10-(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी खुले परिसर में सहायता के साथ या उसके बिना निम्न प्रयोजनों के लिए प्रवेश कर सकता है :-

(क) कोई पूंछताछ, निरीक्षण, माप या सर्वेक्षण करना या ऐसी भूमि या भवन के स्तर लेना;

(ख) निर्माणाधीन कार्यों का परीक्षण करना या मार्ग या मलनानियों या नालियों को अभिनिश्चित करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि क्या कोई भवन स्वीकृति के बिना या इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली या विनियमावली के अधीन दिये गये किसी अनुमोदन के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जा रहा है या परिनिर्मित किया गया है और ऐसे उपाय करना तथा ऐसे अन्य कार्य करना जैसा कि प्रत्येक प्रयोजन के लिए आवश्यक हों;

(घ) इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करना;

परन्तु यह कि :-

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के समयों के मध्य के सिवाय और अधिभोगी या यदि अधिभोगी न हो तो भूमि या भवन के स्वामी को युक्तियुक्त नोटिस दिये बिना ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं की जायेगी;

(दो) ऐसी भूमि या भवन से प्रत्याहृत हो जाने के लिए महिलाओं, यदि कोई हो, को समर्थ बनाने के लिए प्रत्येक दृष्टांत में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जायेगा;

(तीन) जहां एक प्रवेश के प्रयोजन की अत्यावश्यकतायें, भूमि या भवन के अधिभोगियों में प्रविष्ट सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं के अनुरूप हो वहां तक सदैव सम्यक् रूप से ध्यान दिया जायेगा;

(2) ऐसी भूमि या भवन में निवास करने वाले या उक्त भूमि या भवन के किसी प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति की मांग पर उसे स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने देगा और उपधारा (1) में यथा उल्लिखित पूंछतांछ, निरीक्षण, माप, सर्वेक्षण या परीक्षण या अन्य गतिविधियों के लिए समस्त युक्तियुक्त सुविधायें उपलब्ध करायेगा।

निधि

11-परिषद् की अपनी ऐसी निधि होगी और उसे वह अनुरक्षित रखेगी जिसमें निम्नलिखित धनराशियां जमा की जायेंगी :-

(क) परिषद् द्वारा राज्य सरकार से अनुदानों, ऋणों, अग्रिमों या अन्यथा के माध्यम से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ख) परिषद् द्वारा राज्य सरकार से भिन्न स्रोतों से ऋणों या डिवेंचरों के माध्यम से उधार ली गयी समस्त धनराशि;

(ग) इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा प्राप्त समस्त फीस, पथकर और प्रभार;

(घ) परिषद् द्वारा भूमियों, भवनों और अन्य जंगम और स्थावर सम्पत्तियों के निस्तारण से प्राप्त समस्त धनराशि; तथा

(ङ) परिषद् द्वारा किरायों और लाभों के माध्यम से या किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;

(च) पूर्वगामी खण्डों के अधीन निधियों के अतिरिक्त, परिषद् के पास ऐसे राजस्व स्रोतों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय, के माध्यम से अपनी निधियों में वृद्धि करने की शक्तियां होंगी;

2-इस अधिनियम के प्रशासन में परिषद् द्वारा उपगत व्ययों को पूरा करने हेतु निधि का उपयोग किया जायेगा;

3-राज्य सरकार के किन्हीं निर्देशों के अध्ययधीन, परिषद् किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाता में अपनी निधियों में से ऐसी धनराशि, जैसा कि वह अपनी प्रत्याशित चालू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे, रख सकती है और किसी अधिशेष धनराशि का इस रीति से विनिधान कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे।

आय-व्ययक और लेखा

12-(1) परिषद् अगले आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में परिषद् की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों को दर्शाते हुए अपना आय-व्ययक तैयार करेगी और इसे राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित करायेगी;

(2) परिषद् समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख अनुरक्षित करेगी और यथा विहित प्रपत्र में तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगी;

(3) परिषद् के खाते, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा किये जाने को अध्ययधीन होंगे।

नियम बनाने की शक्ति

13-राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति

14-परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे विनियम बना सकती है जैसा कि इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन बनाने के लिए अपेक्षित हों।

निदेश जारी करने की शक्ति

15-(1) राज्य सरकार के पास निदेश जारी करने की शक्ति होगी और परिषद्, अधिनियम के दक्ष, प्रशासन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेशों को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य होगी।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में या उसके संबंध में परिषद् और राज्य सरकार के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

प्रत्यायोजन की शक्ति

16-(1) राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति के सिवाय उसके द्वारा प्रयोज्य किसी शक्ति का प्रयोग, ऐसे अधिकारियों या परिषद् द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जो उसमें विनिर्दिष्ट हों, के अध्ययधीन किया जा सकता है;

(2) परिषद् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन विनियम या उपविधियां बनाने की शक्ति के सिवाय उसके द्वारा प्रयोज्य किसी शक्ति का प्रयोग, ऐसे अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जो उसमें विनिर्दिष्ट हों, के अध्ययधीन किया जा सकता है;

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसे निर्बंधनों, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश से अधिरोपित किया जाय, के अध्ययधीन अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, किसी लिखित आदेश द्वारा परिषद् के किसी अधीनस्थ अधिकारी को इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन यथास्थिति परिषद् या अध्यक्ष द्वारा प्रयोक्तव्य समस्त या किन्हीं शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

राज्य सरकार की अभिलेख मंगाने की शक्ति

17-राज्य सरकार किसी भी समय स्वप्रेरणा से या इस निमित्त इस हेतु किये गये किसी आवेदन के आधार पर कोई अभिलेख मंगा सकती है और इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य का निष्पादन करने हेतु परिषद् या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी मामले या आदेश के संबंध में किसी आदेश की विधिमान्यता या औचित्य पर स्वयं का समाधान करने के प्रयोजनार्थ तत्संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकती है या ऐसा निदेश जारी कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे :

''परन्तु यह कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना ऐसे व्यक्ति के प्रतिकूल आदेश पारित नहीं करेगी।''

वार्षिक रिपोट

18-परिषद्, प्रत्येक वर्ष उस वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार, को ऐसे प्रारूप में और ऐसे दिनांक को या उस दिनांक के पूर्व जैसा कि विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगी।

छूट

19-इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे शर्तों तथा निर्बंधनों यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों, के अध्ययधीन किसी भूमि या भवन या भूमियों या भवन या भवनों के वर्ग को इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली या विनियमावली के समस्त या किसी उपबंध से छूट प्रदान कर सकती है।

अपराध

20-(1) कोई भी व्यक्ति तैयार की गयी किसी योजना या परिषद् या किसी अधिकारी द्वारा दिये गये निदेश के उल्लंघन में विशिष्ट विकास क्षेत्र में किसी भूमि, स्थल परिसर या भवन का उपयोग नहीं करेगा या न करने देगा;

(2) जो कोई परिषद् या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के निदेश या आदेश का अनुपालन करने में विफल रहेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी योजना या निदेश के उल्लंघन में कोई कृत्य करेगा या चूक करेगा उसे कारावास जो एक वर्ष तक हो सकता है, या अन्यून एक हजार रुपये के जुर्माना या दोनों के साथ दण्डित किया जायेगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

21-(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी के कारबार के संचालनार्थ कम्पनी का प्रभारी था तथा उसके प्रति

उत्तरदायी था और साथ ही साथ कम्पनी, अपराध के दोषी समझे जायेंगे और प्रतिकूल कार्यवाही किये जाने तथा तद्नुसार दण्डित किये जाने के लिए दायी होंगे;

परन्तु यह कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति इस अधिनियम में उपबंधित किसी दण्ड के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसा अपराध किये जाने से रोकने के लिए समस्त सम्यक् प्रयास किया था;

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाये कि अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक सचिव या कम्पनी के अन्य अधिकारी की सहमति या मौन सहमति से किया गया है या उनकी ओर से किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और वे प्रतिकूल कार्यवाही किये जाने तथा तद्नुसार दण्डित किये जाने के दायी होंगे।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनार्थ :-

(क) कम्पनी का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसमें कोई फर्म या अन्य व्यष्टि संगम सम्मिलित हैं; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में निदेशक का तात्पर्य फर्म में किसी भागीदार से है।

अपराधों का संज्ञान

22-(1) कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से लिखित में की गयी शिकायत के सिवाय किन्हीं अपराधों का संज्ञान नहीं लेगा;

(2) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का विचारण, ऐसे किसी न्यायालय द्वारा किया जायेगा जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट न्यायालय से अवर न हो।

अपराधों का प्रशमन

23-(1) इस अधिनियम द्वारा या तदधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, कार्यवाहियां संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् मुख्य कार्यपालक अधिकारी या तदनिमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से प्रशमन फीस के संदाय से सम्बन्धित किसी निबंधन सहित ऐसे निबंधनों, जैसा कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ऐसा अधिकारी उचित समझे, पर किया जायेगा;

(2) जहां किसी अपराध का प्रशमन किया गया हो वहां अपराधी, यदि अभिरक्षा में हो को उन्मोचित कर दिया जायेगा और प्रशमित अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई अग्रतर कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी।

सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे

24-परिषद् का अध्यक्ष, प्रत्येक सदस्य और उसके प्रत्येक अधिकारी, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

अभियोजन की स्वीकृति

25-इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के सिवाय कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा।

आदेशों और दस्तावेजों का अधिप्रमाणन

26-परिषद् की समस्त अनुज्ञायें, आदेश, विनिश्चय, नोटिस और अन्य दस्तावेज मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

वाद और अन्य कार्यवाहियां

27-किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां ऐसी किसी बात के लिए नहीं होंगी जो इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी किसी नियमावली या विनियमावली के अधीन सद्भावना पूर्वक की जाय या की जानी आशयित हो।

सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल

28-परिषद् के अध्यक्ष और परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा :

परन्तु यह कि परिषद् का अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने कार्यकाल के समाप्त होते हुए भी तब तक पदधारण करता रहेगा/रहेगी जब तक उसका/उसकी उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारिणी पदधारण नहीं कर लेता/लेती है।

परिषद् का विघटन

29-(1) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि इस अधिनियम के अधीन स्थापित परिषद् के उद्देश्यों की मौलिक रूप से प्राप्ति हो गयी है जिससे राज्य सरकार की राय में परिषद् का निरन्तर अस्तित्व बना रहना अनावश्यक हो गया है वहां राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि परिषद् को अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से विघटित कर दिया जायेगा और तद्नुसार परिषद् विघटित किया गया समझा जायेगा;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट दिनांक से,

(क) परिषद् में निहित और उसके द्वारा निर्मोचनीय समस्त संपत्तियां, निधियां और देय, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे या उसके भरोसमंद हो जायेंगे;

(ख) परिषद् के निस्तारण पर रखी गयी समस्त भूमियां, राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित हो जायेंगी;

(ग) परिषद् के सापेक्ष प्रवर्तनीय समस्त दायित्व, राज्य सरकार के सापेक्ष प्रवर्तनीय हो जायेंगे;

(3) परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से क्रियान्वित न किये गये किसी विकास को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ और उपधारा (दो) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सम्पत्तियों, निधियों और देयों को उन्मोचित करने के प्रयोजनार्थ परिषद् के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

30-यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकती है जो इस अधिनियम से असंगत न हों जैसा कि उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

अध्यारोही प्रभाव

31-अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश राज्य की किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी लागू होंगे।

निरसन और अपवाद

32-(1) श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी अध्यादेश, 2018 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2018

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-32 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी विधेयक, 2018 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी विधेयक, 2018 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

[03:57] नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम 51 की सूचनाएं लेते हैं। आज दिनांक 29.08.2018 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 61 सूचनाएं प्राप्त हुईं। मैं स्वीकृत सूचनाओं के मा0 सदस्यों के नाम लेता हूँ। जो मा0 सदस्य अनुपस्थित हैं उनकी सूचनाएं स्वीकृत नहीं मानी जायेंगी, उनकी जगह प्रतीक्षारत मा0 सदस्यों की सूचनाएं ले ली जायेंगी।

पहली सूचना श्री अनिल सिंह की उ0 प्र0 राज्य खाद्य आवश्यक वस्तु निगम द्वारा खाद्यान्न वितरण में की जा रही कालाबाजारी की रोकथाम किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दूसरी सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की है।

(वह उपस्थित नहीं हैं।)

तीसरी सूचना श्री सुखदेव राजभर की है।

(वह उपस्थित नहीं हैं।)

चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ में रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय में डाक्टर एवं अन्य स्टाफ की कमी एवं मिनी ट्रामा सेन्टर विकसित कराये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

पॉचवी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम मकदूमपुर निवासी श्री अयोध्या प्रसाद द्वारा संचालित गौशाला में लगे विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बिना नोटिस के कटाये जाने एवं गौशाला को क्षतिग्रस्त कराये जाने की जॉच के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

छठी सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की जनपद बुलंदशहर के अंतर्गत कालाआम से ग्राम जैनपुर को जाने वाली सड़क पर स्थित ग्राम कुडवल बनारस मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

सातवीं सूचना श्री अनुराग सिंह की जनपद गाजीपुर के अंतर्गत आशा संगिनी के पदों पर की गयी नियुक्ति में की गयी अनियमितता के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

आठवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कतिपय स्थानों पर कर्मचारियों के सेवा अभिलेख न रखे जाने से हो रही असुविधा के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

नवीं सूचना श्री संजय गर्ग की है।

(वह उपस्थित नहीं हैं।)

दसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की है।

(वह उपस्थित नहीं हैं।)

ग्यारहवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलंदशहर के औद्योगिक क्षेत्र में लगे उद्योगों से सिकंदराबाद में हो रहे वायु प्रदूषण के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

बारहवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के तहसील बीसलपुर में दो अनावश्यक तहसीलों को समाप्त कर एक नवीन तहसील का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

तेरहवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की है।

(वह उपस्थित नहीं हैं।)

चौदहवीं सूचना डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

इसी क्रम में अस्वीकृत सूचनाओं में से श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के फरह के पास एन0एच0 2 पर स्थित महुअन टोल टैक्स प्लाजा द्वारा स्थानीय लोगों से टोल वसूले जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

श्री नाहिद हसन, श्री दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री अनिल कुमार दोहरे, श्री अमिताभ बाजपेई, श्री राजकुमार यादव, श्री सोबरन सिंह यादव, श्री नफीस अहमद, श्री प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री राम प्रताप सिंह, श्री नंद किशोर गुर्जर, श्री राजीव तरारा, श्रीमती राजबाला, डा0 श्याम बिहारी लाल, सी0ए0 चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री सीताराम वर्मा, डा0 अवधेश सिंह, श्रीमती नीलम करवरिया, श्री जितेन्द्र वर्मा, श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस, श्री पारस नाथ यादव, श्री हरीराम, श्री असलम अवनी, डा0 अरूण कुमार, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री प्रमोद उटवाल, श्री वीरेन्द्र यादव, श्री जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कपिलदेव अग्रवाल, श्री अभिजीत सिंह सांगा, श्री राहुल प्रकाश, डा0 जमुना प्रसाद सरोज, श्री राम अचल राजभर, श्री आजाद अरिमर्दन, डा0 हरगोविन्द भार्गव, श्री रवि सोनकर, श्री पंकज गुप्ता, श्री मसूद अख्तर, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री विजेन्द्र सिंह, श्री रमेश

चन्द्र मिश्रा, डा0 डी0सी0 वर्मा, श्रीमती जयदेवी, श्री बहोरन लाल मौर्य, श्री रितेश पाण्डेय, श्री उमाशंकर सिंह।

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बजकर 59 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है।)

लखनऊ :
दिनांक 29 अगस्त, 2018

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी–'क'

(देखिये अ0सू0ता0 प्र0 सं0-1 का उत्तर पीछे पृश्ठ 9 पर)

ए0वी0एम0पी0एस0-2 रिपोर्ट

माह समस्त,

विभाग-कोई

प्रदर्शित करें रिसेट एक्सेल

ए0वी0एम0पी0एस0-2 रिपोर्ट

माह : समस्त,

क्र0 सं0	जनपद	कुल प्राप्त शिकायतें (संख्या)	कुल अंतरित शिकायतें (संख्या)	गलत पायी गयी	न्यायालय में विचाराधीन	समझौते के आधार पर निस्तारित	निस्तारित (संख्या) हटाए गए अतिक्रमण/ विधिक कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अलीगढ़	2792	2792	256	25	0	1784
2	एटा	726	726	97	12	5	179
3	कासगंज	1373	1373	40	147	1	791
4	हाथरस	2317	2317	92	190	0	1634
	अलीगढ़ मण्डल योग . .	**7208**	**1208**	**485**	**374**	**6**	**4388**
5	आगरा	1789	1789	224	11	4	1016
6	फिरोजाबाद	1950	1950	168	458	223	424
7	मथुरा	3145	3145	488	102	3	1728
8	मैनपुरी	3078	3079	284	432	1	1488
	आगरा मण्डल योग . .	**9963**	**9983**	**1164**	**1003**	**231**	**4654**
9	आजमगढ़	4918	4918	523	64	83	3148
10	बलिया	1413	1413	144	78	9	721
11	मऊ	500	500	175	1	9	31
	आजमगढ़ मंडल योग . .	**6831**	**6831**	**842**	**143**	**101**	**3900**
12	इलाहाबाद	3515	3515	808	103	806	790
13	कौशाम्बी	4967	4967	234	229	11	2316
14	प्रतापगढ़	2854	2854	408	1163	16	690
15	फतेहपुर	743	743	37	7	7	251
	इलाहाबाद मंडल योग . .	**12079**	**12079**	**1487**	**1502**	**840**	**4047**
16	इटावा	1855	1855	177	40	8	1213
17	औरैया	1580	1580	115	92	60	1023
18	कन्नोज	1095	1095	109	14	1	619
19	कानपुर देहात	8515	8515	44	363	298	4678
20	कानपुर शहर	2260	2260	97	364	2	646
21	फर्रूखाबाद	5270	5270	162	588	920	2869
22	**कानपुर मंडल योग . .**	**20575**	**20575**	**704**	**1491**	**1289**	**11048**
23	कुशी नगर	2134	2134	329	50	3	1081
24	गोरखपुर	2085	2085	111	144	9	1143
25	देवरिया	6595	6595	428	146	12	4570
26	महराजगंज	647	647	76	92	9	228
	गोरखपुर मंडल योग . .	**11461**	**11461**	**944**	**432**	**33**	**7022**

'क'
पीछे पृष्ठ 43 पर)
(प्रदेश विभागवार)
वर्ष समस्त
एक चयन करें
में एक्सपोर्ट करें प्रिंट
(प्रदेश विभागवार)
वर्ष : समस्त

कुल निस्तारित	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्रफल (हे0में)	दर्ज कराये गए राजस्व वाद	दर्ज कराये गए सिविल वाद	दर्ज कराई गयी एफ0आई0आर0	अवशेष शिकायतें (संख्या)	एक माह से अधिक संवित शिकायतें (संख्या)
9	10	11	12	13	14	15
2744	434.4213	14	9	26	48	8
677	223.3146	10	2	20	49	13
1354	340.5017	142	4	12	19	4
2298	247.6662	137	20	23	19	3
7073	**1245.9038**	**303**	**35**	**81**	**135**	**28**
1748	213.6190	5	3	20	40	0
1871	268.6535	438	14	19	79	17
3133	1361.8920	84	16	35	12	0
3061	271.2831	370	61	22	18	7
9814	**2115.4476**	**897**	**94**	**96**	**149**	**24**
4851	1911.4597	33	7	114	67	14
1384	83.3012	71	7	6	29	1
474	275.0093	1	0	8	26	3
6709	**2569.7702**	**105**	**14**	**138**	**122**	**18**
3413	3096.9909	54	2	8	96	5
4919	380.1727	225	4	138	48	12
2808	107.9878	1122	8	91	46	10
714	111.5345	2	2	13	29	1
11860	**3706.6880**	**1400**	**16**	**163**	**219**	**28**
1832	280.4847	26	5	53	23	2
1535	285.8462	62	20	15	45	2
1080	1553.5898	12	1	9	15	1
8133	295.2061	374	13	10	382	42
2225	594.9669	363	0	118	34	12
5255	849.8972	572	9	24	15	0
20061	**3876.9929**	**140**	**48**	**232**	**514**	**57**
2103	348.3606	43	1	240	31	2
2033	103.0093	114	26	5	52	3
6305	275.9242	117	17	24	89	4
626	47.6159	80	11	65	21	0
11268	**774.9100**	**360**	**55**	**334**	**193**	**9**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	चित्रकूट	1376	1376	126	163	11	967
28	बांदा	1708	1708	174	37	6	1046
29	महोबा	1692	1692	61	51	10	1251
30	हमीरपुर	4840	4840	160	484	443	3343
	चित्रकूट मंडल योग . .	**9616**	**9616**	**521**	**735**	**470**	**6607**
31	जालौन	2141	2141	101	607	5	601
32	झांसी	3453	3453	137	238	4	2032
33	ललितपुर	2319	2319	128	512	49	1202
	झांसी मंडल योग . .	**7913**	**7913**	**366**	**1357**	**58**	**3835**
34	गोण्डा	2381	2381	197	146	23	1271
35	बलरामपुर	815	815	88	49	8	286
36	बहराइच	1835	1835	239	150	12	710
37	श्रावस्ती	2096	2096	60	14	7	1593
	देवीपाटन मंडल योग . .	**7127**	**7127**	**584**	**159**	**60**	**3863**
38	अमेठी	2492	2492	99	20	28	1680
39	अम्बेडकरनगर	2668	2668	748	122	15	643
40	फैजाबाद	4612	4612	347	952	0	2523
41	बाराबंकी	4873	4873	87	1156	20	3107
42	सुल्तानपुर	1128	1128	84	55	4	397
	फैजाबाद मंडल योग . .	**15773**	**15773**	**1365**	**2305**	**67**	**6350**
43	पीलीभीत	5299	5299	138	711	18	4073
44	बदायूं	2086	2086	130	193	14	1362
45	बरेली	2700	2700	199	27	4	1986
46	शाहजहांपुर	3423	3423	209	44	22	1725
	बरेली मंडल योग . .	**13488**	**13488**	**676**	**975**	**58**	**9146**
47	बस्ती	1585	1585	132	10	1	691
48	संत कबीर नगर	3188	3188	70	1027	145	1328
49	सिद्धार्थनगर	6251	6251	561	133	1	4349
	बरेली मंडल योग . .	**11024**	**11024**	**763**	**1170**	**147**	**6368**
50	गाजियाबाद	7303	7303	308	2589	38	1905
51	गौतमबुद्ध नगर	2273	2273	85	78	2	1453
52	बुलन्दशहर	2911	2911	287	912	1	1347
53	बागपत	1332	1332	25	11	3	1215
54	मेरठ	3475	3475	28	136	341	1850
55	हापुड़	1182	1182	40	43	6	926
	मेरठ मंडल योग . .	**18476**	**18476**	**773**	**3768**	**392**	**8696**
56	अमरोहा	2065	2065	191	360	42	1124
57	बिजनौर	6105	6105	142	343	98	3367
58	मुरादाबाद	3875	3875	97	206	5	2789
59	रामपुर	1285	1285	91	48	6	830
60	सम्भल	1510	1510	30	183	2	789
	मुरादाबाद मंडल योग . .	**14640**	**14640**	**551**	**1140**	**153**	**8899**

9	10	11	12	13	14	15
1373	1937.9490	160	3	3	3	0
1683	79.5951	21	13	6	25	8
1680	204.1339	47	4	6	12	0
4825	209.5898	60	23	27	15	0
9561	**2431.2878**	**283**	**43**	**42**	**55**	**8**
2094	937.0040	591	16	5	47	21
3425	619.4300	237	1	19	28	0
2276	1220.0349	506	2	63	43	0
7795	**2776.4659**	**1334**	**19**	**87**	**118**	**21**
2267	384.8378	145	1	122	114	52
786	744.2653	35	4	22	29	5
1793	393.1282	141	4	47	36	6
2081	185.0459	10	4	24	15	1
6933	**1707.2982**	**331**	**13**	**215**	**194**	**64**
2469	1331.6616	11	9	58	23	0
2590	1150.032	103	10	26	76	0
4590	111.1884	807	27	193	22	0
4804	3386.7608	1135	17	44	69	15
1095	271.8643	34	13	1	33	7
15548	**6251.5383**	**2180**	**76**	**322**	**225**	**22**
5287	853.6141	704	7	53	12	0
2039	932.4583	190	3	54	27	0
2663	366.2226	12	8	5	40	12
3378	1301.6554	30	11	88	45	7
13364	**3453.8504**	**936**	**29**	**200**	**124**	**19**
1549	450.6785	6	1	12	35	6
3164	116.1798	1024	3	9	24	4
6205	2301.6018	77	53	133	46	13
10918	**2868.4601**	**1110**	**57**	**154**	**106**	**23**
2282	233.2030	2068	32	218	11	1
2243	119.5813	61	14	114	33	2
2878	1738.7085	910	1	41	33	0
1328	167.7478	6	2	4	4	1
3449	853.5964	112	9	47	25	5
1171	286.1078	42	1	46	11	0
18358	**3398.9450**	**3199**	**59**	**470**	**118**	**8**
2040	202.7917	307	49	25	25	1
6063	2183.2402	324	14	12	36	0
3665	472.3691	193	11	50	10	1
1256	778.8576	46	1	24	29	3
1491	334.2152	180	2	5	19	1
14521	**3969.4738**	**1050**	**77**	**116**	**119**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	भदोही	688	688	102	20	1	216
62	मिर्जापुर	922	922	256	35	1	137
63	सोनभद्र	759	759	110	97	98	162
	मिर्जापुर मंडल योग . .	**2349**	**2349**	**468**	**152**	**100**	**515**
64	उन्नाव	19426	19426	161	50	256	16486
65	खीरी	3548	3548	143	42	13	2770
66	रायबरेली	2446	2446	154	56	4	1407
67	लखनऊ	3393	3393	179	87	344	1610
68	सीतापुर	5575	5575	198	222	31	4257
69	हरदोई	2297	2297	492	226	0	732
	लखनऊ मंडल योग . .	**36685**	**36685**	**1327**	**683**	**648**	**2742**
70	गाजीपुर	1501	1501	186	286	6	254
71	चंदौली	857	857	53	248	0	298
72	जौनपुर	3191	3191	180	379	2	1116
73	वाराणसी	2610	2610	318	275	4	908
	वाराणसी मंडल योग . .	**8159**	**8159**	**737**	**1188**	**12**	**2576**
74	मुजफ्फरनगर	810	810	75	12	7	549
75	शामली	1417	1417	41	189	4	945
76	सहारनपुर	12631	12631	198	3561	10	8500
	सहारनपुर मंडल योग . .	14858	14858	314	3762	21	9995
	महायोग . .	**228225**	**228225**	**14071**	**22539**	**4676**	**131148**

9	10	11	12	13	14	15
643	587.5620	17	3	8	25	0
825	986.0705	29	4	1	97	0
729	113.3523	87	3	47	30	0
2197	**1686.9848**	**133**	**10**	**56**	**152**	**0**
19381	1981.1942	45	5	132	45	1
3508	791.7938	25	4	26	40	0
2397	876.4748	47	6	43	49	3
3272	1235.5692	77	3	52	121	65
5548	685.2817	203	5	82	27	2
2241	1254.5116	217	2	63	56	1
36347	**6826.2253**	**614**	**25**	**398**	**338**	**72**
1458	56.0150	280	5	35	43	3
821	307.8003	244	4	4	36	1
3100	283.7772	372	6	21	91	0
2599	128.9026	274	1	42	11	2
7978	**776.4951**	**1170**	**16**	**102**	**181**	**6**
799	103.0915	1	11	16	11	1
1403	340.7178	183	5	23	14	0
12597	2029.9018	3452	1	92	34	5
14799	2473.7111	3636	17	131	59	6
225104	**52090.5293**	**20468**	**703**	**3337**	**3121**	**420**

ए0वी0एम0पी0एस0-3 रिपोर्ट (प्रदेश पुलिस)
माह समस्त,
विभाग-कोई
प्रदर्शित करें रिसेट एक्सेल
ए0वी0एम0पी0एस0-2 रिपोर्ट
माह : समस्त,

क्र0 सं0	जनपद	शिकायत में उल्लिखित अतिक्रमण कर्ताओं की संख्या	चिन्हित भू-माफियाओं की संख्या	अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही (शिकायतों की संख्या)					
				भारतीय दण्ड संहिता	दण्ड प्रक्रिया संहिता	एन0एस0ए0	गैंगस्टर ऐक्ट	गुण्डा ऐक्ट	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अलीगढ	8	0	2	0	0	0	0	9
2	हाथरस	12	25	5	0	0	0	7	23
3	एटा	20	18	12	9	0	0	6	18
4	कासगंज	30	5	9	1	0	1	5	11
अलीगढ़ मंडल योग . .		**70**	**48**	**28**	**10**	**0**	**1**	**18**	**61**
5	मथुरा	28	30	6	3	0	1	1	25
6	आगरा	36	17	7	2	0	2	2	13
7	फिरोजाबाद	32	44	2	0	0	0	2	17
8	मैनपुरी	38	20	9	0	0	0	12	22
आगरा मंडल योग . .		**134**	**111**	**24**	**5**	**0**	**3**	**17**	**77**
9	आजमगढ़	89	22	3	0	0	0	0	62
10	मऊ	0	0	0	0	0	0	0	0
11	बलिया	100	7	1	0	0	0	0	7
आजमगढ़ मंडल योग . .		**189**	**29**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69**
12	फतेहपुर	27	25	7	0	0	3	5	13
13	प्रतापगढ़	42	14	13	0	1	1	1	20
14	कौशाम्बी	36	11	2	0	0	1	5	12
15	इलाहाबाद	206	45	36	37	1	2	19	61
इलाहाबाद मंडल योग . .		**311**	**95**	**58**	**37**	**2**	**7**	**30**	**106**
16	फर्रुखाबाद	29	35	7	0	0	1	5	20
17	कन्नौज	15	0	1	0	0	0	0	7
18	इटावा	25	11	1	0	0	0	0	48
19	औरैया	49	6	2	0	0	0	0	14
20	कानपुर देहात	5	0	0	0	0	0	0	10
21	कानपुर नगर	54	25	0	0	0	0	0	12
कानपुर मंडल योग . .		**177**	**77**	**11**	**0**	**0**	**1**	**5**	**111**
22	महराजगंज	22	3	0	0	0	0	1	64
23	गोरखपुर	1	0	0	0	0	0	0	0
24	कुशीनगर	306	9	4	3	0	0	17	233
25	देवरिया	10	18	9	2	0	4	8	18
गोरखपुर मंडल योग . .		**339**	**30**	**13**	**5**	**0**	**4**	**26**	**315**

(प्रदेश विभागवार)
वर्ष समस्त
एक चयन करें
में एक्सपोर्ट करें प्रिंट
(प्रदेश विभागवार)
वर्ष : समस्त

विवेचना का परिणाम (शिकायतों की संख्या				अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही			अभियुक्तों की स्थिति		अवैध सम्पत्ति जब्तीकरण का मूल्य
कुल	दाखिल आरोप-पत्र	अन्तिम रिपोट	विवेचनाधीन	गिरफ्तार	हाजिर अदालत	कुर्की	जेल में	जेल से बाहर	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	0	0	20	37	0	0	0	33	0.0
35	13	0	2	19	0	0	0	25	0.0
45	7	0	13	10	0	0	2	18	0.0
27	10	0	2	28	0	0	1	30	0.0
118	**30**	**0**	**37**	**94**	**0**	**0**	**3**	**106**	0.0
36	27	4	6	27	4	0	10	21	0.0
26	6	0	15	18	4	0	6	10	0.0
21	13	2	3	20	20	0	9	33	0.0
43	14	0	4	0	0	0	20	0	0.0
126	**60**	**6**	**28**	**65**	**28**	**0**	**45**	**64**	0.0
65	23	0	60	173	0	0	0	72	0.0
0	0	8	0	28	0	0	0	0	0.0
8	0	0	12	6	2	0	2	4	0.0
73	**23**	**8**	**72**	**207**	**2**	**0**	**2**	**76**	0.0
28	13	0	0	25	0	0	6	19	0.0
36	3	2	36	0	0	0	0	31	0.0
20	10	0	6	10	0	0	0	11	0.0
156	15	0	87	97	23	0	45	94	10000.0
240	**41**	**2**	**129**	**132**	**23**	**0**	**51**	**155**	**10000.0**
33	17	1	3	33	2	2	0	67	6440712.0
8	4	1	3	0	0	0	0	6	0.0
49	47	2	4	21	0	0	1	117	0.0
16	5	0	5	20	0	0	0	6	0.0
10	2	0	0	0	0	0	0	0	0.0
12	5	6	106	5	17	0	0	25	0.0
128	**80**	**10**	**121**	**79**	**19**	**2**	**1**	**223**	**6440712.0**
65	64	1	0	4	0	0	0	52	0.0
0	0	0	5	3	0	0	0	0	0.0
257	180	58	0	0	0	0	0	92	0.0
41	0	0	23	11	8	0	4	14	0.0
363	**244**	**59**	**28**	**18**	**8**	**0**	**4**	**158**	**0.0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	हमीरपुर	4	24	11	0	0	0	8	27
27	महोबा	2	0	0	0	0	0	0	6
28	बांदा	2	1	0	0	0	0	0	2
29	चित्रकूट	2	0	0	0	0	0	0	0
चित्रकूट मंडल योग . .		**10**	**25**	**11**	**0**	**0**	**0**	**8**	**35**
30	जालौन	6	6	2	0	0	0	0	5
31	झांसी	12	20	13	1	0	0	10	14
32	ललितपुर	94	14	22	4	0	0	12	40
झांसी मंडल योग . .		**112**	**40**	**37**	**5**	**0**	**0**	**22**	**59**
33	बहराइच	99	135	5	5	0	0	0	46
34	श्रावस्ती	33	45	16	2	0	0	19	22
35	बलरामपुर	40	46	4	0	0	0	10	22
36	गोण्डा	62	2	5	0	0	1	27	117
देवीपाटन मंडल योग . .		**234**	**228**	**30**	**7**	**0**	**1**	**56**	**207**
37	बाराबंकी	50	24	11	0	0	0	19	36
38	फैजाबाद	362	0	0	0	0	0	0	63
39	अम्बेडकर नगर	8	2	9	5	0	0	0	21
40	सुल्तानपुर	1	0	0	0	0	0	0	0
41	अमेठी	126	7	8	10	0	4	2	58
फैजाबाद मंडल योग . .		**547**	**33**	**28**	**15**	**0**	**4**	**21**	**178**
42	बदायूं	117	89	27	20	0	0	16	39
43	बरेली	6	2	2	0	0	0	0	2
44	पीलीभीत	58	13	7	4	0	0	0	51
45	शाहजहांपुर	62	59	34	3	1	1	1	83
बरेली मंडल योग . .		**243**	**183**	**70**	**27**	**1**	**1**	**17**	**175**
46	सिद्धार्थनगर	102	39	24	7	0	0	0	119
47	बस्ती	0	9	8	1	0	0	6	12
48	संत कबीर नगर	36	21	3	2	0	0	0	9
बस्ती मंडल योग . .		**138**	**69**	**35**	**10**	**0**	**0**	**6**	**140**
49	हापुड़	0	10	8	0	0	0	0	34
50	मेरठ	144	12	4	1	0	2	2	38
51	बागपत	0	0	0	0	0	0	0	4
52	गाजियाबाद	374	45	136	3	0	7	18	182
53	गौतमबुद्ध नगर	224	226	83	1	0	0	6	99
54	बुलन्दशहर	70	21	14	2	0	0	0	28
मेरठ मंडल योग . .		**812**	**314**	**245**	**7**	**0**	**9**	**26**	**385**
55	बिजनौर	0	5	4	0	0	4	2	9
56	मुरादाबाद	35	3	13	0	0	0	0	43
57	रामपुर	27	0	0	1	0	0	0	21
58	अमरोहा	13	10	1	0	0	0	1	25
59	सम्भल	0	6	2	0	0	1	2	5
मुरादाबाद मंडल योग . .		**75**	**24**	**20**	**1**	**0**	**5**	**5**	**103**

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46	20	0	1	24	0	0	0	24	0.0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2	1	0	5	0	1	0	0	1	0.0
0	1	0	2	0	0	0	0	0	0.0
54	**22**	**0**	**8**	**24**	**1**	**0**	**0**	**25**	**0.0**
7	1	0	1	2	0	0	1	6	0.0
38	14	0	6	25	0	0	1	24	5422600.0
78	35	0	24	30	18	2	3	50	0.0
123	**50**	**0**	**31**	**77**	**18**	**2**	**5**	**80**	**5422600.0**
56	43	3	1	7	41	0	0	155	0.0
59	23	0	1	9	0	0	0	46	0.0
36	21	0	0	7	0	0	0	61	0.0
150	109	4	1	215	0	0	0	215	0.0
301	**196**	**7**	**3**	**238**	**41**	**0**	**0**	**477**	0.0
66	25	1	4	22	5	0	0	27	0.0
63	0	0	130	123	0	0	0	109	0.0
35	15	1	9	7	1	0	6	16	0.0
0	0	0	1	2	0	0	0	0	0.0
82	27	2	2	3	94	0	2	85	1399600.0
246	**67**	**4**	**146**	**157**	**100**	**0**	**8**	**237**	**1399600.0**
102	39	2	12	182	2	0	37	201	11815900.0
4	4	0	1	7	2	0	0	3	0.0
62	28	16	5	39	28	0	1	86	6300000.0
123	55	6	15	114	10	0	10	172	0.0
291	**136**	**24**	**33**	**382**	**48**	**0**	**48**	**462**	**18115900.0**
150	32	3	96	9	1	0	0	145	0.0
27	12	0	0	15	4	0	0	30	0.0
14	8	0	0	0	0	0	0	34	0.0
191	**52**	**3**	**96**	**24**	**5**	**0**	**0**	**209**	0.0
42	37	2	3	0	0	0	0	10	0.0
47	30	0	17	1	0	0	2	10	0.0
4	3	1	0	2	9	0	0	12	0.0
346	90	6	122	22	40	0	9	350	0.0
189	56	3	44	55	26	1	32	258	0.0
44	11	0	18	24	0	0	5	53	0.0
672	**277**	**12**	**204**	**104**	**75**	**1**	**48**	**693**	**0.0**
19	6	0	4	2	3	2	1	14	1.7
56	31	6	2	83	17	0	10	97	0.0
22	0	0	4	6	0	0	0	2	0.0
27	24	1	0	73	0	0	0	73	1.6
10	4	0	0	0	0	0		6	0.0
134	**67**	**7**	**10**	**164**	**20**	**2**	**11**	**192**	**3.3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	भदोही	14	10	1	0	0	0	2	6
61	मिर्जापुर	0	0	0	0	0	0	0	1
62	सोनभद्र	404	7	4	0	0	0	1	25
मिर्जापुर मंडल योग . .		**418**	**17**	**5**	**0**	**0**	**0**	**3**	**32**
63	खीरी	4	7	7	0	0	0	0	7
64	सीतापुर	0	16	4	0	0	0	0	17
65	हरदोई	116	83	24	14	0	6	2	56
66	उन्नाव	103	28	38	0	0	1	11	38
67	लखनऊ	34	47	15	10	0	0	9	36
68	रायबरेली	11	9	9	2	0	0	2	39
लखनऊ मंडल योग . .		**268**	**190**	**95**	**26**	**0**	**7**	**24**	**193**
69	मैनपुरी	17	0	0	0	0	0	0	11
70	गाजीपुर	29	48	4	2	1	0	0	26
71	चंदौली	0	4	1	0	0	2	2	4
72	वाराणसी	11	0	0	0	0	0	0	2
वाराणसी मंडल योग . .		**57**	**52**	**5**	**2**	**1**	**2**	**2**	**43**
73	सहारनपुर	196	11	15	0	0	3	3	36
74	मुजफ्फरनगर	0	12	4	0	0	3	9	16
75	शामली	62	4	11	1	0	0	0	18
सहारनपुर मंडल योग . .		**258**	**27**	**30**	**1**	**0**	**6**	**12**	**70**
महायोग . .		**4392**	**1572**	**749**	**158**	**4**	**51**	**298**	**2359**

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	4	0	3	0	0	0	3	13	0.0
1	0	0	1	5	0	0	0	0	0.0
30	14	10	22	278	0	0	0	503	708400.0
40	**18**	**10**	**26**	**283**	**0**	**0**	**3**	**516**	**708400.0**
14	7	0	19	5	0	0	0	7	0.0
21	15	1	64	9	0	0	0	89	0.0
102	60	0	2	76	3	2	30	132	0.0
86	47	1	84	2	5	0	2	41	0.0
70	27	6	19	4	17	0	5	66	0.0
52	33	0	6	16	0	0	5	85	0.0
345	**189**	**8**	**194**	**112**	**25**	**2**	**42**	**420**	**0.0**
11	0	0	11	10	0	0	0	0	0.0
33	28	1	6	38	23	0	2	65	10000.0
9	4	0	0	0	0	0	0	4	409600000.0
2	0	0	42	164	0	0	0	0	0.0
55	**32**	**1**	**59**	**210**	**23**	**0**	**2**	**69**	**409610000.0**
57	6	1	85	71	4	0	4	64	2180.9
32	12	0	0	0	0	0	0	12	33295130.0
30	19	2	2	9	3	7	8	113	0.0
119	**37**	**3**	**87**	**80**	**7**	**7**	**12**	**189**	**33297310.9**
3619	**1571**	**154**	**1312**	**2410**	**443**	**16**	**285**	**4351**	**487600926.2**

नत्थी-ख

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-05 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर)

क्र0 सं0	ब्लाक का नाम	ग्राम सभा का नाम	ग्राम सभा में सम्मिलित राजस्व ग्राम का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार आबादी	ग्राम जुड़ा है अथवा नहीं	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	Maharajganj	Baijuwapar	Baijuwapar	567	जुड़ा है।	
2	Maharajganj		Chak Buraha	282	जुड़ा है।	
3	Maharajganj		Nagwa Bahauddinpur	282	जुड़ा है।	
4	Maharajganj	Nagwa Maiddo	Nagwa Maiddo	547	जुड़ा है।	
5	Maharajganj		Bhansha	819	जुड़ा है।	
6	Maharajganj		Kothihar Kishandav	215	जुड़ा है।	
7	Maharajganj		Taluka Channai	501	जुड़ा है।	
8	Maharajganj		Baalam Patti	335	जुड़ा है।	
9	Maharajganj	Bansthan	Bari	57	नहीं।	
10	Maharajganj		Misirpur Kolman	47	नहीं।	
11	Maharajganj		Rookmuddinpur	272	जुड़ा है।	
12	Maharajganj		Raghupur	554	जुड़ा है।	
13	Maharajganj		Ramdatt Patti	140	जुड़ा है।	
14	Maharajganj		Bansthan	587	जुड़ा है।	
15	Maharajganj	Sindhawarfa Khas	Sindhawarfa Khas	844	जुड़ा है।	
16	Maharajganj		Madhoopur	281	जुड़ा है।	
17	Maharajganj	Itaure Dayal	Haribballabhapur	13	नहीं।	
18	Maharajganj		Khagiyabar	773	जुड़ा है।	
19	Maharajganj		Itaure Dayal	992	जुड़ा है।	
20	Maharajganj		Itaura Govidpur	37	नहीं।	
21	Maharajganj	Meuriya	Ghurahupatti	18	जुड़ा है।	
22	Maharajganj		Meuriya	1531	जुड़ा है।	
23	Maharajganj	Arajee Amani	Arajee Amani	4796	जुड़ा है।	
24	Maharajganj	Dewara Tripurar Aiema	Dewara Tripurar Aiema	738	जुड़ा है।	
25	Maharajganj		Dewara Tripurar Khalsa	380	जुड़ा है।	

1	2	3	4	5	6	7
26	Maharajganj		Tripurar Aiema	36	नहीं।	
27	Maharajganj	Ladupar	Ladupar	1152	जुड़ा है।	
28	Maharajganj		Garh Chaibe	417	जुड़ा है।	
29	Maharajganj		Garh Kausik	487	जुड़ा है।	
30	Maharajganj	Bhitehara	Bhitehara	1163	जुड़ा है।	
31	Maharajganj		Meerpur Nava	34	जुड़ा है।	
32	Maharajganj		Bhaluwana	265	जुड़ा है।	
33	Maharajganj	Arajee Shakerpur	Arajee Shakerpur	1422	नहीं।	असाध्य
34	Maharajganj		Arajee Bhantpur	550	नहीं।	असाध्य
35	Maharajganj		Arajee Shah Rajapur	19	जुड़ा है।	
36	Maharajganj		Arajee Bagahwa	443	नहीं।	असाध्य
37	Maharajganj	Motipur	Sadaatpur	190	नहीं।	
38	Maharajganj		Motipur	1259	जुड़ा है।	
39	Maharajganj	Goshayepur	Goshayepur	884	जुड़ा है।	
40	Maharajganj		Vaidra	868	जुड़ा है।	
41	Maharajganj	Kaptanganj	Kaptanganj	5412	जुड़ा है।	
42	Maharajganj	Cheota	Cheota	2299	जुड़ा है।	
43	Maharajganj	Raghunathpur	Raghunathpur	2061	जुड़ा है।	
44	Maharajganj	Jhotipur	Jhotipur	607	जुड़ा है।	
45	Maharajganj		Kasba Khas	145	नहीं।	
46	Maharajganj		Molanapur Patware	278	जुड़ा है।	
47	Maharajganj		Parsamanpur	1244	जुड़ा है।	
48	Maharajganj	Paikaulee	Paikaulee	1966	जुड़ा है।	
49	Maharajganj		Barolee	550	जुड़ा है।	
50	Maharajganj	Jamalpur	Jamalpur	1170	जुड़ा है।	
51	Maharajganj		Khanpur Katya	280	जुड़ा है।	
52	Maharajganj		Khanpur Sukul	344	जुड़ा है।	
53	Maharajganj	Partapur	Partapur	715	जुड़ा है।	
54	Maharajganj		Rampur Katya	533	जुड़ा है।	
55	Maharajganj		Moghiepur Khas	51	नहीं।	
56	Maharajganj		Achhabat	890	जुड़ा है।	

1	2	3	4	5	6	7
57	Maharajganj	Narottampuman	Birzamani Khurd	242	जुड़ा है।	
58	Maharajganj		Sikandarpur Khas	72	नहीं।	
59	Maharajganj		Narottampur Suryman	831	जुड़ा है।	
60	Maharajganj	Chandpur Maghai Akhar Chanda	Akhar Chanda	704	जुड़ा है।	
61	Maharajganj		Jameen Maghai	199	नहीं।	
62	Maharajganj		Chandpur Akhar Chanda	3746	जुड़ा है।	
63	Maharajganj		Ratanpur	2	नहीं।	
64	Maharajganj	Mahuie Shearpur	Mahuie Shearpur	1023	जुड़ा है।	
65	Maharajganj		Itaure Satan	381	जुड़ा है।	
66	Maharajganj	Gopalpur	Gopalpur	2679	जुड़ा है।	
67	Maharajganj		Balrampur	43	नहीं।	
68	Maharajganj	Bhagwan	Arahariya Nirdhan	1	नहीं।	
69	Maharajganj		Bhagwan	723	जुड़ा है।	
70	Maharajganj		Arahariya Parsan	257	जुड़ा है।	
71	Maharajganj		Arahariya Khanurai	64	नहीं।	
72	Maharajganj		Akbelpur	95	नहीं।	
73	Maharajganj	Govardhanpur	Bachoura	36	नहीं।	
74	Maharajganj		Govardhanpur	532	जुड़ा है।	
75	Maharajganj		Tikar Paithan	419	जुड़ा है।	
76	Maharajganj		Narottam Patawari	79	नहीं।	
77	Maharajganj	Jura Rampur	Jaidpur	368	जुड़ा है।	
78	Maharajganj		Khanmalpur	185	नहीं।	
79	Maharajganj		Jura Rampur	888	जुड़ा है।	
80	Maharajganj	Gondapur Chaukanna Ramchandr	Gondapur	1088	जुड़ा है।	
81	Maharajganj		Chaukanna Ramchandr	660	जुड़ा है।	

1	2	3	4	5	6	7
82	Maharajganj	Avshanpur	Avshanpur	658	जुड़ा है।	
83	Maharajganj		Chaukanna Parsottam	468	जुड़ा है।	
84	Maharajganj	Mahrupur	Mahrupur	1576	जुड़ा है।	
85	Maharajganj		Hankaripur	383	जुड़ा है।	
86	Maharajganj		Chakjulekha	83	नहीं।	
87	Maharajganj	Roodrapur	Mahui Khas	648	जुड़ा है।	
88	Maharajganj		Khamkranpur	92	नहीं।	
89	Maharajganj		Roodrapur	666	जुड़ा है।	
90	Maharajganj		Mishrapursurja	124	जुड़ा है।	
91	Maharajganj	Burhave Husamddinpur	Burhave Husamddinpur	3603	जुड़ा है।	
92	Maharajganj	Bhilampur	Bhilampur	1185	जुड़ा है।	
93	Maharajganj					
94	Maharajganj		Molanapur Prithavpalpur	518	जुड़ा है।	
95	Maharajganj		Shitalpur	865	जुड़ा है।	
96	Maharajganj		Kuwasath	404	जुड़ा है।	
97	Maharajganj	Raipur	Raipur	647	जुड़ा है।	
98	Maharajganj		Jura Khurd	991	जुड़ा है।	
99	Maharajganj	Barhardih	Bibipur	229	जुड़ा है।	
100	Maharajganj		Barhardih	466	जुड़ा है।	
101	Maharajganj		Kadipur	466	जुड़ा है।	
102	Maharajganj		Chack Ghooran	73	नहीं।	
103	Maharajganj	Bhatauli	Bhatauli	506	जुड़ा है।	
104	Maharajganj		Chackkalvarya	169	नहीं।	
105	Maharajganj		Savilakha	74	नहीं।	
106	Maharajganj		Bashi Chaubepur	383	जुड़ा है।	
107	Maharajganj		Karampur	409	जुड़ा है।	
108	Maharajganj		Turkauli	5	नहीं।	
109	Maharajganj	Gorakhpur	Gorakhpur	818	जुड़ा है।	
110	Maharajganj		Pashepur	532	जुड़ा है।	
111	Maharajganj	Mundilpur	Mundilpur	1088	जुड़ा है।	
112	Maharajganj		Khojapur	310	जुड़ा है।	
113	Maharajganj	Partapipur	Partapipur	165	नहीं।	
114	Maharajganj		Sasna Vishwanathpur	679	जुड़ा है।	

1	2	3	4	5	6	7
115	Maharajganj		Narayanpur	282	जुड़ा है।	
116	Maharajganj		Parayanpur	238	नहीं।	
117	Maharajganj	Roopyanpur	Roopyanpur	841	जुड़ा है।	
118	Maharajganj		Rehayakpur	236	नहीं।	
119	Maharajganj		Mahree	201	नही।	
120	Maharajganj		Youshufpur	216	नहीं।	
121	Maharajganj		Surharpur	510	जुड़ा है।	
122	Maharajganj		Jalalpur	314	जुड़ा है।	
123	Maharajganj		Baranpur	2	नहीं।	
124	Maharajganj	Newada	Newada	1884	जुड़ा है।	
125	Maharajganj		Dhanawa Khas	198	नहीं।	
126	Maharajganj	Nawabarar Dewara Jadeed Kita II	Nawabarar Dewara Jadeed Kita II	1992	जुड़ा है।	
127	Maharajganj	Mahajee Dewara Jadded	Araji Seamree	356	नहीं।	असाध्य
128	Maharajganj		Mahajee Dewara Jadded	1530	नहीं।	असाध्य
129	Maharajganj	Araji Jajman Jot	Araji Jajman Jot	474	नहीं।	असाध्य
130	Maharajganj		Araji Golam Rasul	109	नहीं।	
131	Maharajganj		Araji Amir Ahamad	220	नहीं।	
132	Maharajganj		Araji Newaj Singh	93	नहीं।	
133	Maharajganj		Araji Pergash Singh	140	नहीं।	
134	Maharajganj	Araji Barhiya Chak	Araji Mancharya Jhula	259	नहीं।	असाध्य
135	Maharajganj		Araji Mancharya Bhikhuk	47	नहीं।	
136	Maharajganj		Araji Jhaptiya Mishya	9	नहीं।	
137	Maharajganj		Araji Barhiya Chak	56	नहीं।	
138	Maharajganj		Araji Panday Jot	12	नहीं।	

1	2	3	4	5	6	7
139	Maharajganj		Araji Indrojot	34	नहीं।	
140	Maharajganj		Araji		नहीं।	
141	Maharajganj		Araji Bibipur	365	नहीं।	असाध्य
142	Maharajganj		Araji Chera Katgarg	340	नहीं।	असाध्य
143	Maharajganj	Kumhwat	Kumhwat	1733	जुड़ा है।	
144	Maharajganj	Harakhapure	Harakhapure Khas	2058	जुड़ा है।	
145	Maharajganj	Manderepur	Nagwa Beni	322	जुड़ा है।	
146	Maharajganj		Bikapur	178	नहीं।	
147	Maharajganj		Manderepur	1010	जुड़ा है।	
148	Maharajganj	Jameelpur	Jameelpur	2741	जुड़ा है।	
149	Maharajganj	Parsurampur Kolimodipur	Parsurampur	1295	जुड़ा है।	
150	Maharajganj		Kolimodipur	980	जुड़ा है।	
151	Maharajganj	Chandpur Bhatoura	Chandpur Bhatoura	747	जुड़ा है।	
152	Maharajganj		Lakhersar	525	जुड़ा है।	
153	Maharajganj	Nawbarar Turkchara	Nawbarar Harakpura	799	जुड़ा है।	
154	Maharajganj		Nawbarar Turkchara	1065	जुड़ा है।	
155	Maharajganj		Araji Dewara	433	नहीं।	असाध्य
156	Maharajganj		Araji Hukiya	41	नहीं।	
157	Maharajganj	Saidpur	Saidpur	2139	जुड़ा है।	
158	Maharajganj	Kashipur Chaurwa	Bharaou Chaurwa	606	जुड़ा है।	
159	Maharajganj		Kashipur	325	जुड़ा है।	
160	Maharajganj	Sugautee	Sugautee	749	जुड़ा है।	
161	Maharajganj		Hameerpur	709	जुड़ा है।	
162	Maharajganj		Khangerpur	41	नहीं।	
163	Maharajganj	Bathanee	Bathanee	1269	जुड़ा है।	
164	Maharajganj		Babhanpur	60	नहीं।	
165	Maharajganj	Khiridiha	Khiridiha	1569	जुड़ा है।	
166	Maharajganj		Gopalpur	732	जुड़ा है।	
167	Maharajganj		Ganguwa	133	नहीं।	
168	Maharajganj		Jameen Ganguwa	96	नहीं।	

1	2	3	4	5	6	7
169	Maharajganj	Shivpur	Shivpur	3696	जुड़ा है।	
170	Maharajganj		Chapre Khurd	139	नहीं।	
171	Maharajganj	Maheshpur	Tripurar Khalsa	820	जुड़ा है।	
172	Maharajganj		Maheshpur	1363	जुड़ा है।	
173	Maharajganj		Khamanandpur	180	नहीं।	
174	Maharajganj	Dewara Harakpur	Dewara Harakpur	2516	जुड़ा है।	
175	Maharajganj		Dewara Turkchara	1021	जुड़ा है।	
176	Maharajganj		Turkchara Khas	116	नहीं।	
177	Maharajganj	Kurahee	Kurahee	1742	नहीं।	असाध्य
178	Maharajganj		Jeewdhari Katghar	331	नहीं।	असाध्य
179	Maharajganj	Chack Nayak	Chack Nayak	1052	जुड़ा है।	
180	Maharajganj		Shiv Gulam	264	जुड़ा है।	
181	Maharajganj		Chack Ramnagar	379	जुड़ा है।	
182	Maharajganj	Nawbarar Tripurar Khalsa	Nawbarar Tripurar Khalsa	1707	जुड़ा है।	
183	Maharajganj		Nawbarar Tripurar Aima	799	जुड़ा है।	
184	Maharajganj	Ibrahimpur	Araji Ibrahimpur	147	नहीं।	
185	Maharajganj		Araji Baireya	62	नहीं।	
186	Maharajganj		Araji Chhatya Bhaiya	255	नहीं।	असाध्य
187	Maharajganj		Araji Kahmada *Urf* Karmaupur	265	नहीं।	असाध्य
188	Maharajganj		Araji Bakainiya	206	नहीं।	
189	Maharajganj	Bachuwapar	Bachuwapar	2020	जुड़ा है।	
190	Maharajganj	Terhi	Terhi Jameen Terhi	2074	जुड़ा है।	
191	Maharajganj		Bhabhanpura	1038	जुड़ा है।	
192	Maharajganj		Bharoulee	571	जुड़ा है।	
193	Maharajganj	Dewara Jadeed	Dewara Jadeed	6582	जुड़ा है।	
194	Maharajganj	Dewanpur	Dewanpur	757	जुड़ा है।	
195	Maharajganj		Chack Dhanawa	86	नहीं।	

1	2	3	4	5	6	7
196	Maharajganj		Brijmanee Bujurge	394	जुड़ा है।	
197	Maharajganj		Murarpur	1302	जुड़ा है।	
198	Maharajganj	Deawara Kadeem	Deawara Kadeem	3172	जुड़ा है।	
199	Maharajganj	Nawabarar Deawara Jadeed Kita I	Nawabarar Deawara Jadeed Kita I	6734	जुड़ा है।	
200	Maharajganj	Hathiyagarh	Araji Hathiyagarh	170	नहीं।	
201	Maharajganj		Araji Khalnga	83	नहीं।	
202	Maharajganj		Araji Khokhar Jout Govindlal	73	नहीं।	
203	Maharajganj		Araji Terhmuhi	12	नहीं।	
204	Maharajganj		Durgya Patti	46	नहीं।	
205	Maharajganj		Araji Madrahe	14	नहीं।	
206	Maharajganj		Araji Paharpur	78	नहीं।	
207	Maharajganj		Araji Thighra	24	नहीं।	
208	Maharajganj		Araji Radhunath Tiwari	56	नहीं।	
209	Maharajganj		Araji Tahbargang	57	नहीं।	
210	Maharajganj		Araji Manjhariya Rustam Bibi	3	नहीं।	
211	Maharajganj		Araji Manjhariya Rustam Khas	3	नहीं।	
212	Maharajganj		Araji Khiri Jot Kaji	204	नहीं।	
213	Maharajganj		Araji Khokhar Joit Shekh Nadir	73	नहीं।	
214	Maharajganj		Araji Loharieya	132	नहीं।	
215	Maharajganj		Araji Chandrarha	89	नहीं।	
216	Maharajganj	Araji Malahpuwa	Araji Malahpuwa	1307	नहीं।	असाध्य

1	2	3	4	5	6	7
217	Maharajganj		Araji Gangapur	194	नहीं।	
218	Maharajganj		Araji Purainiya	172	नहीं।	
219	Maharajganj	Chourasi	Chourasi	748	जुड़ा है।	
220	Maharajganj		Yusufpur	550	जुड़ा है।	
221	Maharajganj	Sahdha	Sahdha	947	जुड़ा है।	
222	Maharajganj		Bariyarpur	554	जुड़ा है।	
223	Maharajganj	Sikanderpur Aima	Sikanderpur Aima	1749	जुड़ा है।	

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2018 के 1-बुधवार के लिए श्री नफीस अहमद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0 5 के उत्तरालेख हेतु राजस्व ग्रामों की सूची (2001 की जनगणना के अनुसार)

क्र0 सं0	ब्लाक का नाम	ग्राम सभा का नाम	ग्राम सभा में सम्मिलित राजस्व ग्राम का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार आबादी	ग्राम जुड़ा है अथवा नहीं	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	Bilariaganj	Patila Gaispur	Patila Gaispur	2731	जुड़ा है।	
2	Bilariaganj	Sekhupur	Sekhupur	2154	जुड़ा है।	
3	Bilariaganj		Jameen Sekhupur	39	नहीं।	
4	Bilariaganj		Molanpur	24	नहीं।	
5	Bilariaganj	Mohiddenpur	Mohiddenpur	1231	जुड़ा है।	
6	Bilariaganj		Vadokhar	266	जुड़ा है।	
7	Bilariaganj		Chakveni Ram	242	नहीं।	
8	Bilariaganj	Bijarwa	Bijarwa	1040	जुड़ा है।	
9	Bilariaganj		Pura Bhajan	26	नहीं।	
10	Bilariaganj		Firoz Patti	24	नहीं।	
11	Bilariaganj		Gulaur	1238	जुड़ा है।	
12	Bilariaganj	Bilariaganj Dehat	Bhat Purwa	25	नहीं।	
13	Bilariaganj		Bilariaganj Dehat	1244	जुड़ा है।	
14	Bilariaganj		Sahabuddinpur	1309	जुड़ा है।	
15	Bilariaganj	Lando	Lando	2311	जुड़ा है।	
16	Bilariaganj	Baliya Kalyanpur	Baliya Kalyanpur	2032	जुड़ा है।	
17	Bilariaganj	Baghidah	Baghidah	1032	जुड़ा है।	
18	Bilariaganj		Maigapur	869	जुड़ा है।	

1	2	3	4	5	6	7
19	Bilariaganj		Purusotampur	286	जुड़ा है।	
20	Bilariaganj		Jamuwan Hariram	722	जुड़ा है।	
21	Bilariaganj		Keshavpur Muhamad Patti	638	जुड़ा है।	
22	Bilariaganj	Nurruddenpur	Nurruddenpur	2795	जुड़ा है।	
23	Bilariaganj	Langarpur	Gosde Patti Hathi Ram	248	जुड़ा है।	
24	Bilariaganj		Basila	503	जुड़ा है।	
25	Bilariaganj		Jhusi	197	नहीं।	
26	Bilariaganj		Langarpur	1354	जुड़ा है।	
27	Bilariaganj	Chhinhi	Chak Jinda	29	नहीं।	
28	Bilariaganj		Chhinhi	2161	जुड़ा है।	
29	Bilariaganj	Devda Damodarpur	Devda Damodarpur	1524	जुड़ा है।	
30	Bilariaganj	Gaddipur	Gaddipur	842	जुड़ा है।	
31	Bilariaganj		Raghopur	818	जुड़ा है।	
32	Bilariaganj	Dubrahan Bujurg	Dubrahan Bujurg	681	जुड़ा है।	
33	Bilariaganj		Chak Malook	334	जुड़ा है।	
34	Bilariaganj		Chak Bijuli	131	नहीं।	
35	Bilariaganj	Madhuban	Madhuban	661	जुड़ा है।	
36	Bilariaganj		Sodhan Patti	317	जुड़ा है।	
37	Bilariaganj		Chak Mujam	197	नहीं।	
38	Bilariaganj		Saurra	380	जुड़ा है।	
39	Bilariaganj	Kuaan Devchand Patti	Kuaan Devchand Patti	1699	जुड़ा है।	
40	Bilariaganj		Jaminsatti	33	नहीं।	
41	Bilariaganj		Satti	309	जुड़ा है।	
42	Bilariaganj	Badhi Hari	Badhi Hari Khas	827	जुड़ा है।	
43	Bilariaganj		Kakarhi Jaskaran	475	जुड़ा है।	
44	Bilariaganj		Maksudanpur	90	जुड़ा है।	
45	Bilariaganj	Jagmalpur	Jagmalpur	1872	जुड़ा है।	
46	Bilariaganj		Khan Khah	534	जुड़ा है।	
47	Bilariaganj					

1	2	3	4	5	6	7
48	Bilariaganj	Jehara Pipari	Jehara Pipari	1402	जुड़ा है।	
49	Bilariaganj		Kadipur Harikesh	910	जुड़ा है।	
50	Bilariaganj		Hasanpur	875	जुड़ा है।	
51	Bilariaganj	Jamuvan Harirampur	Jamuvan Harirampur	1272	जुड़ा है।	
52	Bilariaganj		Jamuwa Jolaha	233	नहीं।	
53	Bilariaganj	Gaddanpur Hichanpur	Gaddanpur Hichanpur	1880	जुड़ा है।	
54	Bilariaganj	Devae Rasulpur	Devae Rasulpur	815	जुड़ा है।	
55	Bilariaganj		Fulehra	512	जुड़ा है।	
56	Bilariaganj	Panch Khora	Panch Khora	1781	जुड़ा है।	
57	Bilariaganj		Raisand	337	जुड़ा है।	
58	Bilariaganj		Amakholhi	277	जुड़ा है।	
59	Bilariaganj		Harirampur	383	जुड़ा है।	
60	Bilariaganj	Varji Hajiyapur	Varji Hajiyapur	1921	जुड़ा है।	
61	Bilariaganj		Hajiyapur	181	नहीं।	
62	Bilariaganj	Shapur Mailani	Shapur Mailani	1791	जुड़ा है।	
63	Bilariaganj	Jigana karmanpur	Jigana karmanpur	1836	जुड़ा है।	
64	Bilariaganj	Kandhrapur	Kandhrapur	3200	जुड़ा है।	
65	Bilariaganj	Jolaha Begpur	Jolaha Begpur	6401	जुड़ा है।	
66	Bilariaganj		Begpur	559	जुड़ा है।	
67	Bilariaganj	Kapasa	Kapasa	2159	जुड़ा है।	
68	Bilariaganj	Bhawanpur	Bhawanpur	1124	जुड़ा है।	
69	Bilariaganj		Chrowa	722	जुड़ा है।	
70	Bilariaganj		Semra Tiwari	277	जुड़ा है।	
71	Bilariaganj		Semra Badhi	307	जुड़ा है।	
72	Bilariaganj		Kadipur Tiwari	480	जुड़ा है।	
73	Bilariaganj		Kadipur Khud Kast	406	जुड़ा है।	
74	Bilariaganj	Akhapur	Akhapur	1670	जुड़ा है।	
75	Bilariaganj	Dullhapur	Dullhapur	894	जुड़ा है।	
76	Bilariaganj		Dubrahan kurd	590	जुड़ा है।	
77	Bilariaganj		Jaloopur	521	जुड़ा है।	
78	Bilariaganj	Tadva	Tadva	800	जुड़ा है।	
79	Bilariaganj		Akhaipur	139	नहीं।	

1	2	3	4	5	6	7
80	Bilariaganj		Bakipur Sonahariya	713	जुड़ा है।	
81	Bilariaganj	Miriya Rarahan	Miriya Rarahan	2128	जुड़ा है।	
82	Bilariaganj	Basti Uagar Patti	Basti Uagar Patti	953	जुड़ा है।	
83	Bilariaganj		Saidpur	326	जुड़ा है।	
84	Bilariaganj	Pahalwanpur	Pahalwanpur	1335	जुड़ा है।	
85	Bilariaganj		Panday Chawar	823	जुड़ा है।	
86	Bilariaganj		Raipur	36	नहीं।	
87	Bilariaganj	Asarafpur	Asarafpur	2812	जुड़ा है।	
88	Bilariaganj		Bibepur	9	नहीं।	
89	Bilariaganj	Hanai Gullegadh	Hanai Gullegadh	1100	जुड़ा है।	
90	Bilariaganj		Bhekh Patti	371	जुड़ा है।	
91	Bilariaganj	Bebipur	Hadharpur	211	नहीं।	
92	Bilariaganj		Bebipur	1376	जुड़ा है।	
93	Bilariaganj	Paliya	Paliya	1574	जुड़ा है।	
94	Bilariaganj					
95	Bilariaganj		Kothiya	635	जुड़ा है।	
96	Bilariaganj	Durji Dhorahra	Durji Dhorahra	1362	जुड़ा है।	
97	Bilariaganj		Kurthipur	601	जुड़ा है।	
98	Bilariaganj	Madhanapar	Madhanapar	3559	जुड़ा है।	
99	Bilariaganj	Vijayapar	Vijayapar	2117	जुड़ा है।	
100	Bilariaganj		Maduapar	319	जुड़ा है।	
101	Bilariaganj	Turk Padari	Turk Padari	1279	जुड़ा है।	
102	Bilariaganj	Akabarpur	Akabarpur	1783	जुड़ा है।	
103	Bilariaganj		Devriya Abbu Sedpur	419	जुड़ा है।	
104	Bilariaganj	Devriya Jafti Mafe	Devriya Jafti Mafe	675	जुड़ा है।	
105	Bilariaganj		Deeha	324	जुड़ा है।	
106	Bilariaganj	Piparha Duliyavar	Piparha Duliyavar	2109	जुड़ा है।	
107	Bilariaganj	Baraile Diwakar Patti	Baraile Diwakar Patti	650	जुड़ा है।	
108	Bilariaganj		Oara	522	जुड़ा है।	
109	Bilariaganj		Laxamanpur	736	जुड़ा है।	

1	2	3	4	5	6	7
110	Bilariaganj		Bari	417	जुड़ा है।	
111	Bilariaganj	Padari Paranpur	Padari Paranpur	1473	जुड़ा है।	
112	Bilariaganj		Jameen Padri	709	जुड़ा है।	
113	Bilariaganj		Math Vishambhar	200	नहीं।	
114	Bilariaganj	Jameen Rasulpur	Jameen Rasulpur	2122	जुड़ा है।	
115	Bilariaganj		Baherapur Hazaampur	9	नहीं।	
116	Bilariaganj	Nesirpur	Nesirpur Fattahpur	2643	जुड़ा है।	
117	Bilariaganj	Hangaipur	Hangaipur	1210	जुड़ा है।	
118	Bilariaganj	Gulva Gauri	Gulva Gauri	1615	जुड़ा है।	
119	Bilariaganj		Jaigha	460	जुड़ा है।	
120	Bilariaganj	Haripur	Chinhati	366	जुड़ा है।	
121	Bilariaganj		Haripur	1225	जुड़ा है।	
122	Bilariaganj	Pati Khurad	Pati Khurad	971	जुड़ा है।	
123	Bilariaganj		Panti Bujurg	812	जुड़ा है।	
124	Bilariaganj		Rampur Hajjan Patti	355	जुड़ा है।	
125	Bilariaganj	Bhawa Raipur Patti Tandan Rai	Bhawa Raipur Patti Tandan Rai	527	जुड़ा है।	
126	Bilariaganj		Patwadh Sudhakar	517	जुड़ा है।	
127	Bilariaganj		Patti Tandan Rai	1169	जुड़ा है।	
128	Bilariaganj		Phulwariya	562	जुड़ा है।	
129	Bilariaganj		Gayaspur	207	नहीं।	
130	Bilariaganj	Jayrajpur	Jayrajpur	5082	जुड़ा है।	
131	Bilariaganj	Khalishpur	Khalishpur	1361	जुड़ा है।	
132	Bilariaganj		Jalaluddinpatti	674	जुड़ा है।	
133	Bilariaganj	Bhaisainda Sathari	Bhaisainda	586	जुड़ा है।	
134	Bilariaganj		Sathari	769	जुड़ा है।	
135	Bilariaganj		Awati	57	नहीं।	
136	Bilariaganj	Patwadh Kaituk	Patwadh Kaituk	2396	जुड़ा है।	

1	2	3	4	5	6	7
137	Bilariaganj		Gosani Patti Angad Rai	208	नहीं।	
138	Bilariaganj		Sadi Patti	571	जुड़ा है।	
139	Bilariaganj	Gaghanwal	Gaghanwal	1923	जुड़ा है।	
140	Bilariaganj	Bankat	Bankat	2668	जुड़ा है।	
141	Bilariaganj	Amaraila Dev	Amaraila Dev	841	जुड़ा है।	
142	Bilariaganj		Rampur Mubarak Patti	808	जुड़ा है।	
143	Bilariaganj		Amaraila Kast	1	नहीं।	
144	Bilariaganj		Chak Amaraila	322	जुड़ा है।	
145	Bilariaganj	Natathu Patti	Natathu Patti	1166	जुड़ा है।	
146	Bilariaganj		Nevada	253	जुड़ा है।	
147	Bilariaganj	Chalakpur	Chalakpur	1442	जुड़ा है।	
148	Bilariaganj		Fareedpur	946	जुड़ा है।	
149	Bilariaganj	Para	Para	1081	जुड़ा है।	
150	Bilariaganj		Avara Bhat	142	नहीं।	
151	Bilariaganj	Uacha Deeh Salempur	Uacha Deeh Salempur	1043	जुड़ा है।	
152	Bilariaganj		Keshawpur	358	जुड़ा है।	
153	Bilariaganj	Uacha Deeh Salempur	Math Mohan	363	जुड़ा है।	
154	Bilariaganj		Khalpur	306	जुड़ा है।	
155	Bilariaganj	Varna Jagdeshpur	Varna Jagdeshpur	1842	जुड़ा है।	
156	Bilariaganj	Dharsan Sohari	Parasan	1001	जुड़ा है।	
157	Bilariaganj		Kharagpur	569	जुड़ा है।	
158	Bilariaganj		Paharpur	258	जुड़ा है।	
159	Bilariaganj		Sohari	505	जुड़ा है।	
160	Bilariaganj	Mallupur	Mallupur	827	जुड़ा है।	
161	Bilariaganj		Kohari Bujurag	589	जुड़ा है।	
162	Bilariaganj		Kohari Khurad	794	जुड़ा है।	
163	Bilariaganj	Naraynpur	Gaire	60	नहीं।	
164	Bilariaganj		Naraynpur	1642	जुड़ा है।	
165	Bilariaganj	Jameenpur Farenda	Balai	566	जुड़ा है।	
166	Bilariaganj		Chack Farenda	120	नहीं।	

1	2	3	4	5	6	7
167	Bilariaganj		Zameen Farenda	707	जुड़ा है।	
168	Bilariaganj		Belehara	27	नहीं।	
169	Bilariaganj	Saisoile Gaibhaile Budhanpur	Saisoile Gaibhaile	1900	जुड़ा है।	
170	Bilariaganj	Bhaluwai	Bhaluwai	1877	जुड़ा है।	
171	Bilariaganj		Surjipur	666	जुड़ा है।	
172	Bilariaganj		Dayalpur	19	नहीं।	
173	Bilariaganj		Kewat Patti	31	नहीं।	
174	Bilariaganj	Khanpur Bhagat Patti	Khanpur Bhagat Patti	2605	जुड़ा है।	
175	Bilariaganj		Baramadpur	791	जुड़ा है।	
176	Bilariaganj	Rasulpur Nandlal	Rasulpur Nandlal	1606	जुड़ा है।	
177	Bilariaganj	Kakarahi Dular	Kakarahi Dular	1419	जुड़ा है।	
178	Bilariaganj		Masirpur	557	जुड़ा है।	
179	Bilariaganj	Ismailpur Goriya	Ismailpur Goriya	1594	जुड़ा है।	
180	Bilariaganj	Shantipur Basirpur	Shantipur	1245	जुड़ा है।	
181	Bilariaganj		Basirpur	719	जुड़ा है।	
182	Bilariaganj	Gaddopur	Gaddopur	1046	जुड़ा है।	
183	Bilariaganj		Sultanpur	189	नहीं।	
184	Bilariaganj					
185	Bilariaganj		Langarpur	680	जुड़ा है।	
186	Bilariaganj	Jalalpur	Jalalpur	754	जुड़ा है।	
187	Bilariaganj		Jagjiwanpur	329	जुड़ा है।	
188	Bilariaganj		Holepur	217	नहीं।	
189	Bilariaganj	Bhagatpur	Bhagatpur	3210	जुड़ा है।	
190	Bilariaganj		Bghela	122	नहीं।	
191	Bilariaganj	Manduri	Manduri	1302	जुड़ा है।	
192	Bilariaganj		Baldev Manduri	24	नहीं।	
193	Bilariaganj	Maha Karm Nath Patti	Maha Karm Nath Patti	1345	जुड़ा है।	
194	Bilariaganj		Sulauddinpatti	664	जुड़ा है।	
195	Bilariaganj	Sri Nagar Siyarha	Sri Nagar Siyarha	1754	जुड़ा है।	

1	2	3	4	5	6	7
196	Bilariaganj	Manpur	Manpur	1064	जुड़ा है।	
197	Bilariaganj		Chandpur	557	जुड़ा है।	
198	Bilariaganj	Harkhpur	Harkhpur	971	जुड़ा है।	
199	Bilariaganj		Gangepur	393	जुड़ा है।	
200	Bilariaganj		Kadipur M. Manpur	43	नहीं।	
201	Bilariaganj	Tendua Tejpur	Tendua	1048	जुड़ा है।	
202	Bilariaganj		Tejpur	661	जुड़ा है।	
203	Bilariaganj	Chhichhori	Chhichhori	1850	जुड़ा है।	
204	Bilariaganj	Alauddin Patti	Alauddin Patti	2269	जुड़ा है।	
205	Bilariaganj	Muhamadpur	Muhamadpur	1727	जुड़ा है।	
206	Bilariaganj	Bagwar	Bagwar	1070	जुड़ा है।	
207	Bilariaganj		Chaktofapur	261	जुड़ा है।	
208	Bilariaganj	Tohafapur	Tohafapur	1515	जुड़ा है।	
209	Bilariaganj		Devabindwal	1079	जुड़ा है।	
210	Bilariaganj		Khwaja Bindwal	21	नहीं।	
211	Bilariaganj		Chack Jaikishan	5	नहीं।	
212	Bilariaganj	Bindwal	Bindwal	4059	जुड़ा है।	
213	Bilariaganj	Mohiddenpur II	Mohiddenpur	738	जुड़ा है।	
214	Bilariaganj		Kharudeenpur	649	जुड़ा है।	
215	Bilariaganj		Pandey Pokher	357	जुड़ा है।	
216	Bilariaganj		Saidpur	34	नहीं।	
217	Bilariaganj	Tendua	Haji Patti	123	नहीं।	
218	Bilariaganj		Kankh Bhar	338	जुड़ा है।	
219	Bilariaganj		Tendua	736	जुड़ा है।	

नत्थी-ग

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला योजना (नवनिर्माण) के अन्तर्गत आवंटन

क्र0 सं0	जनपद का नाम	धनराशि रु0 (लाख में)
1	कासगंज	22.50
2	मथुरा	45.00
3	मैनपुरी	48.00
4	फिरोजाबाद	22.63
5	हाथरस	8.00
6	आगरा	24.64
7	अलीगढ़	52.03
8	एटा	0.00
9	इलाहाबाद	215.03
10	कौशाम्बी	79.72
11	प्रतापगढ़	45.00
12	फतेहपुर	14.00
13	बलिया	62.00
14	मऊ	7.00
15	जौनपुर	74.30
16	आजमगढ़	94.27
17	बरेली	45.60
18	बदायूं	35.71
19	पीलीभीत	0.00
20	शाहजहांपुर	47.41
21	बहराइच	65.00
22	बाराबंकी	128.52
23	बलरामपुर	25.00
24	श्रावस्ती	59.94
25	सुल्तानपुर	8.00
26	फैजाबाद	46.47
27	अम्बेडकरनगर	43.00
28	अमेठी	81.00

क्र0 सं0	जनपद का नाम	धनराशि रु0 (लाख में)
29	गोण्डा	65.33
30	सिद्धार्थनगर	140.75
31	बस्ती	36.00
32	कुशीनगर	30.00
33	महाराजगंज	21.32
34	संतकबीरनगर	21.00
35	देवरिया	57.65
36	गोरखपुर	22.24
37	झांसी	23.00
38	बांदा	10.00
39	महोबा	5.00
40	चित्रकूट	57.00
41	हमीरपुर	18.00
42	जालौन	42.00
43	ललितपुर	19.00
44	इटावा	14.29
45	कानपुर देहात	10.08
46	कानपुर नगर	76.00
47	कन्नौज	0.00
48	फतेहगढ़	16.00
49	औरैया	20.76
50	खीरी	43.00
51	हरदोई	90.71
52	रायबरेली	31.00
53	सीतापुर	37.44
54	उन्नाव	27.31
55	लखनऊ	48.22
56	सहारनपुर	32.00
57	शामली	14.00
58	बागपत	56.00
59	बुलन्दशहर	35.00

क्र0 सं0	जनपद का नाम	धनराशि रु0 (लाख में)
60	मेरठ	137.55
61	हापुड़	17.00
62	मुजफ्फरनगर	0.00
63	गाजियाबाद	14.00
64	गौतमबुद्धनगर	25.00
65	रामपुर	7.20
66	अमरोहा	64.01
67	मुरादाबाद	17.00
68	बिजनौर	23.00
69	सम्भल	19.00
70	मिर्जापुर	65.88
71	संतरविदासनगर	16.00
72	सोनभद्र	17.00
73	वाराणसी	66.84
74	चन्दौली	25.95
75	गाजीपुर	60.73
	महायोग . .	**3096.03**

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला योजना नवनिर्माण के अन्तर्गत जनपद अम्बेडकरनगर को आवंटित धनराशि का कार्यवार विवरण

संलग्नक-2

(धनराशि रु0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	लम्बाई कि0मी0 में	स्वीकृत लागत	31.3.17 तक आवंटन/ व्यय	वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अम्बेडकरनगर	पर्वतपुर महूलिया ब्रम्ह स्थान (नहर की पटरी) का अवशेष भाग का निर्माण कार्य	340/2016/08आ0जि0यो0/ तेईस-14-2-016-08आ0/16, दि0 09.11.2016	1.00	37.07	16.70	4.00
2	अम्बेडकरनगर	रसूलपुर से दोहरीपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	340/2016/08आ0जि0यो0/ तेईस-14-2-016-08आ0/16, दि0 09.11.2016	0.95	36.89	16.62	12.00
3	अम्बेडकरनगर	डडवा मुस्लिम बस्ती असरखपुर से चियूटीपारा पिच मार्ग का निर्माण कार्य	340/2016/08आ0जि0यो0/ तेईस-14-2-016-08आ0/16, दि0 09.11.2016	0.50	20.12	9.07	6.00
4	अम्बेडकरनगर	रामनगर करीं तिराहा से धर्मपुर गांव तक मार्ग का निर्माण कार्य	340/2016/08आ0जि0यो0/ तेईस-14-2-016-08आ0/16, दि0 09.11.2016	0.50	20.24	9.12	6.00
5	अम्बेडकरनगर	नोनारा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	340/2016/08आ0जि0यो0/ तेईस-14-2-016-08आ0/16, दि0 09.11.2016	0.85	34.37	15.48	11.00
6	अम्बेडकरनगर	जहांगीरगंज मुख्य बाजार से किताबू की दुकान से होते हुए नईमी साहब के स्कूल के आगे तक (घोसियाना) पिच रोड का निर्माण कार्य	340/2016/08आ0जि0यो0/ तेईस-14-2-016-08आ0/16, दि0 09.11.2016	0.70	37.78	17.01	4.00
			योग . .	**4.50**	**186.47**	**84.00**	**43.00**

नत्थी-घ

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-116 का उत्तर पीछे पृष्ठ 98 पर)

जनपद बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र सदर में राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में सामान्य मरम्मत के अन्तर्गत 35 कार्य, विशेष मरम्मत के अन्तर्गत 19 कार्य एवं नवनिर्माण के अन्तर्गत 01 कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0)	स्वीकृत लागत (लाख में)
1	2	3	4
सामान्य मरम्मत के अन्तर्गत-			
1	चकवा भीखपुर मार्ग	1.00	9.16
2	कपौवा से सुआंव नाला मार्ग	1.00	10.41
3	श्रीदत्तगंज बाजार भाग	1.00	10.41
4	पी0बी0 मार्ग से पिपरी कोल्हुई मार्ग	0.70	5.84
5	गोण्डा उतरौला मार्ग से रामपुर इटई मार्ग	3.00	25.13
6	श्रीदत्तगंज से केशवगढ़ गुल्हरिया मार्ग	2.00	16.75
7	कपौवा बाईपास मार्ग	0.70	5.84
8	कोयलरा बैजपुर मार्ग	2.00	16.75
9	पीलीभीत रिसालपुर मार्ग	2.80	25.60
10	विशुनपुर लिंक रोड	2.00	16.75
11	बी0टी0 मार्ग से बलुआ बलुई मार्ग	4.00	36.61
12	पी0 बी0 मार्ग से बगाही मार्ग	1.50	12.56
13	घुघुलपुर गंगापुर बांकी मार्ग किमी0-3 से जोगिया कला सम्पर्क मार्ग	3.80	31.84
14	ढोढरा सम्पर्क मार्ग	0.45	4.38
15	गंगापुर बांकी से ग्राम नेतुआ तक मार्ग का निर्माण	1.30	10.91
16	नन्दमहरा से गुलरिया मार्ग	1.80	15.09
17	बहराइच बलरामपुर से खुटेहना मार्ग	2.00	16.75
18	पी0 बी0 मार्ग से सेखुईया ज्योना मार्ग	4.00	33.49
19	सिरसिया लिंक मार्ग	4.00	33.49
20	महुआ इब्राहिम संझवल प्रेमनगर मार्ग-2	1.00	8.38

1	2	3	4
21	चहटवा सम्पर्क मार्ग	1.40	11.69
22	महेशभारी भैसहवा मार्ग से हरबंसपुर	3.00	25.13
23	देहात कोतवाली बलरामपुर से धुसाह मार्ग	2.00	16.75
24	खगईजोत कल्यान नगर मार्ग	1.00	8.38
25	बलरामपुर बहराइच मार्ग से देवरिया बगाही मार्ग	1.80	15.09
26	बरांव सम्पर्क मार्ग	0.50	4.18
27	शंकरपुर मार्ग	1.50	12.56
28	पनहिया सम्पर्क मार्ग	1.00	8.38
29	बालपुर तिलपुर मार्ग किमी0-1 से सिरसिया सम्पर्क मार्ग	1.50	12.56
30	पी0 बी0 मार्ग से सेखुईया कला मार्ग	1.80	15.09
31	सिसई मदार गैंजहवा मार्ग	3.00	25.13
32	अमारे भरिया सम्पर्क मार्ग	2.30	19.28
33	पीलीभीत बस्ती मार्ग से बरौलिया मार्ग	1.50	12.56
34	केशवगढ़ से बीरयलडीह	2.00	16.75
35	महादेव सिरसिया सम्पर्क मार्ग	1.70	14.22
	योग . .	**66.05**	**563.89**
विशेष मरम्मत के अन्तर्गत-			
1	श्रीनगर से हरिहरपुर सम्पर्क मार्ग का कार्य	3.00	32.07
2	श्रीदत्तगंज गुमड़ी से दन्तनगर सम्पर्क मार्ग का कार्य	1.00	11.81
3	कटरा शंकरनगर सम्पर्क मार्ग का कार्य	1.20	16.80
4	बैजपुर मार्ग के कि0मी0-6 से शेरूपुर खुटहना सम्पर्क मार्ग का कार्य	2.10	29.58
5	धर्मपुर कलवारी सम्पर्क मार्ग का कार्य	1.00	12.15
6	रछौड़ा सम्पर्क मार्ग का कार्य	2.00	24.51
7	खगईजोत अजबनगर मार्ग से फरेन्दा दर्जीडीह सम्पर्क मार्ग का कार्य	2.00	24.17
8	पचौथा से पिपरा सम्पर्क मार्ग का कार्य	1.00	13.40
9	बरवलिया से भगौतापुर सम्पर्क मार्ग का कार्य	1.00	12.52
10	महेशभारी भैसहवा मार्ग से खरहरगढ़ी सम्पर्क मार्ग	0.16	2.11

1	2	3	4
11	महादईया से सुन्दरघाट सम्पर्क मार्ग का कार्य	4.00	39.52
12	रघवापुर जबदहा मार्ग किमी0	3.00	32.15
13	गंगापुर लिंक मार्ग	1.00	12.62
14	कोयलरा सम्पर्क मार्ग	1.20	11.79
15	धरमपुर कलवारी सम्पर्क मार्ग	0.70	7.05
16	रामपुर खगईजोत सम्पर्क मार्ग	1.00	10.02
17	बभनी सम्पर्क मार्ग	1.00	10.72
18	उदयपुर सम्पर्क मार्ग	1.50	14.73
19	बेलहा गौरा मार्ग से आवर से लिलवा होते हुए लौहकवा सम्पर्क मार्ग	1.60	21.60
	योग . .	**29.46**	**339.32**
नवनिर्माण के अन्तर्गत-			
1	गांव छोटा धुसाह की इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा पटरी का निर्माण	0.70	21.39
	योग . .	**0.70**	**21.39**